सत्यमेव जयते

सातवीं लघु सिंचाई गणना और दूसरी जल निकायों की गणना के लिए अनुदेश पुस्तिका

संदर्भ वर्ष: 2023-24

(जुलाई 2023-जून 2024)



भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

सातवीं लघु सिंचाई गणना और दूसरी जल निकायों की गणना के लिए अनुदेश पुस्तिका

संदर्भ वर्ष: 2023-24

(जुलाई 2023-जून 2024)



भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

लघु सिंचाई (सांख्यिकी) प्रकोष्ठ

सी आर पाटील
C R Paatil



सत्यमेव जयते

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार
Minister of Jal Shakti
Government of India

Message

Water plays a crucial role in agricultural production and food security, especially in arid and semi-arid regions where irrigation is essential. Minor irrigation schemes are particularly beneficial due to their short gestation period, lower investment requirements, and immediate benefits to farmers. However, technological advancements, rainfall variations, groundwater levels, river flow patterns, and growing water demand highlight the need for regular reviews of Minor Irrigation schemes to ensure effective planning and decision-making.

India is home to a diverse array of natural and man-made water bodies, which are vital for maintaining water balance, preventing floods, supporting biodiversity, and ensuring food security and livelihoods. These water bodies have long served as a key source for Minor Irrigation. Unfortunately, rapid urbanization and excessive water extraction have negatively impacted their health. As such, the enumeration, preservation, conservation, and renovation of these water bodies are critical for long-term economic, social, and environmental sustainability.

To address these challenges, the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, is conducting the 7th Minor Irrigation (MI) Census, the 2nd Census of Water Bodies, the 1st Census of Major & Medium Irrigation (MMI) Projects, and the 1st Census of Springs across 35 States and Union Territories.

Consolidated manual has been developed to assist field-level personnel in data collection and validation. I hope the detailed methodology, concepts, FAQs etc provided in the manual shall ensure the collection of reliable data from field.

C R Paatil

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

Office : 210, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel: No. (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
E-mail : minister-jalshakti@gov.in

डॉ. राज भूषण चौधरी
Dr. Raj Bhushan Choudhary

सत्यमेव जयते

जल शक्ति राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE FOR JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110001



MESSAGE

Minor irrigation schemes play a crucial role in boosting agricultural productivity, enabling crop diversification, and supporting livelihoods, while addressing the challenges of unpredictable monsoon rainfall. A reliable database on minor irrigation schemes in the country is important for effective planning, policy making and sustainable water resource management.

Water is essential for all life on Earth, influencing every aspect of existence. By gathering comprehensive information about water bodies such as size, condition, status of encroachments, use, storage capacity etc. will help in creating a robust database of water bodies across the country. This database will serve as a vital tool for formulating strategies and policies for water resource assessment, monitoring and planning.

Given the importance of minor irrigation schemes and waterbodies, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation is undertaking the 7th Minor Irrigation Census and 2nd Census of Water Bodies along with 1st Census of Springs and 1stCensus of Major and Medium Irrigation Projects. The census shall be undertaken paperless, entirely in digital mode to ensure accuracy and efficiency.

I hope the Manual on 7th Minor Irrigation Census and 2nd Census of Water Bodies will serve as a valuable handbook for all stakeholders involved in the census process.

(Dr. Raj Bhushan Choudhary)

215, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001, 215, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
दूरभाष : (011) 23708419, 23718759, फैक्स : 011-23354496, Tel. : (011) 23708419, 23718759, Fax : 011-23354496
ई-मेल/E-mail : mos-mowr@nic.in

देवश्री मुखर्जी
Debashree Mukherjee
सचिव
SECRETARY



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

FOREWORD

The Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti has been conducting census of Minor Irrigation structures quinquienally since 1986-87 on the recommendation of the then Planning Commission under the Centrally Sponsored Scheme 'Irrigation Census'.

The Minor Irrigation Census is conducted in rural areas of all States/UTs and covers all ground water and surface water structures having Culturable Command Area (CCA) upto 2000 hectares. So far, six censuses have been conducted with reference years 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07, 2013-14 and 2017-18 respectively.

The Water Body Census is also conducted in all States/UTs and collect information on all important aspects of the subject including their condition, status of encroachments, use, storage capacity, status of filling up of storage etc.

I am happy to inform that Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) is also undertaking the 1st Census of Major and Medium Irrigation (MMI) projects and 1st Census of Springs along with 7th MI and 2nd Census of water bodies. The census shall be undertaken paperless, entirely in digital mode through a mobile application which will result in considerable savings in resources like time, cost etc.

This document will help the field level functionaries/primary workers in efficiently collecting the data on ground. This will serve as a guide on the concepts, definitions and procedure to be uniformly followed by all States/UTs during the field work.

I hope that the concerned officials involved in the conduct of census will make full use of this document for collection of data of these censuses.

(DEBASHREE MUKHERJEE)

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 / Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel. : 011-23710305, 23715919, Fax : 011-23731553, E-mail : secy-mowr@nic.in, Website : http://www.mowr.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पेज संख्या
	अध्याय	
1	परिचय	I-1 - I-5
2	7वीं लघु सिंचाई गणना की कवरेज, अवधारणाएं और परिभाषा	II-2 - II-19
3	जल निकायों की दूसरी गणना की कवरेज, अवधारणाएं और परिभाषा	III-1 - III-5
4	7वीं लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना आयोजित करने की पद्धति	IV-1 - IV-6
5	वेब/मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने के निर्देश	V-1 - V-75
6	जल निकायों की दूसरी गणना अनुसूची भरने के लिए सामान्य निर्देश	VI-1 - VI-15
7	सतही जल अनुसूची (7वीं लघु सिंचाई गणना) भरने के लिए सामान्य निर्देश	VII-2 - VII-17
8	भूजल अनुसूची (7वीं लघु सिंचाई गणना) भरने के लिए सामान्य निर्देश	VIII-2 - VIII-15
9	ग्राम अनुसूची (7वीं लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना) भरने के लिए सामान्य निर्देश	IX-2 - IX-4
10	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	X-2 - X-13
	संलग्नक	
1	राज्यवार गाँवों और वार्डों की सूची	2-3
2	मास्टर फ़्रेम को अद्यतन करने के लिए दिशानिर्देश	4-7
3	जल निकायों की अनुसूची	8-10
4	सतही जल योजनाएँ	11-13
5	भूजल योजनाएँ	14-16
6	ग्राम अनुसूची	17
7	जल निकायों की दूसरी गणना की अनुसूची की सत्यापन जांच	18-23
8	सतही जल अनुसूची की सत्यापन जाँच	24-31
9	भूजल अनुसूची की सत्यापन जांच	32-39
10	ग्राम अनुसूची की सत्यापन जाँच	40-41
11	जाँच बिंदु - MI एवं WB गणना	42-44
11	निधि का प्रावधान	45-51
12	मोबाइल विनिर्देश	52

संक्षिप्ति:

बीएलओ	ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
सीसीए	खेती योग्य कमान क्षेत्र
सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भूजल बोर्ड
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
डीईएस	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय
डीआईपी	जिला सिंचाई योजना
डीएलओ	जिला स्तरीय अधिकारी
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर	जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
एफओडी	फील्ड ऑपरेशन डिवीजन
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईएचआर	भारतीय हिमालयी क्षेत्र
आईपीसी	सिंचाई क्षमता का निर्माण
आईपीयू	सिंचाई क्षमता का उपयोग
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
एलजीडी	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एमआई	लघु सिंचाई
नीति	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
आरएंडडी	अनुसंधान और विकास
एसएसी	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
एसएएसए	राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण
एसआईपी	राज्य सिंचाई योजना
एसएलओ	राज्य स्तरीय अधिकारी

एसडब्ल्यूआईसी	राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूटी	संघ शासित प्रदेश
डबल्यूयूए	जल उपयोगकर्ता संघ

अध्याय एक:

परिचय

अध्याय एक:

1.0 परिचय

1.1. भारत सदियों से मुख्यतः कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, पूरे देश में मानसून का वितरण भी एक समान नहीं है। इसलिए सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का लाभ यह है कि इनकी निर्माण अवधि कम होती है, इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है और इसका लाभ किसानों तक तुरंत पहुंचता है।

1.2. भारत सरकार में लघु सिंचाई क्षेत्र को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर), कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। इसी तरह, राज्य स्तर पर, जल संसाधन, कृषि और ग्रामीण विकास के संबंधित मंत्रालय और विभाग इस क्षेत्र को संभालते हैं। लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को सिंचाई/लघु सिंचाई, जल संसाधन विकास विभाग के माध्यम से या एमआई कार्यों के विकास और ऑन-फार्म सिंचाई प्रणाली और जल वितरण उपकरणों के प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी/स्थानीय निकायों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में कई पहल की गई हैं।

1.3. राज्यों में, कोई भी एक सरकारी विभाग लघु सिंचाई कार्यों के विकास में शामिल नहीं है और पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में राज्य सरकार के सहयोग से या उसके बिना बड़ी संख्या में निजी कार्यों का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए, राज्य स्तर पर लघु सिंचाई कार्यों के बारे में जानकारी का समन्वय और निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। लघु सिंचाई कार्यों की विस्तृत गणना की सिफारिश सबसे पहले योजना आयोग ने 1970 में की थी। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत में लघु सिंचाई की स्थिति की विस्तार से जांच की और सिफारिश की कि सिंचाई स्रोतों की गणना पांच साल में एक बार की जानी चाहिए।

1.4. इसे ध्यान में रखते हुए, 1987-88 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता के साथ एक केंद्रीय योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस)" शुरू की गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आरएमआईएस योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना योजना "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)" का हिस्सा बन गई। 2017-18 में, इस योजना का नाम बदलकर सिंचाई गणना योजना कर दिया गया।

1.5. योजना के कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य के लिए सूचना के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए एक नोडल विभाग की पहचान करता है। राज्य सांख्यिकी प्रकोष्ठ आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट नोडल विभाग के भीतर बनाए जाते हैं। ये प्रकोष्ठ मंत्रालय द्वारा योजना बनाए जाते समय गणना के आयोजन, समन्वय और पर्यवेक्षण में राज्य में नोडल विभाग के प्रमुख या गणना आयुक्त की सहायता करते हैं। राज्य डिजिटल डेटा की अत्यधिक मात्रा को संभालने में तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी प्रकोष्ठों की स्वीकृत संख्या के भीतर पीएमयू भी स्थापित कर सकते हैं।

1.6. सिंचाई गणना योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

1.6.1. जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण करना।

1.6.2. लघु सिंचाई गणना के अंतर्गत ग्राम स्तर तक और जल निकाय गणना के अंतर्गत ग्राम और वार्ड स्तर तक बेंचमार्क डेटा प्रदान करना।

1.6.3. भविष्य के सर्वेक्षण करने के लिए सिंचाई योजनाओं/जल निकायों/झरनों का सांख्यिकीय ढांचा प्रदान करना।

1.6.4. प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाना क्योंकि जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

1.7. योजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में से एक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लघु सिंचाई (एमआई) अवसंरचनाओं की गणना करना है, जिसमें सभी भूजल

और सतही जल योजनाएं शामिल हैं (जो अधिकतर 2000 हेक्टेयर तक निजी स्वामित्व में हैं)। एमआई गणना में, सिंचाई स्रोतों (खोदे गए कुएं, उथले नलकूप, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल, सतही प्रवाह और सतही लिफ्ट योजनाएं), निर्मित सिंचाई क्षमता (आईपीसी), सिंचाई क्षमता का उपयोग (आईपीयू), स्वामित्व, भू-मालिक के पास भूमि के जोत का आकार, पानी उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ऊर्जा के स्रोत, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे ऊर्जा संरक्षण उपकरण, सौर पंप, पवन चक्की आदि जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जैसे विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है।

1.8. अब तक, छह एमआई गणनाएँ क्रमशः 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07, 2013-14 और 2017-18 में आयोजित की गई हैं। 2017-18 में, पहली बार, सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से लघु सिंचाई गणना के साथ जल निकायों की गणना को भी शामिल करके “सिंचाई गणना” योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब, देश में सभी सिंचाई योजनाओं को कवर करने के लिए इसमें स्प्रिंग एवं प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भी शामिल करके सिंचाई जनगणना योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया है।

1.9 जल संसाधनों पर संसदीय स्थायी समिति ने "जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार - जल निकायों पर अतिक्रमण तथा अतिक्रमण हटाने और जल निकायों को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम" विषय पर जल निकायों की अलग से जनगणना करने की आवश्यकता बताई थी। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग (डीओडब्ल्यूआर) ने केवल उन जल निकायों का डेटाबेस बनाए रखा था जिन्हें जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही थी, इस प्रकार इसकी निगरानी भूमिका केवल ऐसे जल निकायों तक ही सीमित थी। समिति ने सिफारिश की कि जल निकायों और उनकी स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए जल निकायों की अलग से गणना होनी चाहिए और इस प्रकार जल निकायों पर एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिए। स्थायी समिति की सिफारिश

के अनुसार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने छठी लघु सिंचाई जनगणना के साथ जल निकायों की पहली जनगणना शुरू की थी।

1.10 जल निकायों की पहली गणना में जल निकायों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे उनके आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण के भरने की स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। गणना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित जल निकायों को शामिल किया गया और जल निकायों के सभी प्रकार के उपयोगों जैसे सिंचाई, उद्योग, मछली पालन, घरेलू/पेयजल, मनोरंजन, धार्मिक उद्देश्य, भूजल पुनर्भरण और अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। उपरोक्त मापदंडों के अलावा, इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर (एसएसी) डेटाबेस में जल निकायों की ग्राउंड ट्रुथिंग को जल निकायों की दूसरी जनगणना में शामिल किया गया है।

1.11. साथ ही, दोनों गणनाओं में, एलजीडी कोड वाले गांव/वार्ड गणना क्षेत्र की प्राथमिक इकाई होंगे। एमआई योजनाओं और जल निकायों के सटीक स्थान विवरण सुनिश्चित करने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन में रिवर्स जीआईएस तकनीक सक्षम की जाएगी। मौजूदा योजनाओं/जल निकायों को संशोधित करने या नए जोड़ने के लिए पिछली गणना के डेटा को भी मोबाइल एप्लिकेशन में पहले से ही भरा जाएगा। साथ ही, गणना में एमआई योजनाओं और जल निकायों दोनों की तस्वीरें भी ली जाएंगी।

अध्याय 2 :

7वीं लघु सिंचाई गणना की कवरेज, अवधारणाएं और परिभाषा

2.0 7वीं लघु सिंचाई गणना

<u>सामान्य:</u>

2.0.1 2023-24 कृषि वर्ष को संदर्भ वर्ष मानते हुए 7वीं लघु सिंचाई गणना के साथ अभिसरण में जल निकायों की दूसरी गणना की जाएगी। गणना पूरी तरह से डिजिटल मोड में की जाएगी, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह और वेब एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा सत्यापन और निगरानी की जाएगी। गणना के वेब एप्लिकेशन में वास्तविक समय में प्रगति दिखाने वाला एक डैशबोर्ड भी शामिल किया गया है।

2.0.2 लघु सिंचाई गणना देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी लघु सिंचाई योजनाओं की संपूर्ण गणना है। व्यक्तिगत रूप से 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली योजना को लघु सिंचाई योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें केवल भूजल पुनर्भरण के लिए बनाई गई योजनाएं भी शामिल होंगी।

2.0.3 लघु सिंचाई योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं: भूजल योजनाएँ और सतही जल योजनाएँ। भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएँ और ट्यूबवेल/बोरवेल शामिल हैं। सतही जल योजनाओं में सतही प्रवाह योजनाएँ और सतही लिफ्ट योजनाएँ शामिल हैं। जो योजनाएँ 2017-18 या उससे पहले से सिंचाई उद्देश्यों के लिए 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं हैं' उन्हें इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

2.0.4 7वीं लघु सिंचाई गणना के लिए संदर्भ वर्ष 2023-24 कृषि वर्ष है। गणना शुरू होने की तिथि से 6 महीने के भीतर फील्ड वर्क किया जाएगा। गणना के दौरान जानकारी तीन अनुसूचियों के माध्यम से एकत्र की जाएगी, अर्थात् (i) सतही जल योजनाएँ, (ii) भूजल योजनाएँ और (iii) ग्राम अनुसूची। तीसरी अनुसूची, अर्थात् ग्राम अनुसूची: एमआई योजनाओं का सारांश भूजल और सतही जल अनुसूची में की गई प्रविष्टियों से तैयार किया जाएगा।

2.0.5 7वीं एमआई गणना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी और गांव गणना की प्राथमिक क्षेत्र इकाई होगी। गणना में देश के सभी गांवों को सूचीबद्ध

करने के लिए स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड का उपयोग किया जाएगा।

दायरा और कवरेज

2.0.6 7वीं एमआई गणना पूरे भारतीय संघ के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी, सिवाय लक्षद्वीप और कुछ क्षेत्रों के जो पूरे वर्ष दुर्गम रहते हैं और/या जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को जानकारी एकत्र करना असंभव लगता है।

गणना का ढाँचा

2.0.7 गणना में स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड का उपयोग किया जाएगा, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत पंचायत उद्यम सुइट (पीईएस) के हिस्से के रूप में विकसित किया है। स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) का प्राथमिक उद्देश्य भारत के महापंजीयक कार्यालय (ओआरजीआई), गृह मंत्रालय (एमएचए) के कार्यालय के सहयोग से संबंधित प्रशासनिक इकाइयों (जिलों, उप-जिलों, गांवों, ब्लॉकों, स्थानीय शासन निकायों के साथ-साथ उनके संबंधित ग्रामीण/शहरी वार्डों) की अद्यतन सूची को बनाए रखने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक ऑनलाइन मंच प्रदान करके एक मानक स्थान निर्देशिका का निर्माण करना है।

2.0.8 मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में मानक स्थान कोड के रूप में एलजीडी कोड अपनाने को कैबिनेट सचिवालय द्वारा दिनांक 04 नवंबर 2016 के पत्र के माध्यम से अनिवार्य किया गया था। कैबिनेट सचिवालय के इस निर्देश के पीछे का एजेंडा सभी ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान स्थापित करना और इस प्रकार प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

2.0.9 गणना के पिछले दौर तक, गणना का ढांचा संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों से लिया जाता था, हालाँकि, इस बार गणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें राज्य/जिला/उप-जिला (विकास खंड)/गाँव आधारित एलजीडी कोड स्वचालित रूप से गणनाकर्ताओं द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन में भरे जाएँगे। इसके लिए, 12.02.2025 तक के एलजीडी कोड को गणना के ढांचे के

रूप में लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में एलजीडी कोड में प्रयुक्त पदानुक्रम राज्य/जिला/उप-जिला (विकास खंड)/ गाँव है।

2.0.10 मास्टर फ्रेम को पुष्टि के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है और एलजी निर्देशिका में छूटे हुए गांव/वार्ड, यदि कोई हैं, को बाद में फ्रेम में शामिल किया जाएगा। मास्टर फ्रेम के अनुसार, देश में 6,67,220 गांव और 91,458 वार्ड हैं। उप-जिला (ब्लॉक)/कस्बे के भीतर डुप्लिकेट गांवों/वार्डों की सूची भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की गई है ताकि उन गांवों/वार्डों में गणनाकर्ताओं को नियुक्त करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जा सके। गांवों और वार्डों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या संलग्नक I में दी गई है। मास्टर फ्रेम को अद्यतन करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश संलग्नक II में दिए गए हैं।

2.0.11 गणना के कार्य को जमीनी स्तर पर करने के लिए गणनाकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पिछले दौर की गणनाओं के कुछ प्रमुख मापदंडों को पहले से ही भरने का निर्णय लिया गया था, जिसमें गणनाकर्ता या तो पहले से भरे गए डेटा को रख सकते हैं या डेटा को संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए, गांवों के गणना कोड (पिछली गणना में प्रयुक्त) को उस गांव के एलजीडी कोड (जो चालू गणना में उपयोग किए जा रहे हैं) के साथ मैप किया गया था। यह कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद से किया गया था। विभिन्न प्रशासनिक चुनौतियों, जैसे कि नाम बदलना, विभाजन या नए जिलों, ब्लॉकों या गांवों के गठन के कारण, पूर्ण मैपिंग करना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए, पिछली गणनाओं से पहले के भरे गए डेटा केवल उन गांवों के लिए उपलब्ध होंगे जहां मैपिंग सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

<u>संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ</u>

2.0.12 **सकल कमांड क्षेत्र (जीसीए):** जीसीए वह कुल क्षेत्र है जिसे सिंचाई योजना से आर्थिक रूप से सिंचित किया जा सकता है, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में आवास, सड़क, जल निकासी और अन्य गैर-कृषि क्षेत्र शामिल हैं।

2.0.13 **कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए):** वह क्षेत्र जो एक योजना से सिंचित हो और कृषि के लिए उपयुक्त हो। किसी विशेष सिंचाई योजना के लिए कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) का निर्धारण सकल कमान क्षेत्र (जीसीए) से गैर-कृषि योग्य क्षेत्र को घटाकर किया जाता है। इसलिए, सीसीए की गणना करने का सूत्र है: सीसीए = जीसीए - गैर-कृषि क्षेत्र। उदाहरण के लिए, यदि किसी लघु सिंचाई योजना का सकल कमान क्षेत्र (जीसीए) 450 हेक्टेयर है, जिसमें 160 हेक्टेयर में आवास और सड़क शामिल है, तो इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) होगा: सीसीए = 450 हेक्टेयर - 160 हेक्टेयर = 290 हेक्टेयर। सीसीए योजना के डिजाइन निर्धारित करने में पानी का निर्वहन, सिंचाई की अधिकता और कर्तव्य महत्वपूर्ण कारक है।

2.0.14 **कृषि योग्य क्षेत्रः**इसके अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र, वर्तमान बंजर (परती) क्षेत्र, परती भूमि, अन्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि एवं विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत की भूमि आती है।

2.0.15 **सकल सिंचित क्षेत्रः**एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल के लिए सिंचित क्षेत्र की गणना, बार-बार उगाई और सिंचित की गई फसलों की संख्या के आधार पर, करते हुए उसी वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाला सिंचित क्षेत्र ।

2.0.16 **शुद्ध सिंचित क्षेत्रफलः**शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वह क्षेत्र है जहाँ खेती की जाती है और संदर्भ वर्ष में कम से कम एक बार सिंचित होती है।

2.0.17 **सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी):**किसी एक स्कीम द्वारा किसी वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल सकल क्षेत्र/ एक ही वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल के लिए सिंचाई किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की गणना, कई बार उगायी गई सिंचित फसल की संख्या के आधार पर की जाती है। यदि इस योजना की मूल सिंचाई क्षमता पता नहीं है तो पिछले पांच वर्षों का अधिकतम सिंचित क्षेत्र आईपीसी के रूप में लिया जा सकता है।

2.0.18 **सिंचाई क्षमता का उपयोग (आईपीयू):**वर्ष के दौरान स्कीम के तहत सिंचाई किए जाने वाले सकल प्रस्तावित क्षेत्र में से संदर्भ वर्ष के दौरान वास्तव में सिंचित सकल क्षेत्र।

2.0.19 **लघु सिंचाई (एमआई) स्कीमः**2000 हेक्टेयर तक के सीसीए वाली स्कीम को लघु सिंचाई स्कीम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ऐसी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा जो केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए हैं।

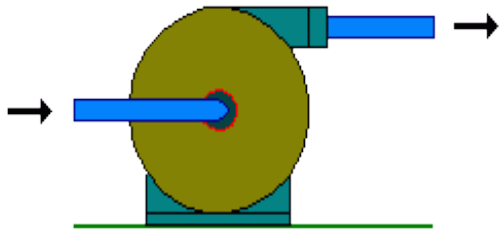
2.0.20 **मध्यम सिंचाई स्कीमः**2000 हे. से अधिक और 10000 हे. तक की सीसीए वाली स्कीम मध्यम स्कीम होती है।

2.0.21 **वृहद सिंचाई स्कीमः**10000 हे. से अधिक के सीसीए वाली स्कीम वृहद सिंचाई स्कीम होती है।

2.0.22 **स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली:**स्प्रिंकलर सिंचाई, सिंचाई जल का प्रयोग करने की वह विधि है जो वर्षा जल के समान है। जल का वितरण सामान्यतया पंपिंग द्वारा पाइपों की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसे पूरी मिट्टी की सतह पर स्प्रे हेड के माध्यम से इस प्रकार छिड़काव किया जाता है ताकि यह टूटकर छोटी छोटी जल की बूंद बनकर भूमि पर गिर सके।

2.0.23 **ड्रिप (टपकन) सिंचाई प्रणाली:**ड्रिप (टपकन) सिंचाई प्रणाली फसल के लिए जल को मुख्य लाइनों, उपमुख्य लाइनों और शाखा लाइनों के नेटवर्क का प्रयोग करते हुए स्राव बिंदुओं से उनके लिए बनाई गई ड्रिप्पर/एमिटर के माध्यम से ले जाया जाता है। प्रत्येक ड्रिप्पर/एमिटर, छिद्र (औरिफिस) परिमित और संक्षेप रूप में नियंत्रित एक समान जल का प्रयोग पोषक और अन्य अपेक्षित विकास संबंधी तत्वों की आपूर्ति सीधे तौर पर पौधे के जड़ क्षेत्र में करते हैं।

2.0.24 **नॉन सब्मर्सिबल या सेंटरीफ्युगल पम्प:**



END-SUCTION
CENTRIFUGAL PUMP

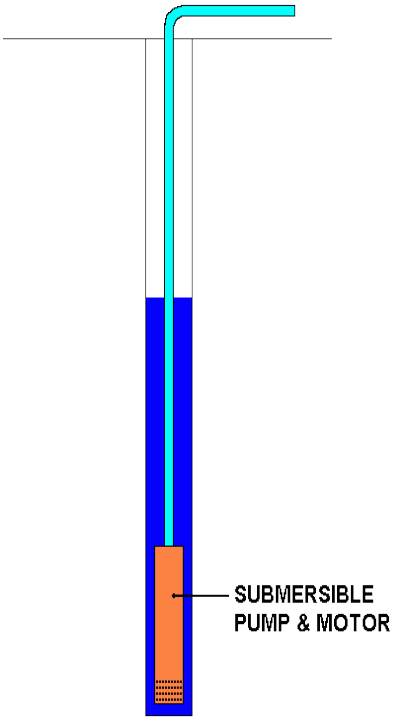
यह पम्प का सबसे आम प्रकार है। आमतौर पर पम्प विदयुत मोटर के साथ बंद युग्मित होता है अर्थात पम्प, मोटर ड्राइव के शाफ्ट पर लगा होता है और पम्प को मोटर के साथ इस तरह जोड़ (बोल्ट) लिया जाता

End-Suction Centrifugal Pump
-एंड सकसन सेंटरीफ़्युगल पम्प

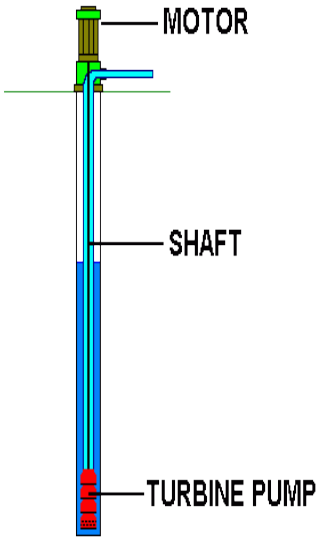
है कि यह पूर्ण रूप से एक इकाई की तरह लगता है। पानी, आम तौर पर, पम्प में एक तरफ लगे चूषक प्रवेशिका (सकसन इनलेट) के माध्यम से प्रवेश करता है और शीर्ष से बाहर निकलता है। लगभग सभी सुवाह्य पोर्टेबल पम्प अंत चूषक (एण्ड सकसन) सेंटरीफ़्युगल पम्प होते हैं। यदि कोई पम्प अगले दो विवरणित पंपों में से नहीं है तो हो सकता है कि वह अंतः चूषक (एण्ड सकसन) सेंटरीफ्युगल पम्प है। इस तरह के पम्पों को उपयोग में लाने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि इन पम्पों को उच्च जल स्तर से ऊपर एक मजबूत पैड या आधार पर स्थापित किया जाए, जैसे किसी झील या नदी से पानी पम्प करते समय ।

सब्मर्सिबल पम्प :इन पम्पों को पूरी तरह से मोटर समेत पानी के भीतर स्थापित किया जाता है। पम्प की एकल इकाई में विदयुत मोटर एवं पम्प संयुक्त रूप से होते हैं। आम तौर पर यह एक लंबे सिलेंडर के आकार का होता है जिससे पम्प को कुएं के अंदर नीचे उसके आवरण (केस) पर आसानी से फिट किया जा सके। यद्यपि अधिकतर सब्मर्सिबल पम्प कुएं के अंदर स्थापित करने के लिए तैयार किए जाते है फिर भी बहुत से झील या नदी के किनारे या उनके तली में स्थापित किए जा सकते हैं। नदी या झील की जगह पर स्थापित करने का एक अन्य

तरीका यह है कि सब्मर्सिबल पम्प को पानी के अंदर पाये के साथ लगा कर उपयोग किया जाए।। सबमर्सिबल पम्पको पानी के अंदर रहने के कारण किसी भी अस्तर की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वे केवल पानी को बाहर निकालते हैं, उनको अपने अंदर पानी खीचने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश सबमर्सिबल पंप को विशेष स्लीव में स्थापित करना चाहिए यदि वह कुंए में स्थापित नहीं है। कभी-कभी उनको स्लीव की तब भी आवश्यकता होती है जब वह कुंए में स्थापित होते हैं। स्लीव पंप के अंदर आरहे पानी पर दबाब डालता है, जिससे पानी पंप की सतह के ऊपर बहता है जो मोटर को ठंडा रखता है। बिना स्लीव के मोटर जल जायेगी। क्यूंकि पम्प की तारें पानी में से हो कर जाती हैं इसलिये किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है।



2.1.25 टरबाईन और जेट पंप:-टरबाईन पंप बुनियादी तौर पर एक सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प होता है जो कि पानी के अंदर रखा जाता हैं और एक धुरी के माध्यम से, पानी के ऊपर रखेमोटर से जुड़ा रहता हैं। प्रायः साफ्ट बड़े पाईप के मध्य भाग तक नीचे जाता है। इस पाईप से पानी ऊपर खींचा जाता है और ठीक मोटर के नीचे से फिर सीधे बाहर निकलता है। टरबाईन पंप की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसे मुख्यतः बड़े पंप के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के पम्प का उपयोग निगम द्वारा लगाये गए वाटर सिस्टम कुंओं में होता है। जब भी कुएं के ऊपर एक बड़ा मोटर देखा जाता है, तो यह आम तौर पर एक टरबाईन पम्प ही होता है। हम अक्सर बड़े मैदान या गोल्फ कोर्सेस के लिए टरबाईन पम्प का उपयोग करते है जहां तालाब से पानी खींचते हैं। टरबाइन पंप को एक बड़े कंक्रीट वॉल्ट में स्थापित किया जाता है, जिसमें एक पाइप होता है जो इसे झील से जोड़ता है। पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा वॉल्ट में बहता है जहां से यह पंप में प्रवेश करता है। पंप मोटरों को एक फ्रेम पर वॉल्ट के ऊपर लटकाया जाता है।जेट पंप, टरबाईन पंप के समान होता है, परंतु यहपानी को नली के प्रवेश द्वार से वापिस उसी तरफ भेजता है जो पानी के उद्वहन (उठाने) में सहायता करता है।



क. गुरुत्व प्रवाह सिंचाई संभव नहीं है
ख. सिंचाई की अत्यधिक मांग है और किसान उत्साही हैं,
ग. नदियों में वर्ष में कम से कम 200 दिन पानी उपलब्ध रहता है, और
घ. सस्ती बिजली उपलब्ध है।

2.1 भूजल योजना :

2.1.1खुदे हुए कुएं: इसमें सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल निकासी हेतु जल धारण करने वाले स्तर पर भूसतह से खुर्द अथवा भूस्थापित किए हुए विभिन्न आकार के साधारण खुले कुएं शामिल हैं। ये आजकल मुख्य तौर पर कुएं-सह बोर होते हैं अथवा चुनाई वाले कुएं, कच्चे कुएं भी होते हैं जिनसे पानी मनुष्य या जानवरों की सहायता से निकाला जाता है। प्रायः सभी ऐसी स्कीमें निजी स्वरूप की होती हैं जो एकल कृषक से संबंधित होती है कुएं का व्यास 2 से 6 मीटर तक और गहराई 8 से 15 मीटर तक होती है। मनुष्य या जानवरों की सहायता से जल निकासी वाले कुओं का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 1 से 2 हेक्टर तक हो सकता है अपितु कुएं सह बोर का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल उसके समान क्षमता तथा बोर की गहराई वाले नलकूप के बराबर हो सकता है ।

2.1.2 बोरवेल: यह जल धारण क्षेत्र (जलभृत) का दोहन करने के लिए कठोर चट्टान संरचना में खोदा गया कुआं है। ऐसे मामले में अधिक भार से धंसने के जोखिम को खत्म करने के लिए इसे बंद कर दिया जाता है और बोर के बाकी हिस्से को आम तौर पर बिना सहारे के छोड़ दिया जाता है ताकि पानी दरारों और दरारों से बोर में बह सके।

2.1.3. उथले नलकूप:इसमें जमीन में बनाया गया एक बोर होल होता है जिसका उद्देश्य छिद्रयुक्त क्षेत्रों से भूजल निकालना होता है। तलछटी संरचनाओं में उथले ट्यूबवेल की गहराई 35 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये ट्यूबवेल या तो गुहा ट्यूबवेल या छलनी ट्यूबवेल होते हैं। इन्हें आमतौर पर हाथ से बोरिंग सेट और

कभी-कभी पर्क्यूशन रिग का उपयोग करके पर्क्यूशन विधि द्वारा ड्रिल किया जाता है। योजना की सफलता और लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने सस्ते हैं। लोहे के फ्रेम पर कॉयर स्ट्रिंग को बांधकर बनाई गई कॉयर संरचना का उपयोग स्ट्रेनर के रूप में किया जाता है। उथले जल स्तर वाले क्षेत्रों में, बांस के फ्रेम का भी उपयोग किया जाता है। कभी-कभी स्टील पाइप के आवरण को बांस के फ्रेम पर बिटुमिनाइज्ड बोरियों को लपेटकर बनाए गए पाइपों कि जगह उपयोग किया जाता है। इन्हें बोरवेल कहा जाता है, जिसमें नीचे के हिस्से में लाइनिंग के बिना बोर-होल स्थिर होता है और केवल ऊपरी क्षेत्र में एक ट्यूब डाली जाती है। उथले ट्यूबवेल आमतौर पर सिंचाई के मौसम में 6 से 8 घंटे तक संचालित होते हैं और प्रति दिन 100-200 क्यूबिक मीटर उपज देते हैं, जो कि खोदे गए कुएं से लगभग 2 गुना है। उनका सी.सी.ए. 10 हेक्टेयर तक हो सकता है।

2.1.4 मध्यम गहरे नलकूप: इसमें भूमि के अंदर छिद्रित क्षेत्रों से भूजल का उपयोग करने के प्रयोजन से भूमि में निर्मित बोर होल शामिल है। तलछटी संरचनाओं में किसी मध्यम गहरे नलकूप की गहराई 35 से 70 मी. तक होती है। सिंचाई के मौसम के दौरान मध्यम गहरे ट्यूब-वेलो से सामान्यतया 8 से 10 घंटों के लिए काम लिया जाता है और इनसे प्रतिदिन 200-300 घनमी. जल प्राप्त होता है जो कि मोटे तौर पर किसी समान्यकुएं से लगभग 3 गुना अधिक है। इस स्कीम का सीसीए 10 से 15 हे. तक हो सकता है।

2.1.5 गहरे नलकूपः यह सामान्यतः 70 मी. और उससे अधिक की गहराई में स्थापित होता है और इसकी डिजाइन ऐसी होती है जिससे प्रतिघण्टा 100 से 200 घनमी. जल निकासी होती है। गहरे नलकूप की ड्रिलिंग रोटरी पर्क्यूशन अथवा रोटरी सह-पर्क्यूशन रिगों के द्वारा की जाती है। ये नलकूप सिंचाई के मौसम के दौरान पूरे 24 घंटे काम कर सकते हैं जो कि विदयुत की उपलब्धता पर निर्भर है। उनकी वार्षिक क्षमता किसी औसत उथले नलकूप से मोटे तौर पर 15 गुना अधिक होता है और जिनका निर्माण सामान्य रूप से सार्वजनिक योजना

के तहत किया जाता है जो सरकारी विभागों अथवा निगमों के स्वामित्व में होते हैं। इन स्कीम का सीसीए लगभग 50 हे. तक हो सकता है।

2.1.6उत्स्रूत (आर्टेसियन) कुआँ: "आर्टेसियन" शब्द फ्रांस के आर्टोइस क्षेत्र से आया है, जहाँ 1126 में पहली बार आर्टेसियन कुएँ खोदे गए थे। एक कुआँ आर्टेसियन कुआँ कहलाता है यदि टैप किए गए सीमित जलभृत का जल स्तर जलभृत के शीर्ष से ऊपर या यहाँ तक कि ज़मीन की सतह से ऊपर उठ जाता है। एक बहता हुआ आर्टेसियन कुआँ एक विशिष्ट प्रकार का आर्टेसियन कुआँ होता है जहाँ जलभृत के भीतर प्राकृतिक दबाव इतना अधिक होता है कि पानी बिना किसी पम्पिंग उपकरण की आवश्यकता के ज़मीन की सतह से ऊपर उठ जाता है।

एक आर्टेसियन कुएँ की विशेषताएँ हैं

i. यह एक सीमित जलभृत से पानी निकालता है।

ii. एक आर्टेसियन जलभृत का जल स्तर जलभृत से ऊपर होता है।

iii. बहते हुए आर्टेसियन कुएँ में पानी अपने आप सतह पर बहता है (संदर्भ चित्र नीचे दिया गया है)। कुछ आर्टेसियन कुओं में पानी कुएँ के केसिंग से बाहर नहीं निकलता है; हालाँकि, कुएँ के केसिंग में पानी का स्तर ज़मीन की सतह से ऊपर होता है।





(क) (ख)

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निर्मित मुक्त प्रवाह या स्वचालित प्रवाह कुआं (क) भेरगांव, उदलगुरी जिला, असम (ख) चराईमारी, बक्सा जिला, असम

iv. बहते हुए आर्टेसियन कुँए से भूजल की हानि को रोकने के लिए, सतह से ऊपर कुँए के केसिंग पाइपों की ऊँचाई अधिक हो सकती है (संदर्भ चित्र नीचे दिया गया है)।



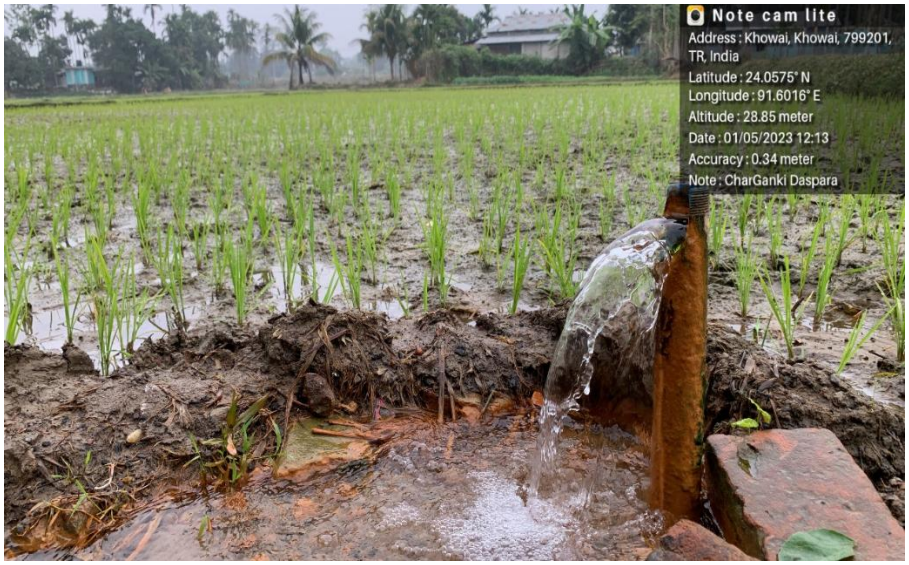
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक के तिलपुरी-1 में भूजल की हानि को रोकने के लिए कुएं के शीर्ष की ऊंचाई अधिक रखी गई है।

v. बहते हुए आर्टेसियन कुओं से लगातार पानी निकालने से प्राकृतिक रूप से 'अधिक दबाव वाले' आर्टेसियन जलभृतों में छिद्र दबाव कम हो सकता है जिससे काफी मात्रा में व्यापक भूमि अवतलन (धँसाव) हो सकता है। यह तमिलनाडु के नेविल में देखा गया है (नीचे संदर्भ चित्र देखें)



भूमि अवतलन भूमि की सतह के ऊपर कुएं के केसिंग ग्राउट के शीर्ष की ऊंचाई से चिह्नित होता है, जो खदान से पानी निकालने के लिए आवश्यक पंपिंग की कम अनुमानित दरों के कारण होता है (फोटो जे. टोथ द्वारा)।

vi. पहाड़ी इलाकों में ढलानों के आधार पर बहने वाले आर्टेशियन कुएं सबसे आम हैं, जहां ऊंचे इलाकों में ऊंचे शीर्ष मजबूत ऊर्ध्वगामी हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट्स को पैदा कर सकते हैं (नीचे संदर्भ चित्र दिया गया है)।



त्रिपुरा के खोवाई जिले में सिंचाई के लिए बहते हुए
आर्टेसियन कुएँ का उपयोग किया जाता है

2.2. सतही जल स्कीमः

2.2.1 सतही प्रवाह सिंचाई स्कीमःइन योजनाओं के द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का या तो इसे भंडारित करके अथवा झरनों, नाले अथवा नदी से इसे डाइवर्ट (पथांतर) करके प्रयोग किया जाता है। कभी कभार किसी झरने अथवा नदी के प्रवाहित जल का इस्तेमाल करने के लिए स्थायी डाइवर्जन भी बनाये जाते हैं। कई क्षेत्रों में अस्थायी डाइवर्जन भी बनाए गए हैं जो आमतौर पर बरसात के मौसम में बह जाते हैं।छोटे भंडारण टैंकों को तालाब अथवा बुंदी कहा जाता है जो अधिकांशतः समुदाय के स्वामित्व वाले होते हैं। इस प्रकार की योजनाओं के कमान क्षेत्र 20 हे. अथवा उससे कम होते हैं। बड़े भंडारण टैंक जिनका कमान क्षेत्र 20 से 2000 हे. तक होता है, का निर्माण सामान्यतः सरकारी विभागों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। ये सतही लघु सिंचाई कार्यों के सबसे बड़े मद हैं।

2.2.1.1 भंडारण स्कीमें: (टैंक और अन्य भंडारण)

भंडारण योजनाओं में वे टैंक और जलाशय शामिल हैं जिनमें सिंचाई प्रयोजनों के लिए झरनों और नदियों के जल एकत्र किए जाते हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत कुओं के बाद टैंकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडू राज्यों में लघु स्रोतों से होने वाले कुल सिंचाई का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपलब्ध कराते हैं। विषम स्थलाकृति और पथरीली अधःस्तर, टैंक सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, कई क्षेत्रों में और टैंकों के निर्माण की संभावना विदयमान है। काफी समय से मरम्मत नहीं होने के कारण दक्षिणी राज्यों में विदयमान टैंकों में से कई उपयोग में नहीं हैं। खोई हुई सिंचाई क्षमता पुनः प्राप्त करने के लिएइन टैंकों के नवीकरण को लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है।

इन योजनाओं की अनिवार्य विशेषताएँ हैं:-

क. कोई बांध अथवा कोई बंध जो सामान्यतः मिट्टी का होता है किन्तु कभी-कभार आंशित अथवा पूर्णतः चिनाई का होता है,

ख. समीपवर्ती स्रोतों से जल डाइवर्ट करने के लिए एनिकट और फीडर चैनल,

ग. अधिशेष बाढ़ के पानी को निकालने के लिए एक बेकार वीयर (कोई फाटक),
घ. सिंचाई हेतु पानी छोड़ने के लिए बनाये गए जलद्वार,

ङ. संवहन एवं वितरण प्रणाली।

भंडारण का आकार जलग्रहण क्षेत्र में विश्वसनीय मानसून वर्षा के आधार पर अपेक्षित अपवाह द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथा इस तथ्य द्वारा भी निर्धारित किया जाता है कि वर्षा और फसल पैटर्न टैंक को एक बार से अधिक भरने की अनुमति देगा या नहीं।

2.2.1.2 **डाइवर्जन योजनाएँ:** इन योजनाओं का लक्ष्य किसी भंडारण को सृजित किए बगैर झरने की जल आपूर्ति का डाइवर्जनकरते हुए गुरुत्व प्रवाह सिंचाई मुहैया करना है। भंडारणयोजनाओं की तुलना में ये मितव्ययी हैं किन्तु उनकी व्यवहार्यता वास्तविक सिंचाई जरूरतों के समय झरने में विद्यमान प्रवाह पर

निर्भर होता है। ऐसी योजनाओं में क. जल को ऊपर उठाने और डाइवर्ट करने के लिए झरने के ऊपर निर्मित अवरोध (वीयर) अथवा बंध; जिस वीयर को दक्षिण में ऐनीकट, महाराष्ट्र और गुजरात में बंधारा और असम क्षेत्र में बंध के नाम से जाना जाता है, और

ख. एक कृत्रिम चैनल, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में कुहल, छोटा नागपुर और बिहार में पइन और असम क्षेत्र में डोंग कहा जाता है, अनिवार्य रूप से शामिल है।

छोटी योजनाओं, जिनका पहाड़ी भूभागों और पहाड़ी तलहटियों में काफी महत्व होता है, के मामले में झरनों के ऊपर अस्थाई बंधों का निर्माण करते हुए जल को सामान्य तौर पर डाइवर्ट किया जाता है। कम पैमाने पर निस्सरण होने के कारण प्रवाह के नियंत्रण और विनिमयन के लिए चैनल के शीर्ष पर बंध को कोई गेटेड संरचना प्रदान नहीं की जाती। अतः निर्माण कार्य सरल और सस्ता होता है और इसे काफी हद तक स्वयं लोगों द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। तथापि, ये निर्माण कार्य अस्थाई होने के कारण, इनका लगातार नवीकरण आवश्यक होता है। बंधों के प्रत्येक बड़ी बाढ़ से बह जाने की संभावना बनी रहती है। चैनलों में गाद भी जमा हो जाती है और लगातार निघर्षण होता रहता है। यह आवश्यक है कि जब कभी ऐसी योजनाओं का उद्देश्य उच्च निस्सरण अर्थात 5 से 10 क्यूसेक डाइवर्ट करना अथवा बाढ़ निस्सरण की उच्च सघनता वाले झरनों से संबंधित कार्य होता है तब उपयुक्त किस्म के गेटों से सुसज्जित समुचित विनियमन संरचनाएं प्रदान की जाती हैं। ऑफ टेकिंग चैनलों में सिल्ट (गाद) के प्रवाह को विनियमित करने के लिए स्कॉटिंग स्लूइस वाला वीयर प्रदान की जाती है। चुनाई वीयर का निर्माण तुलनात्मक दृष्टि से सरल और सस्ता पड़ता है जबकि झरना तल के नीचे पथरीली स्तर होती है। पारगम्य और अपरदन वाली स्तर पर वीयर की डिजाइन काफी जटिल होती है और इस संबंध में विशेष अभियांत्रिकी ज्ञान की आवश्यकता है।

2.2.1.3 **जल संरक्षण-सह-भू-जल पुनर्भरण योजनाएँ:**इनके अंतर्गत वे योजनाएँ शामिल हैं जो प्रमुखतः निम्नलिखित में से एक अथवाएक से अधिक प्रयोजनों की पूर्ति करती है

(क) पश्च मानसून फसलों कीबुआई के लिए मानसून के दौरान कृषि भूमि को जलमग्न करना,

(ख) सिंचाई के बगैर पश्च मानसून फसलों को उगाना और भूजल के पुनर्भरण के लिए अनुप्रवाह पर स्थित इससे निचले खेतों के नमी क्षेत्र का सुधार करना।

इन योजनाओं का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि वे मिट्टी को संरक्षित करने में मदद करती हैं। जब नीचे के टैंकों के जलग्रहण क्षेत्र के लिए मुख्य जल क्षेत्र में इनका निर्माण किया जाता है, तब इनसे इन टैंकों में गाद जमा होने की दर में कमी लाने का महत्वपूर्ण मकसद हल होता है।

खेत की मेड़ों के माध्यम से जल संरक्षण की प्रणाली मध्य भारतीय भूभागों में विशेष तौर पर अपनाई जाती है और यह प्रणाली उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में आम रूप से प्रचलन में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये योजनाएँ आम तौर पर 'बंधी' के नाम से प्रचलित हैं जिनमें हलके ढलान वाली भूमि के ऊपर रखे गएमिट्टी के मेड़ शामिल हैं। बरसात के मौसम में पानी ऊपर की ओर जमा हो जाता है और जमीन डूब जाती है। अगर जमीन का ढलान धीमा है, तो अक्सर कम ऊंचाई वाले तटबंधों से भी बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। सामान्यतः सीधे तौर पर सिंचाई नहीं होती है और जलमग्नता के कारण अधिकांशतः लाभ होता है। करीब-करीब इन सभी क्षेत्रों में, सामान्यतः मृदा काली है जिसमें नमी बनी रहती है। बरसात के मौसम के दौरान भूमि जलमग्न रहने के पश्चात मृदा में अच्छी रबी फसल उगाने के लिए पर्याप्त नमी बनी रहती है। शेष जल को निकालकर जलमग्न भूमि को खेती के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है। इसी रूप में भूमि के जलमग्न होने का दूसरा फायदा यह है कि पहली बाढ़ के साथ काफी गाद जमा हो जाती है जो खाद का काम करती है। खड़ी ढाल के ऊपर जल के मुक्त प्रवाह को रोक कर भूमि की मृदा भी संरक्षित की जाती है।

बिहार में आहर जिनमें धान की खेत की सिंचाई के लिए जल जमा किया जाता है, से भी इस प्रकार का काम होता है। धान की खेत की सिंचाई के लिए अक्टूबर में जल को बचाकर रखा जाता है और आहरोंकी तलहटी में जिन खेतों से पानी निकाल दिया जाता है उनमें रबी फसलों की खेती की जाती है। उड़ीसा में सामान्यताः प्रचलित शीर्ष जल टैंकों की भी इसी प्रकार की भूमिका है। इनमें

परिश्रवण, और सतही प्रवाह द्वारा बंधों के अनुप्रवाह के वृहत घाटी क्षेत्र में संचयी अपवाह को रोकने और डाइवर्ट करने के उद्देश्य सहित नाली के शीर्ष पर ढलान के ऊपर स्थापित बंध शामिल है। मानसून मौसम के दौरान बंधों की अधिकतम भंडारण क्षमता में प्राप्त बाढ़ जल को ले जाने के लिए किनारों में सतही चैनल प्रदान किए जाते हैं।

भूजल के पुनर्भरण के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में प्रमुखतः निर्मित परिश्रवण टैंक प्रचलन में है। राजस्थान में चेक बांध अथवा रपट प्रचलन में हैं। उनमें सतही प्रवाह और सपाट धारा का तलढाल बनाते हुए कुछ हद तक उप सतही प्रवाह को भी कमकरने के प्रयोजन के लिए धाराओं के ऊपर बने बंध शामिल हैं। इससे भूजल आपूर्ति की निरंतर वृद्धि से उप मृदा में जल का बढ़ा हुआ परिश्रवण होता है।

बड़े आवाहों को रोकने वाले बड़े मेड़ों के मामले में यह आवश्यक है कि बाढ़ के पानी को जाने देने के लिए एक अथवा दोनों किनारों (फ्लॅकों) अथवा कुछ अन्य उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है तो मेड़ों में दरार आ जाने की संभावना हो जाती है।

2.2.2 **सतही लिफ्ट सिंचाई स्कीम:** उन क्षेत्रों में जहां की स्थलाकृति नदियों और झरनों से सीधे प्रवाह वाली सिंचाई की अनुमति नहीं देती है, वहां पर जल सिंचाई चैनलों में लिफ्ट किया जाना होता है। ये कार्य डाइवर्जन योजनाओं के समान ही हैं किंतु, इसके अतिरिक्त पम्प संस्थापित किए जाते हैं और पम्प हाउसों का निर्माण कराया जाता है। ये स्कीमें महंगी होने के कारण केवल उन्हीं क्षेत्रों में व्यवहार्य हैं जहां पर

क. गुरुत्व प्रवाह सिंचाई संभव नहीं है
ख. सिंचाई की अत्यधिक मांग है और किसान उत्साही हैं,
ग. नदियों में वर्ष में कम से कम 200 दिन पानी उपलब्ध रहता है, और
घ. सस्ती बिजली उपलब्ध है।

जल निकासी के लिए डीजल से चलने वाले पंप सेटों के संस्थापन से इन योजनाओं की प्रचालन और रखरखाव लागत अत्यधिक पड़ती है। तथापि, एकल कृषक द्वारा निस्सरण की कम मात्रा में निकासी के लिए छोटे डीजल इंजन पंप सेट व्यवहार्य हैं क्योंकि वे जल स्रोत अथवा स्रोतों के विभिन्न स्थानों पर संस्थापन के लिए अधिक लचीलापन और गतिशीलता प्रदान करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जल निकालने के लिए सौर पंपों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन योजनाओं का सीसीए लगभग 20 हे. तक हो सकता है।

****

अध्याय तीन

जल निकायों की दूसरी गणना

का

कवरेज, अवधारणाएं और परिभाषाएं

3.0 जल निकायों की दूसरी गणना

सामान्य

3.0.1. जलनिकायों की दूसरी गणना के लिए संदर्भ वर्ष 2023-24 कृषि वर्ष है। **अप्रैल 2025 से सितंबर 2025** के बीच फील्ड वर्क किया जाएगा । गणना के दौरान जानकारी जलाशय अनुसूची के माध्यम से एकत्र की जाएगी। जलाशय अनुसूची में निहित प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम अनुसूची में जलाशयों का सारांश शामिल होगा।

3.0.2. जलनिकायों की दूसरी गणना ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों में की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः गांव और वार्ड गणना के प्राथमिक क्षेत्र इकाई होंगे। गणना में देश भर के सभी प्रशासनिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड का उपयोग किया जाएगा।

कार्यक्षेत्र और कवरेज

3.0.3. दूसरी गणना लक्षद्वीप और कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारतीय संघ में की जाएगी, जो वर्ष भर पहुंच से परे रहते हैं और/या जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सूचना एकत्र करना असंभव होता है।

रूपरेखा

3.0.4. गणना में स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड का उपयोग किया जाएगा, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत पंचायत उद्यम सुइट (पीईएस) के हिस्से के रूप में विकसित किया है। स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को संबंधित प्रशासनिक इकाइयों (जिले, उप-जिले, गांव, ब्लॉक, स्थानीय शासन निकाय और उनके संबंधित ग्रामीण/शहरी वार्ड) की अद्यतन सूची बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करके मानक स्थान निर्देशिका बनाना है, जिसे कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय (ओआरजीआई) के सहयोग से तैयार किया जाता है ।

3.0.5. मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों)में मानक स्थान कोड के रूप में एलजीडी कोड को अपनाने से सभी ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान स्थापित होगा और इस प्रकार प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

3.0.6. गणना के पिछले दौर तक, गणना का ढांचा संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों से लिया जाता था। हालाँकि, इस बार गणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य/जिला/उप-जिला (विकास खंड)/गाँव आधारित एलजीडी कोड और राज्य/जिला/शहर/वार्ड आधारित एलजीडी कोड स्वचालित रूप से प्रगणक के मोबाइल एप्लीकेशन में भर दिए जाएँगे। इसके लिए, दिनांक 12.02.2025 तक के एलजीडी कोड को गणना के ढांचे के रूप में लिया गया है। एलजीडी कोड में प्रयुक्त पदानुक्रम ग्रामीण क्षेत्र में राज्य/जिला/उप-जिला (विकास खंड)/गाँव और शहरी क्षेत्र में राज्य/जिला/शहर/वार्ड है ।

3.0.7. पुष्टि के लिए मास्टर फ्रेम को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है और एलजी निर्देशिका में छूटे हुए गांवों को, यदि कोई हो, बाद में फ्रेम में शामिल किया जाएगा। मास्टर फ्रेम के अनुसार, देश में 6,67,220 गांव और 91,458 वार्ड हैं । उप-जिला (ब्लॉक)/शहर के भीतर डुप्लिकेट गांवों/वार्डों की सूची भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की गई है ताकि उन गांवों/वार्डों में गणनाकर्ताओं को नियुक्त करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जा सके।

3.0.8. गणना के कार्य को जमीनी स्तर पर करने के लिए प्रगणकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पिछले दौर की गणना के कुछ प्रमुख मापदंडों को पहले से ही भरने का निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रगणक या तो पहले से भरे गए आंकड़ों को रख सकते हैं या आंकड़ों को संशोधित भी कर सकते हैं। इसके लिए, गांवों के गणना कोड (पिछली गणना में प्रयुक्त) को उस गांव के एलजीडी कोड (जो चालू गणना में उपयोग किए जा रहे हैं) के साथ मैप (मानचित्रण) किया गया था। यह अभ्यास राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से किया गया था। विभिन्न प्रशासनिक चुनौतियों, जैसे नाम बदलने, विभाजन करने या नए जिलों, ब्लॉकों या गांवों के गठन के कारण पूर्ण मानचित्रण प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है।

इसलिए, पिछली गणनाओं से पहले से भरे गए आंकड़े केवल उन गांवों के लिए उपलब्ध होंगे जहां मानचित्रण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

3.0.9 **जल निकाय** : जल निकाय पानी के क्षेत्र हैं, जो नमकीन और ताजा, बड़े और छोटे दोनों तरह के होते हैं, और जो विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से अलग होते हैं। सबसे बड़े जल निकाय महासागर हैं, जबकि सबसे छोटे नाले या तालाब हैं। पानी के छोटे संचय, जैसे पोखर या स्विमिंग पूल (तरण ताल) को आमतौर पर भौगोलिक अर्थ में जल निकाय नहीं कहा जाता है।

3.1 उपयोग किए जाने वाले जल निकाय की परिभाषा:

3.1.1 **जल निकाय:** सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयाँ जो चारों तरफ से घिरी हुई हैं और जिनमें सिंचाई या अन्य उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू/पेयजल, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि) के लिए पानी का भंडारण करने के लिए कुछ या कोई चिनाई कार्य नहीं किया गया है, उन्हें इस गणना में जल निकाय माना जाएगा। ये आमतौर पर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे टैंक, जलाशय, तालाब और बंधियाँ आदि। कोई संरचना जहाँ बर्फ पिघलने, धाराओं, झरनों, बारिश या आवासीय या अन्य क्षेत्रों से जल-निकासी वाला पानी जमा होता है या किसी धारा, नाले या नदी से पानी को मोड़कर संग्रहीत किया जाता है, उसे भी जल निकाय माना जाएगा।

3.1.2 **निम्न प्रकार के जल निकायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है:**

i) महासागर, लैगून.

ii) नदी, नाला, झरना, स्प्रिंग, नहरें आदि जो बिना किसी सीमित जल भंडारण के मुक्त रूप से बहती हैं।

iii) स्विमिंग पूल (तरणताल)

iv) किसी भी व्यक्ति, परिवार या घर द्वारा अपने एकमात्र उपभोग के लिए विशिष्ट उद्देश्य हेतु निर्मित ढका हुआ पानी का टैंक।

v) किसी भी फैक्ट्री मालिक द्वारा कच्चे माल या उपभोग्य वस्तु के रूप में पानी के उपयोग हेतु निर्मित पानी की टंकी।

vi) खनन, ईंट भट्टों और निर्माण गतिविधियों के लिए खुदाई कर बनाए गए अस्थायी जल निकाय। बरसात के मौसम में ये भर सकते हैं।

vii) केवल मवेशियों के पीने के लिए बनाया गया पक्का खुला पानी का टैंक ।

3.2 जल निकायों के प्रकार:

निम्नलिखित प्रकार के जल निकायों को शामिल किया गया है। (सूची सांकेतिक है, परंतु संपूर्ण नहीं है)

3.2.1 **तालाब:** यह जल-निकाय का एक छोटा सा हिस्सा जो आमतौर पर मिट्टी का बना होता है, हालांकि, इसमें चिनाई के बांध भी शामिल होते हैं और खुदाई के माध्यम से उथले बनाए गए होते हैं और जो प्रतिबंधित वातावरण को निरुपित करते हैं। तालाब आमतौर पर पानी के छोटे निकायों को दर्शाते हैं, जिन्हें पार करने के लिए आम तौर पर किसी को नाव की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ही तलाब की संज्ञा दी जाती है ।

3.2.2 **झीलें:** झील पानी से भरा एक बड़ा क्षेत्र होता है जो ज़मीन से घिरा हुआ होता है । झीलें ज़मीन पर स्थित होती हैं और महासागर का हिस्सा नहीं होती हैं और इसलिए वे लैगून से अलग होती हैं और तालाबों से बड़ी और गहरी भी होती हैं।

3.2.3 **टैंक:** उथली (सतही) जल इकाई जो आमतौर पर मिट्टी या चिनाई की बाड़ बनाकर बनाए गए तालाब से बड़ी होती है, जिसमें ट्यूबवेल या बारिश से पानी आता है।

3.2.4 **जलाशय:** विभिन्न परिमाण (आकार) का विशाल मानव निर्मित जलाशय, जो नदियों या नालों पर बांध, बैराज या अन्य जलीय संरचनाओं के निर्माण द्वारा निर्मित होता है तथा जिसका उपयोग एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या अन्य जल संसाधन विकास परियोजनाएं आदि ।

3.2.5 **जल संरक्षण योजनाएँ:** जल संरक्षण योजनाओं का उद्देश्य आस-पास के खेतों में नमी की व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ताकि बिना सिंचाई के मानसून के बाद फसल उगाई जा सके। इसमें रिसाव टैंक और चेक डैम शामिल हो सकते हैं। इन दोनों के परिणामस्वरूप भूमिगत जल में पानी का रिसाव बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल आपूर्ति में वृद्धि होती है।

*****

चौथा अध्याय

7 वीं लघु सिंचाई गणना

और

जल निकायों की दूसरी गणना

की

कार्यप्रणाली

4.0 कार्यप्रणाली:

4.0.1 7वीं एमआई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल रूप से की जाएगी, जिससे कागज़-आधारित डेटा संग्रह की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। दोनों गणनाओं के लिए गणना की अंतिम इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और शहरी क्षेत्रों में वार्ड है। सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल विभागों को राज्य स्तरीय अधिकारी (एसएलओ), जिला स्तरीय अधिकारी (डीएलओ), ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और गणनाकार नियुक्त करना चाहिए। एसएलओ जिला स्तर पर उपयोगकर्ता खाते बनाने के लिए जिम्मेदार होगा, जो ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचेगा और जो फिर गणनाकारों को गाँव आबंटित करेंगे। प्रत्येक गाँव/वार्ड को एक ही गणनाकार को सौंपा जाएगा, ताकि कोई दोहराव न हो।

4.0.2 एक ब्लॉक के लिए कई यूजर आईडी बनाने का प्रावधान होगा। जिला स्तरीय अधिकारी (डीएलओ) द्वारा ब्लॉकों की यूजर आईडी बनाते समय एक एक्सेल/पीडीएफ शीट दिखाई देगी, जिसमें ब्लॉकों के नाम के साथ-साथ ब्लॉकों में गांवों की संख्या डीएलओ को दिखाई देगी । वह ब्लॉक में गांवों की संख्या के अनुसार या तो एक ब्लॉक के लिए एक यूजर आईडी या एक से अधिक यूजर आईडी बना सकता है । 50 गांवों तक के ब्लॉक के लिए केवल एक यूजर आईडी होगी । इसी तरह, 1-100 गांवों के लिए, डीएलओ के पास ब्लॉक के लिए दो यूजर आईडी बनाने का विकल्प होगा । इस तरह से ब्लॉक स्तरीय यूजर आईडी का निर्माण 50 गांवों के गुणकों पर किया जाएगा ।

4.0.3 गणनाकर्ता गांव के सभी जल-निकायों का सर्वेक्षण करके शुरुआत करेंगे। उसके बाद सतही जल अनुसूची, भूजल अनुसूची और अंत में, गांव की अनुसूची का सर्वेक्षण करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग डेटा संग्रह के लिए किया जाएगा, जिसके लिए गणनाकर्ताओं को प्रत्येक योजना के अक्षांश/देशांतर और छवियों को कैप्चर करना होगा। जबकि डेटा प्रविष्टि और जांच डिजिटल रूप से की जाएगी । सत्यापन एनआईसी द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। केंद्रीय स्तर पर आगे

की जांच से पहले संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 6 महीने के भीतर डेटा एकत्र किया जाना चाहिए।

4.0.4 जब क्षेत्र में कार्य चल रहा हो, तो निर्धारित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण और जाँच की जानी आवश्यक है ।

i. ब्लॉक/उप-जिला स्तर के अधिकारी
ii. जिला स्तरीय अधिकारी
iii. राज्य स्तरीय अधिकारी

4.0.5 राज्य सांख्यिकी प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ केंद्रीय टीम भी राज्य का दौरा करेगी और क्षेत्रीय कार्य की गुणवत्ता की जांच करेगी।

4.1 कार्यान्वयन दिशानिर्देश:

4.1.1 प्रत्येक राज्य में एमआई और जल-निकाय गणना के संचालन के लिए नोडल विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई जानी है और सीडब्ल्यूसी, राज्य के राजस्व, सिंचाई, जल संसाधन, पंचायती राज, राज्य योजना, डीईएस, ग्रामीण विकास विभाग और एनएसएसओ (एफओडी) के राज्य प्रमुख इसके सदस्य होंगे। गणना कार्यों के दौरान तकनीकी इनपुट प्रदान करने और राज्य नोडल सांख्यिकी सेल का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य के प्रभारी सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक तकनीकी उप समिति बनाई जाएगी । सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र (एसडब्ल्यूआईसी), जहां भी स्थापित है, का एक प्रतिनिधि भी इस समिति का सदस्य होगा। स्प्रिंग्स की गणना को शामिल करने पर विचार करते हुए, समिति के अध्यक्ष अन्य संबंधित राज्य के विभागों, जैसे भूजल विभाग, भूवैज्ञानिक विभाग, मृदा और जल संरक्षण विभाग आदि के प्रतिनिधियों को भी सह प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की गणना तथा झरनों की गणना के लिए नोडल विभागों के प्रतिनिधि संचालन समिति के साथ-साथ तकनीकी उप समिति में भी शामिल हों।

4.1.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अपने स्वयं के प्रशिक्षण मॉड्यूल और मैनुअल तैयार कर सकते हैं ।

4.1.3 राज्य/जिला स्तर पर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा सकता है और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के गणना आयुक्तों को इसका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

4.2 प्रक्रिया प्रवाह

4.2.1 वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और प्रगणक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का प्रवाह नीचे दर्शाया गया है।

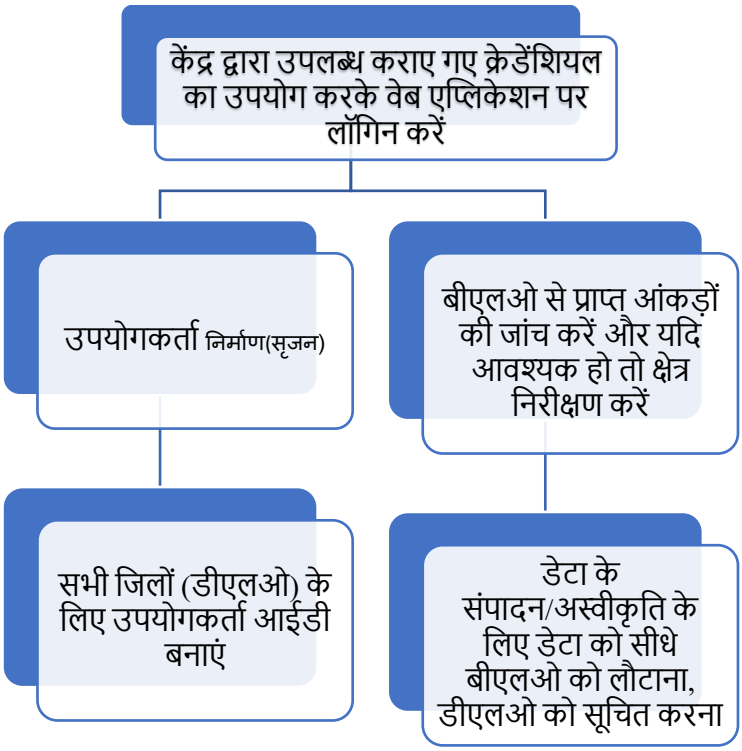
4.2.2 **राज्य स्तर**: राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की मदद से एक बार प्रमाणीकरण करना होगा।

4.2.2.1 जिला स्तरीय उपयोगकर्ता निर्माण से पहले राज्य स्तरीय अधिकारी को प्रत्येक जिले के लिए अधिकारी नियुक्त करना होगा। वेब एप्लीकेशन पर उपयोगकर्ता निर्माण करते समय उस अधिकारी का ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जिसके लिए जिला लॉगिन आईडी बनाई गई है।

4.2.2.2 बीएलओ द्वारा डीएलओ को प्रस्तुत की गई अनुसूचियां एसएलओ खाते पर भी उपलब्ध होंगी। उन अनुसूचियों की जांच की जा सकती है और बीएलओ स्तर पर आवश्यक संशोधनों के लिए उन्हें डीएलओ को वापस किया जा सकता है।

4.2.2.3 एसएलओ डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक क्षेत्र निरीक्षण भी कर सकता है।

4.2.2.4 एसएलओ स्तर प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है:



4.2.3 **जिला स्तर:** राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय ईमेल और मोबाइल नंबर (जैसा कि लॉगिन बनाते समय राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है) पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से एक बार प्रमाणीकरण किया जाना है।

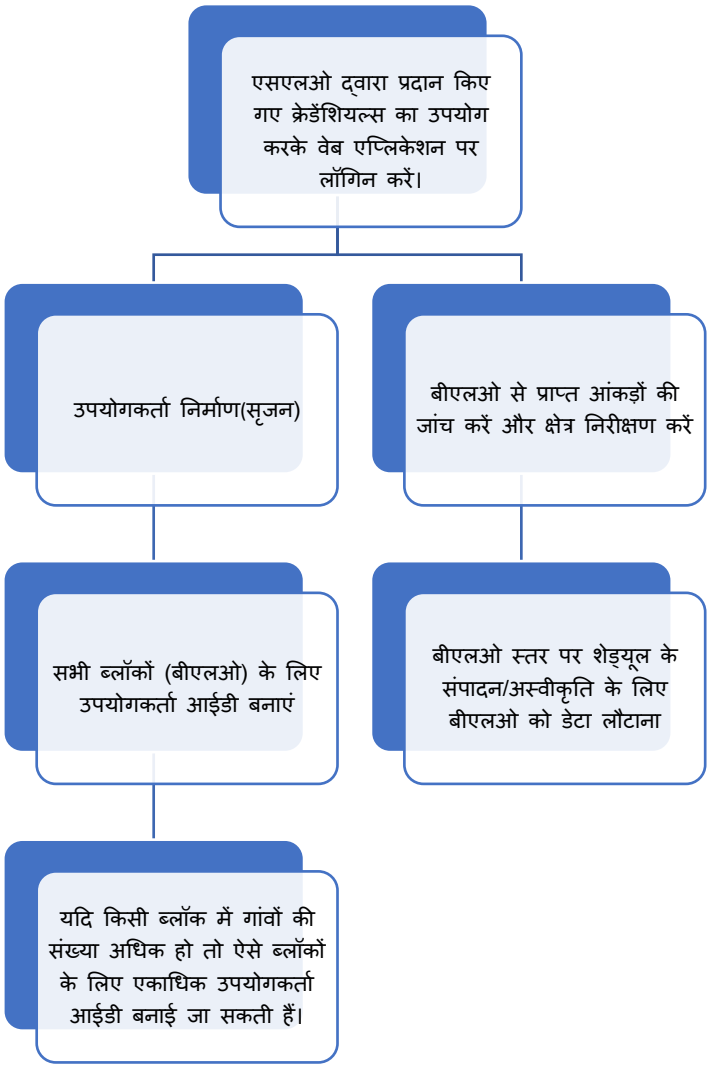
4.2.4 गणना के वेब एप्लीकेशन पर यूजर बनाने से पहले जिला स्तरीय अधिकारी को प्रत्येक ब्लॉक/उप-जिले के लिए अधिकारी नियुक्त करना होगा। वेब एप्लीकेशन पर यूजर बनाते समय उस अधिकारी का ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जिसके लिए ब्लॉक/उप-जिले का लॉगिन आईडी बनाया गया है।

4.2.4.1 ब्लॉक में गांवों की संख्या के अनुसार डीएलओ एक ब्लॉक के लिए एक यूजर आईडी या एक से अधिक यूजर आईडी बना सकते हैं। 50 गांवों तक के ब्लॉक के लिए केवल एक यूजर आईडी होगी। इसी तरह, 1-100 गांवों के लिए डीएलओ के पास ब्लॉक के लिए दो यूजर आईडी बनाने का विकल्प होगा । इस

तरह ब्लॉक स्तरीय यूजर आईडी का निर्माण 50 गांवों के गुणकों पर किया जाएगा।

4.2.4.2 बी.एल.ओ. द्वारा प्रस्तुत अनुसूचियों की जांच की जा सकती है तथा यदि बी.एल.ओ. स्तर पर कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे बी.एल.ओ. को वापस किया जा सकता है। डी.एल.ओ. डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक क्षेत्र निरीक्षण भी कर सकते हैं।

4.2.4.3 डीएलओ स्तर प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है :



4.2.5 **ब्लॉक स्तर**: जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय ईमेल और मोबाइल नंबर (जैसा कि लॉगिन बनाते समय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है) पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से एक बार प्रमाणीकरण किया जाना है।

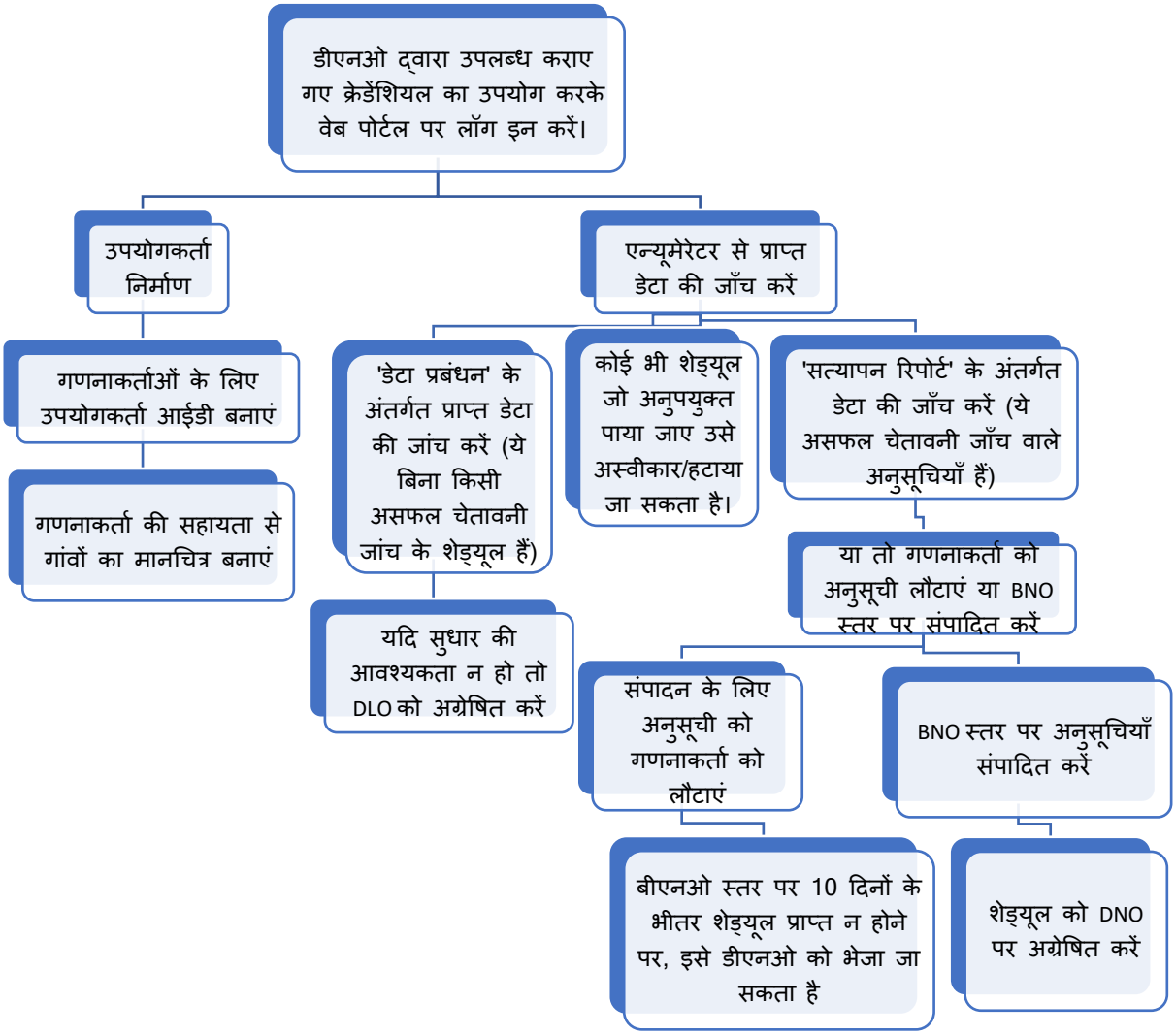
4.2.6 गणना के वेब एप्लीकेशन पर यूजर बनाने से पहले ब्लॉक/उप-जिला स्तर के अधिकारी को प्रत्येक गांव के लिए अधिकारी नियुक्त करना होगा। वेब एप्लीकेशन पर यूजर बनाते समय उस गणनाकर्ता का ईमेल दर्ज करना होगा जिसके लिए लॉगिन आईडी बनाई गई है।

4.2.7 प्रत्येक गांव को एक निश्चित समय में एक ही गणनाकार को सौंपा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गांव कई गणनाकारों को न सौंपा जाए। लेकिन एक ही गणनाकार को कई गांव सौंपे जा सकते हैं। यदि गणनाकार में कोई बदलाव होता है, तो खाते को नए गणनाकार को फिर से सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां गांवों में बहुत अधिक संख्या में योजनाएं हैं, गणनाकार का काम उसी गांव तक सीमित हो सकता है।

4.2.7.1 गणनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुसूचियों की जांच की जा सकती है और यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे उनके पास वापस भेजा जा सकता है। जांच के लिए मानदंड जांच अनुभाग (खंड) के अंतर्गत दिए गए हैं। जांच के अलावा, बीएलओ डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक क्षेत्र निरीक्षण भी कर सकते हैं।

4.2.7.2 बीएलओ को अनुसूची (शेड्यूल) संपादित करने, इसे वापस करने, अस्वीकार करने/हटाने का अधिकार होगा, ऐसे कार्य को सावधानीपूर्वक निष्पादित किया जाना चाहिए। किसी गांव को अंतिम तब माना जाता है जब बीएलओ सत्यापन और क्षेत्र निरीक्षण के बाद गांव की अनुसूची डीएलओ को भेजता है।

4.2.8 बीएलओ स्तर प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है:



4.2.8.1 **गणनाकर्ता स्तर:** गणनाकर्ता ईमेल ओटीपी सत्यापन पूरा करने के बाद मोबाइल ऐप तक पहुंच सकेगा, जो केवल पहले लॉगिन पर आवश्यक होता है।

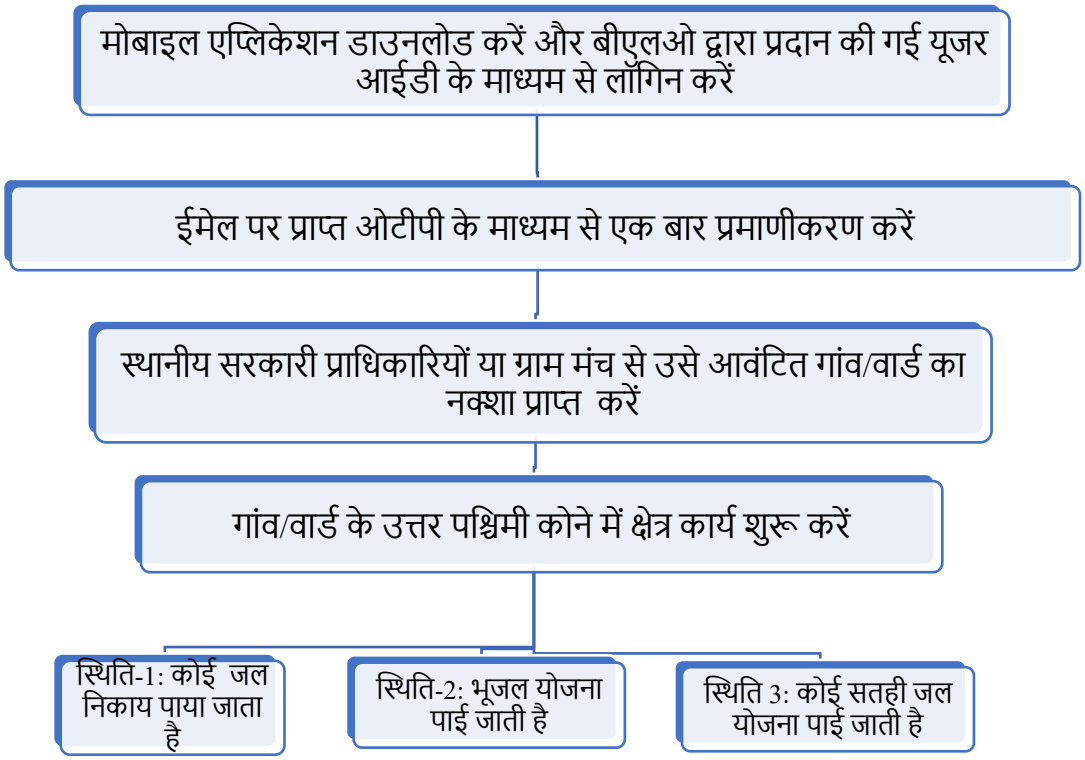
4.2.8.2 डेटा संग्रह के लिए आगे बढ़ने से पहले, उसे मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करना होगा, जिसके लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। गाँव के सभी जल निकायों को पहले सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, उसके बाद सतही जल, भूजल और गाँव के कार्यक्रमों को सर्वेक्षण करना होगा। उसे

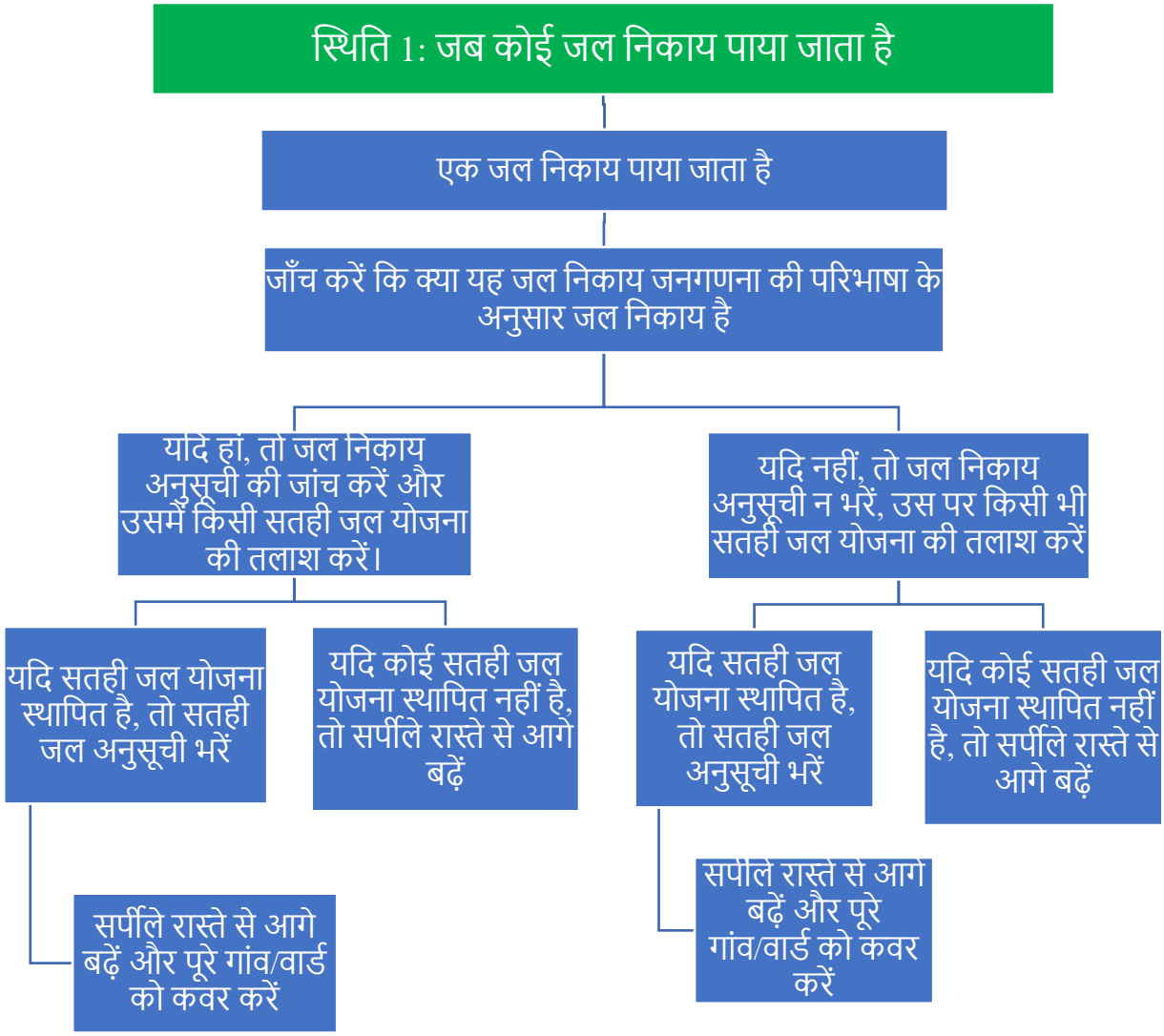
अक्षांश/देशांतर रिकॉर्ड करना होगा, चयनित सीमा में एसएसी डेटाबेस के अनुसार जल निकाय की पहचान करनी होगी और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सभी योजनाओं/जल निकायों की तस्वीरें लेनी होंगी।

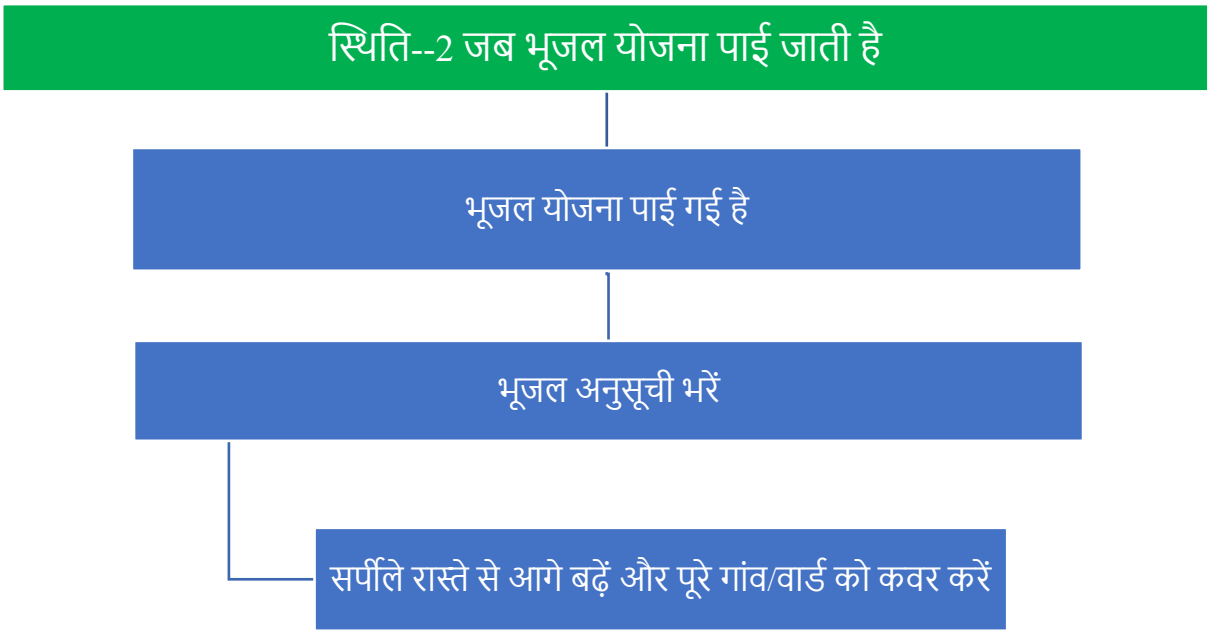
4.2.8.3 प्रत्येक गांव/वार्ड के अक्षांश/देशांतर डेटा को गांवों/वार्ड के संगत एलजीडी कोड से मैप किया गया है। इसलिए, किसी विशेष योजना के अक्षांश/देशांतर को रिकॉर्ड करते समय यदि गणनाकर्ता किसी अमान्य स्थान (अर्थात वह स्थान जो संबंधित गांव की सीमा से बाहर है) पर स्थित है, तो उसे मोबाइल एप्लिकेशन में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि गणनाकर्ता ऑनलाइन है, तो उसे उसी का संकेत देते हुए एक संदेश प्राप्त होगा और उसे फिर से उस विशेष योजना का सही अक्षांश/देशांतर रिकॉर्ड करना होगा। यदि गणनाकर्ता ऑफ़लाइन है तो उसे डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन के समय एक संदेश प्राप्त होगा। अमान्य स्थान वाले शेड्यूल सिंक्रोनाइज़ नहीं किए जाएँगे और मोबाइल डिवाइस पर ही रहेंगे। फिर गणनाकर्ता को स्थान को सही करना होगा और शेड्यूल को फिर से सबमिट करना होगा।

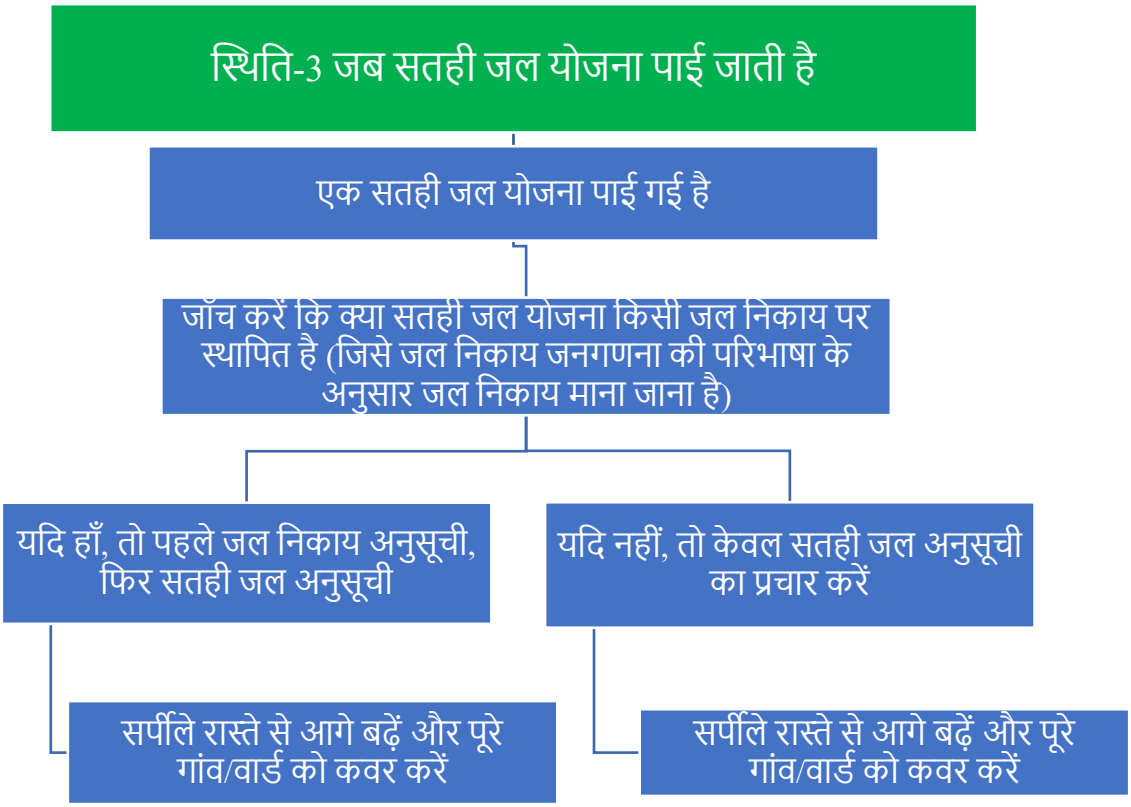
4.2.8.4 गांव की सीमा सुनिश्चित करने के लिए गांव का नक्शा ब्लॉक अधिकारियों/या “ग्राम मंचित्र” एप्लिकेशन (https://grammanchitra.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है, जहां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव/वार्ड का पता लगाया जा सकता है ।

4.2.8.5 प्रगणक स्तरीय प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है:


मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें और बीएलओ द्वारा प्रदान की गई यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन करें
ईमेल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से एक बार प्रमाणीकरण करें
स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों या ग्राम मंच से उसे आवंटित गांव/वार्ड का नक्शा प्राप्त करें
गांव/वार्ड के उत्तर पश्चिमी कोने में क्षेत्र कार्य शुरू करें
स्थिति-1: कोई जल निकाय पाया जाता है
स्थिति-2: भूजल योजना पाई जाती है
स्थिति 3: कोई सतही जल योजना पाई जाती है


स्थिति 1: जब कोई जल निकाय पाया जाता है
एक जल निकाय पाया जाता है
जाँच करें कि क्या यह जल निकाय जनगणना की परिभाषा के अनुसार जल निकाय है
यदि हां, तो जल निकाय अनुसूची की जांच करें और उसमें किसी सतही जल योजना की तलाश करें।
यदि नहीं, तो जल निकाय अनुसूची न भरें, उस पर किसी भी सतही जल योजना की तलाश करें
यदि सतही जल योजना स्थापित है, तो सतही जल अनुसूची भरें
यदि कोई सतही जल योजना स्थापित नहीं है, तो सर्पीले रास्ते से आगे बढ़ें
यदि सतही जल योजना स्थापित है, तो सतही जल अनुसूची भरें
यदि कोई सतही जल योजना स्थापित नहीं है, तो सर्पीले रास्ते से आगे बढ़ें
सर्पीले रास्ते से आगे बढ़ें और पूरे गांव/वार्ड को कवर करें
सर्पीले रास्ते से आगे बढ़ें और पूरे गांव/वार्ड को कवर करें


स्थिति--2 जब भूजल योजना पाई जाती है
भूजल योजना पाई गई है
भूजल अनुसूची भरें
सर्पीले रास्ते से आगे बढ़ें और पूरे गांव/वार्ड को कवर करें



4.3 क्षेत्र कार्य :

4.3.1 7वीं एमआई गणना के साथ-साथ जल निकायों की दूसरी गणना गणना आयुक्त के समग्र प्रभार में की जाएगी, जो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नोडल विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। फील्डवर्क या तो नोडल विभाग द्वारा स्वयं किया जाएगा या किसी अन्य एजेंसियों को सौंपा/आउटसोर्स किया जाएगा, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार अपने पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझे और इस कार्यालय को भी सूचित करे। हालाँकि, जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है, पूरे गणना संचालन के लिए

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का गणना आयुक्त निर्णायक बिंदु होगा और वह राज्य नोडल अधिकारी के लिए मानदेय प्राप्त करने का हकदार होगा।

4.3.2 डेटा संग्रह का प्राथमिक कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों (जल निकायों के लिए) में गणनाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्राम स्तर के कार्यकर्ता या ग्राम लेखाकार या लेखपाल या पटवारी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी हो सकते हैं।

4.3.3 डेटा संग्रह शुरू करने से पहले, गणनाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मोबाइल ऐप में लॉग इन हैं, जिसके लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। व्यापक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए गणनाकर्ताओं को गाँव के भीतर सभी योजनाओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और पटवारियों से सहायता की आवश्यकता होती है। यह एप्लिकेशन उन गाँवों में 6$^{ठी}$ एमआई गणना और पहली गणना में सूचीबद्ध योजनाओं को पहले से ही भर देगा, जहाँ एलजीडी मैपिंग सफलतापूर्वक की गई है। यदि पहले से भरा हुआ डेटा उपलब्ध है, तो गणनाकर्ता को मौजूदा योजनाओं को संशोधित करने /अपडेट करने या नई योजनाएँ जोड़ने की अनुमति होगी। यदि पहले से भरा हुआ डेटा उपलब्ध नहीं है, तो गणनाकर्ता नई योजनाएँ जोड़ सकेंगे। योजना से संबंधित अनुसूचियाँ योजना मालिकों से सीधे पूछताछ के माध्यम से गणनाकर्ताओं द्वारा प्रचारित की जाएँगी, जबकि संस्थागत योजनाओं को उपलब्ध प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर प्रलेखित किया जाएगा । गाँव की अनुसूची को भूमि/राजस्व अभिलेखों और गाँव-स्तरीय कार्यकर्ताओं या ग्रामप्रधानों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करके प्रचारित की जाएगी । गाँव के विभिन्न विवरण, अर्थात्, आदिवासी प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्र, खेती योग्य क्षेत्र आदि प्रशासनिक अभिलेखों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.3.4 प्राथमिक गणनाकर्ता, अनुसूचियों की जांच करते समय जल निकायों के मालिक या उसके पड़ोसी से मिलेंगे और उनसे व्यक्तिगत पूछताछ के आधार पर जानकारी एकत्र करेंगे। सरकारी निकायों के स्वामित्व वाले जल निकायों या एमआई योजनाओं की जानकारी उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर एकत्र की जाएगी। गणना का उद्देश्य किसानों/मालिकों को समझाया जाएगा ताकि जल

निकायों के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रकट करने में उनका विश्वास जीता जा सके। मालिकों को आश्वासन दिया जाएगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा को गोपनीय रखा जाएगा।

4.3.5 प्राथमिक गणनाकर्ता को गांव के अधिकारियों/जानकार लोगों/जल उपयोग एसोसिएशन से यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या कोई नई एमआई योजनाएं शुरू हुई हैं तथा 2017-18 के बाद कोई नया जल निकाय बनाया गया है।

4.4 जांच:

4.4.1 आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समय पर कार्य पूरा करने के लिए तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला/राज्य मुख्यालयों में राज्य अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र के अधिकारियों को भी डेटा संग्रहण अवधि के दौरान नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा/निरीक्षण करना चाहिए तथा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए।

4.4.1.1 **<u>बीएलओ स्तर पर :</u>** बीएलओ उन गांवों की अनुसूचियों को डीएलओ को अग्रेषित कर सकता है, जिनमें कोई विफल चेतावनी जांच नहीं है। हालांकि, किसी विशेष गांव में सभी योजना अनुसूचियों, जहां चेतावनी जांच विफल रही है, की बीएलओ द्वारा जांच की जानी चाहिए । बीएलओ द्वारा डीएलओ को अग्रेषित की गई गांव की अनुसूची को अंतिम माना जाता है ।

4.4.1.2 यदि बीएलओ किसी अनुसूची को संपादन के लिए प्रगणक को लौटाता है, लेकिन प्रगणक 10 कार्य दिवसों के भीतर इस अनुसूची को बीएलओ को वापस नहीं करता है, तो बीएलओ यदि आवश्यक हो तो सुधार करने के बाद अनुसूची को डीएलओ को अग्रेषित कर सकता है। इसके बाद, प्रगणक के पास इस अनुसूची को संपादित करने का कोई विकल्प नहीं होगा । प्रगणक को एक संदेश दिखाई देगा 'संपादन की अनुमति नहीं है- अनुसूची जिला स्तरीय अधिकारी को भेज दी गई है'। जांच के अलावा, बीएलओ क्षेत्र निरीक्षण भी कर सकता है।

4.4.2 **<u>डीएलओ स्तर पर :</u>** जिला स्तरीय अधिकारी को एमआई योजनाओं और जल निकाय अनुसूचियों की गुणवत्ता और कवरेज का भौतिक सत्यापन करने के लिए 5 अलग-अलग ब्लॉकों में कम से कम 5 गांवों का दौरा करना होगा ।

4.4.3 एक बार जब बीएलओ द्वारा डीएलओ को अनुसूची प्रस्तुत कर दी जाती है, तो डीएलओ/राज्य/केंद्रीय अधिकारियों द्वारा एक साथ इसकी जांच की जा सकती है। अनुसूची डीएलओ/एसएलओ/केंद्रीय उपयोगकर्ताओं के खातों में उपलब्ध होगी और यदि आवश्यक हो तो उनके पास बीएलओ स्तर पर वापस लौटने का विकल्प होगा। यदि डीएलओ द्वारा अनुसूची वापस बीएलओ को लौटा दी गई है, तो यह सभी उच्च स्तरों पर इस टिप्पणी के साथ उपलब्ध होगी कि अनुसूची वापस बीएलओ को लौटा दी गई है। ऐसे मामलों में राज्य और केंद्रीय स्तर उक्त अनुसूची को फिर से बीएलओ को वापस नहीं भेज पाएंगे। केंद्रीय स्तर पर एकत्र किए गए डेटा की यादृच्छिक आधार पर जांच की जाएगी और उस पर टिप्पणियों/प्रश्नों को संभावित सुधार/स्पष्टीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाएगा। गणना पूरी होने और डेटा को अंतिम रूप देने के बाद सारणीबद्ध रिपोर्ट राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) की तालिकाएं बनाने के लिए उपलब्ध होंगी।

4.5 प्रगति निगरानी

4.5.1 सिंचाई गणना कार्यों की प्रगति की निगरानी वेब पोर्टल (डैशबोर्ड) के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जाएगी। केंद्र के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय में एक समर्पित टीम कार्य की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करेगी और यदि कोई समस्या हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी। निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र/राज्य/जिला, उप-जिला (तहसील)/ब्लॉक स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली अपनाई जाएगी ।

4.5.2 ब्लॉक स्तर पर, बीएलओ के पास डैशबोर्ड तक पहुंच होगी जो पूर्ण हो चुके, शुरू नहीं हुए या प्रगति पर वर्गीकृत गांवों की सूची प्रदर्शित करता है। जिला स्तर पर डीएलओ उन्हें सौंपे गए सभी ब्लॉकों की स्थिति, साथ ही विशिष्ट ब्लॉकों और उन ब्लॉकों के भीतर के गांवों की स्थिति देख पाएंगे। राज्य स्तर पर एसएलओ

के पास डैशबोर्ड तक पहुंच होगी जो सभी जिलों की स्थिति के साथ-साथ विशिष्ट जिलों और उन जिलों के भीतर के ब्लॉकों और गांवों की स्थिति प्रदर्शित करता है। केंद्र स्तर पर डैशबोर्ड सभी राज्यों, विशिष्ट राज्यों और उन राज्यों के भीतर के जिलों/ब्लॉकों/गांवों की स्थिति प्रदर्शित करेगा। डैशबोर्ड ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र उपयोगकर्ताओं के संबंधित लॉगिन पर प्रत्येक गांव/ब्लॉक/जिला/राज्य में प्रचारित योजनाओं की कुल संख्या भी प्रदर्शित करेगा।

4.6 गणना का संभावित कार्यक्रम

1.	केंद्र द्वारा केंद्रीय अनुदान जारी करना	:	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग किए जाने पर
2.	अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला	:	अगस्त 2023
3.	मोबाइल ऐप का पायलट (प्रारंभिक) परीक्षण	:	अक्टूबर 2024
4.	छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएँ	:	दिसंबर 2024 - जनवरी 2025
5.	राज्य/जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम	:	मार्च 2025
6.	जमीनी स्तर पर गणना का कार्य शुरू	:	अप्रैल 2025
7.	डेटा की सफाई, सत्यापन और जांच	:	अप्रैल 2025 से सितंबर 2025
8.	केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तालिकाओं की जांच	:	अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025
9.	मुख्य परिणामों का प्रकाशन	:	मार्च 2026
10	अंतिम रिपोर्ट का प्रारूपण और प्रकाशन	:	जून 2026

****

अध्याय पांच

वैब तथा मोबाइल अनुप्रयोग के लिए अनुदेश

5.0 **वेब/मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने हेतु दिशा-निर्देश**

5.1 वेब एप्लिकेशन का उपयोग

5.1.1 परिचय

यह उपयोगकर्ता मैनुअल एमआई गणना एप्लिकेशन के भीतर उपयोगकर्ता की भूमिकाओं और गांव के मैपिंग के प्रबंधन के लिए एक चरण बद्ध मार्गदर्शिका प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म एक श्रेणीबद्ध उपयोगकर्ता प्रणाली के माध्यम से कुशल डेटा संग्रहण और प्रबंधन को सक्षम बनाता है, जिसमें विभिन्न उपयोगकर्ता (सुपर एडमिन, राज्य उपयोगकर्ता, जिला उपयोगकर्ता, ब्लॉक उपयोगकर्ता, टाउन उपयोगकर्ता और गणनाकर्ता) को गणना से संबंधित डेटा को प्रबंधित करने और अपडेट करने के लिए विशिष्ट भूमिकाएं और अनुमतियां सौंपी जाती हैं।

यह मैनुअल प्रत्येक उपयोगकर्ता भूमिका के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त निर्देश प्रदान करने के लिए व्यवस्थित किया गया है, जो डेटा प्रबंधन और गांव मैपिंग कार्यों के लिए एमआई गणना एप्लिकेशन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

कृपया यूआरएल **“https://wrcensus.mowr.gov.in/”** पर देखें।

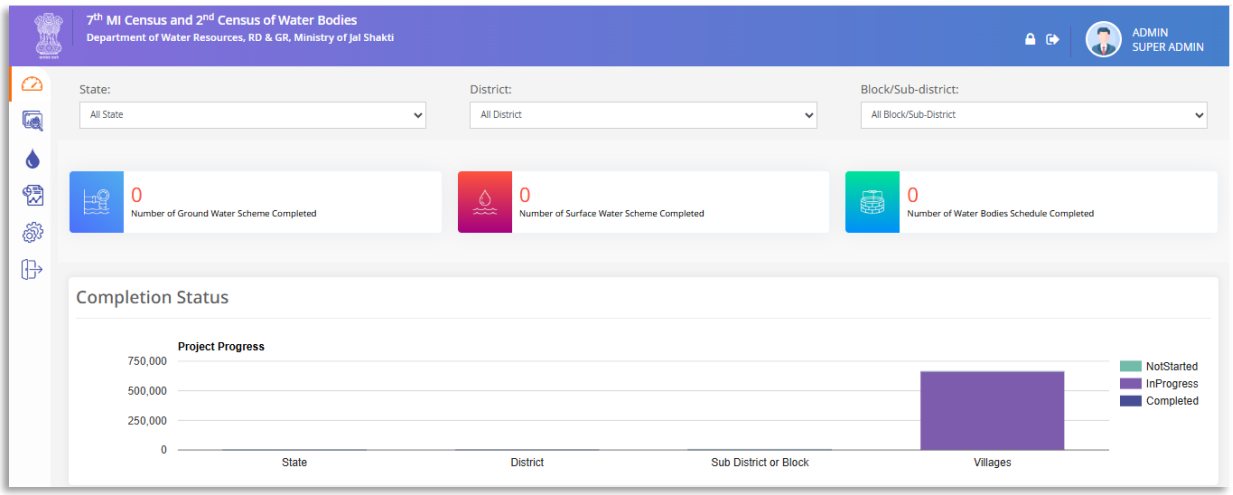


- लघु सिंचाई एवं जल निकाय गणना टैब पर क्लिक करने पर संबंधित लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी।

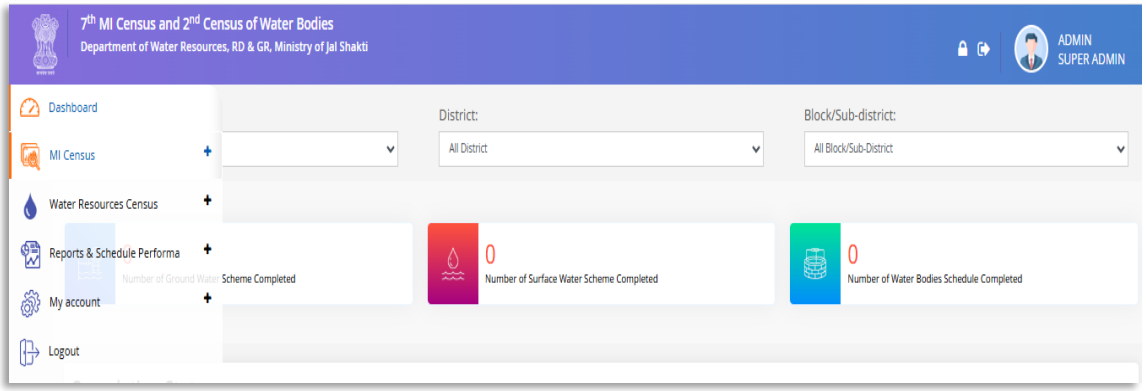


5.1.2 सुपर एडमिन

- सुपर एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें।
- लॉगिन करने के पश्चात एप्लिकेशन डैशबोर्ड दिखाई देगा ।



- **नेविगेशन मेन्यू :**निम्नलिखित बाएं तरफ के नेविगेशन मेन्यू हैं।



- **सुपर एडमिन** निम्नश्रेणी के डेटा को एक्सेस कर सकता है :-

i. **ग्राम अनुसूची**

ii. **भौम जल योजनाएँ**

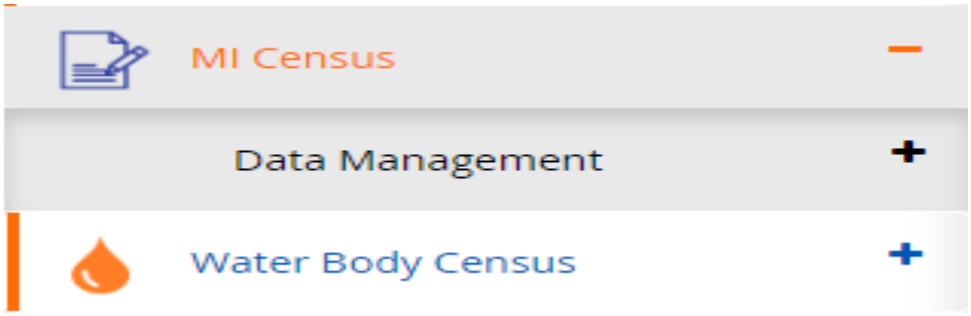
iii. **सतही जल योजनाएँ**

iv. **शहरी अनुसूची**

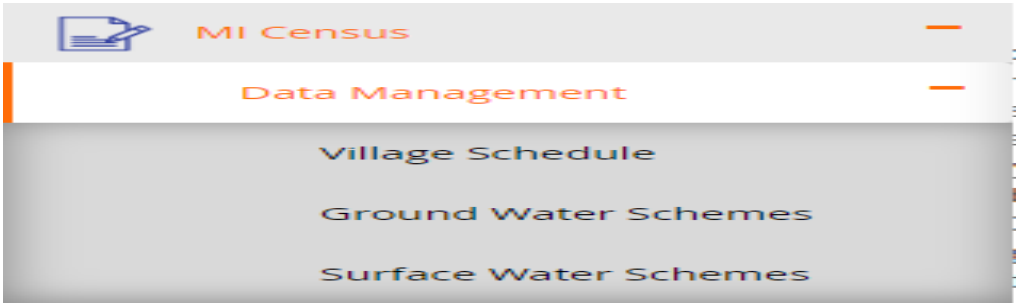
v. **जल निकाय**

ग्राम अनुसूची

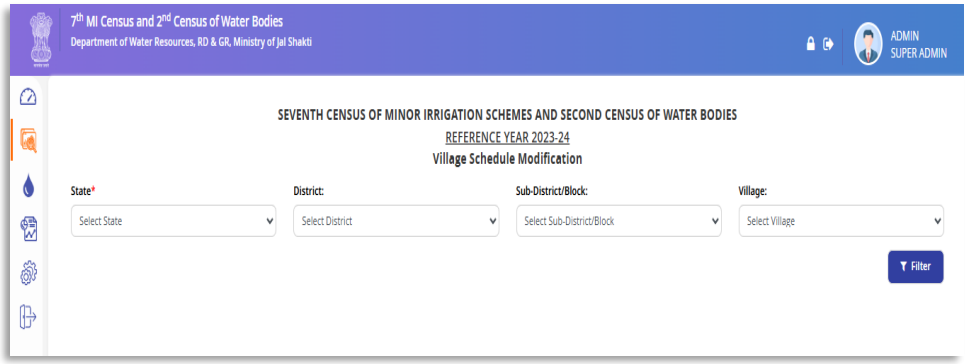
- "एमआई गणना" मेन्यू के आगे प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "डेटा मैनेजमेंट" को प्रदर्शित करेगा।



- "डेटामैनेजमेंट" के आगे प्लस आइकन पर क्लिक करें।



- विकल्पोंमें से "ग्राम अनुसूची" को सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी



- स्क्रीनपर चार फिल्टर दिए गए हैं: -
  - राज्य

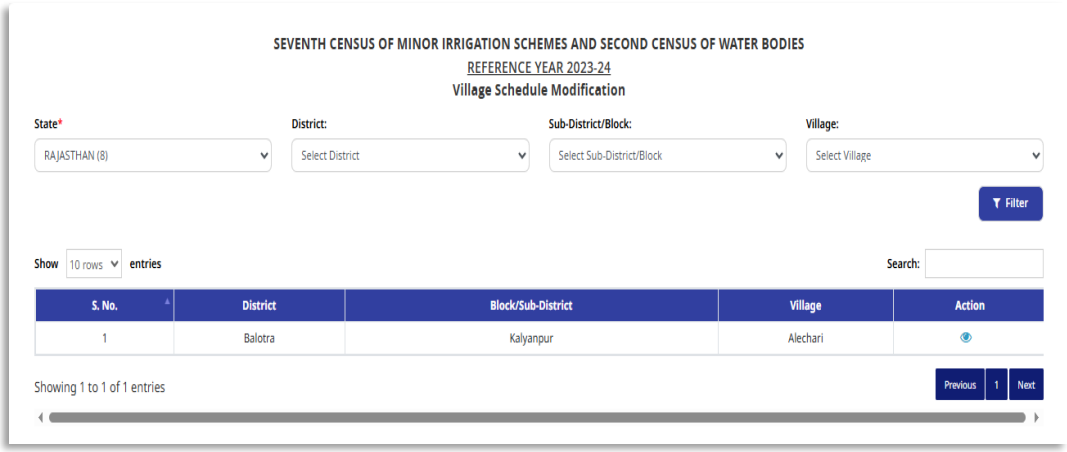
- ज़िला
- ब्लॉक/तहसील
- गाँव

➢ फ़िल्टरपदानुक्रमिक तरीके से काम करते हैं:

- चयनितराज्य के आधार पर, उपलब्ध जिले डिस्प्ले हो जाएंगे।
- चयनित जिले के आधार पर उपलब्ध ब्लॉक/तहसील डिस्प्ले हो जाएंगे।
- चयनितब्लॉक/तहसील के आधार पर उपलब्ध ग्राम डिस्प्ले हो जाएंगे।

➢ राज्यका चयन करें (इससे अनिवार्य है)।

➢ फ़िल्टरबटन पर क्लिक करें। चयनित राज्य और किसी भी अन्य अनुप्रयुक्त फ़िल्टर के अनुसार रिकॉर्ड डिस्प्ले जाएँगे।



➢ डिस्प्ले हो रहे रिकॉर्ड मोबाइल एप्लिकेशन से सिंक्रनेइज़ किए गए हैं, डेटा रिपोर्ट देखने के लिए व्यूपर क्लिक करें।

(E-64)

Village Schedule Report Data

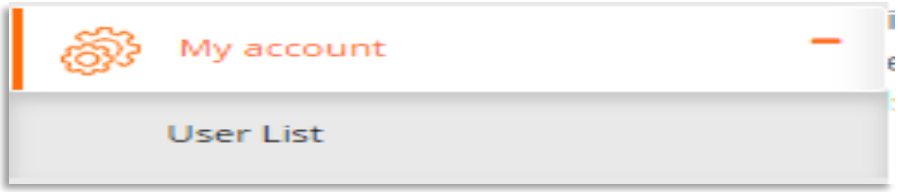
I. Identification Particulars:		
(a) State:*	(b) District:*	(c) Block/Sub-District:*
RAJASTHAN	Balotra	Kalyanpur
(d) Village:*	Date of Enumeration: (DD/MM/YY)*	
Alechari	Mar 24, 2025	
II. Specific Information:		
1. Is Village Tribal/ Non-Tribal?	2. (a) Is the Village covered by Major/ Medium Scheme*	2. (b) If yes, Name of Major/ Medium Scheme
Tribal	Yes	falcon
3. Geographical Area In Whole No. Ha.	4. Cultivable Area In Whole No. Ha.	5. Net sown Area In Whole No. Ha.
4	4	4
6. Gross Irrigated Area(By all sources)In Whole No. Ha.		
(i) During Kharif Season In Whole No. Ha.	(ii) During Rabi Season In Whole No. Ha.	(iii) For Perennial crops In Whole No. Ha.
1	1	1
(iv) During Other Season In Whole No. Ha.	(v) Total Gross Area Irrigated Ha.	
1	4	
7. Net Area Irrigated (By all sources) In Whole No. Ha.		
4		

- केवलब्लॉक यूजर ही इन रिकॉर्ड्स को सडिट कर सकता है।

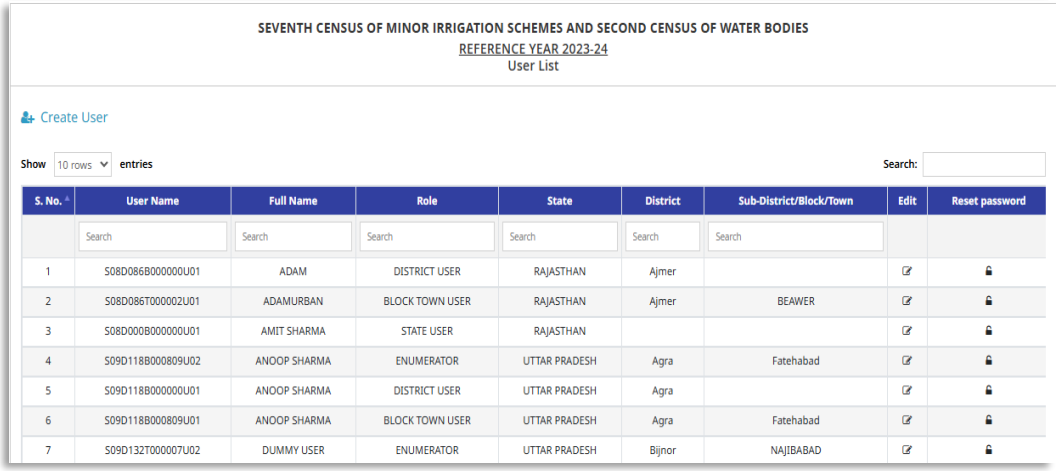
टिप्पणी:-यहीकार्यप्रवाह अन्य अनुसूचियों पर भी लागू होता है, जैसा कि ग्राम अनुसूची मॉड्यूल केलिए ऊपर वर्णित है।

यूजर सूची

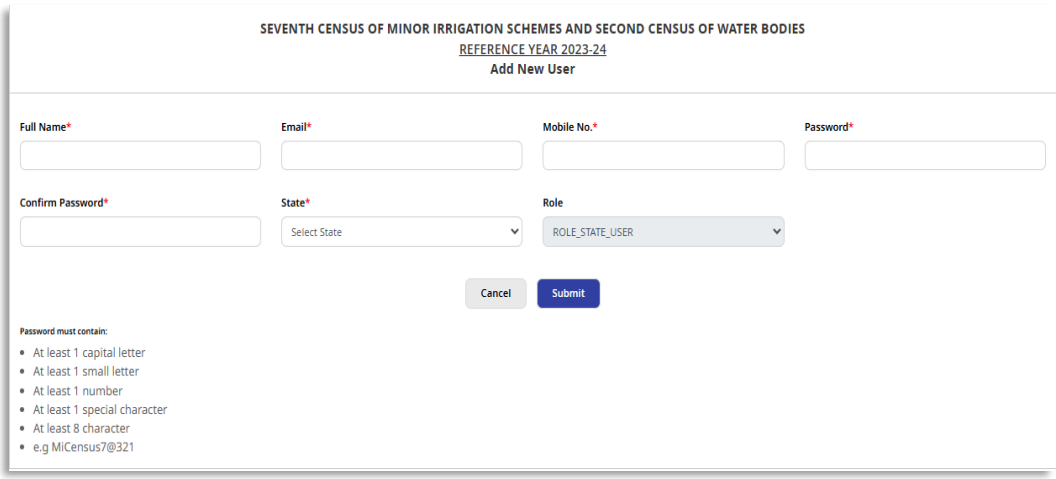
- "माइ एकांउट" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "यूजर-सूची" प्रदर्शित करेगा।



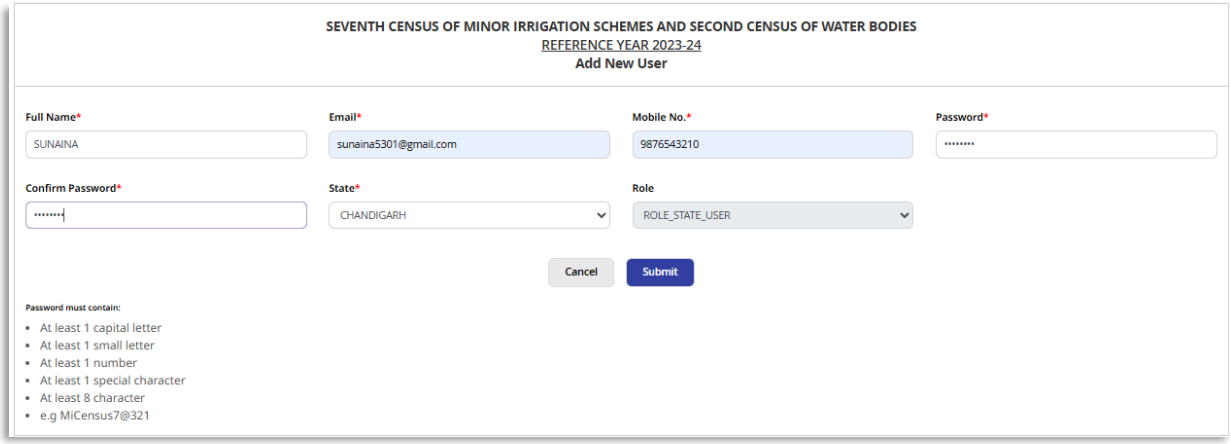
- “यूजर-सूची” सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।



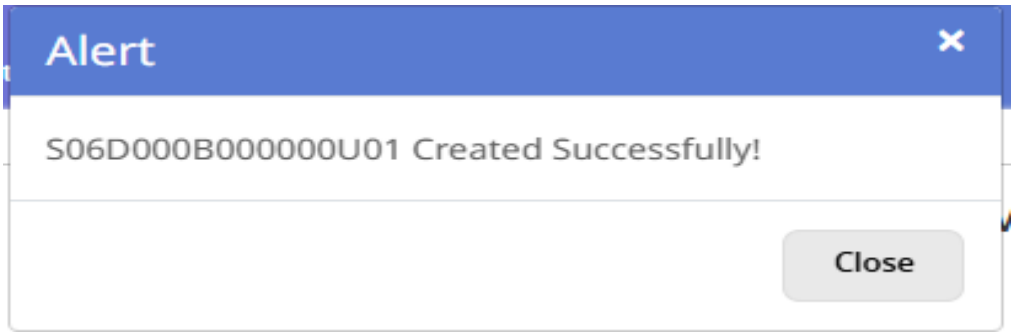
- सुपरएडमिन के पास राज्य, जिला, ब्लॉक और प्रगणक यूजरों सहित सभी यूसर्स कीसूची देखने का एक्सेस है।
- सुपरएडमिन केवल स्टेट-यूजरका ही निर्माण कर सकता है।
- नये यूजर को शामिल करने के लिए, “क्रेएट यूजर” लिंक पर क्लिक करें।



- अनिवार्यफ़ील्ड भरें।



➢ सबमिटबटन पर क्लिक करें। सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।



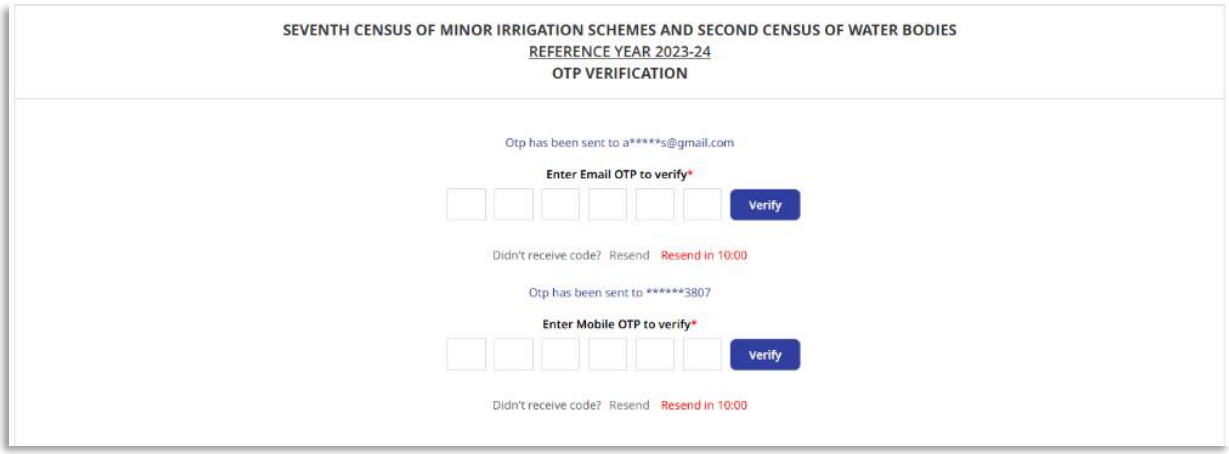
➢ S06D000B000000U01यूजर आईडीसे यूजरका निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है। यूजर आईडीका विवरण निम्न प्रकार है:

- **S**कातात्पर्य स्टेट से है।
- **06स्टेट व** राज्यकोड है।
- **D000**इससेदर्शाता है कि इससे डिस्ट्रिक्ट यूजर नहीं है।
- **B 000000**इससेइंगित करता है कि इससे ब्लॉक यूजर नहीं है।
- **U01**चालू संख्या है, जो इस राज्य के लिए बनाए गए पहले यूजर को इंगित करती है।

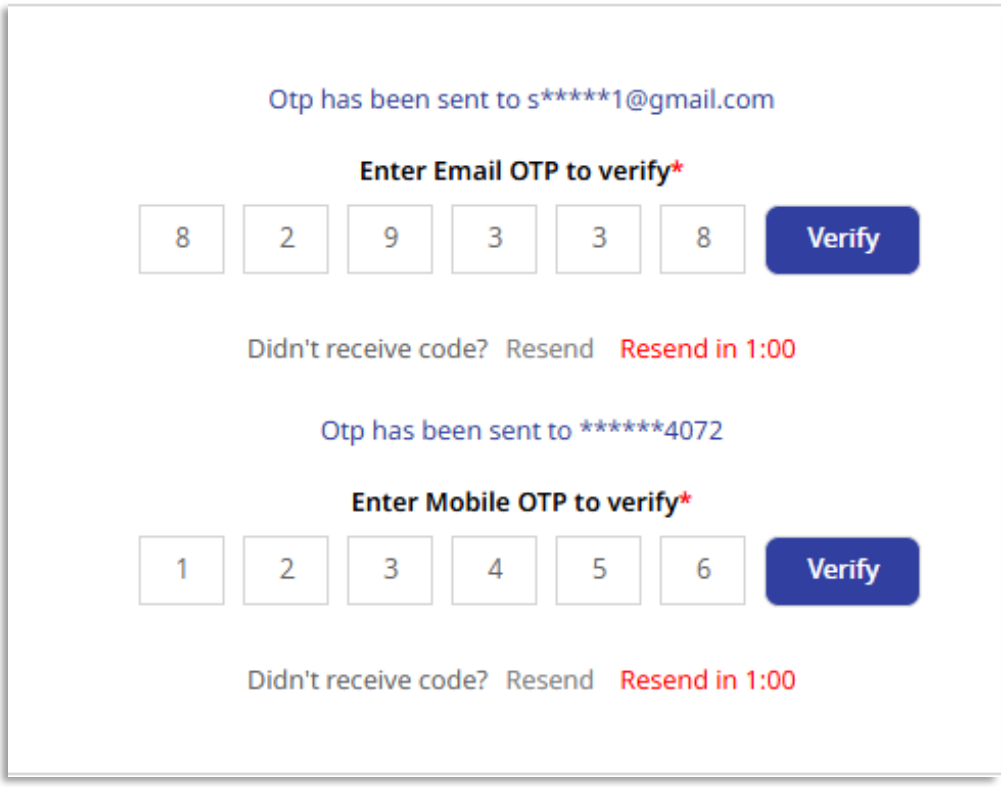
इससे यूजर केवल स्टेट यूजर है।

5.1.3 स्टेट यूजर लॉगिन

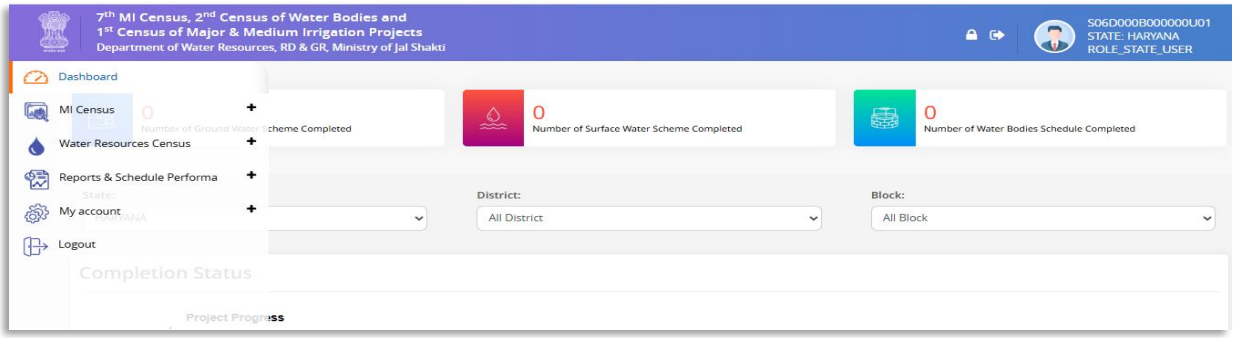
- पहले बनाए गए स्टेट यूजर के क्रेडेंशियल का उपयोग करके**लॉग इन करें**। ओटीपी सत्यापन स्क्रीनदिखाई देगी।



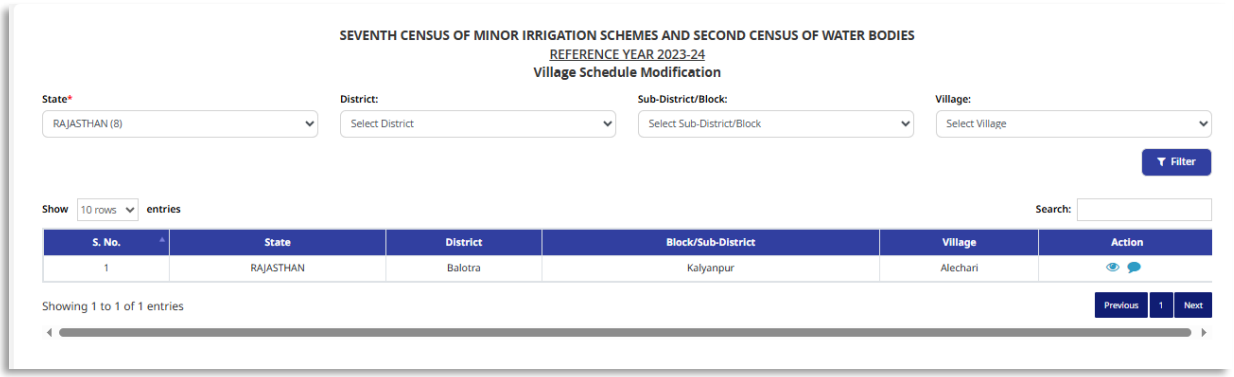
- अपने पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी एंटर करें, जिसे स्टेट यूजर के निर्माण के दौरान प्रदान किया गया था।



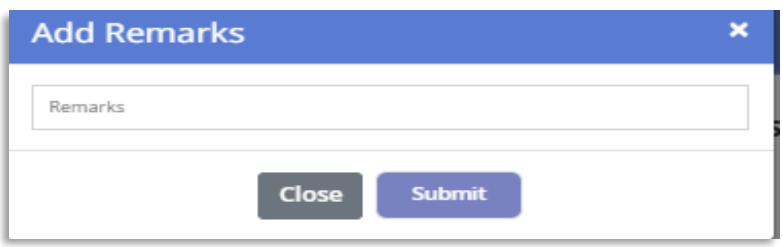
- सत्यापित करें पर क्लिक करें।
- डैशबोर्ड दिखाई देगा।



- स्टेट यूजर के पास निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित डेटा को देखने तथा टिप्पणियां को लिखने का एक्सेस है, लेकिन केवल उस राज्य के लिए जिससे लॉग-इनयूजर संबंधित है:
  - **ग्राम की अनुसूची**
  - **भौम जल योजनाएँ**
  - **सतही जल योजनाएँ**
  - **जल निकाय**



- डेटा रिपोर्ट देखने के लिए व्यू आइकन पर क्लिक करें।
- टिप्पणी जोडने के लिए रिमार्क आइकन पर क्लिक करें।

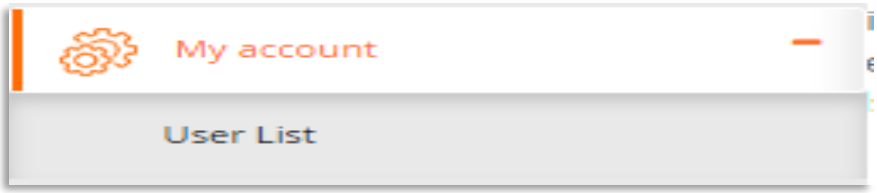


- टिप्पणी एंटर करें
- सबमिट बटन पर क्लिक करें, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग विलेज रिवर्ज बैंक के नीचे ब्लॉकयूजर पर टिप्पणियां दिखाई देंगी।

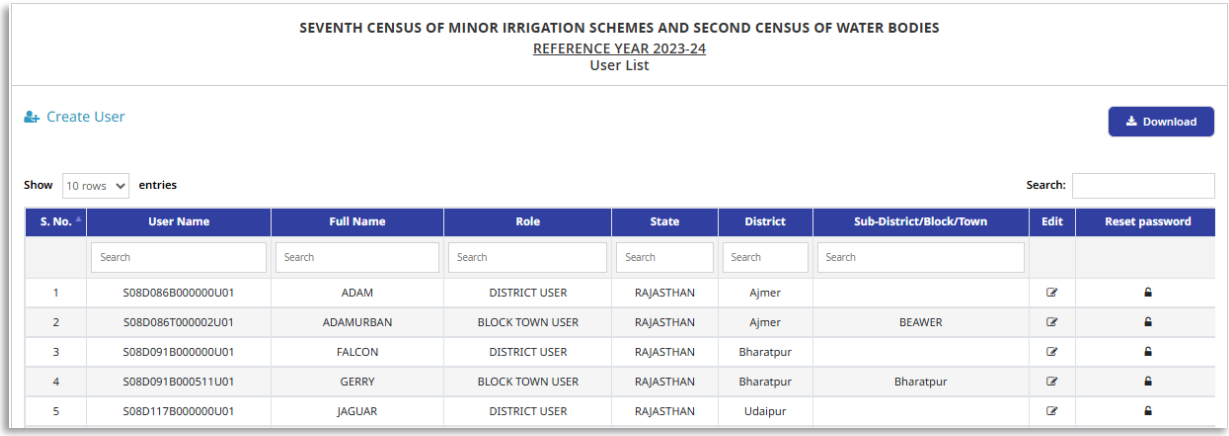
इससे एकसेस यूजर की विशिष्ट सेट तक ही सीमित है।

यूजर सूची/लिस्ट

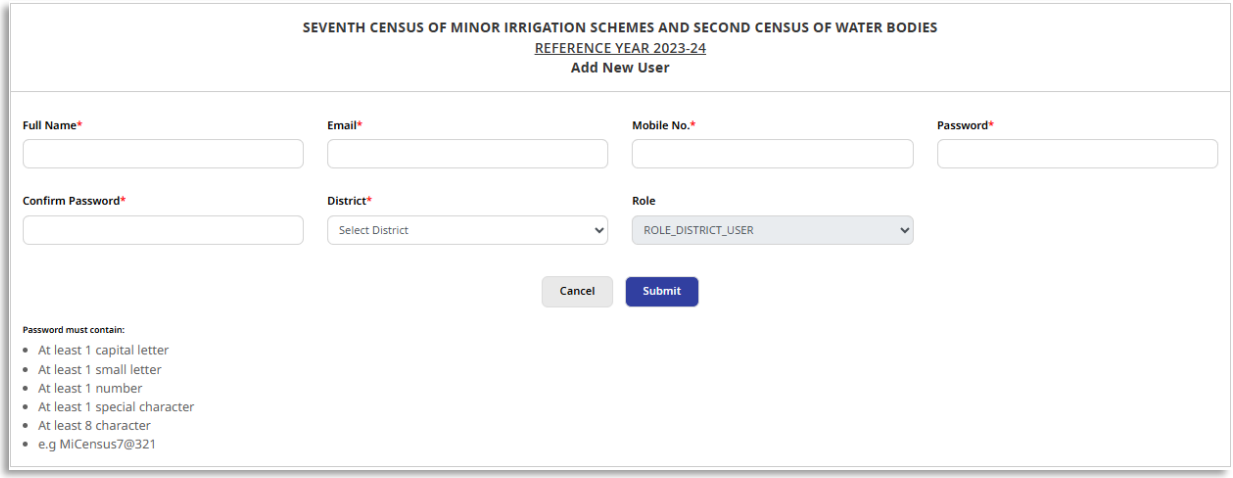
- "माइ एकाउंट" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "यूजर लिस्ट डिप्स्ले हो जाएगा।



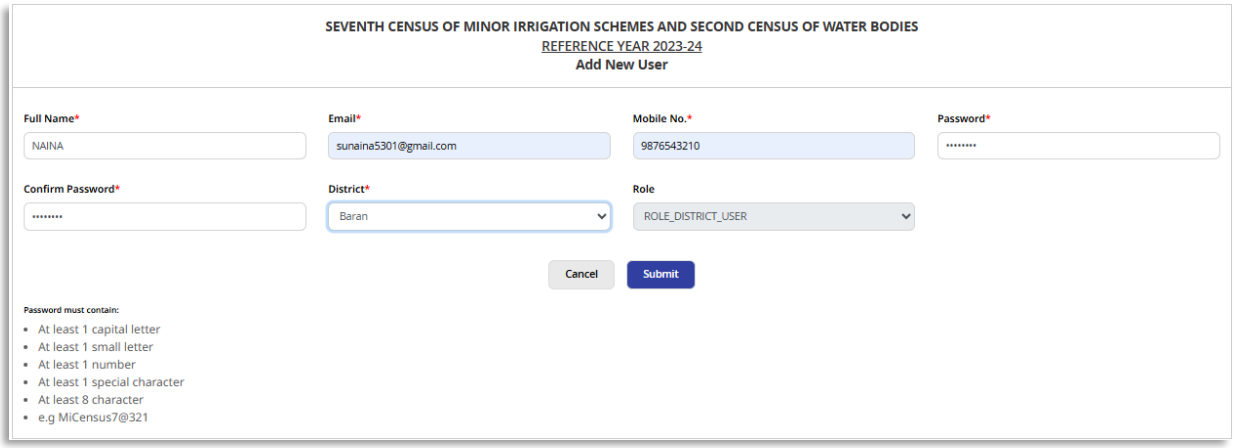
- "यूजर लिस्ट" सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी



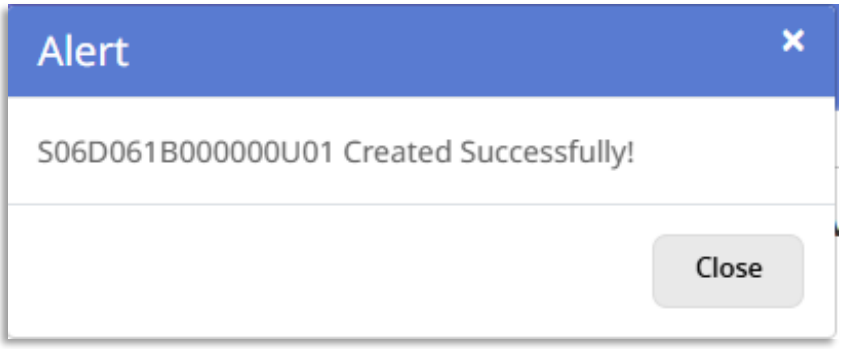
- स्टेट यूजर के पास सभी यूजर्स (जिला, ब्लॉक और प्रगणक यूजर्स) की सूची देखनेका एक्सेस है, लेकिन केवल उस विशिष्ट राज्य के लिए जिससे उक्त लॉग-इन यूजर संबंधितहै।
- स्टेट यूजर केवल अपने राज्य से ही डिस्ट्रिक्ट यूजर बना सकता है।
- नयायूजर शामिल करने के लिए, "क्रिएट यूजर" लिंक पर क्लिक करें।



- अनिवार्यफ़ील्ड भरें



- सबमिटबटन पर क्लिक करें। सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।



- S06D061B000000U01यूजर आईडीसे यूजर का निर्माण कर लिया किया गया है। यूजर आईडीका विवरण निम्न प्रकार है:
  - **S** कातात्पर्य स्टेट से है।

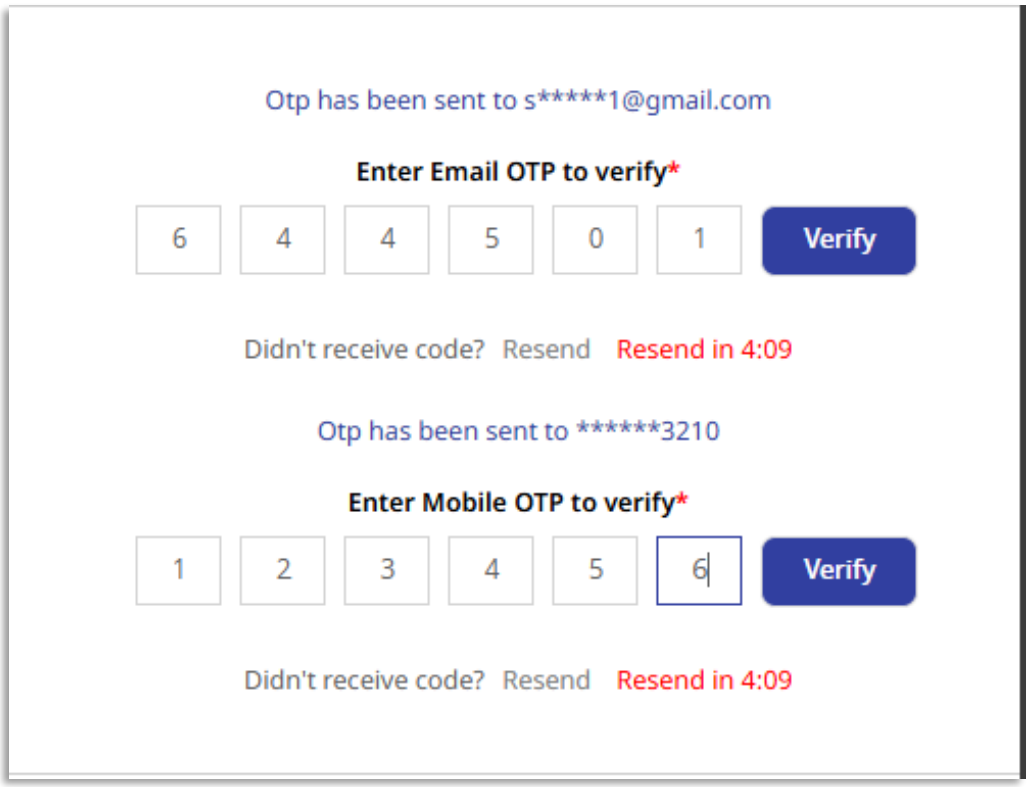
- **06**स्टेट कोड है।
- **D 061**इससेइंगित करता है कि इससे एक डिस्ट्रिक्ट यूजर है और 061 डिस्ट्रिक्ट कोड है।
- **B000000**इससेइंगित करता है कि इससे ब्लॉक यूजर नहीं है।
- **U 01**चालू संख्या है, जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए गए पहले डिस्ट्रिक्ट यूजर को इंगित करतीहै।

इससे यूजर केवल डिस्ट्रिक्ट यूजर है।

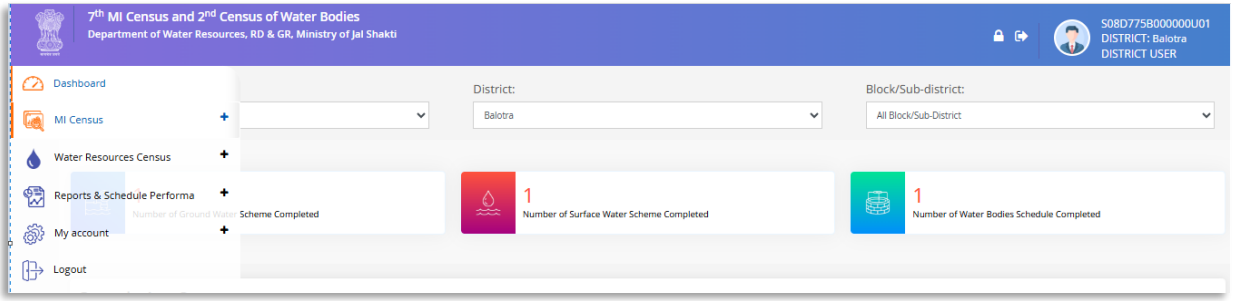
- अबयूजर निर्माण फॉर्म के दौरान एंटर किए गए क्रेडेंशियल्स से डिस्ट्रिक्ट यूजर से लॉगिन करें।

5.1.4 डिस्ट्रिक्ट यूजर लॉगिन

- पहले बनाए गए डिस्ट्रिक्ट यूजर के क्रेडेंशियल का उपयोग करके**लॉग इन करें**। ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीनप्रदर्शित होगी।
- अपने पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को एंटर करें, जो डिस्ट्रिक्ट यूजर के निर्माण के दौरान प्रदान किया गया था।



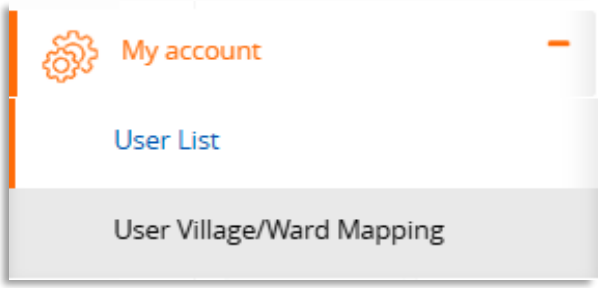
- डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा।



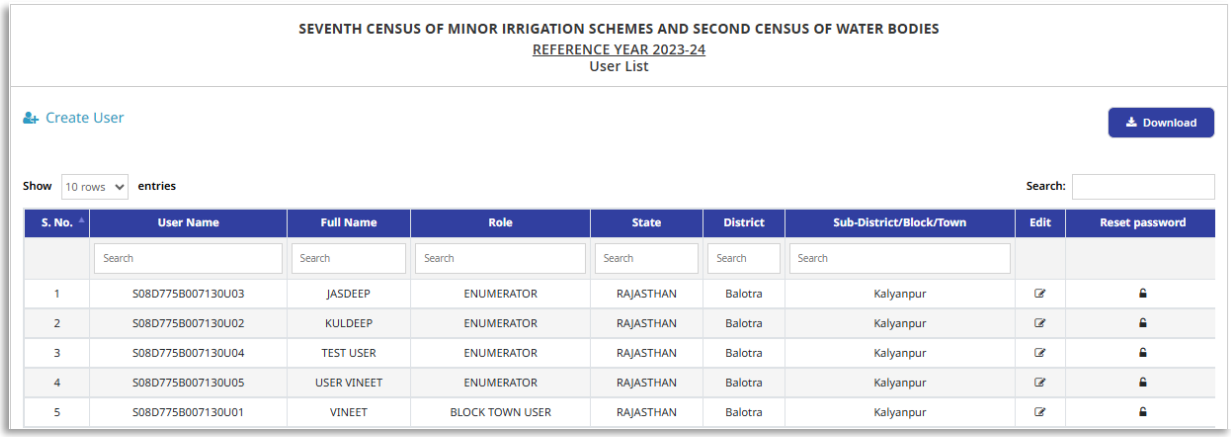
- डिस्ट्रिक्ट यूजर के पास निम्नलिखित श्रेणियों के लिए डेटा को देखने तथा टिप्पणी लिखने का एक्सेस होता है, लेकिन केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जिससे लॉग-इन यूजरसंबंधित है:
  - **ग्राम की अनुसूची**
  - **भौम जल योजनाएँ**
  - **सतही जल योजनाएँ**
  - **जल निकाय**

यूजर लिस्ट

- "माइ एकाउंट" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "यूजर लिस्ट " डिस्प्ले हो जाएगा।

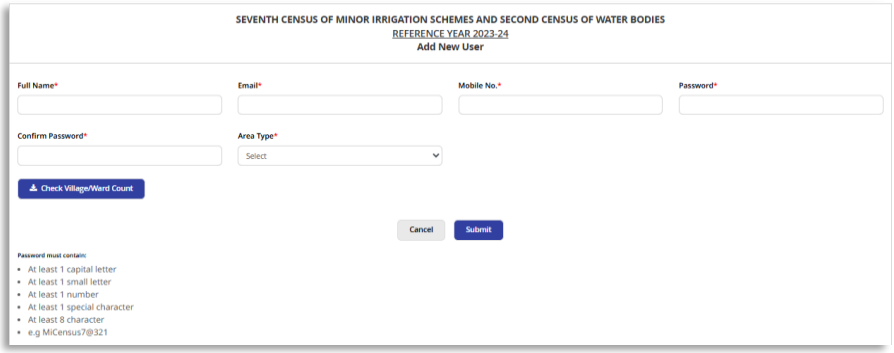


- "यूजर लिस्ट " सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।

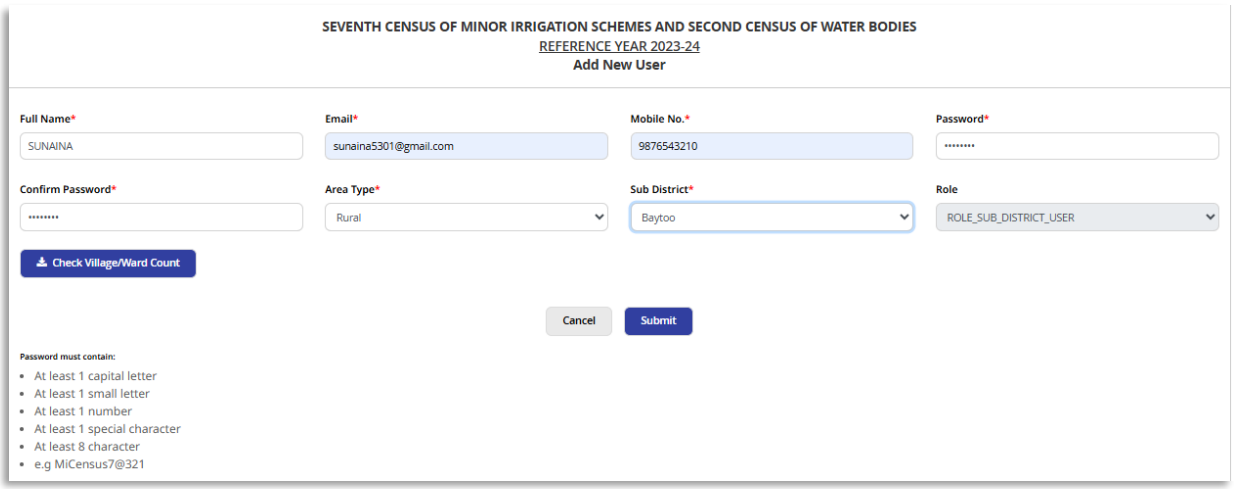


- डिस्ट्रिक्ट यूजर के पास सभी यूसर्ज (ब्लॉक/टाउन और प्रगणक यूजर्स) की सूची देखनेका एक्सेस है, लेकिन केवल उसी विशिष्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए जिससे लॉग-इन यूजर संबंधित है।
- डिस्ट्रिक्ट यूजर चयनित एरिया टाइप के आधार पर ब्लॉक/तहसील और शहर/नगर पालिका यूजर्स बना सकता है:
  - यदि एरिया टाइप ग्रामीण है, तो केवल ब्लॉक/तहसील यूजर ही बनाए जा सकतेहैं।
  - यदि एरिया टाइप शहरी है, तो केवल शहर/नगरपालिका यूजर ही बनाए जा सकतेहैं।

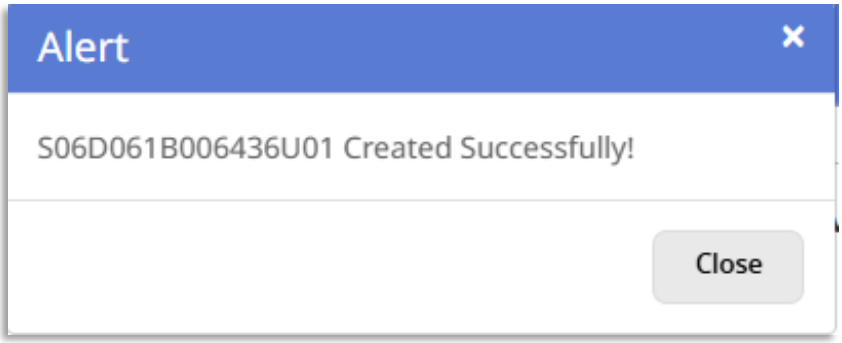
- नए यूजर शामिल करने के लिए, “क्रिएट यूजर” लिंक पर क्लिक करें।



- अनिवार्यफ़ील्ड भरें।



- सबमिटबटन पर क्लिक करें। सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।



- ब्लॉकयूजर को S06D061B006436U01यूज़र आईडीसे सफलतापूर्वक बनाया गया है। यूजर आईडीका विवरण निम्न प्रकार है:
  - **S** कातात्पर्य स्टेट से है।
  - **06**स्टेट कोड है।
  - **D 061**इससेदर्शाता है कि इससे डिस्ट्रिक्ट यूजर है और 013 डिस्ट्रिक्ट कोड है।
  - **B 006436**इससेइंगित करता है कि इससे एक ब्लॉक यूजर है।
  - **U 01**चालू संख्या है, जो इस ब्लॉक के लिए बनाए गए पहले ब्लॉक यूजर को इंगित करतीहै।

इससे यूजरकेवल ब्लॉक यूजर है।

ग्रामों और वार्डों की सूची देखने के लिए "चेक विलेज / वार्ड काउंट" लिंक प्रदान किया गया है।

Village and Ward count

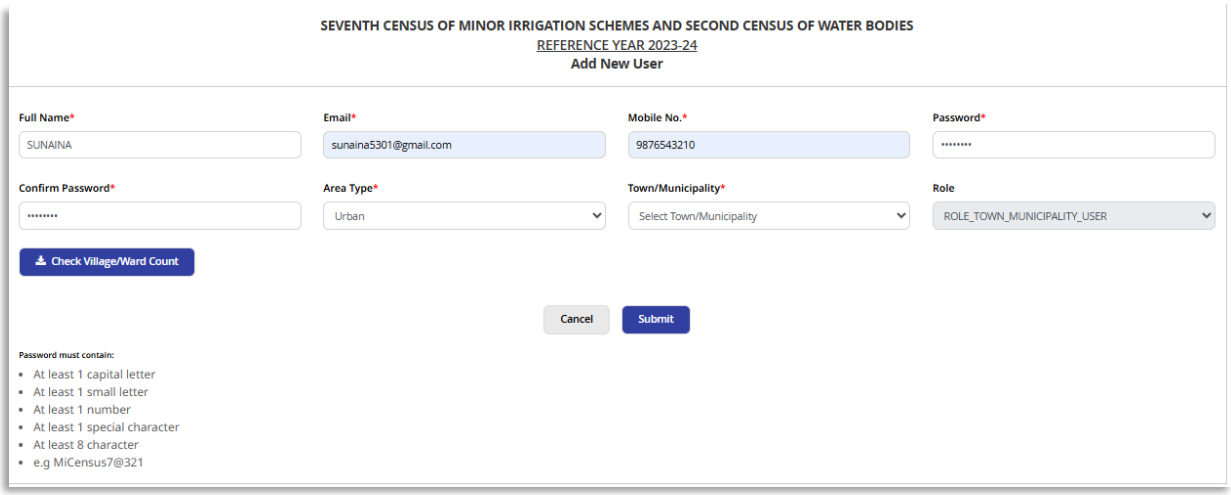
Rural		
S.No	Block Tehsil Name	Number of Villages
1	BALODABAJAR	150
2	SIMGA	128
3	BILAIGARH	223
4	PALARI	133
5	BHATAPARA	113
6	KASDOL	214

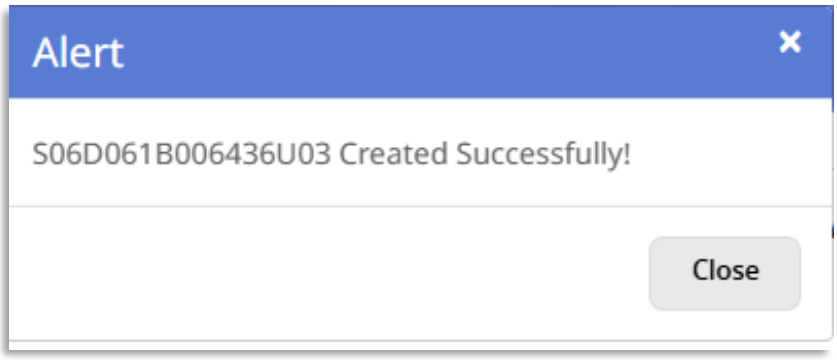
Urban		
S.No	Town Municipality Name	Number of wards
1	BALODABAJAR	21
2	LAWAN	15
3	PALARI	15
4	BHATAPARA	31
5	SIMGA	15
6	BILAIGARH	15
7	BHATGAON	15

निर्माण किए जा सकने वाले ब्लॉक/टाउन यूसर्ज की संख्या निम्न गणनापर आधारित है:

- अधिकतम 50 ग्राम/वार्डों के लिए केवल एक यूजर बनाया जा सकता है।
- 50 से अधिक तथा 100 ग्राम/वार्डों तक के लिए अधिकतम दो यूजर बनाए जा सकतेहैं।
- इससेपैटर्न तदनुसार जारी रहेगा ।

➢ टाउनयूजर बनाने के लिए, अर्बन के रूप में एरिया टाइप का चयनकरें।





➢ टाउनयूजर को S06D0613B006436U03यूजर आईडीसे सफलतापूर्वक बनाया गया है। यूजर आईडीका विवरण निम्न प्रकार है:

- **S** कातात्पर्य स्टेट से है।
- **26**स्टेट कोड है।

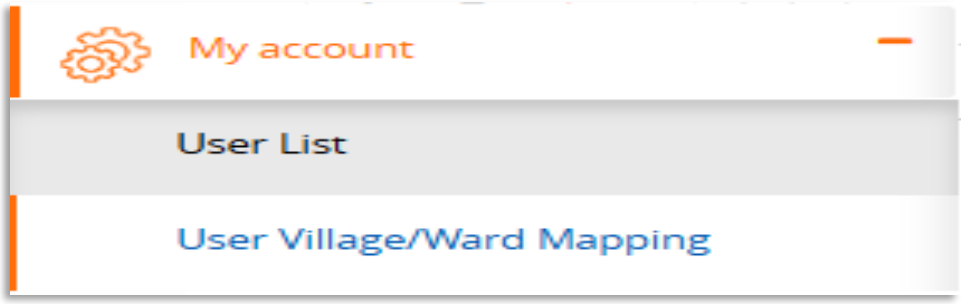
- **D 013**इससेदर्शाता है कि इससे डिस्ट्रिक्ट यूजर है और 013 डिस्ट्रिक्ट कोड है।
- **T 000003**इससेदर्शाता है कि इससे एक टाउन यूजर है।
- **U 01**चालू संख्या है, जो इस टाउन के लिए बनाए गए पहले टाउन यूजर को इंगित करतीहै।

इससे यूजर केवल टाउन यूजर है।

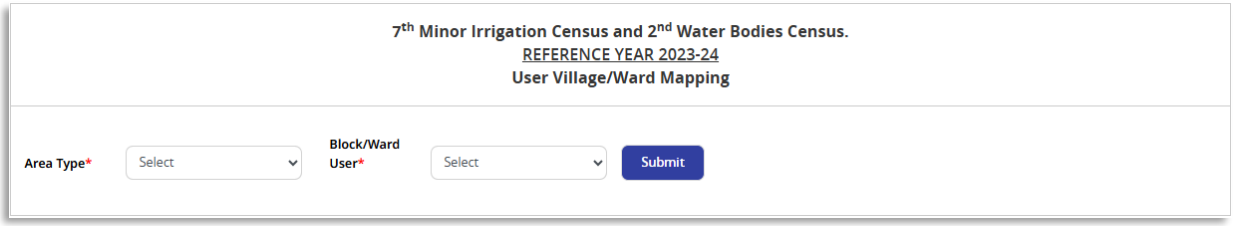
➢ अबयूजर निर्माण फॉर्म के दौरान एंटर किए गए क्रेडेंशियल्स से ब्लॉक यूजर से लॉगिन करें।

यूजर विलेज/वार्ड मैपिंग

➢ "माइ एकाउंट" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "यूजर लिस्ट " और "यूजर विलेज मैपिंग" डिस्प्ले हो जाएगा।



➢ “यूजर विलेज/वार्ड मैपिंग” को सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।



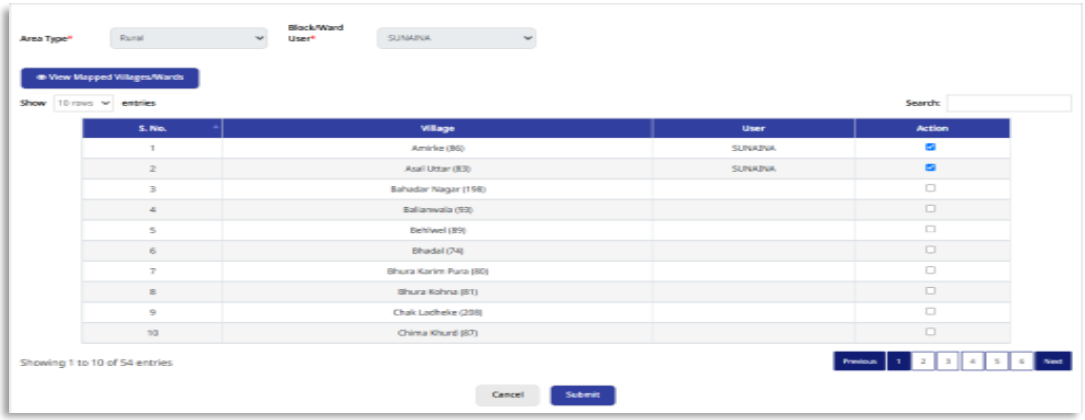
➢ टाइप को सिलेक्ट करें।

➢ ब्लॉक/वार्डयूजर का चयन करें।

- सबमिटबटन पर क्लिक करें, और ग्रामों की सूची दिखाई देगी।



- उन ग्रामों के बगल के उन बॉक्सों को चेक करें जिन्हें आप चयनित ब्लॉक यूजर के लिएमैप करना चाहते हैं।
- ग्रामों का चयन करने के बाद, मैपिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- मौजूदामैपिंग को एडिट करने के लिए, यूजर को फिर से सिलेक्ट करें।
- वर्तमान ग्राम का मैपिंग डिस्प्ले करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।



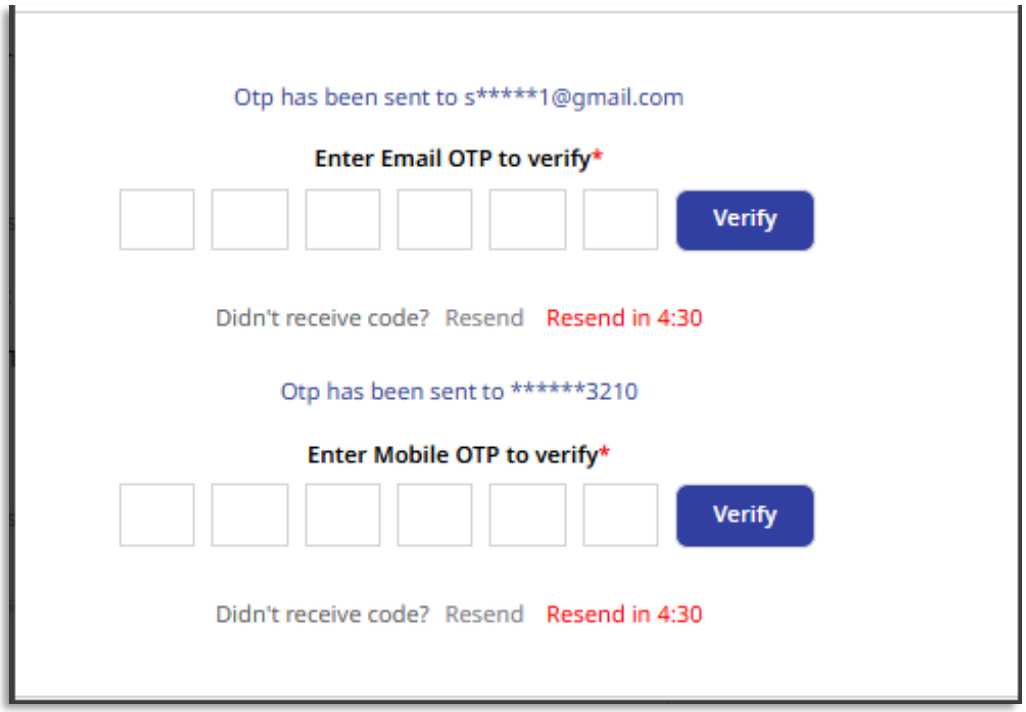
- मैपिंगको परिवर्तित करने के लिए आप निम्न कार्य कर सकते हैं:

- उन ग्रामों के बॉक्स से जिन्हें आप मानचित्र से हटाना चाहते हैं**सही का चिह्न हटाएँ**।
- उन ग्रामों के नए बॉक्स में जिन्हें आप मैपिंग में जोड़ना चाहते हैं, को चेक करें।

➢ परिवर्तन किए जाने के बाद, मैपिंग को अपडेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

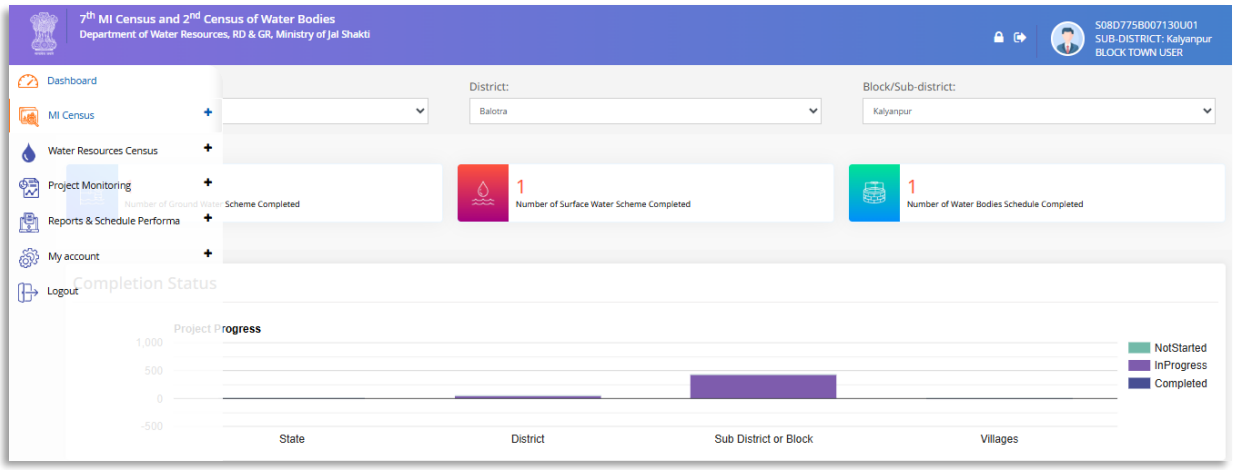
5.1.5 ब्लॉक यूजर लॉगिन करें।

➢ पहले बनाए गए ब्लॉक यूजर के क्रेडेंशियल का उपयोग करके**लॉग इन करें।** ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी।



➢ ओटीपी सत्यापित करने के लिए वेरिफाई करें पर क्लिक करें

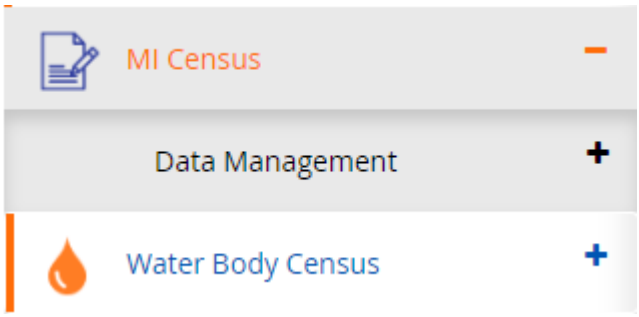
➢ डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा।



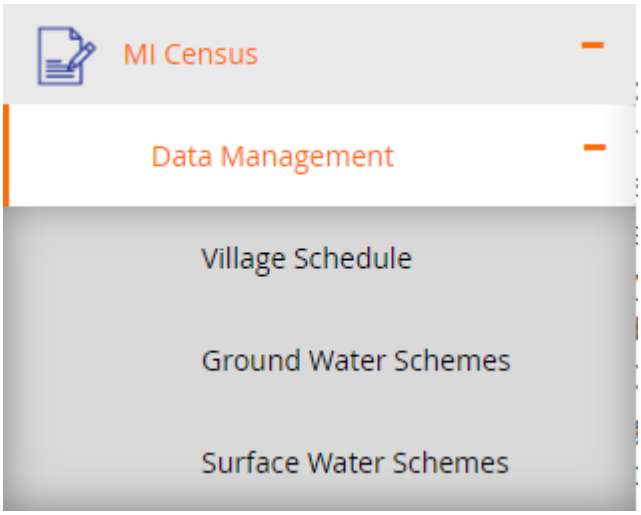
- ब्लॉक यूजर के पास निम्नलिखित श्रेणियों के लिए डेटा को एडिट करने का एक्सेस होता है, लेकिन केवल उसी ब्लॉक के लिए जिससे लॉग-इन यूजर संबंधित होताहै:
  - **ग्राम की अनुसूची**
  - **भौम जल योजनाएँ**
  - **सतही जल योजनाएँ**
  - **जल निकाय**

ग्राम अनुसूची

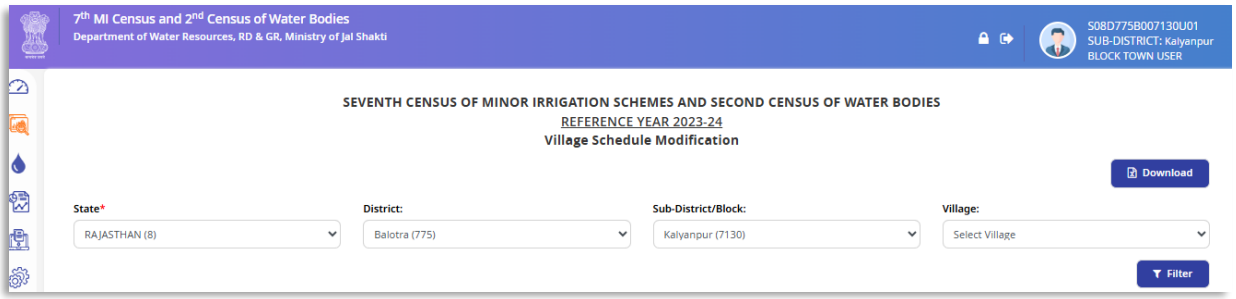
- "एमआई गणना " मेन्यू के आगे प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "डेटा मैनेजमेंट" डिस्प्ले हो जाएगा।



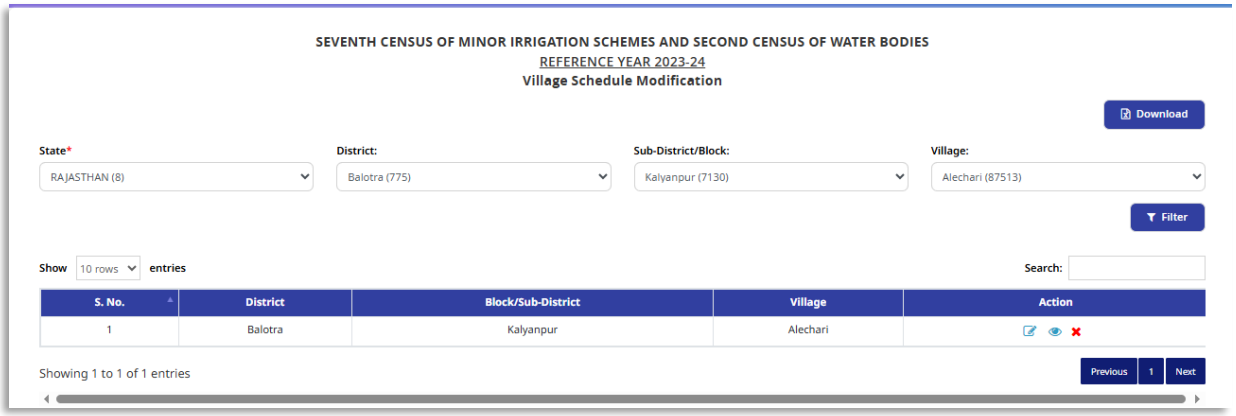
- "डेटामैनेजमेंट" के आगे प्लस आइकन पर क्लिक करें।



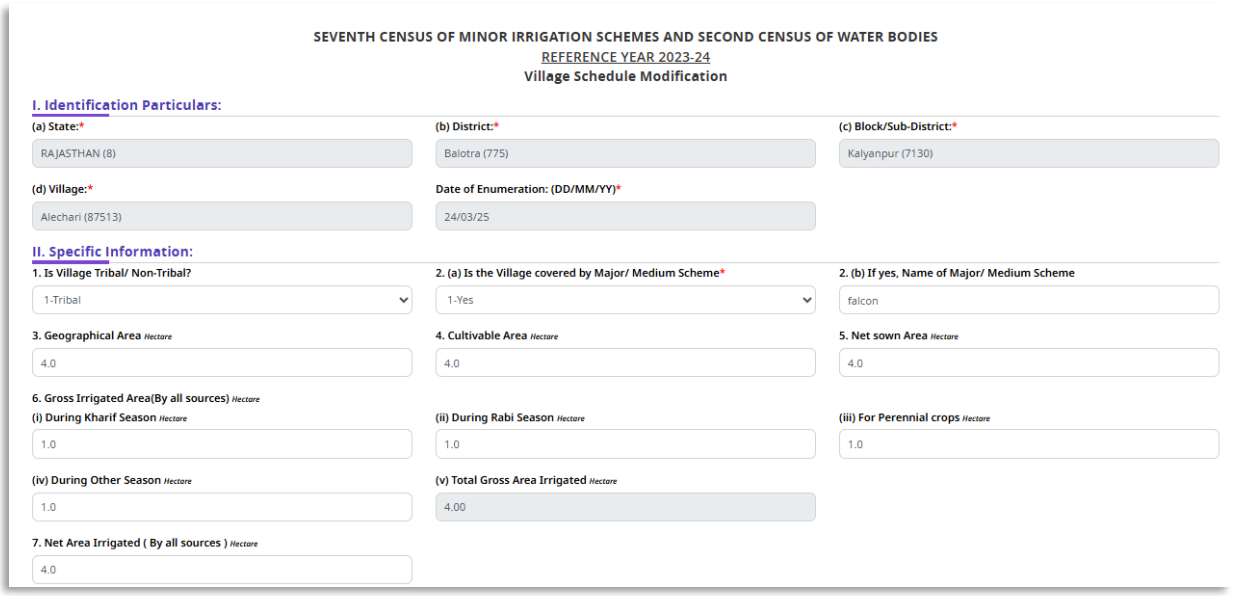
- विकल्पोंमें से “विलेज शेडयूल” सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।



- ग्राम को सिलेक्ट करें।
- फ़िल्टरबटन पर क्लिक करें।



- जिसरिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं उसके आगे स्थित एडिट आइकन पर क्लिक करें।
- ग्रामअनुसूची प्रपत्र एडिट होने योग्य मोड में खुलेगा।



SEVENTH CENSUS OF MINOR IRRIGATION SCHEMES AND SECOND CENSUS OF WATER BODIES

REFERENCE YEAR 2023-24

Village Schedule Modification

I. Identification Particulars:

(a) State:*	(b) District:*	(c) Block/Sub-District:*
RAJASTHAN (8)	Balotra (775)	Kalyanpur (7130)
(d) Village:*	**Date of Enumeration: (DD/MM/YY)***	
Alechari (87513)	24/03/25	

II. Specific Information:

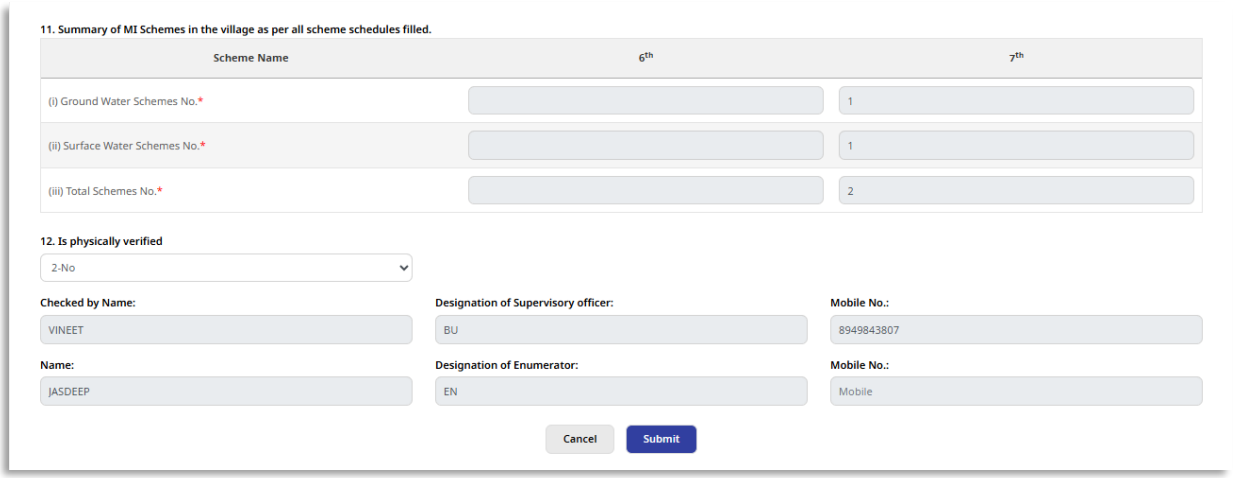
1. Is Village Tribal/ Non-Tribal?	2. (a) Is the Village covered by Major/ Medium Scheme*	2. (b) If yes, Name of Major/ Medium Scheme
1-Tribal	1-Yes	falcon
3. Geographical Area *Hectare*	**4. Cultivable Area** *Hectare*	**5. Net sown Area** *Hectare*
4.0	4.0	4.0

6. Gross Irrigated Area(By all sources) *Hectare*

(i) During Kharif Season *Hectare*	(ii) During Rabi Season *Hectare*	(iii) For Perennial crops *Hectare*
1.0	1.0	1.0
(iv) During Other Season *Hectare*	**(v) Total Gross Area Irrigated** *Hectare*	
1.0	4.00	

7. Net Area Irrigated (By all sources) *Hectare*

4.0



11. Summary of MI Schemes in the village as per all scheme schedules filled.

Scheme Name	6th	7th
(i) Ground Water Schemes No.*		1
(ii) Surface Water Schemes No.*		1
(iii) Total Schemes No.*		2

12. Is physically verified

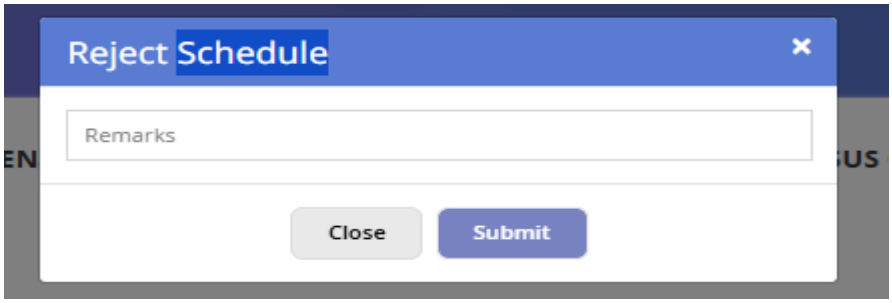
2-No

Checked by Name:	Designation of Supervisory officer:	Mobile No.:
VINEET	BU	8949843807
Name:	**Designation of Enumerator:**	**Mobile No.:**
JASDEEP	EN	Mobile

Cancel Submit

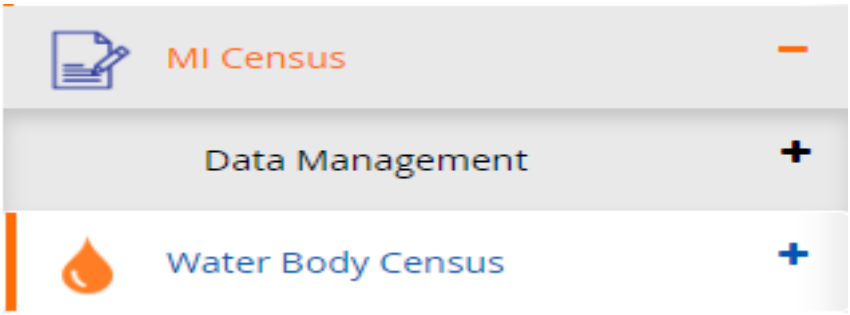
- आवश्यकडेटा अपडेट करें।
- परिवर्तनों को सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

नोट:- ब्लॉक यूजर एक्शन कॉलम के नीचे लाल क्रॉस आइकन पर क्लिक करके शेड्यूल को भी अस्वीकार कर सकताहै

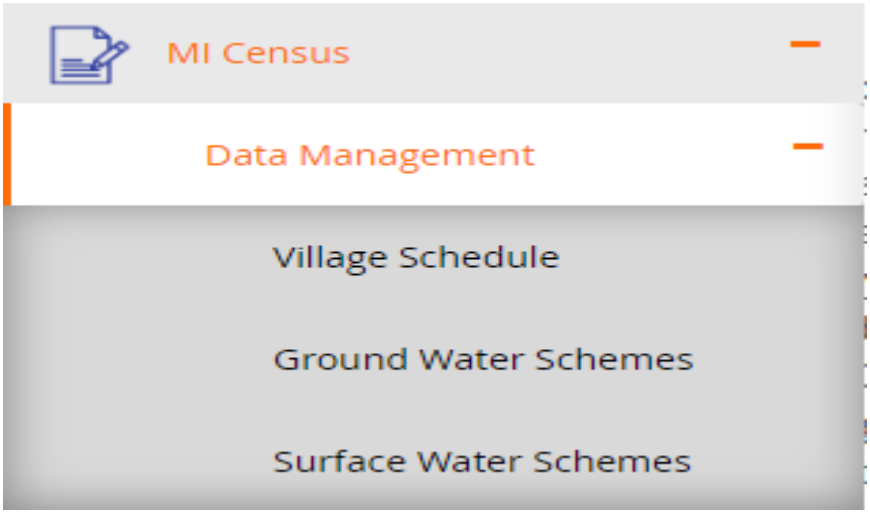


भौम जल योजनाएँ

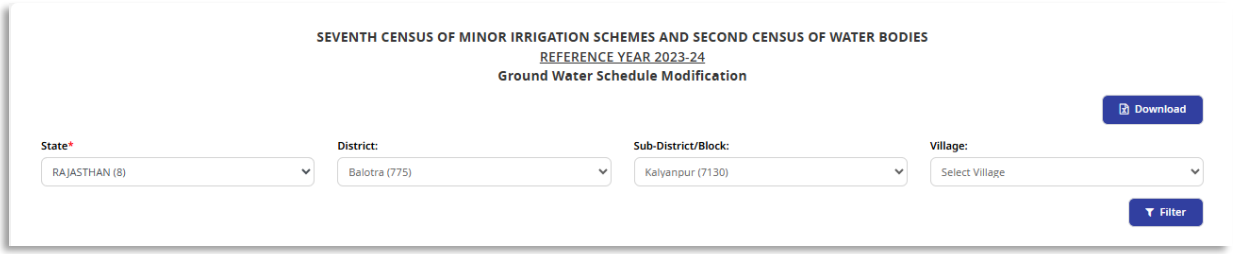
- "एम आई गणना " मेन्यू के आगे प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "डेटा मैनेजमेंट" डिस्प्ले हो जाएगा।



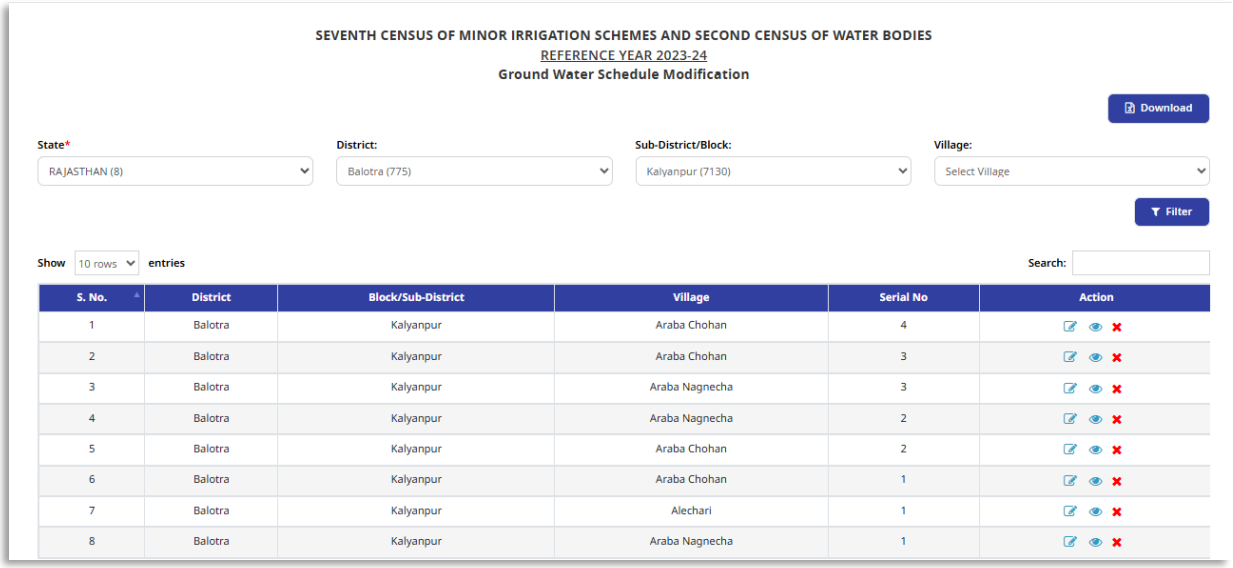
- "डेटामैनेजमेंट" के आगे के प्लस आइकन पर क्लिक करें



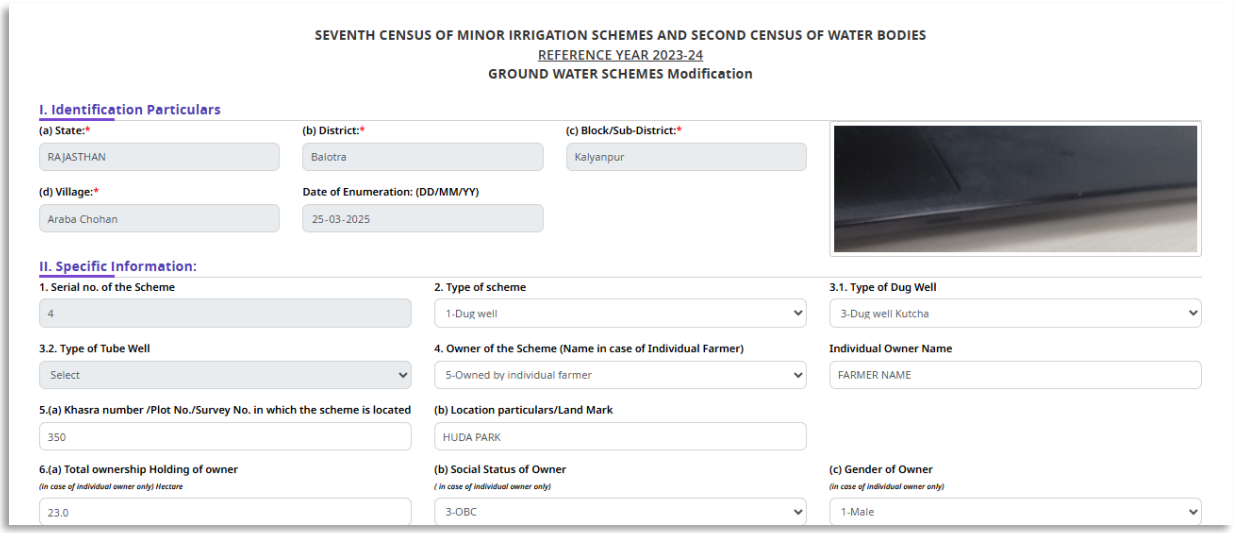
- विकल्पोंमें से "भौम जल योजनाएँ" सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी



- फ़िल्टरबटन पर क्लिक करें। चयनित फ़िल्टर के अनुसार रिकॉर्ड डिस्प्ले हो किए जाएँगे



- डिस्प्ले हो रहे रिकॉर्ड वे हैं जो मोबाइल एप्लिकेशन से सिंक्रोनाइज़ किए गए हैं, और यूजर इन रिकॉर्डोंको एडिट कर सकता है।
- जिसरिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं उसके आगे के एडिट आइकन पर क्लिक करें।
- भौम जल योजना प्रपत्र एडिट करने योग्य मोड में खुलेगा।

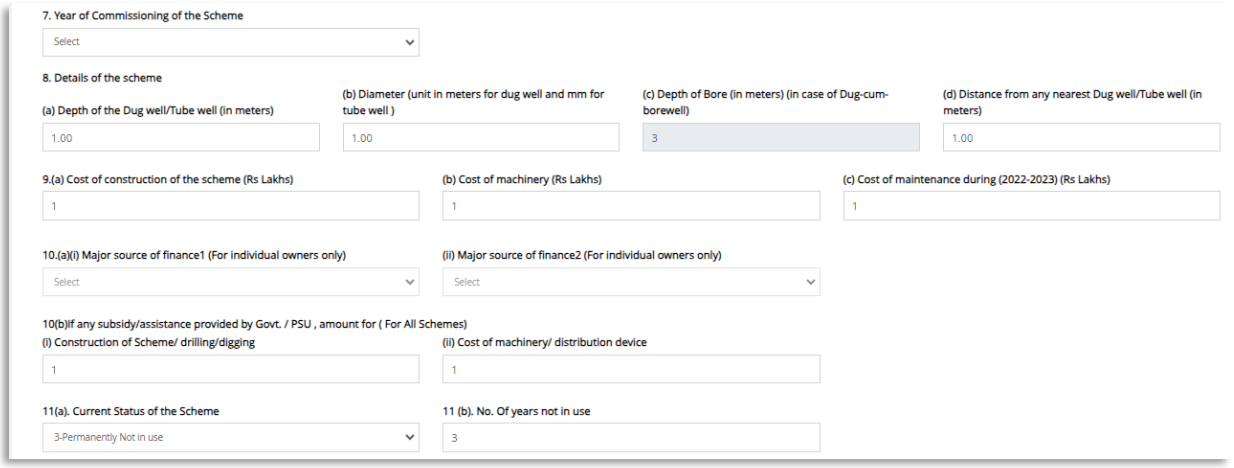

SEVENTH CENSUS OF MINOR IRRIGATION SCHEMES AND SECOND CENSUS OF WATER BODIES
REFERENCE YEAR 2023-24
GROUND WATER SCHEMES Modification

I. Identification Particulars

(a) State:* RAJASTHAN
(b) District:* Balotra
(c) Block/Sub-District:* Kalyanpur
(d) Village:* Araba Chohan
Date of Enumeration: (DD/MM/YY) 25-03-2025

II. Specific Information:

1. Serial no. of the Scheme: 4
2. Type of scheme: 1-Dug well
3.1. Type of Dug Well: 3-Dug well Kutcha
3.2. Type of Tube Well: Select
4. Owner of the Scheme (Name in case of Individual Farmer): 5-Owned by individual farmer
Individual Owner Name: FARMER NAME
5.(a) Khasra number /Plot No./Survey No. in which the scheme is located: 350
(b) Location particulars/Land Mark: HUDA PARK
6.(a) Total ownership Holding of owner (in case of individual owner only) Hectare: 23.0
(b) Social Status of Owner (in case of individual owner only): 3-OBC
(c) Gender of Owner (in case of individual owner only): 1-Male


7. Year of Commissioning of the Scheme: Select

8. Details of the scheme

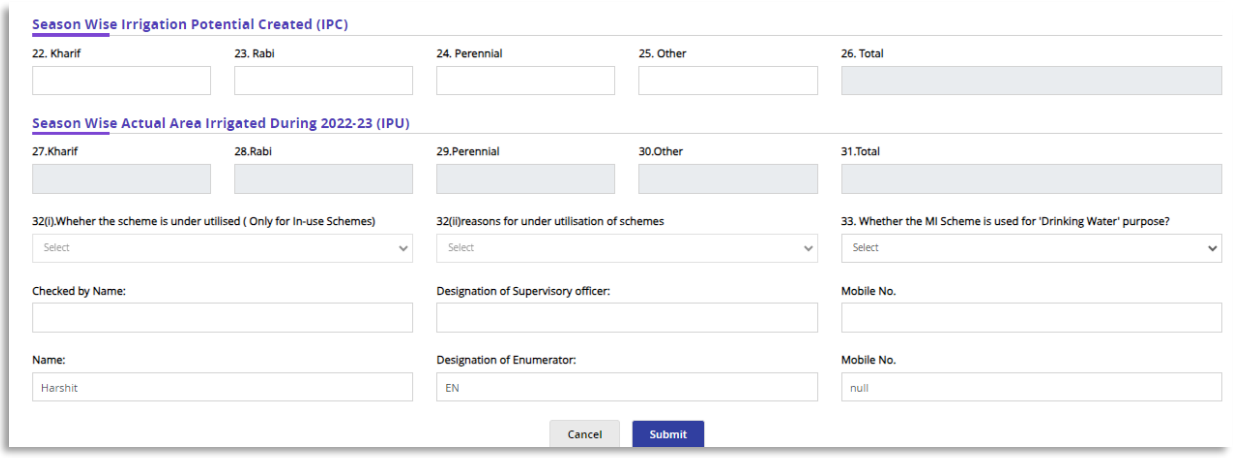
(a) Depth of the Dug well/Tube well (in meters): 1.00
(b) Diameter (unit in meters for dug well and mm for tube well): 1.00
(c) Depth of Bore (in meters) (in case of Dug-cum-borewell): 3
(d) Distance from any nearest Dug well/Tube well (in meters): 1.00

9.(a) Cost of construction of the scheme (Rs Lakhs): 1
(b) Cost of machinery (Rs Lakhs): 1
(c) Cost of maintenance during (2022-2023) (Rs Lakhs): 1

10.(a)(i) Major source of finance1 (For individual owners only): Select
(ii) Major source of finance2 (For individual owners only): Select

10(b)If any subsidy/assistance provided by Govt. / PSU , amount for (For All Schemes)
(i) Construction of Scheme/ drilling/digging: 1
(ii) Cost of machinery/ distribution device: 1

11(a). Current Status of the Scheme: 3-Permanently Not in use
11 (b). No. Of years not in use: 3


Season Wise Irrigation Potential Created (IPC)

22. Kharif
23. Rabi
24. Perennial
25. Other
26. Total

Season Wise Actual Area Irrigated During 2022-23 (IPU)

27.Kharif
28.Rabi
29.Perennial
30.Other
31.Total

32(i).Wheher the scheme is under utilised (Only for In-use Schemes): Select
32(ii)reasons for under utilisation of schemes: Select
33. Whether the MI Scheme is used for 'Drinking Water' purpose?: Select

Checked by Name:
Designation of Supervisory officer:
Mobile No.

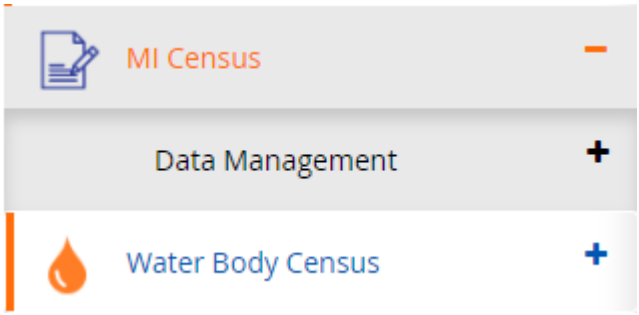
Name: Harshit
Designation of Enumerator: EN
Mobile No.: null

Cancel | Submit

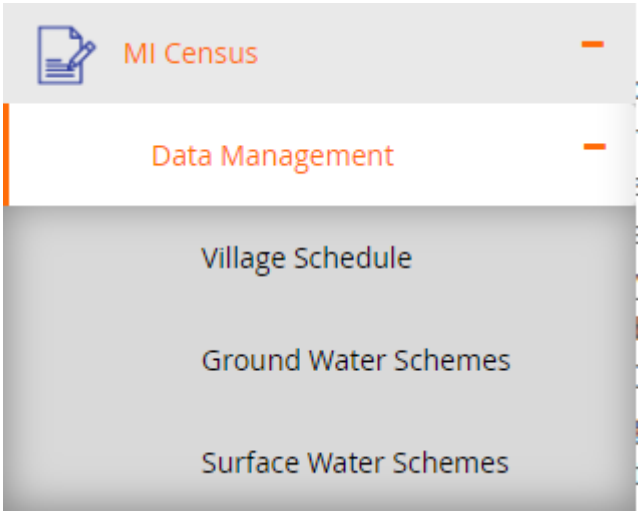
- आवश्यकडेटा अपडेट करें
- परिवर्तनोंको सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

सतही जल योजनाएँ

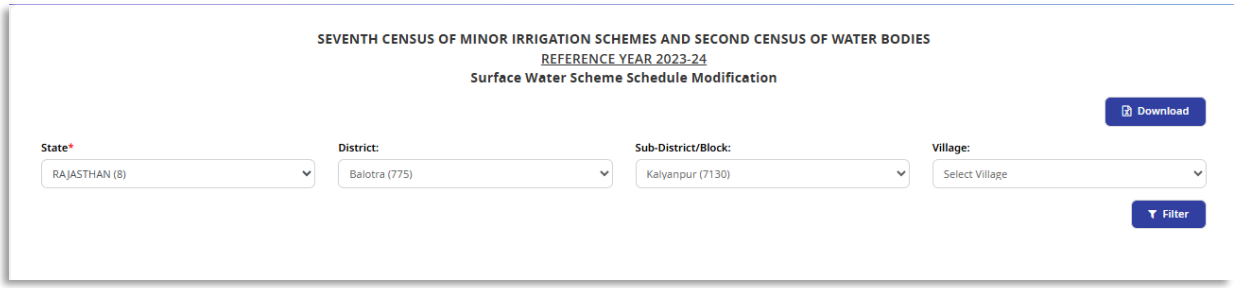
- "एम आई गणना " मेन्यू के आगे के प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "डेटा मैनेजमेंट" डिस्प्ले हो जाएगा।



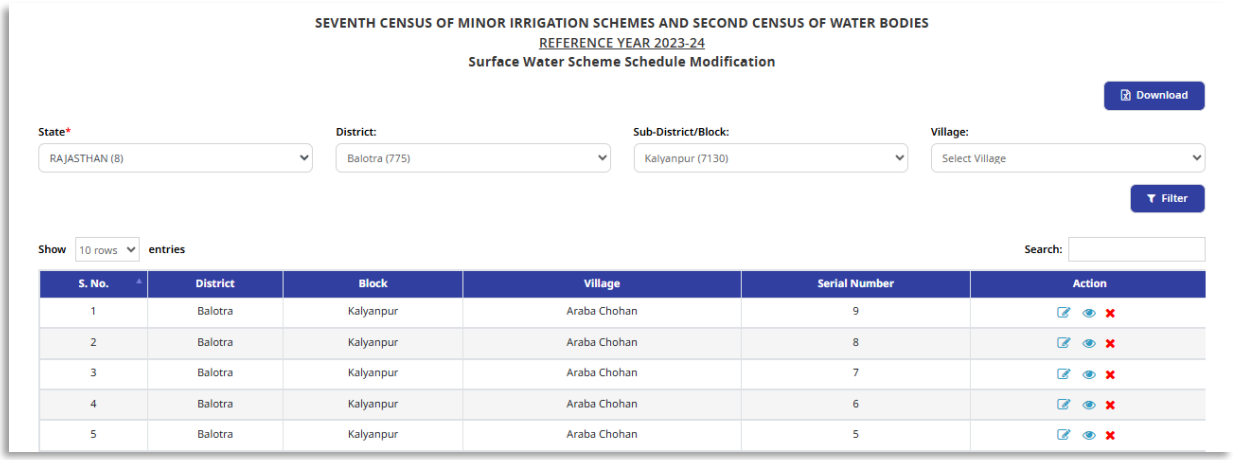
- "डेटामैनेजमेंट" के आगे के प्लस आइकन पर क्लिक करें।



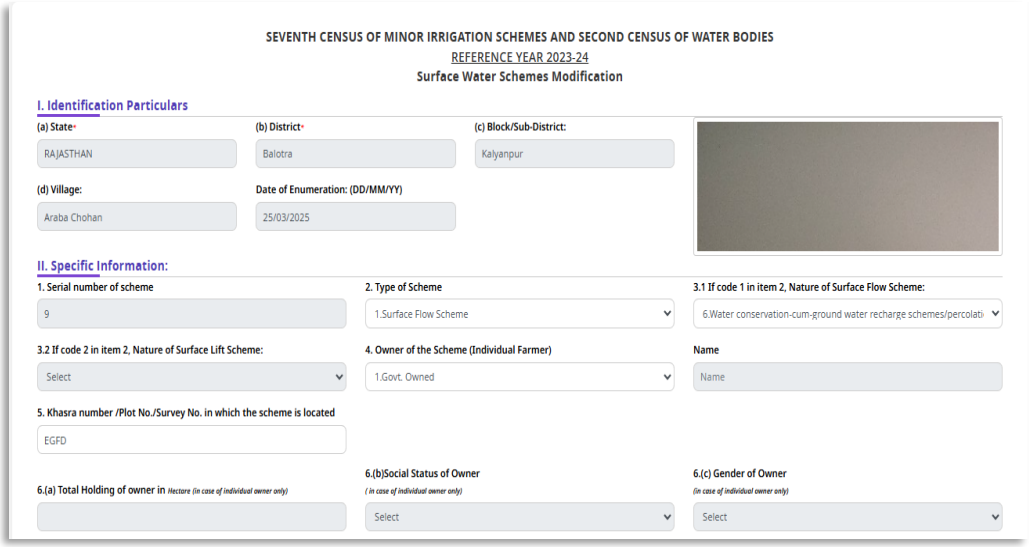
- विकल्पोंमें से "सतही जल योजनाएँ" सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।

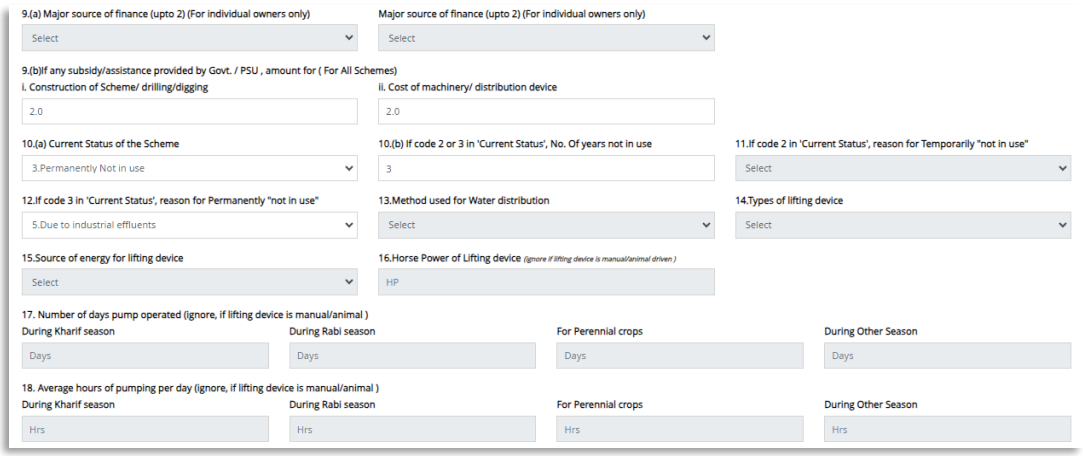


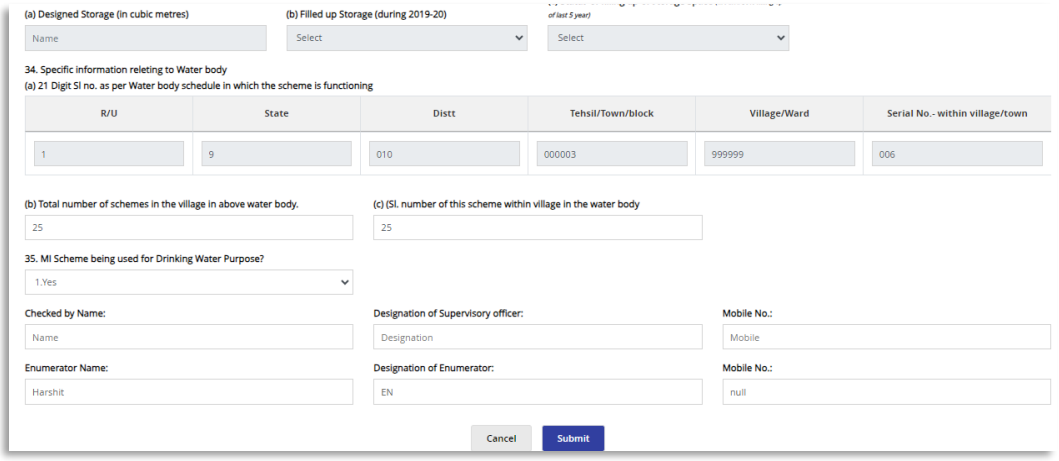
- फ़िल्टरबटन पर क्लिक करें। रिकॉर्ड फ़िल्टर के अनुसार डिस्प्ले हो जाएगा।



- डिस्प्ले हो रहे रिकॉर्ड वे हैं जो मोबाइल एप्लिकेशन से सिंक्रोनाइज़ किए गए हैं, और यूजर इन रिकॉर्डोंको एडिट कर सकता है।
- जिसरिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं उसके आगे के एडिट आइकन पर क्लिक करें।
- सतहीजल योजना प्रपत्र एडिट करने योग्य मोड में खुलेगा।



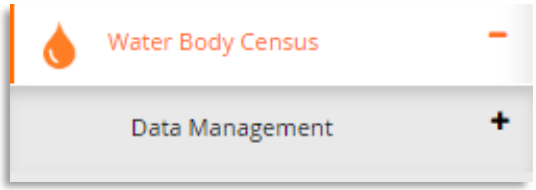




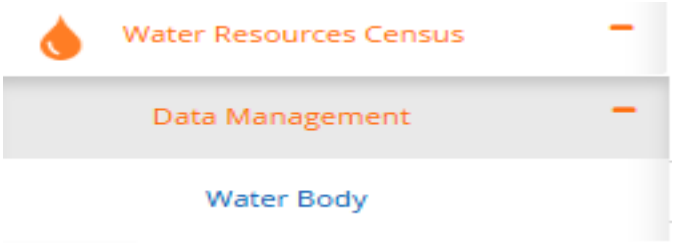
- आवश्यकडेटा अपडेट करें।
- परिवर्तनों को सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

जल निकाय

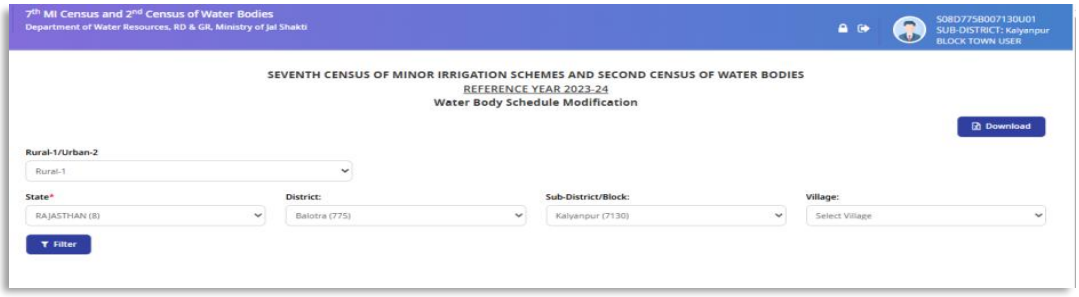
- "जल निकाय गणना" मेन्यू के आगे के प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "डेटा मैनेजमेंट" डिस्प्ले हो जाएगा।



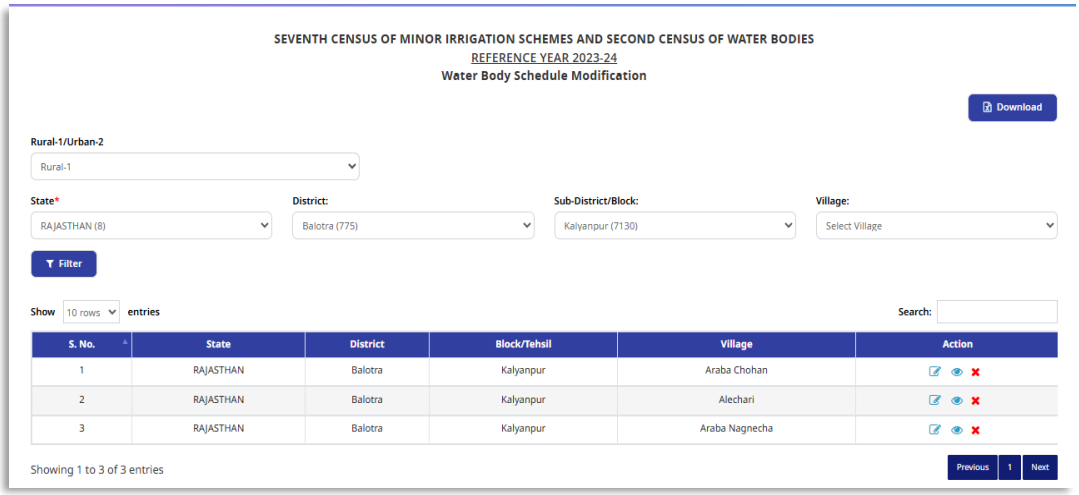
- "डेटामैनेजमेंट" के आगे के प्लस आइकन पर क्लिक करें।



- विकल्पोंमें से “वॉटर बॉडी” सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।



- फ़िल्टरबटन पर क्लिक करें। रिकॉर्ड फ़िल्टर के अनुसार डिस्प्ले हो जाएगा।



- डिस्प्ले हो रहे रिकॉर्ड वे हैं जो मोबाइल एप्लिकेशन से सिंक्रोनाइज़ किए गए हैं, और यूजर इन रिकॉर्डोंको संपादित कर सकता है।
- जिसरिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं उसके आगे के एडिट आइकन पर क्लिक करें।
- जलनिकायअनुसूची प्रपत्र एडिट करने योग्य मोड में खुलेगा।

CENSUS OF WATER BODIES

WATER BODY SCHEDULE Code: 05

REFERENCE YEAR: 2023-24(AGRICULTURAL YEAR)

Rural-1/Urban-2

Rural-1

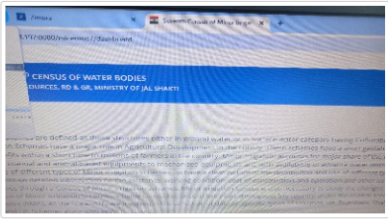
I. Identification Particulars (Standard Codes to be used)

(a) State*

UTTAR PRADESH

(b) District*

BIJNOR



For Rural:

(c) Block/Tehsil:

NAJIBABAD

(d) Village:

AKBARPUR AONLA

Sl.number of water body within village/Town

1

Date of Enumeration (DD/MM/YY)

15-10-2024

Unique Identification key for Water body (If urban give code for town and ward)

R/U	State	Distt.	Tehsil/Town/block	Village/Ward	Serial No.- within village/town
1	26	003	000001	000302	1

II. Specific Information:

1.1 (a) Name of Water body (if any)/ with specific permanent land marks

ugjg

1.1(b) Name of Basin & Sub-basin in which water body is situated:

Basin code: Drainage Area of Andaman a

Sub basin code: Drainage Area of Andaman a

1.2 (a) . Type of Water Body:

1-Ponds

1.2(b) If code is "Others" in item 1.2(a) the nature of storage:

1.3. Khasra number/plot no/survey no in which the water body is located

krt

2. Latitude (In degree, minutes, seconds)

28/36/7

3. Longitude (In degree, minutes, seconds)

77/22/53

4. Whether located in

1-DPAP

5. Ownership:

2-Co-operative

6(2) If in use

× Ground water recharge

6(1) Whether Water body is in use

Yes

6(3) If water body is "In use" for Irrigation i.e. code 1 in item 6(2) :

CCA of water body

IPC of water body

6(4) If not in use i.e. code 2 in item 6 (1) above, state the Reasons:

Select

7(1). Type of water body by nature :

1-Natural

7(2) If code 2 i.e Man Made in Item 7(1) Type

Select

8. Year of Construction and original cost (only for man made):

Year

Original Cost Rs.

9. Year of renovation / repair (for all water bodies)

Year: 2003

Cost of last repair: 6

10. Whether, Water body is under repair/renovation/restoration:

Yes

22 (1) Whether any area of Water Body is encroached:

Yes

22(2) If yes i.e. code 1 in item 22(1), can extent of encroachment be assessed :

Yes

22(3) If yes i.e. code 1 in item 22(2) : Approximate percentage of area encroached

2

23. whether water body is standalone or connected

Standalone

23(1) If Connected, Number of Connected Water Bodies

Name:

Designation of Supervisory officer:

Mobile No.:

Remarks:

Name:

Alok Kumar

Designation

EN

Mobile No.:

null

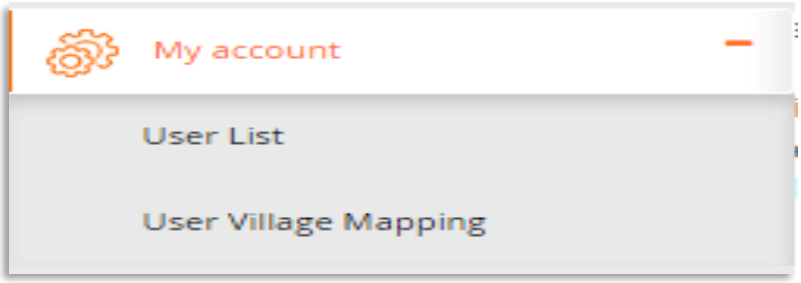
Remarks:

Cancel Submit

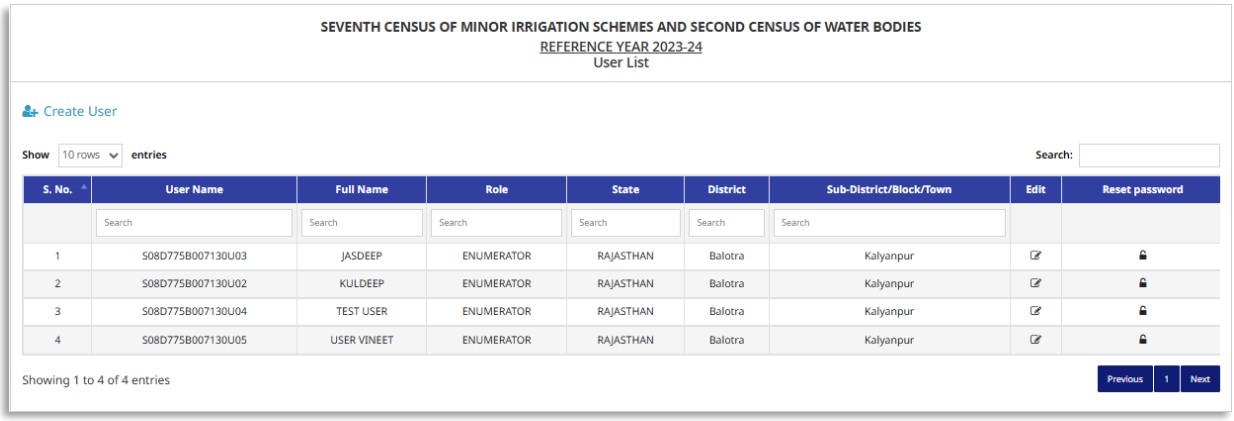
- आवश्यकडेटा अपडेट करें।
- परिवर्तनों को सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

मेरा खाता - यूजर लिस्ट।

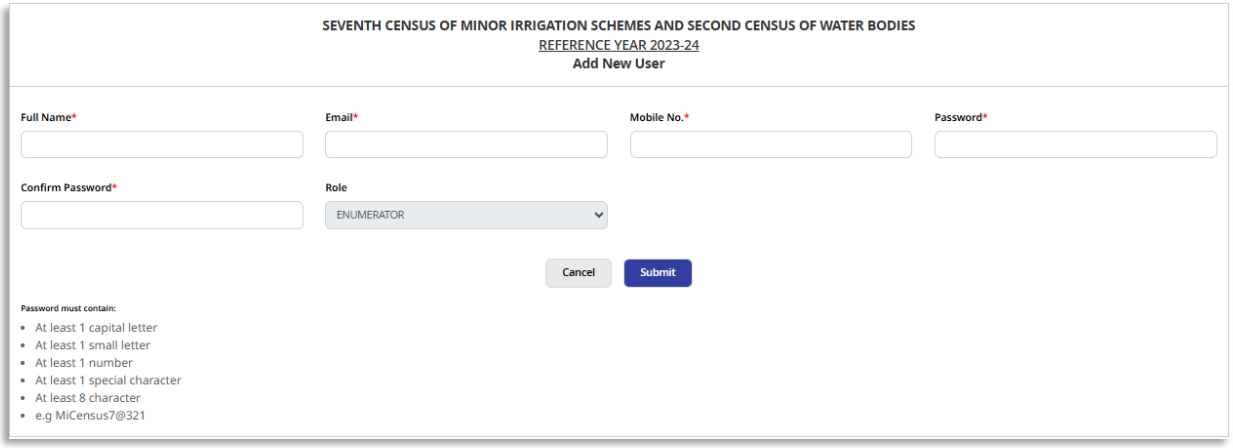
- "माइ एकाउंट" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "यूजर लिस्ट " और "यूजर ग्राम मैपिंग" डिस्प्ले हो जाएगा।



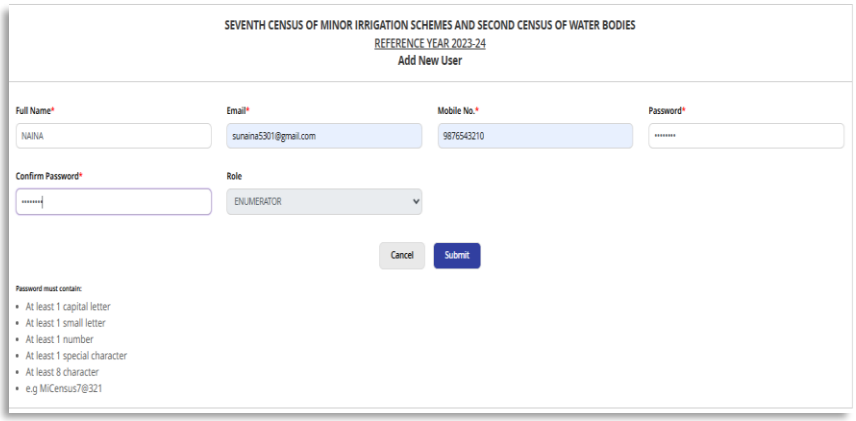
- "यूजर लिस्ट" सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।



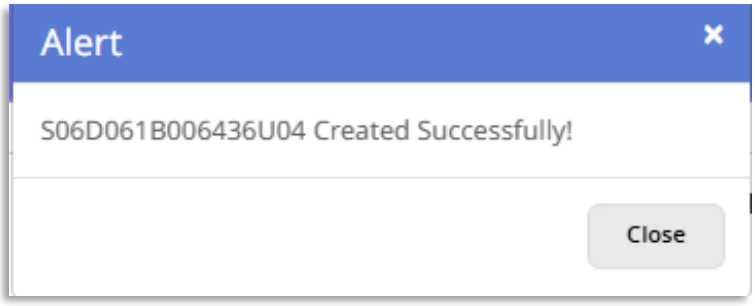
- ब्लॉकयूजर के पास सभी यूजर्स (गणनाकर्त्ताओं) की सूची को देखने का एक्सेस है, लेकिन केवल उसी विशिष्ट ब्लॉक के लिए जिससे लॉग-इन यूजर संबंधित है।
  - ब्लॉकयूजर एन्यूमेरेटर यूजर(गणनाकर्ता यूजर्स) बना सकता है।
- नये यूजर को शामिल करने के लिए, "क्रिएट यूजर्स बनाएँ" लिंक पर क्लिक करें।



➢ अनिवार्यफ़ील्ड भरें।



➢ सबमिटबटन पर क्लिक करें। सक्सेस मैंसेज डिस्प्ले हो जाएगा।

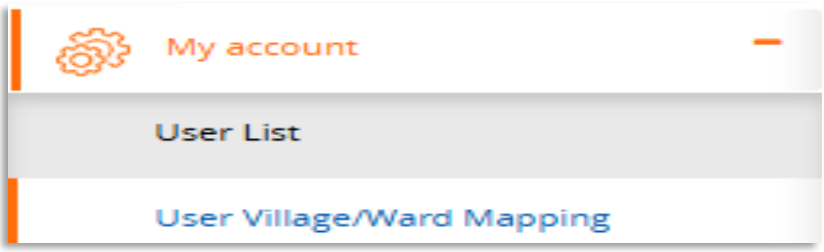


- यूजरकोS06D061B006436U04यूजरआईडी से सफलतापूर्वक बनाया गया है।

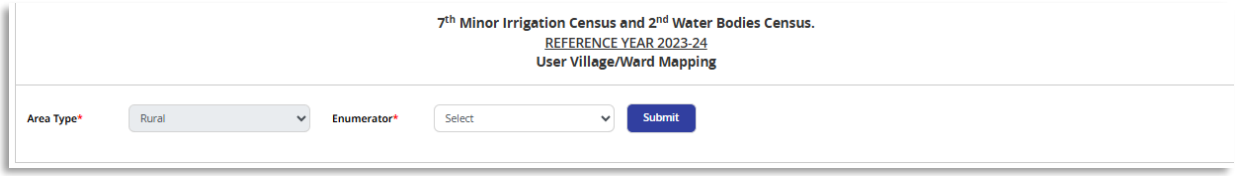
इससे यूजर एन्यूमेरेटर यूजर (गणनाकर्ता यूजर) है और केवल मोबाइलएप्लिकेशन के माध्यम से ही लॉगिन कर सकता है।

यूजर विलेज/वार्ड मैपिंग

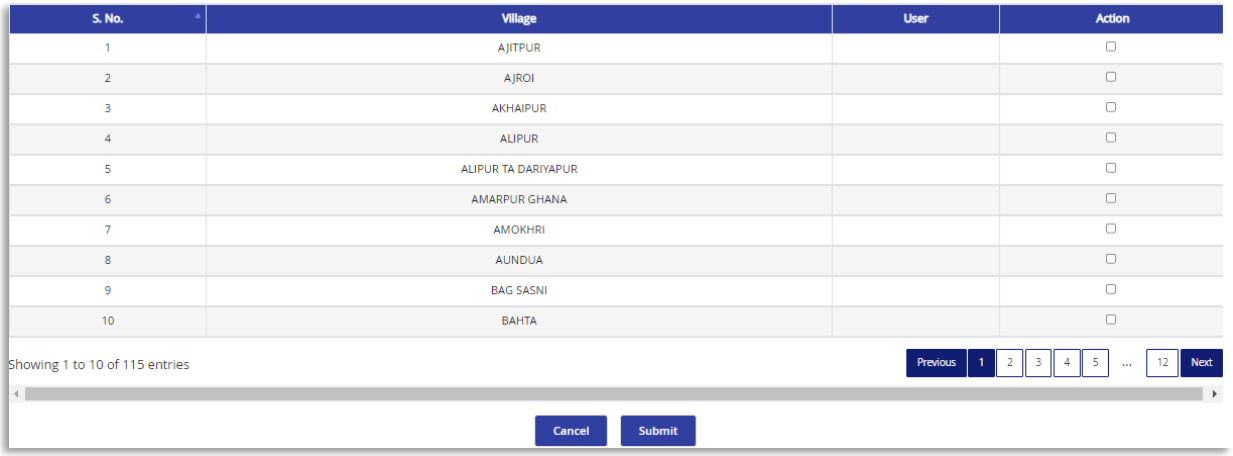
- "माइ एकाउंट" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "यूजर लिस्ट " और "यूजर विलेज मैपिंग" डिस्प्ले हो जाएगा।



- "यूजर विलेज/वार्ड मैपिंग" सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।

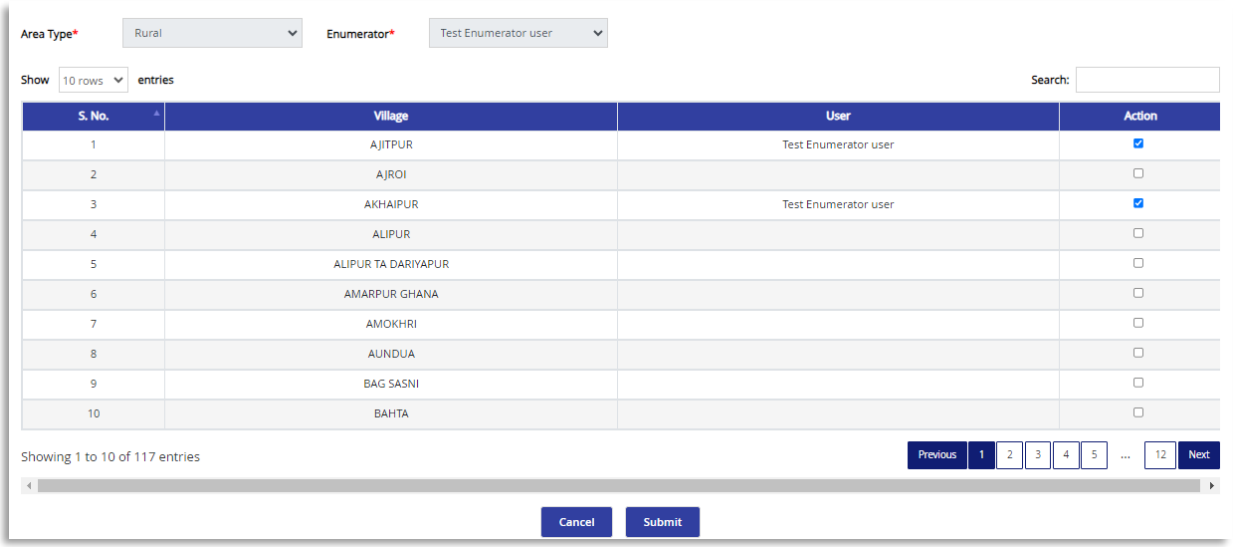


- एन्यूमेरेटर (गणनाकर्ता)का चयन करें।
- सबमिटबटन पर क्लिक करें, और ग्राम की सूची दिखाई देगी।



- ग्रामों के बगल के उन बक्सों पर चिह्न लगाएँ जिन्हें आप चयनित गणनाकर्ता से मैपकरना चाहते हैं।
- ग्रामों को सिलेक्ट करने के बाद, मैपिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

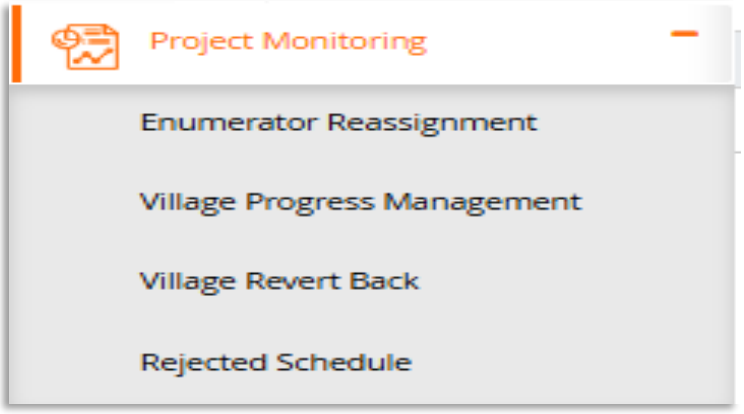
- मौजूदामैपिंग को एडिट करने के लिए,पुन: एन्यूमेरेटर को सिलेक्ट करें।
- वर्तमान ग्राम मैपिंग को डिस्प्ले करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।



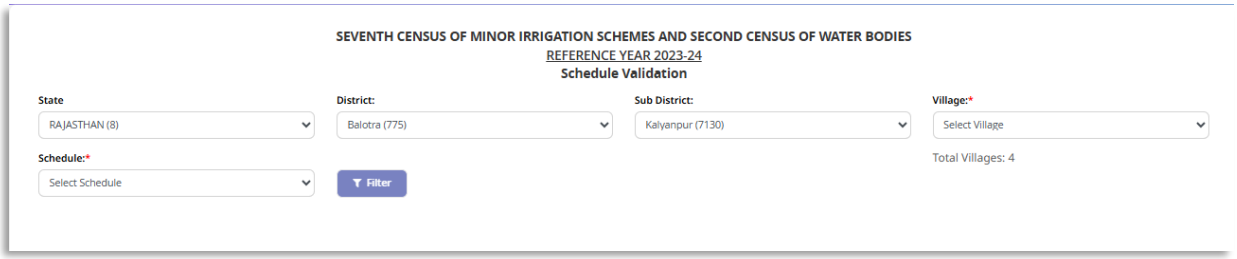
- मैपिंगको परिवर्तित करने के लिए आप निम्न कार्य कर सकते हैं:
  - उनग्रामों के बॉक्स, जिन्हें आप मानचित्र से हटाना चाहते हैं, को अनचेक करें।
  - उनग्रामों के बॉक्स, जिन्हें आप मैपिंग में शामिल करना चाहते हैं, को अनचेक करें।
- परिवर्तन करने के बाद, मैपिंग को अपडेट करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- जबप्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉग इन करेगा, तो केवल विलेज, भौम जल योजनाएं, सतही जलऔर जल निकायों के लिए मैप किए गए ग्राम ही डिस्प्ले होंगे।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग (शेड्यूलवैलिडेशन)

- "प्रोजेक्टमॉनिटरिंग" मेन्यू के बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे उप-मेन्यू "शेड्यूलवैलिडेशन" और "स्टेटस मैनेजमेंट" डिस्प्ले हो जाएगा।



- "एन्यूमेरेटररीअसाइनमेंट" सिलेक्ट करें। निम्न स्क्रीन दिखाई देगी।



इस मॉड्यूल में ब्लॉक यूजर्स को गणनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विलेज, भौम जल, सतही जल और जलनिकाय अनुसूचियों में किसी भी छूटे हुए वेलिडेशन की समीक्षा करने और उसे संबोधित किया जा सकता है। यदि कोई वेलिडेशन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो ब्लॉक यूजर्स उसमें सुधार करने के लिए तदरुपी ग्राम को गणनाकर्ता को वापस भेज सकते हैं।

शेड्यूल वैलिडेशन मॉड्यूल का उपयोग करनेके चरण

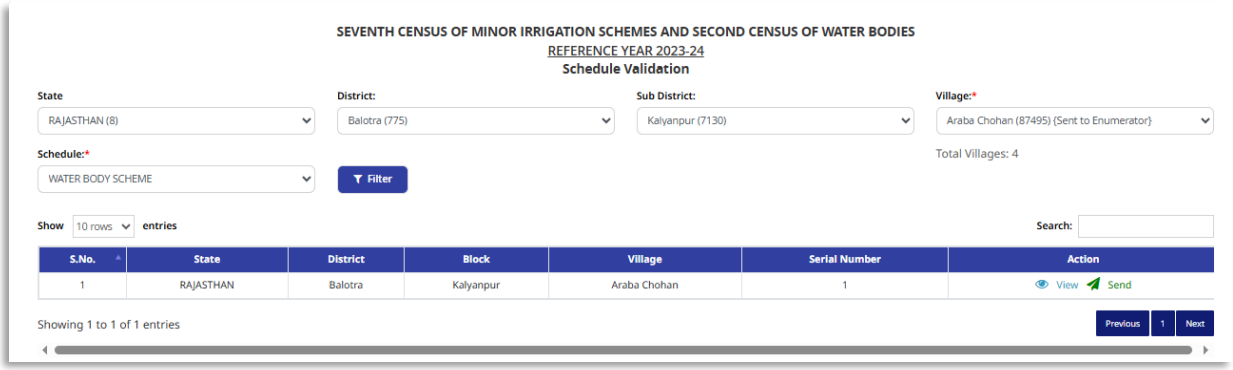
- राज्य, जिला और ब्लॉक/तहसील फ़ील्ड डिस्एबल कर दिए जाएंगे, तथा यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियलके आधार पर संगत जानकारी डिस्प्ले की जाएगी।
- विलेज लिस्ट ड्रॉपडाउन मेन्यू में प्रदर्शित होगी।
- प्रत्येक ग्राम के नाम के साथ उसकी **वर्तमान स्थिति**को परिलक्षित की जाएगी:

- **समापन**: इससे दर्शाता है कि ग्राम की अनुसूची गणनाकर्ता द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम सेप्रस्तुत कर दी गई है।
- **गणनाकर्ता को भेजा गया**: इससे इंगित करता है कि वेलिडेशन में चूक होने के कारण अनुसूची को सुधार करने के लिए गणनाकर्ता कोवापस कर दिया गया था।
- **अंतिम रूप दिया**: इससे दर्शाता है कि गणनाकर्ता द्वारा आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं तथा वेब लॉगिन के माध्यम सेअनुसूची को पुनः प्रस्तुत कर दिया गया है।

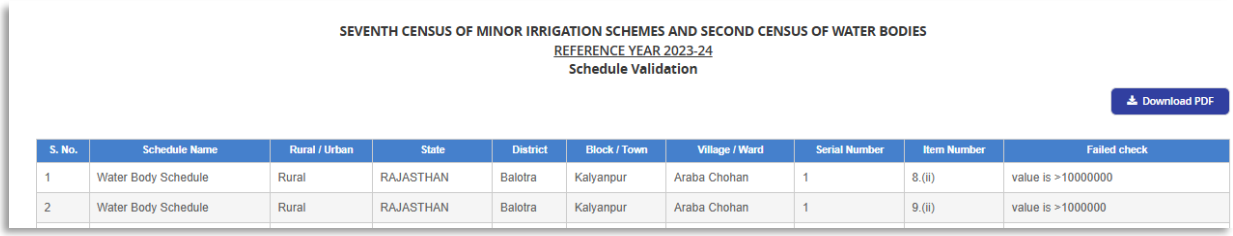
➢ ड्रॉपडाउनमेन्यू में से विलेज का सिलेक्ट करें।

➢ ड्रॉपडाउनमेन्यू में से शेड्यूल सिलेक्ट करें।

➢ फ़िल्टरपर क्लिक करें।



➢ चयनितशेड्यूल में छूटे हुए वेलिडेशन को डिस्प्ले करने के लिए "व्यू" पर क्लिककरें।



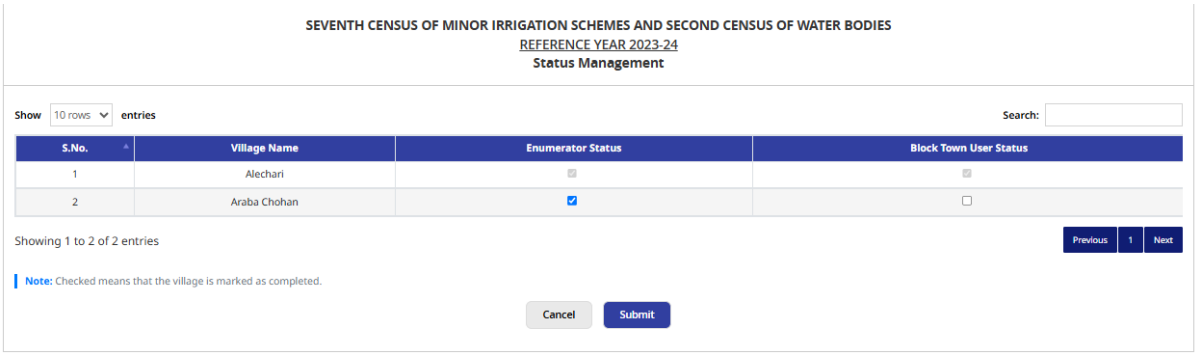
➢ यदि वेलिडेशन अनुपलब्ध हैं, तो अनुसूची को सुधार के लिए गणनाकर्ता को वापस करने के लिए "सेंड" पर क्लिक करें।

टिप्पणी:-प्रगणक सुधार कर सकते हैं और अपने वेब लॉगिन का उपयोग करके अनुसूचियों को पुनः प्रस्तुत कर सकतेहैं।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग विलेज प्रोग्रेस मैनेजमेंट

विलेज प्रोग्रेस मैनेजमेंट मॉड्यूल में ब्लॉक यूजर्स उन ग्राम को अंतिम रूप दे सकते हैं जिनकी स्थिति को शेड्यूल वैलिडेशन मॉड्यूल में कम्पलीट या फाइनलाइग्रक रूप से चिह्नित है। ब्लॉक यूजर द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद, ये ग्राम अब शेड्यूलवैलिडेशन मॉड्यूल में दिखाई नहीं देंगे।

- प्रोजेक्टमॉनिटरिंग के नीचे उप-मेन्यू में से "विलेज प्रोग्रेस मैनेजमेंट" का सिलेक्ट करें।
- संबंधितस्क्रीन पर उन ग्रामों की सूची डिस्प्ले होगी, शेडयूल वेलिडेशन मॉड्यूलमें कम्लीट या फाइनलाइज्ड रूप में चिह्नित है।

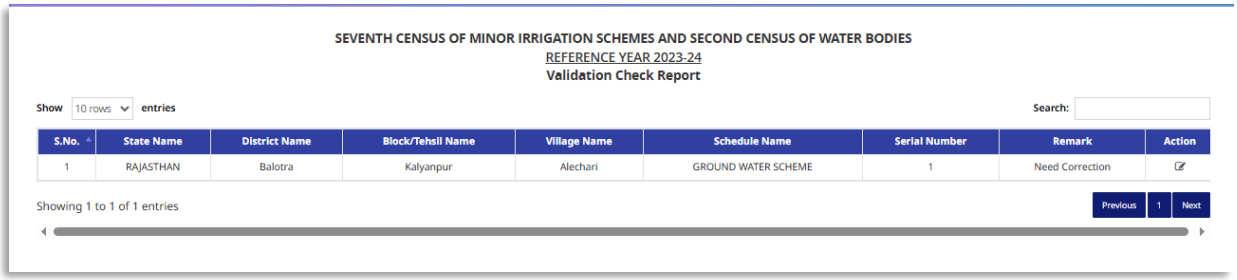


- सूचीमें प्रत्येक ग्राम के सामने एक चेकबॉक्स को दिया गया है।
- जिस गाँव के संबंध मेंआप निश्चित हैं, उसके सामने दिए गए चेकबॉक्स पर चिह्न लगाएँ।
- वांछित ग्रामों का सिलेक्ट करने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

- इससेक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि चयनित ग्रामों को ब्लॉक यूजर्स की ओर से फाइनलाइज्ड किया गया है।
- एकबार सबमिट हो जाने के बाद, अंतिम रूप से चयनित ग्राम शेडयूल वैलिडेशन मॉड्यूल में दिखाईनहीं देंगे।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग - विलेज रिवर्ट बैक

विलेज रिवर्ट बैक मॉड्यूल में ब्लॉक यूजर्स को राज्य और जिला प्राधिकारियों द्वारा वापस किए गए डेटा को एडिट कर सकते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यूजर्स टिप्पणी एंटर करेंगे और सुधार केलिए डेटा सबमिट करेंगे। डेटा को वापस कर दिए जाने के बाद, शेडयूल डेटा इस मॉड्यूल में डिस्प्ले हो जाएगा जिसे ब्लॉक यूजर्स के लिए समीक्षा कर सकेगें और तदनुसार उसे अपडेट करने के लिए कर सकेगें।


SEVENTH CENSUS OF MINOR IRRIGATION SCHEMES AND SECOND CENSUS OF WATER BODIES
REFERENCE YEAR 2023-24
Validation Check Report

Show 10 rows entries Search:

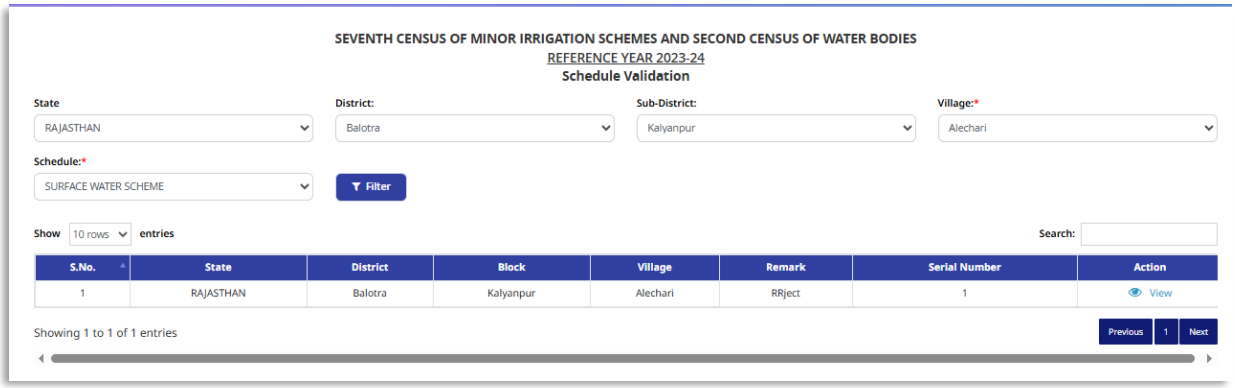
S.No.	State Name	District Name	Block/Tehsil Name	Village Name	Schedule Name	Serial Number	Remark	Action
1	RAJASTHAN	Balotra	Kalyanpur	Alechari	GROUND WATER SCHEME	1	Need Correction	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

- रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एडिट आइकन पर क्लिक करें।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग - रिजेक्टेट सिड्यूल

रिजेक्टेट शेड्यूल मॉड्यूल में ब्लॉक यूजर्स उस डेटा को देख सकते हैं जिसे ब्लॉक यूजर द्वारा अस्वीकृत कियागया है।



5.2 मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अनुदेश

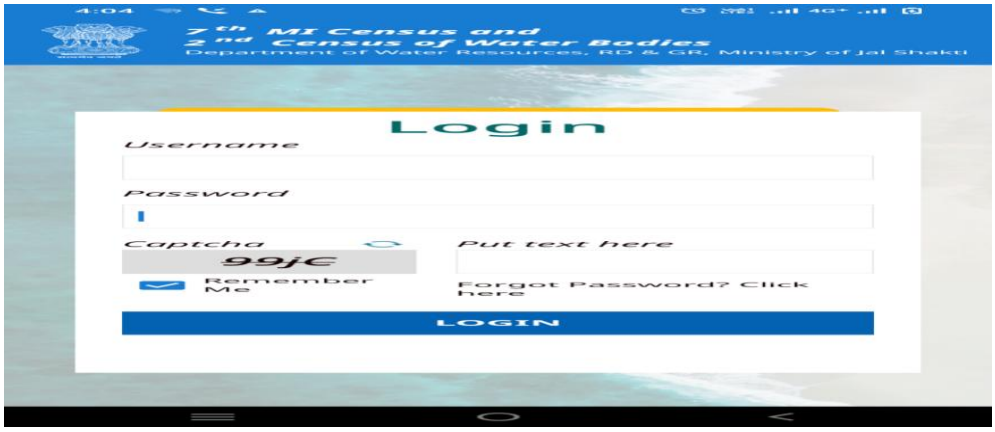
5.2.1 परिचय

इससे उपगकर्ता नियम-पुस्तिका एमआई गणना और जल निकाय एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए क्रमवार मार्ग दर्शन करती है। इससे एप्लिकेशन यूजरों को विभिन्न क्षेत्रों में जल निकायों, ग्राम, भौम जल, सतही जल योजनाओं से संबंधित गणना डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने में इनेबल करता है। इसे ऑफ़लाइन / ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि समर्थित बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन कियागया है, इससेनिश्चित करते हुए कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ या उसके बिना दूरदराज के क्षेत्रोंसे भी जानकारी कैप्चर की जा सकती है। ऑनलाइन मोड में होने पर डेटा केंद्रीय सर्वरके साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाता है।

➢ एप्लिकेशनखोलें

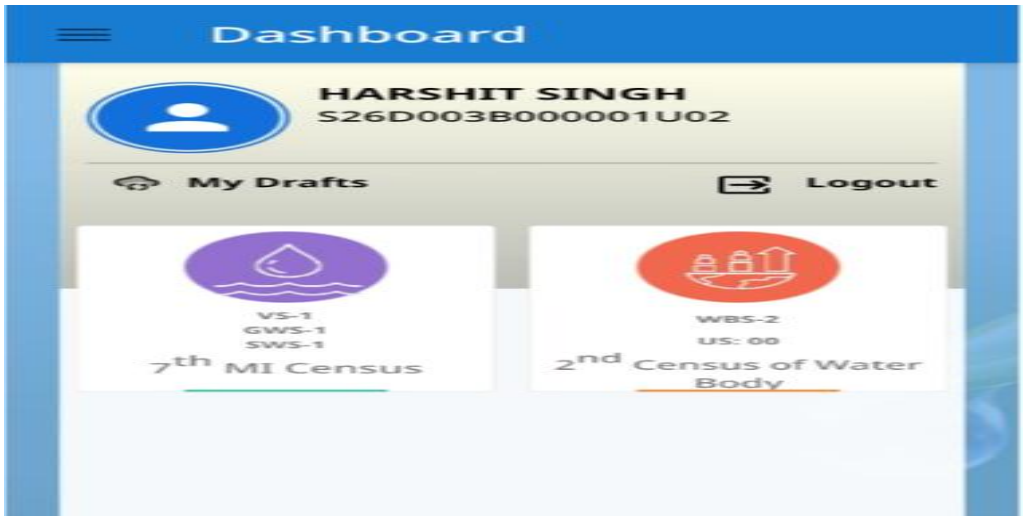


➢ एप्लिकेशन के बाद स्प्लैश->लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी।



1. लॉगिनक्रेडेंशियल एंटर करें।

2. लॉगिन करने के पश्चात , एप्लिकेशन डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा।



3. डैशबोर्ड पर निम्नलिखित प्रमुख सेक्शन होंगे :

- **7वीं एमआई गणना डॉकेट**: निम्नलिखित के संबंध में ऑफ़लाइन डेटा प्रविष्टियोंकी संख्या को डिस्प्ले करता है:

    1. वी.एस. (ग्राम अनुसूची)
    2. जीडब्ल्यूएस (भौम जल अनुसूची)
    3. एसडब्ल्यूएस (सतही जल अनुसूची)

- जल निकायों की द्वीतीय गणना : निम्नलिखित के लिए सभी ऑफ़लाइनडेटा प्रविष्टियों की गणना डिस्प्ले करता है:

1. डब्ल्यूबीएस (जल निकाय अनुसूची)
2. यूएस (शहरी अनुसूची)

- **माइ ड्राफ्ट:**ऑफ़लाइन डेटा को स्थानीय रूप से सेव किया जाता है, जिससे यूजरअपना कार्य खोए बिना बाद में पुनः एडिट कर सकते हैं। डेटा को सबमिट करने के बाद, एक सिंक आइकन डिस्पिले होगा, जो दर्शाएगा कि इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने पर सिस्टमएमआई गणना सर्वर से डेटा को सिंक्रोनाइज़ करेगा।
- **लॉग आउट:**इस विकल्प से आपको एप्लिकेशन से एक्जिट कर सकते है। हालाँकि, यदि ऑफ़लाइन डेटा सिंक नहीं किया गया है, तो सिस्टम आपको लॉग आउट करनेसे पहले डेटा सिंक करने के लिए संकेत देगा।
- **नेविगेशन मेन्यू :**ऊपरी बाएं कोने में तीन क्षैतिज काली रेखाएं एप्लिकेशनके नेविगेशन मेन्यू को दर्शाती हैं।



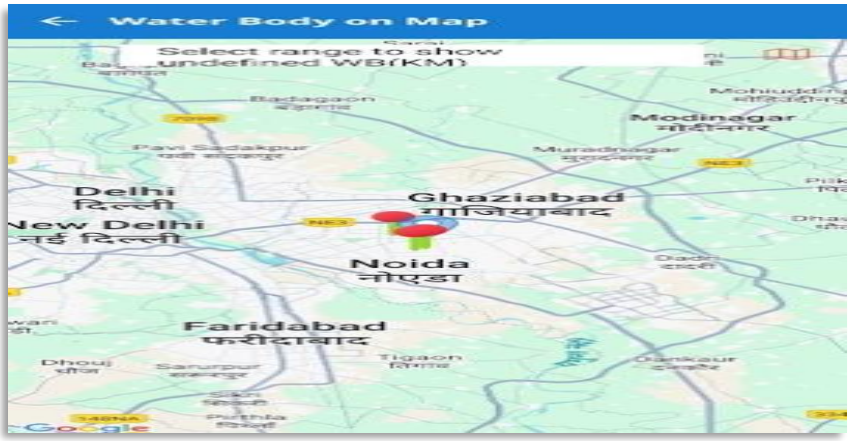
5.2.2 जल निकाय अनुसूचियां

- नेविगेशनआइकन पर क्लिक करें।
- जलनिकाय अनुसूची का चयन करें।

- ग्रामीणक्षेत्रों के लिए, राज्य, जिला और ब्लॉक फ़ील्ड पहले से भरे और डिस्ऐबल होंगे। शहरी क्षेत्रोंके लिए, राज्य, जिला और शहर फ़ील्ड पहले से भरे और डिस्ऐबल होंगे।

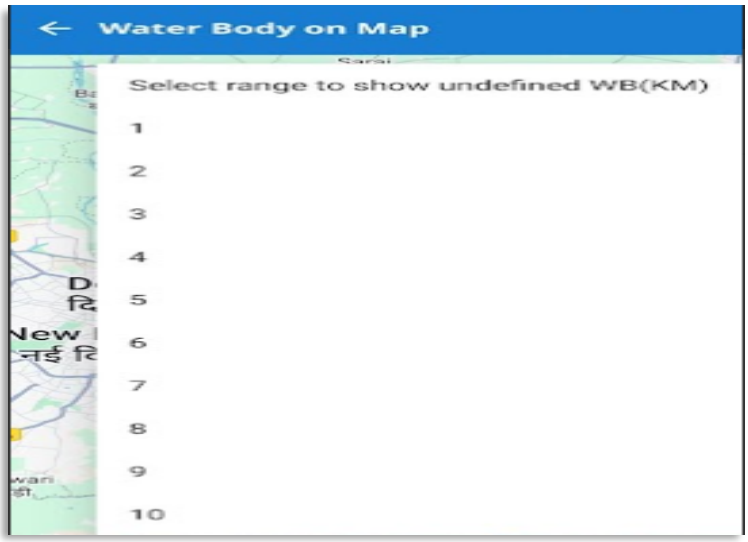


- विलेज (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) या वार्ड (शहरी क्षेत्रों के लिए) सिलेक्ट करें। स्थान (लैरिट्यूड लॉनजाट्यूड) स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।
- जलनिकाय का क्रमांक देखने के लिए मैप पर व्यू वॉटर वॉडी सीरियल नंबर पर क्लिक करें।
- आपकावर्तमान स्थान दिखाते हुए मानचित्र प्रदर्शित होगा।

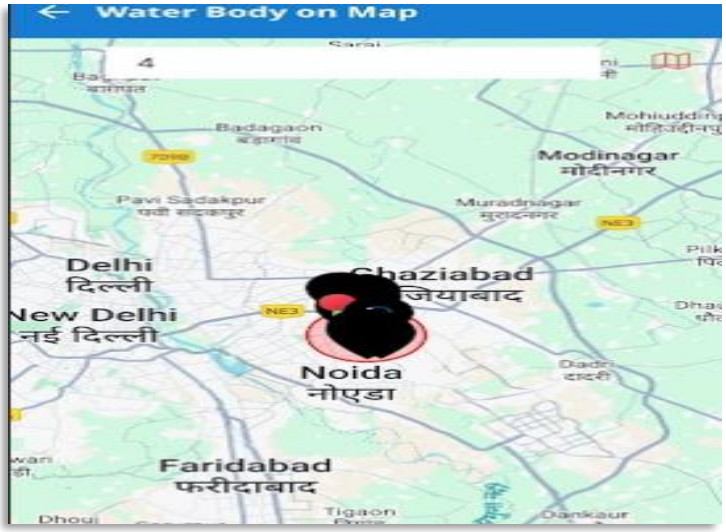


अपरिभाषित ग्रामों के साथ जलनिकायों को देखना:

- "अपरिभाषितडब्ल्यूबी(केएम) दिखाने के लिए श्रेणी का चयन करें" लिंक पर क्लिक करें।



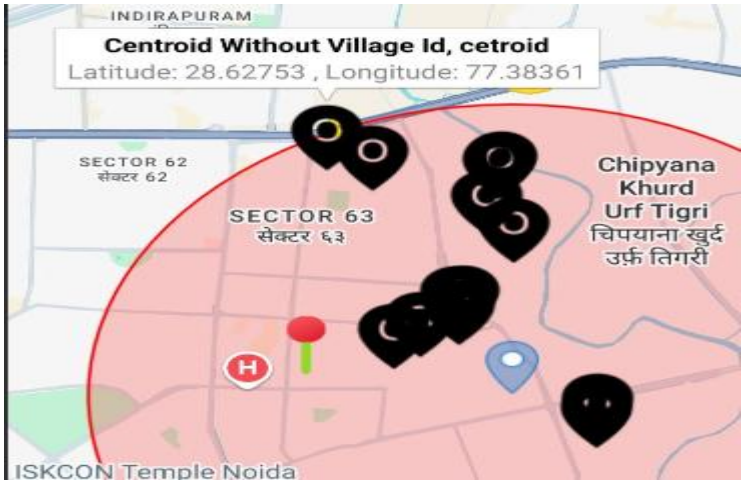
- कोईभी रेंज सिलेक्ट करें।



- जलनिकायों को देखने के लिए स्क्रीन को ज़ूम इन करें।



- विवरणदेखने के लिए जल निकाय को सिलेक्ट करें।



सीरियल नंबर कैप्चर करना:-

- जबतक आप इच्छित स्थान पर न पहुंच जाएं, मानचित्र पर ज़ूम आउट करें।



- चयनित ग्राम /वार्ड के सभी जल निकायों/बहुभुज क्षेत्र/केन्द्र/बिंदु को देखने के लिए ज़ूम-इनकरें

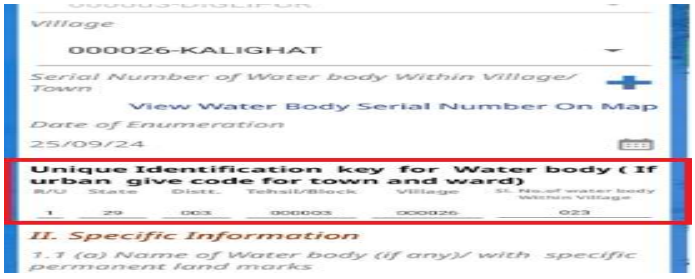


➢ जलनिकाय का विवरण देखने के लिए बिंदु पर टैप करें।



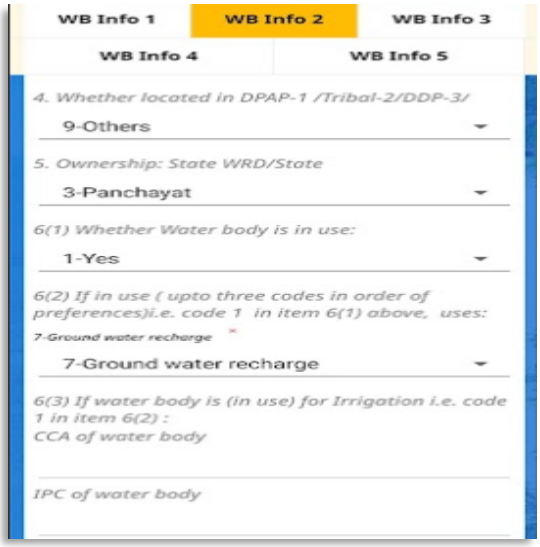
➢ यदिस्थिति लंबित है, तो "फिल वाटर बॉडी " बटन पर क्लिक करें। फिर जल निकाय की वर्तमान स्थिति (यानी मौजूद/नहीं मौजूद) को अपडेट करने के लिए "एंटर रिमार्क्स" पर टैप करें।

➢ " फिल वाटर बॉडी" बटन पर क्लिक करने के बाद, आप पुनः वॉटर बॉडी शेड्यूल स्क्रीन पर चले जाएंगे, जहां क्रमांक स्वचालित रूप से मानचित्र से (पहली जल निकाय गणना के अनुसार)प्राप्त हो जाएगा।

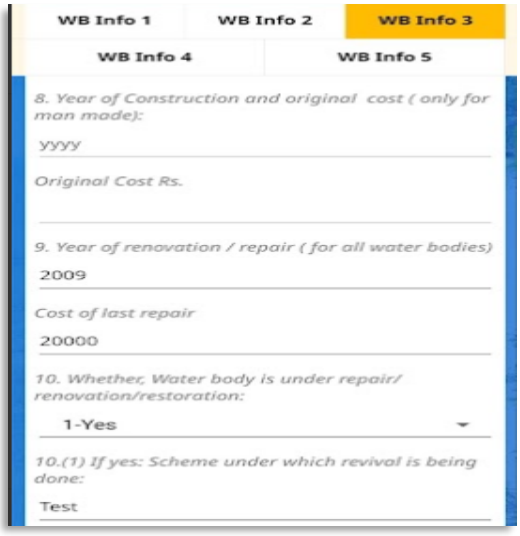


नोट:-नए जल निकाय अनुसूची शामिल करने के लिए ->+(प्लस) आइकन पर क्लिक करें।

- अपेक्षित फ़ील्ड भरें।
- डब्ल्यूबी इन्फो 2 टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपेक्षित फ़ील्ड भरें।

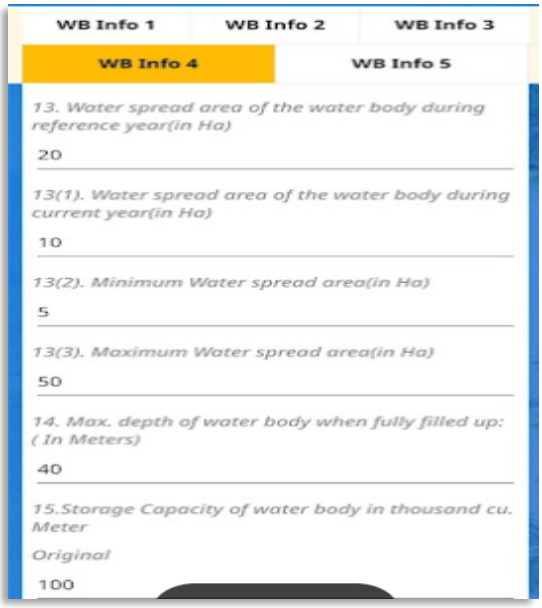


- डब्ल्यूबी इन्फो 3 टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।





- डब्ल्यूबी इन्फो 4 टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।

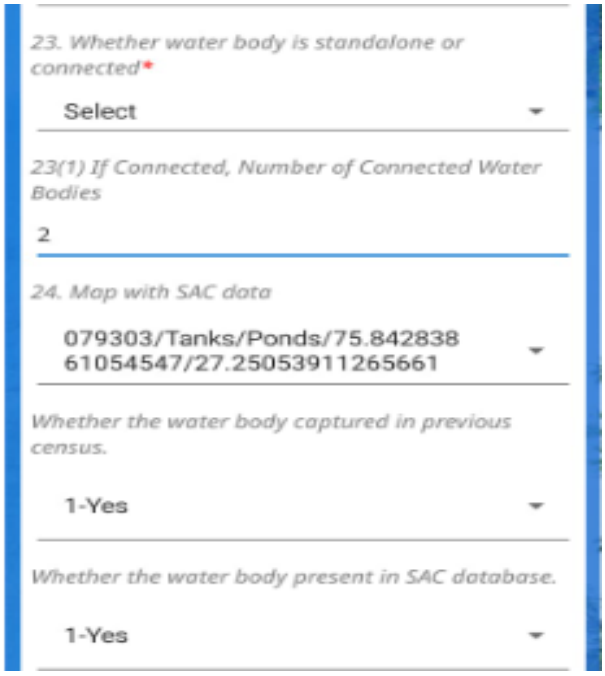




- डब्ल्यूबी इन्फो 5 टैब पर जाने करने के लिए नेक्स्टपर क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



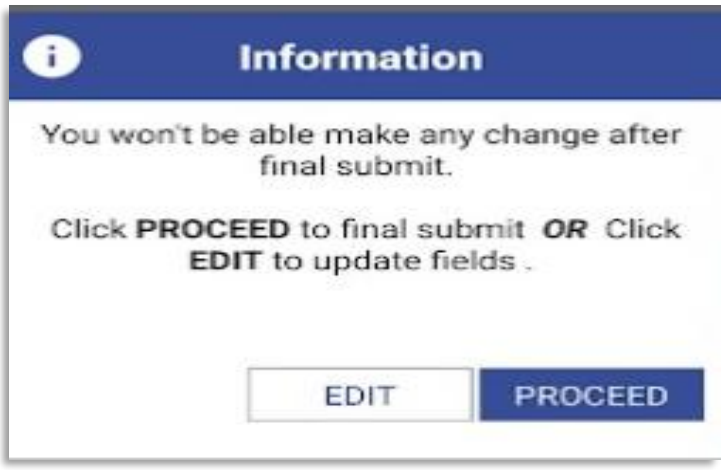

WB Info 4
WB Info 5
Irrigation Plan(DIP)/State Irrigation Plan(SIP)
1-Yes
22(1) Whether any area of Water Body is encroached:
1-Yes
22(2) If yes i.e. code 1 in item 22(1), can extent of encroachment be assessed :
2-No
22(3) If yes i.e. code 1 in item 22(2) : Approximate percentage(%) of area encroached
%
23. Whether water body is standalone or connected
1-Standalone
23(1) If Connected, Number of Connected Water Bodies


23. Whether water body is standalone or connected*
Select
23(1) If Connected, Number of Connected Water Bodies
2
24. Map with SAC data
079303/Tanks/Ponds/75.842838 61054547/27.25053911265661
Whether the water body captured in previous census.
1-Yes
Whether the water body present in SAC database.
1-Yes



नोट:-फोटोग्राफ में लैटीच्यूट और लोड्गीच्यूट भी कैप्चर हो जाएंगे।

- सभीविवरण भरने के बाद, सूचना पॉप-अप को सक्रिय करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

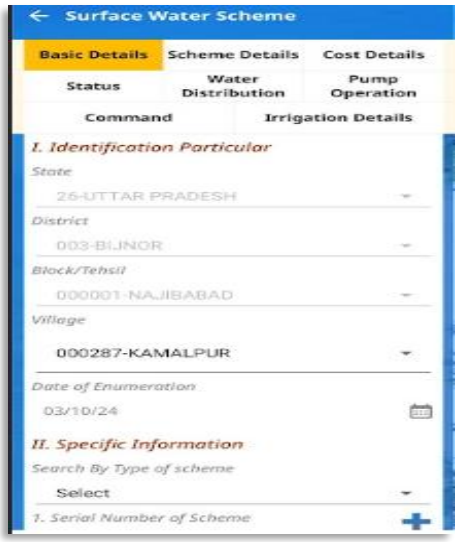


- फॉर्मको अपडेट करने के लिए 'एडिट' पर क्लिक करें, या डेटा सबमिट करने के लिए 'प्रोसीड ' पर क्लिक करें।"
- प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।



5.2.3 सतही जलयोजनाएँ

- नेविगेशनआइकन पर क्लिक करें।
- सतहीजल योजनाएं सिलेक्ट करें और बेसिक डिस्प्ले टैब खुल जाएगा।



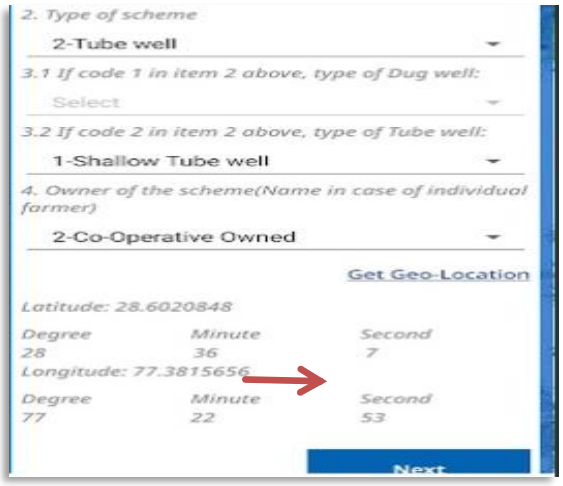
- राज्य, जिला और ब्लॉक के लिए फ़ील्ड पहले से भरे हुए हैं और डिस्प्ले हैं।
- ग्राम का सिलेक्ट करें, और चयनित ग्राम के आधार पर योजना की क्रम संख्या स्वतः भर जाएगी।



- चेतावनीसंदेश डिस्प्ले करने के लिए एडिट आइकन वाले किसी भी सीरियल नंबर पर टैप करें।



- पहलीगणना से निम्नलिखित फ़ील्ड स्वतः भरे जाएंगे ।
    - योजनाका प्रकार
    - योजनाका स्वामी
    - भौगोलिकस्थिति (लैटीच्यूट, लोङ्गीच्यूट)

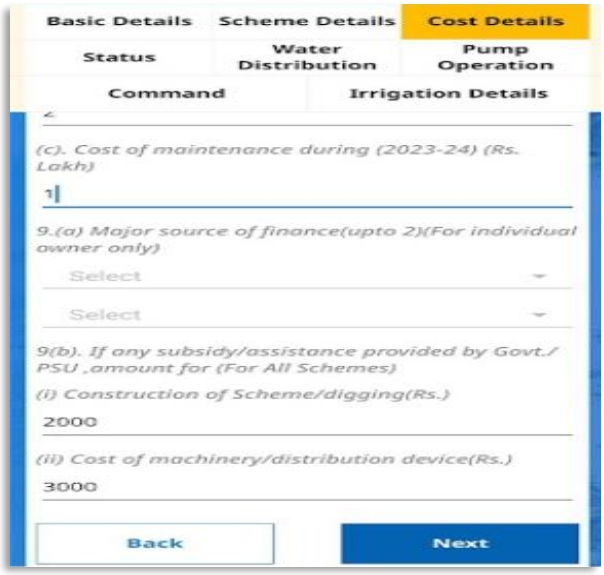


- यदिजियो लोकेशन उपलब्ध नहीं है, तो गेट जियो लोकेशन पर क्लिक करें।
- योजनाविवरण टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।
- यहांप्रथम गणना के अनुसार निम्नलिखित फ़ील्ड स्वतः भरे हुए मिलेंगे : -
    - 5(ए)-खसरा नंबर/प्लॉट नंबर/सर्वे नंबर जिसमें योजना अवस्थित है ।

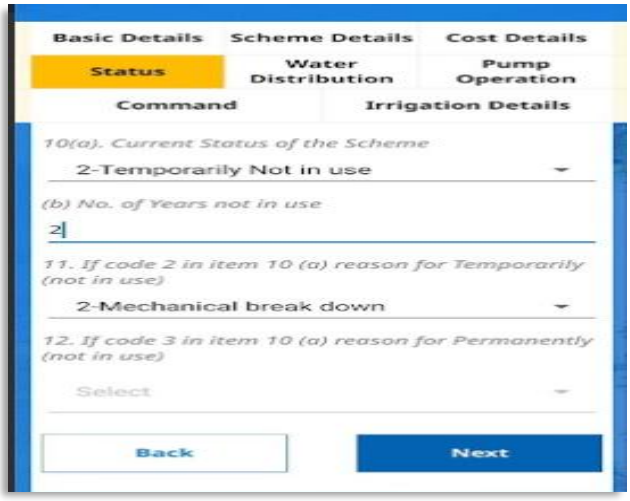


- लागतविवरण टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।
- यहाँ प्रथम गणना से निम्नलिखित फील्ड स्वतः भरे हुए उपलब्ध होंगे ।

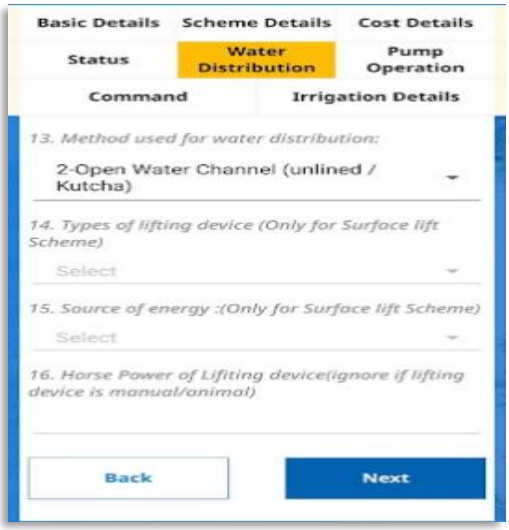
- 8(ए)-योजना के निर्माण की लागत।



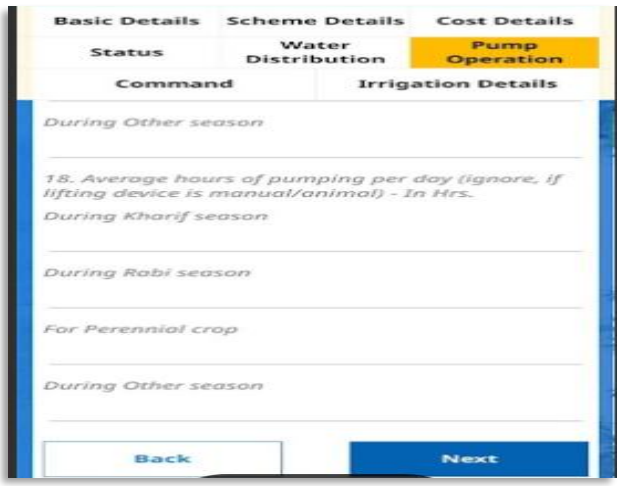
➢ स्टेटसटैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



➢ जलवितरण टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



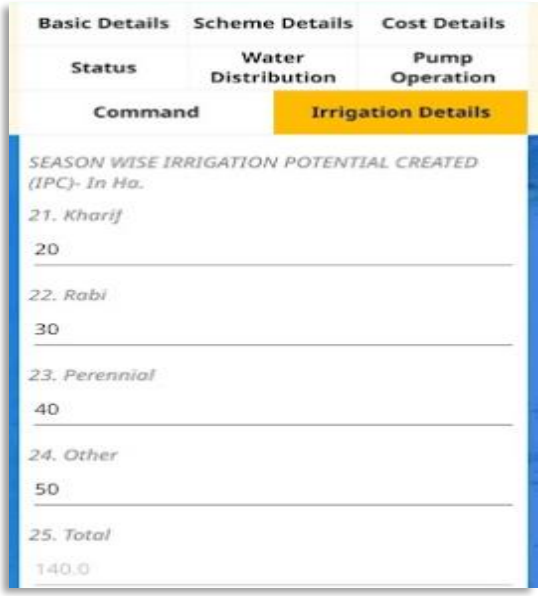
- पंपऑपरेशन टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



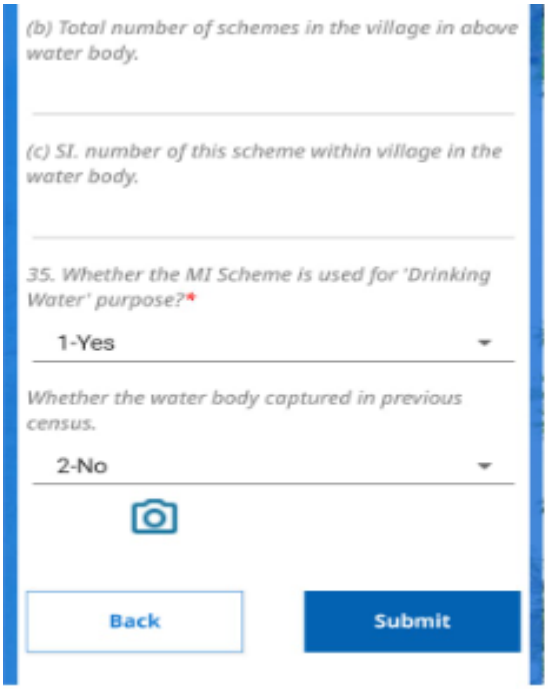
- कमांडटैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



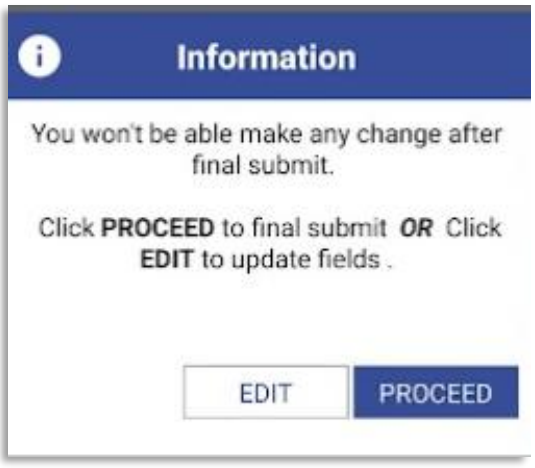
- सिंचाईविवरण टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।







- सभीविवरण भरने के बाद, सूचना पॉप-अप को सक्रिय करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।



- फॉर्मको अपडेट करने के लिए 'एडिट ' पर क्लिक करें, या डेटा सबमिट करने के लिए 'प्रोसीड ' पर क्लिक करें।"
- प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।

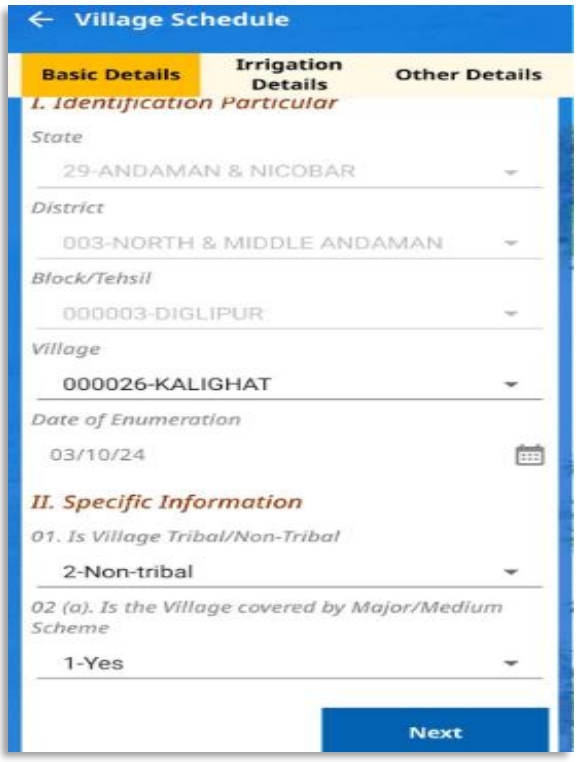


5.2.4 ग्राम कीअनुसूची

- नेविगेशनआइकन पर क्लिक करें।
- ग्राम अनुसूची को सिलेक्ट करें, बैसिक डिटेल्स टैब खुल जाएगा।



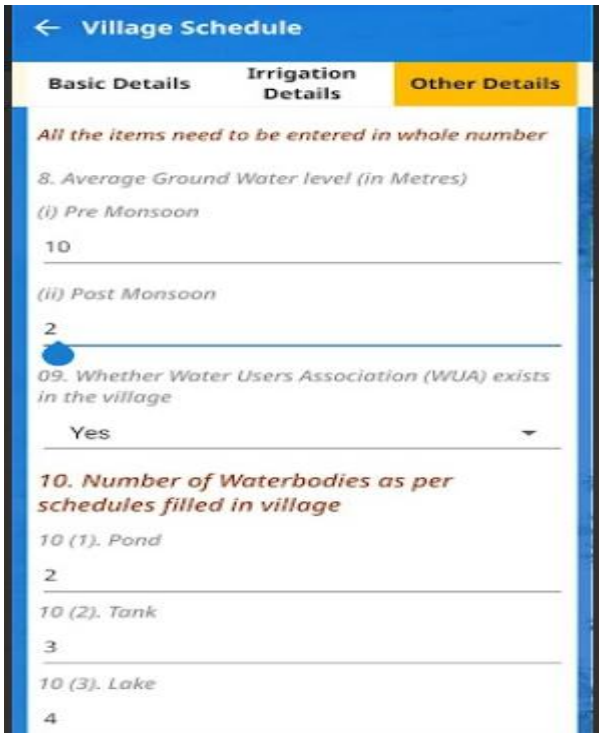
- राज्य, जिला और ब्लॉक के लिए फ़ील्ड पहले से भरे हुए हैं और डिस्ऐबल्स हैं।
- ग्राम का सिलेक्ट करें।
- निम्नलिखितफ़ील्ड पहली गणना से स्वतः भर जाएंगे।
    - क्या ग्राम आदिवासी/गैर-आदिवासी है?
    - भौगोलिकक्षेत्र
- क्या ग्राम प्रमुख/मध्यम योजना के अंतर्गत आता है को सिलेक्ट करें।

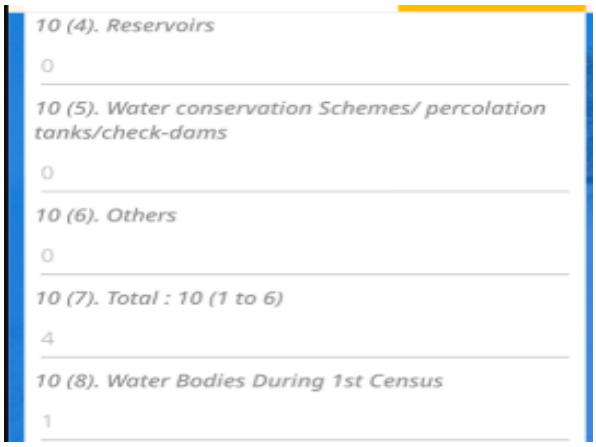


- सिंचाईविवरण टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



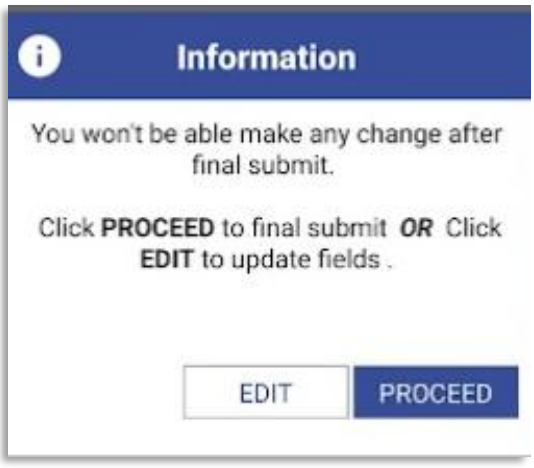
- अन्यविवरण टैब पर जाने और फ़ील्ड को पूरा करने के लिए फिर से नेक्स्ट क्लिक करें।







- सभीविवरण को भरे जाने के पश्चात, सूचनापॉप-अप को सक्रिय करने के लिए फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।



- फॉर्मको अपडेट करने के लिए 'एडिट ' पर क्लिक करें, या डेटा सबमिट करने के लिए 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।"
- प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।

टिप्पणी: -यदि यूजर ऑनलाइन है, तो प्रोसीड पर क्लिक करने से डेटा तुरंत सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। यदि यूजर ऑफ़लाइन है, तोडेटा स्थानीय रूप से संग्रहीत हो जाएगा, और यूजर के वापस ऑनलाइन होने पर इससेस्वचालित रूप से सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा।

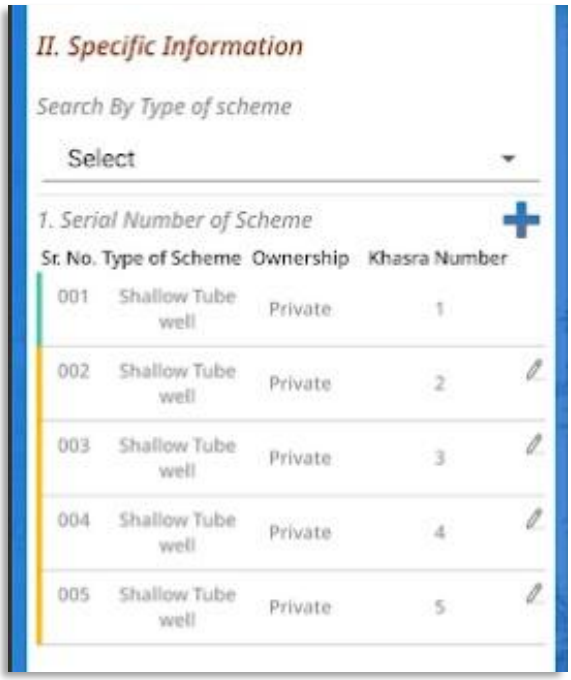


5.2.5 भौम जल योजनाएँ

- नेविगेशनआइकन पर क्लिक करें
- भौम जल योजनाएं सिलेक्ट करें और बेसिक डिटेल्स टैब खुल जाएगा



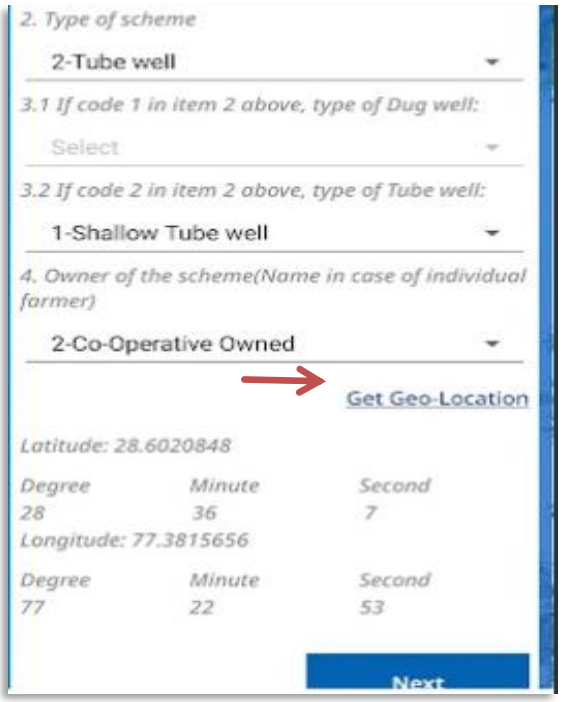
- राज्य, जिला और ब्लॉक के लिए फ़ील्ड पहले से भरे हुए हैं और डिस्ऐबल्ड हैं।
- ग्राम का चयन करें, और चयनित ग्राम के आधार पर योजना की क्रम संख्या स्वतः भर जाएगी।



- चेतावनीसंदेश डिस्प्ले करने के लिए एडिट आइकन वाले किसी भी सीरियल नंबर पर टैप करें।

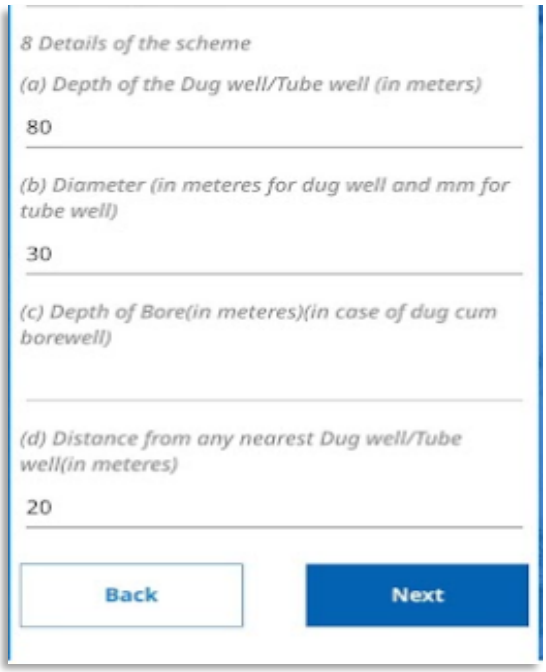


- पहलीगणना से निम्नलिखित फ़ील्ड स्वतः भर जाएंगे
    - योजनाका प्रकार
    - ट्यूबवेल/डगवेल का प्रकार
    - योजनाका स्वामी
    - भौगोलिकस्थिति (लैटीच्यूट, लोङ्गीच्यूट)



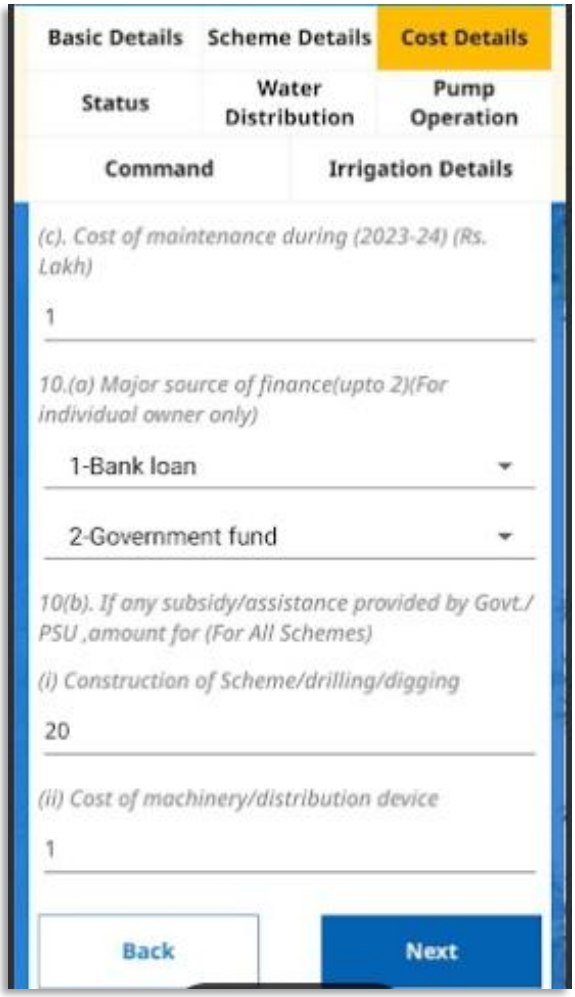
- यदिजियो लोकेशन उपलब्ध नहीं है, तो गेट जियो लोकेशन पर क्लिक करें।
- स्कीम डिटेल्स टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।
- यहाँ प्रथम गणना से निम्नलिखित फ़ील्ड स्वतः भर जाएंगे:-
    - 5(ए)-खसरा नंबर/प्लॉट नंबर/सर्वे नंबर जिसमें योजना अवस्थित है।
    - 5(बी)-स्थानविवरण/भूमि चिह्न।



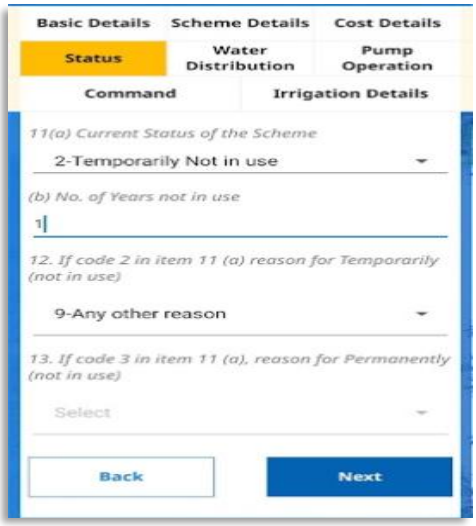


- कॉस्ट डिटेल्स टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।
- यहाँ प्रथम गणना से निम्नलिखित फ़ील्ड स्वतः भर दिए जाएंगे: -

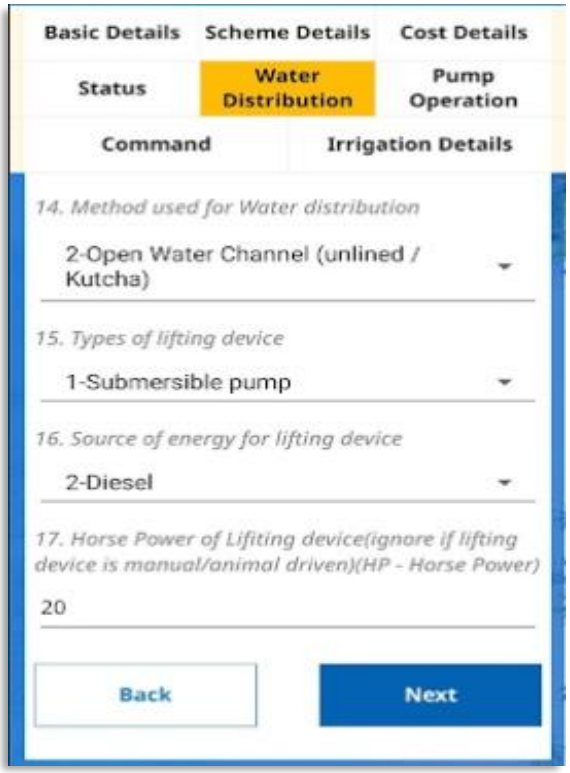
- 9(ए)-योजना के निर्माण की लागत।



➢ स्टेटसटैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



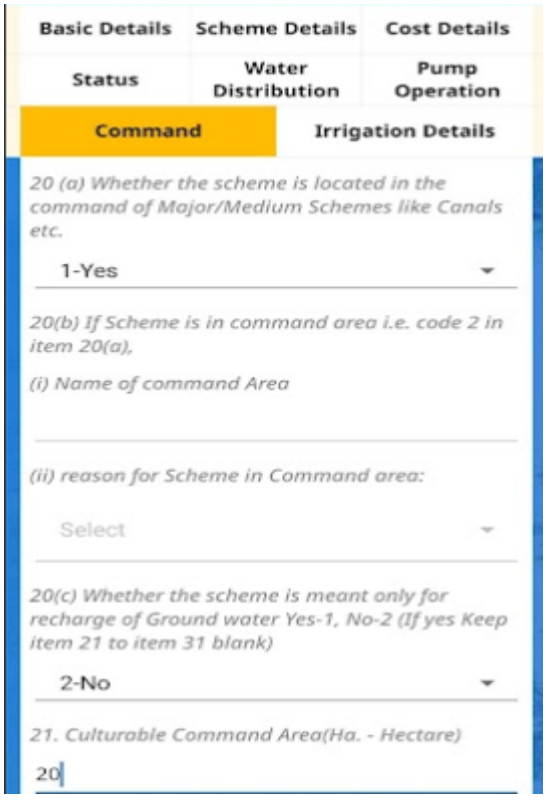
- वॉटर-डिस्ट्रिब्यूशन टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



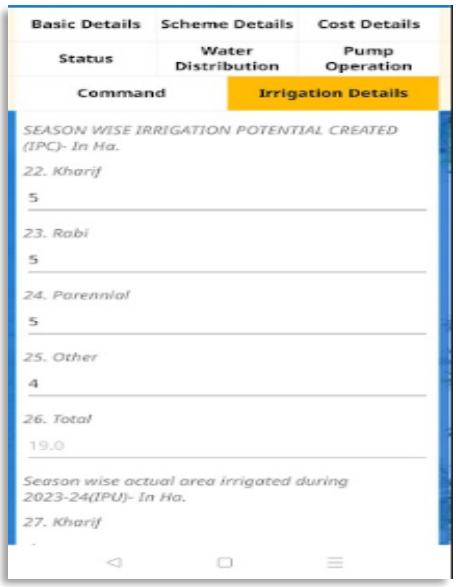
- पंपऑपरेशन टैब पर जाने के लिएनेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



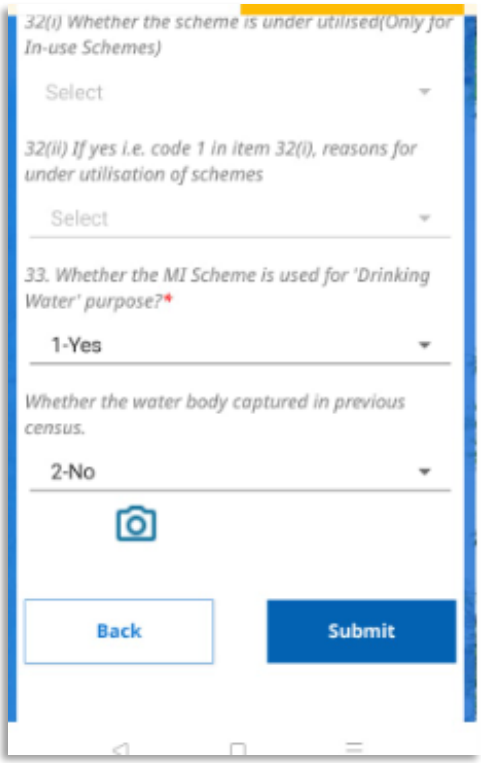
➢ कमांडटैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।



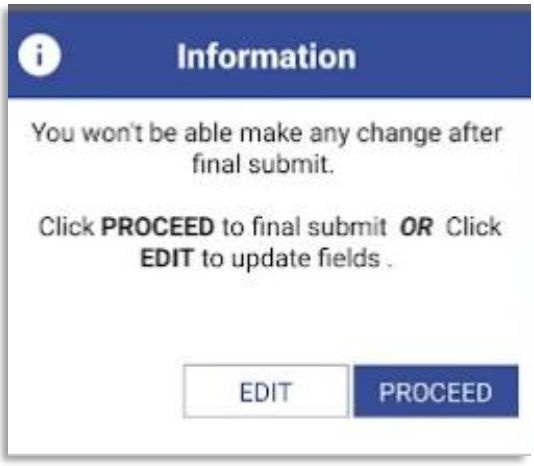
- रिगेशन डिटेल्स टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें और अपेक्षित फील्ड भरें।







- सभीविवरण भरने के बाद, सूचना पॉप-अप को सक्रिय करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

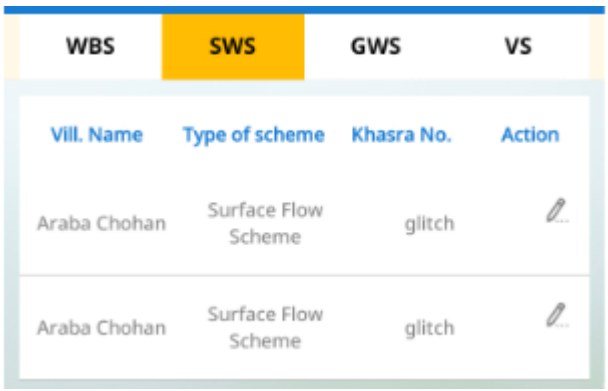


- फॉर्मको अपडेट करने के लिए 'एडिट ' पर क्लिक करें, या डेटा सबमिट करने के लिए 'प्रोसिड ' पर क्लिक करें।"
- प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।



5.2.5 वेलिडेशन डेटा

- वैलिडेशन मॉड्यूल, में एन्यूमेरेटर सभी अनुसूचियों के लिए चेतावनियों को देख और अपडेट कर सकता है।
- वैलिडेशन डेटा पर क्लिक करें ।



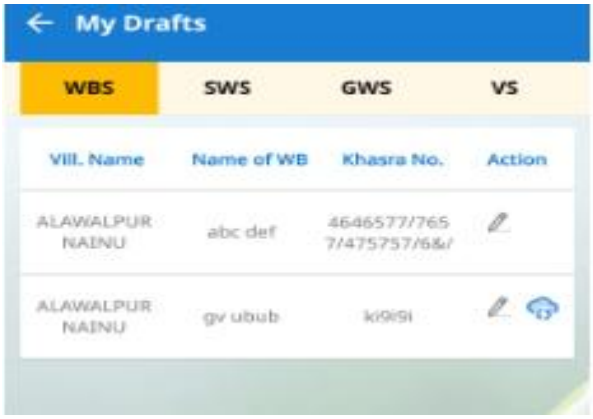
- अनुसूचियोंके चेतावनी डेटा को देखने के लिए संबंधित अनुसूचियों पर क्लिक करें।
- यूजर्स निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं:-
    - एडिट करें - चेतावनी को परिवर्ति करें।

टिप्पणी: -केवलचेतावनी कार्यान्वित फ़ील्ड ही सक्षम मोड में होंगी।

माई ड्राफ्ट्स

- डैशबोर्डपर जाएं।

- माइ ड्राफ्ट पर क्लिक करें।
- माइ ड्राफ्ट सेक्शन निम्नलिखित अनुसूचियों के लिए ड्राफ्ट डेटा डिस्प्ले करता है: -
    - जलनिकाय
    - सतही जल
    - भौम जल
    - ग्राम



- डिफ़ॉल्टरूप से, यदि कोई डेटा उपलब्ध है तो जल निकाय अनुसूची (डब्ल्यूबीएस) के लिए लंबित डेटा प्रदर्शितकिया जाएगा।
- अन्यअनुसूचियों का लंबित डेटा देखने के लिए संबंधित अनुसूचियों पर क्लिक करें।
- यूजर्स ड्राफ्ट डेटा पर निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं:
    - एडिट करें - ड्राफ्ट प्रविष्टियों को परिवर्तित करें
    - सिंक - यदि कोई अनुसूचित डेटा स्थानीय रूप से संग्रहीत है, तो सिस्टम कनेक्ट होने पर इसेएमआई गणना सर्वर से सिंक कर देगा।

अध्याय छह:

जल निकाय अनुसूची की दूसरी गणना को एंटर करने के लिए सामान्य अनुदेश

6.0 **जलनिकायों की दूसरी गणना**

जल निकायोंकी परिभाषा में बताए गए अनुसार सभी जल निकायों को इस गणना में शामिल किया जानाहै, चाहे उनका उपयोग सिंचाई या अन्य उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू/पेय, मनोरंजन, धार्मिक, भौम जलपुनः पूरण आदि) के लिए हो। ग्राम और शहर दोनों क्षेत्रों में जल निकाय अनुसूची एंटर की जाए। ग्राम और नगरोंके सभी जल निकायों की सूची तैयार की जाए और उनकी गणना की जाए, भले ही प्रशासनिक अभिलेखों में उनका उल्लेख हो यान हो। इससे सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जल निकाय छूट न जाए। यदि कोई जलनिकाय एक से अधिक ग्राम में फैला हुआ है, तो उसे एक जल निकाय माना जाएगा और उसकेलिए केवल एक अनुसूची तैयार की जानी है।

6.1 **पहचानविवरण**

राज्य/जिला/ब्लॉक (तहसील)/विलेज/वार्ड के नाम स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) के संबंधित कोडों के साथएंटर किए जाएंगे। इस एप्लीकेशन में जल की पहली गणना में सूचीबद्ध योजनाओं कोएलजीडी कोड वाले जल निकायों पहले से ही भर जाएगा, जिससे गणनाकर्ता मौजूदा योजनाओं की पुष्टि या नई योजनाओं को शामिल कर पाएंगे। एसएसी डेटाबेस का उपयोग करके मानचित्रपर जल निकाय का चयन करने का प्रावधान है।यदि जलाशयमानचित्र में दिखाया गया है, तो 'हां' एंटर किया जाए, अन्यथा 'नहीं' का चयन किया जाए।

6.1.1 जल निकाय की क्रम संख्या:विलेज या नगरके जल निकायों को चालू क्रम संख्या दी जानी चाहिए। इससे उस विलेज में उस विशेष जल निकाय कीपहचान संख्या के रूप में कार्य करेगा। जल निकाय की क्रम संख्या देते समय इससे ध्यान रखनाचाहिए कि डेटा संग्रह का कार्य संबंधित ग्राम के उत्तर-पश्चिम कोने से शुरू किया जाए और सर्पिल तरीके से आगे बढ़ते हुए 001 से शुरू करके क्रम संख्या दिए दी जाएगी। प्रत्येक विलेज या नगर में जल निकायों के लिए 001 से शुरू होने वाली क्रम संख्या अलग-अलग दी जाएगी।

6.1.2 गणना की तिथि:गणनाकी तारीख को दिवस/माह/वर्ष प्रपत्र में स्वचालित रूप से एंटर किया जाए।

6.1.3 **जल निकाय के लिए विशिष्ट पहचान कुंजी:** इसे जल निकाय की पहचान के लिए विशिष्ट कोड से गया है। ग्राम/शहर के जल निकायों को 21 अंकों का सीरियल कोड प्रदान किया जाएगा जो की ग्राम/से शुरु जल निकाय की क्रम संख्या के ले ग्राम / शहर से शुरु होने वाली 21 अंकीय कोड दिया जाएगा जो ग्राम / शहर, राज्य, जिला तहसील / नगर / ब्लॉक, ग्राम वार्ड का संयोजन और क्रम संस्था होगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन में स्वत: जनरेट हो जाएगा।

6.2 विशिष्ट जानकारी

6.1.4 **मद संख्या 1.1 (**क): **जल निकाय का नाम**, **यदि कोई हो**, **विशिष्ट स्थायीभूमि चिह्नों सहित:**यदि जल निकाय का कोई नाम हो तो उसे लिखा जाए, अन्यथा जल निकाय कीसहज पहचान के लिए उसके निकटवर्ती स्थायी भूमि चिह्न लिया जा सकता है।

6.1.5 **मद संख्या** 1.1 (**ख): बेसिन एवं उप-बेसिन का नाम जिसमें जल निकाय स्थितहै:**इस मद में उस बेसिन और उप-बेसिनके नाम को एंटर किया जा सकता है जिसमें जल निकाय स्थित है। कोड, यदि उपलब्ध हो, तो अनुसूचीमें दिए गए बॉक्स में भी एंटर किया जाए।

6.1.6 **मद संख्या 1.2 (**क): **जल निकाय का प्रकार: कोड के संदर्भ में** इस मद में जल निकाय के प्रकार को दर्ज किया जाए।कोड निम्न प्रकार से हैं:

तालब -1,
टैंक -2,
झील -3,
जलाशय -4,
जलसंरक्षण योजना/अन्तः स्त्रवण टैंक/चेक डैम -5,
अन्य -9.

कोड 1,उन तालाबों के मामलों में दिया जाएगा जो आकार में सबसे छोटे हैं। कोड 2,टैंकों के लिए दिया जा सकता है। ऐसे टैंक जो न तो बहुत छोटे होते हैं और

न हीबहुत बड़े, लेकिन इसे पार करने के लिए नौका या नाव की आवश्यकता हो सकती है जबकि तालब छोटे जल निकाय होते हैं जो स्वरुप अधिकतर कच्चे होते हैं और उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ पारकरने के लिए नौका या नाव की आवश्यकता नहीं होती है। झील, टैंक से थोड़ी बड़ी हो सकतीहै। किसी भी कोड को नियत करने से पूर्व, उसकी अवधारणा और परिभाषा को देखा जाए।

6.1.7 **मद संख्या 1.2(**ख):यदि मद 1.2(क) में कोड 9 अर्थात 'अन्य' है, तो संचयन का स्वरुप की प्रकृतियहां स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए।

6.1.8 **मद संख्या 1.3 खसरा संख्या/प्लॉट संख्या/सर्वेक्षण संख्या जिसमेंजल निकाय स्थित है:**खसरा संख्या/प्लॉटसंख्या/सर्वेक्षण संख्या, जिसमें जल निकाय स्थित है, को भौतिक सत्यापन आदि के लिए इसमद के सामने एंटर किया जाएगा, जिसकी बाद में आवश्यकता हो सकती है। यदि जल निकाय एकसे अधिक गाँव या नगर में फैला हुआ है, तो उस गाँव या नगर का खसरा संख्या/प्लॉटसंख्या/सर्वेक्षण संख्या एंटर की जाएगी, जिसमें जल निकाय का अधिकतम क्षेत्र मौजूद है।

6.1.9 **मद संख्या 2** और **3: लैटीटयूड और लोड्गीटयूड (डिग्री**, **मिनट**, **सेकंड में):** जल निकाय के छठवे अंक लैटीटयूड और लोड्गीटयूड को मोबाइल से कैप्चर किया जाए और इन मदों में एंटर किया जाए। जल निकाय का लैटीटयूड और लोड्गीटयूड अधिमानतः इसके उत्तर-पश्चिम कोने से लिया जाए।

6.1.10 **मद संख्या 4: क्या आप डीपीएपी/आदिवासी/डीडीपी/बाढ़प्रवण/नक्सल प्रभावितक्षेत्र में स्थित हैं:** जल निकायके स्थान के अनुसार उपयुक्त कोड अभिहित किया जाए।

कोड 1,सूखा प्रवण क्षेत्रकार्यक्रम (डीपीएपी)-1 के लिए है। डीपीएपीकार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों और पशुधन के उत्पादनऔर भूमि, जल औरमानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करनाहै, जिससे अंततः प्रभावित क्षेत्रों को सूखा मुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्यसमग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम सबंधित क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन विहीनऔर वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना भी है।

कोड 2,आदिवासी क्षेत्रके लिए है जो कि **राज्य में परिभाषा के अनुसार**क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी की जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है।

कोड 3,मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के लिए है। डीडीपी की शुरुआत 1977-78 में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा केतप्त रेगिस्तानी इलाकों और जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अतप्त रेगिस्तानी इलाकों दोनों में की गई थी। 1995-96 से, इसके व्याप्ति क्षेत्र को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ और जिलों तकबढ़ा दिया गया है।

कोड 4,बाढ़ प्रवण क्षेत्रके लिए दिया जाए। प्रमुख बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं:

गंगा बेसिन: गंगा बेसिनके उत्तरी भाग में ज़्यादातर बाढ़ इसकी उत्तरी सहायक नदियों के कारण आती है। गंगा बेसिनके सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। गंगा केअलावा, शारदा, राप्ती, गंडक और घाघरा जैसी नदियाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से मेंबाढ़ का कारण बनती हैं। यमुना हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ के लिए मशहूर है। बिहार मेंहर साल भयंकर बाढ़ आती है। बुरही, बागमती, गंडक, कमला और कई छोटी नदियाँ इसमें योगदानदेती हैं। पश्चिम बंगाल में महानंदा, भागीरथी, दामोदर, अजय आदि नदियाँ ज्वार के प्रभावऔर अपर्याप्त नदी चैनलों के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं।

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन: ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के तट, ब्रह्मपुत्र बेसिन और बराक बेसिनमें पाए जाने वाले अतिरिक्त पानी के कारण बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ये नदियाँ अपनी सहायकनदियों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़लाती हैं। उत्तरी पश्चिम बंगाल में जलदाखा, तीस्ता और तोरसा और मणिपुर में नदियाँ अक्सरअपने किनारों से बह जाती हैं।

मध्य भारत और दक्कन नदी बेसिन:उड़ीसा में महानदी, बैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के अधिप्लवन बाढ़से तबाही मचती है। इन तीनों नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र घनी आबादी वालाहै। यहां तक की केरल की कुछ छोटी नदियाँ और पास की पहाड़ियों से आने वाले पंक प्रवाह भीतबाही मचाते हैं। भारी बारिश के कारण दक्षिणी और मध्य भारत में नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा और महानदी के कारण बाढ़ आती है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्रोंमें चक्रवाती

तूफान कभी-कभी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों मेंभी बाढ़ लाते हैं।

कोड 5,नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है और बाकी के क्षेत्र को कोड 9 यानि **अन्य** दिया जा सकताहै।

जलनिकाय के स्थान के आधार पर उचित कोड दिया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी/सूची उदाहरणात्मकहै, संपूर्ण नहीं। इसलिए, अनुसूची में एंटर करने से पूर्व जिला/ब्लॉक अधिकारियों याजानकार व्यक्ति से जानकारी ली जा सकती है।

6.1.11 **मद संख्या** 5**: स्वामित्व:** जल निकाय का मालिक सरकारीया निजी हो सकता है। उपयुक्त लागू कोड दिया जा सकता है। कोड निम्न प्रकार से हैं:

राज्यजल संसाधन विभाग/राज्य सिंचाई	-1
सहकारी	-2
पंचायत	-3
नगर पालिका प्राधिकरण	-4
अन्यसरकारी एजेंसी	-5
व्यक्ति	-6
व्यक्तियोंका समूह	-7
अन्यनिजी निकाय	-9

6.1.12 **मद संख्या 6(1): क्या जल निकाय उपयोग में है: हाँ-**1, **नहीं-**2:यदि जल निकाय का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू/पेयजल, मनोरंजन, धार्मिक या भौम जल पुनःपूरण जैसे किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तोइसे उपयोग में माना जाना चाहिए, भले ही उनका उपयोग कुछ भी हो और कोड 1 एंटर किया जासकता है। यदि जल निकाय का कोई उपयोग नहीं है या जल निकाय का कोई भौतिक अस्तित्व नहींहै, तो कोड 2 एंटर किया जाए है।

6.1.13 **मद संख्या 6(2): यदि उपयोग में है अर्थात उपरोक्त मद 6(1) में कोड 1:** यदि जल निकाय उपयोग मेंहै,अर्थात उपरोक्त मद 6(1) में कोड 1 है,

तब इसके उपयोग के लिए उपयुक्त कोड इस मद मेंसूचित करना चाहिए। कोड निम्न प्रकार से हैं:

सिंचाई -1
औद्योगिक - 2
मत्स्यपालन - 3
घरेलू/पेय - 4
मनोरंजन - 5
धार्मिक - 6
भौम जल पुनःपूरण - 7
पक्षियोंऔर जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास- 8
अन्य -9

यदि जल निकाय का उपयोगएक से अधिक प्रकार के उपयोगों के लिए किया जाता है, तब इसके उपयोग के अधिमान के क्रममें अधिकतम तीन उपयोग कोड एंटर किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जल निकाय का उपयोगमुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू उद्देश्य के लिएभी किया जाता है, तब पहले बॉक्स में कोड 1 और दूसरे बॉक्स में कोड 4को एंटरकिया जाएगा।

6.1.14 **मद संख्या 6(3) यदि जल निकाय सिंचाई के लिए "उपयोग में" है अर्थात मद 6(2) में कोड 1 है, तब जल निकाय का सी.सी.ए. और आई.पी.सी.:** यदि जल निकाय "उपयोग में" है औरसिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है तो इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए)और निर्मित सिंचाई क्षमता (आई.पी.सी.) हेक्टेयर में रिपोर्ट की जा सकती है। यदि सी.सी.ए.और आई.पी.सी. की जानकारी किसी रिकॉर्ड से प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है, तब वही जानकारी स्थानीयजानकार व्यक्ति जैसे पटवारी/सरपंच/ग्राम सेवक से पता लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, जल निकाय पर संस्थापित योजनाओं के सी.सी.ए. और आई.पी.सी. का भी उपयोग जल निकाय के सी.सी.ए.और आई.पी.सी. को निकालने के लिए किया जा सकता है। यदि जल निकाय एक से अधिक ग्राम मेंफैला हुआ

है, तो सी.सी.ए. और आई.पी.सी. निकालने के लिए पूरे क्षेत्र को शामिल करनेका प्रयास किया जा सकता है।

6.1.15**मद संख्या 6(4) यदि उपयोग में नहीं है अर्थात उपरोक्त मद 6(1)मेंकोड 2 है:**यदि जल निकाय उपयोग में नहीं है, अर्थात उपरोक्तमद 6(1) में कोड 2 है, तब यथा अनुप्रयोज्य उक्त कारण के लिए उपयुक्त कोड को इस मद में दर्ज किया जाए। कोड निम्न प्रकार से हैं:

सूखा	-1
निर्माण	-2
गाद	-3
मरम्मत न हो सकने तक नष्ट	-4
लवणता	-5
औद्योगिकअपशिष्टों के कारण	-6
अन्य	-9

इसकेउपयोग/उपयोग में न होने की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार होनी चाहिए। कोड 1 को तभी एंटर किया जाएगा जब कोड 2 से 6 अनुप्रयोज्य न हो।

6.1.16 **मद संख्या 7(1): जलाशय का स्वरुप:** यदि जल निकाय प्राकृतिकहै तब कोड 1 को एंटर किया जा सकता है। मानव निर्मित जल निकाय (बांध, मेड़, मनरेगामें निर्मित नये ताल/टैंक, आदि) के लिए कोड 2को एंटर किया जाए।

6.1.17 **मद संख्या 7(2): यदि मानव निर्मित अर्थात मद 7(1) में कोड 2 है**: जल निकाय की स्वरुप केआधार पर इसके निर्माण के प्रकार के अनुसार यानी इससे मिट्टी का है, कंक्रीट से बना हैया इसमें चिनाई का काम किया गया है, इस मद में अनुप्रयोज्य कोड को एंटर किया जाए। अन्यथा, कोड 9 को एंटर किया जाए। यदि जल निकाय केवल मिट्टी या कच्ची सामग्री से बनाहै,तब कोड 1 को एंटर किया जाए। यदि जल निकाय सीमेंट या कंक्रीट से पक्का निर्मित है, तब कोड 2 को एंटर किया जाए। यदि जल निकाय ईंटों से बना है और चिनाई का काम किया गयाहै, तो कोड 3 एंटर किया जाए। बाकी स्थितियों के लिए कोड 9 दिया जाए।

6.1.18 **मद संख्या** 8: **निर्माण वर्ष और लागत (केवल मानव निर्मित के लिए):** यदि जल निकाय मानव निर्मितहै अर्थात मद 7(1) में कोड 2 है, तब इसके निर्माण के समय खर्च हुआ मूल लागत और वर्ष (रुपये में) जब इसे बनाया गयाथा, की सूचना इस मद में एंटर की जाए।

6.1.19 **मद संख्या** 9: **नवीनीकरण/मरम्मत वर्ष (सभी जल निकायों के लिए):**यदि किसी जल निकाय का कोई नवीनीकरण या मरम्मत कार्य किया गया है, तब किए गए नवीनतमनवीनीकरण/मरम्मत की लागत (रुपये में) तथा नवीनतम नवीनीकरण/मरम्मत का वर्ष इस मद मेंएंटर किया जाए।

6.1.20 **मद संख्या 10: क्या जल निकाय का** वर्तमान में **मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरुद्वारा किया जा रहा है:** यदि वर्तमान मेंजल निकाय का मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरुद्वाराकिया जा रहा है, तब कोड 1 को एंटर किया जाएगा अन्यथा इस मद में कोड 2 को एंटर किया जाएगा।यदि वर्तमान में जल निकाय का मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरुद्वारा कार्य चल रहा है, तब मद 10(1) से 10(6) की जानकारी एंटर की जाएगी।

मद 10(1) - उस योजना कानाम लिखा जाए जिसके अधीन जल निकाय का मरम्मत/नवीनीकरण या पुनरुद्वारा कार्य चल रहा है।

मद 10(2) - योजना के अधीन शामिल होने का वर्ष।

मद 10(3) - पूरा होने का लक्षित वर्ष।

मद 10(4) - अनुमानित लागत।

मद 10(5) - हेक्टेयर मेंसंभाव्य पुनःप्रवर्तन का लक्ष्य। संभाव्य पुनःप्रवर्तन का लक्ष्य सुधार से संबंधित है औरइससे मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरुद्वारा केकारण बढ़ने वाली अतिरिक्त क्षमता को सूचित करेगा।

मद 10 (6) -हेक्टेयर में पुनरुज्जीवित सिंचाई क्षमता। पुनरुज्जीवित सिंचाई क्षमता अब तक के अतिरिक्तया आंशिक पुनरुज्जीवित क्षमता को दर्शाएगी।

6.1.21 **मद संख्या 11(1):क्या जल निकाय केन्द्रीय योजना से संबद्ध है:**यदि कोई जल निकाय किसी केंद्रीय योजना के अधीन है, तो कोड 1 को एंटर किया

जाए जा सकता है, अन्यथा कोड 2 को एंटर किया जाए। केंद्रीय योजनाशब्द से तात्पर्य उन योजनाओं से है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार या डिज़ाइन कियागया है और पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित है।

6.1.22**मद संख्या 11(2): केन्द्रीय योजना का नाम जिसके अधीन उक्त जलनिकाय संरक्षित है:**यदि 11(1) में कोड 1 को चुना जाता है, तब केंद्रीय योजना का नाम चुना जाए। कोड निम्न प्रकार सेहैं:

जल जीवन मिशन -1

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-2

उपर्युक्त उल्लिखित के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्रीय योजना के लिए -3

6.1.23 **मद संख्या 12(1): क्या जल निकाय में वर्ष भर पानी रहता है:**यदि जल निकाय में वर्ष भर सामान्य रूप से पानी रहता है, तो कोड 1 दिया जाए, अन्यथा कोड 2 की सूचना दी जानी चाहिए।

6.1.24 **मद संख्या 12(2):**यदिमद 12(1) में कोड 2 है अर्थात 'नहीं', तो जल निकाय में कितने माह तक पानी भरा रहता है, इसकेलिए उचित कोड एंटर करना होगा। इस मद के लिए कोड निम्न प्रकार से हैं:

9 माह से अधिक -1
6-9 माह -2
6 माहसे कम -3

6.1.25 **मद संख्या 13: संदर्भ वर्ष** 2023-24 **के दौरान जल निकाय का जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में):** जलाशय केजल विस्तार क्षेत्र को चार दशमलव बिन्दुओं तक हेक्टेयर में एंटर करना होगा। यदिजलाशय एक से अधिक ग्राम में फैला हुआ है, तो जल विस्तार क्षेत्र की गणना के लिए पूरेक्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया जा सकता है। इससे स्पष्ट किया जाता है कि जल विस्तारक्षेत्र का अर्थ जल से आच्छादित क्षेत्र अर्थात जल से आच्छादित भूमि (जलमग्न क्षेत्र)होगा। यदि जल विस्तार क्षेत्र का अधिकांश भाग एक विलेज में ही पड़ता है, तब इसे उसी विलेजमें आच्छादित माना जाएगा।

6.1.26 **मद संख्या 13(1): चालू वर्ष के दौरान जलाशय का जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में):** उक्त वर्ष के लिए जलाशयके जल विस्तार क्षेत्र को उस वर्ष एंटर करना होगा जब अनुसूची को चार दशमलव बिन्दु तक हेक्टेयर में।

6.1.27 **मद संख्या 13(2): न्यूनतम विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में):** जलाशय का न्यूनतम जल विस्तार क्षेत्र हेक्टेयर में चार दशमलव बिंदुतक एंटर किया जाए।

6.1.28 **मद संख्या 13(3): अधिकतम जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में):** जलाशय का अधिकतम जल विस्तार क्षेत्र चार दशमलव बिंदु तक हेक्टेयर में रिपोर्ट किया जाए।

6.1.29 **मद संख्या 14: पूर्ण रूप से भर जाने पर जलाशय की अधिकतम गहराई (मीटरमें):**इस मद में जल निकाय की अधिकतमगहराई (मीटर में) एंटर की जाए। भले ही डेटा संग्रह के समय जल निकाय पूरी तरह सेभरा न हो, लेकिन गहराई को इससे मानकर एंटर किया जाएगा कि इससे पूरी तरह से भरा हुआ है।प्राकृतिक जल निकायों के लिए, गहराई का निर्धारण स्थानीय या विलेज के जानकार व्यक्तियोंसे परामर्श करके किया जा सकता है। मानव निर्मित जल निकायों के लिए, गहराई की जानकारी विशेष रुप से प्रशासनिक अभिलेखों में उपलब्ध है।

6.1.30 **मद संख्या 15: जलाशय की संचयन क्षमता हजार घन मीटर में:** इस मद में जल निकाय की मूल संचयन क्षमता और वर्तमानसंचयन क्षमता को हजार घन मीटर मेंएंटर करना चाहिए। ग्राम के सभी टैंकों / तालाबों / जलाशयों के डिज़ाइनकिए गए संचयन को मूल रूप से उपलब्ध होने पर अभिलेखों से प्राप्त किया जा सकता है अन्यथासतह क्षेत्र और टैंक की औसत गहराई की मदद से और उनके कुल योग का अनुमान लगाया जा सकताहै और यहाँ एंटर किया जा सकता है। जलाशय की डिज़ाइन की गई क्षमता रिकॉर्डों में उपलब्धहो सकती है क्योंकि ये आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में होते हैं, यानीसहकारी समितियों / सरकारी विभाग के स्वामित्व में होते हैं और रिकॉर्डों से जानकारी लीजा सकती है। अलग-अलग किसानों के स्वामित्व वाले तालाबों / टैंको के मामले में, मालिकसे प्राप्त अनुसार स्थानीय इकाइयों से रूपांतरण के बाद, हजार घन मीटर के संदर्भ में इसकी अनुमानितमात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

6.1.31 **मद संख्या 16: भरा हुआ संचयन (2023-24 के दौरान):**इस मद के लिए सूचना संदर्भवर्ष 2023-24 के लिए एकत्र की जाए और उचित कोड एंटर किया जाए। इस मद के लिए कोड हैं:

भराहुआ -1

¾ तक -2

1/2 तक -3,

1/4 तक -4

शून्य/नगण्यभरा हुआ- 5.

6.1.32 **मद संख्या 17: क्या जल निकाय में गाद मौजूद है जो इसकी क्षमता कोकम कर रही है:** यदि जल निकाय में गादमौजूद है तो 'हाँ' का चयन करना चाहिए अन्यथा 'नहीं' का चयन करना चाहिए। इसजानकारी को प्राप्त करने के लिए कुछ स्थानीय और जानकार व्यक्तियों से भी संपर्क कियाजा सकता है।

6.1.33 **मद संख्या 18: संचयन स्थान के भरने की स्थिति (पिछले 5 वर्षों केदौरान संचयन के लगभग 50% भरने के आधार पर):** पिछले 5 वर्षों में 50% संचयन क्षमता भरने की जानकारी के आधार परउपयुक्त कोड तय किया जाएगा। कोड निम्न प्रकार से हैं:

हरसाल भरा जाता है - 1

अकसरभरा हुआ - 2

बहुत कम भरा गया - 3

कभीनहीं भरा गया - 4

उदाहरण के लिए, यदि कोई जल निकाय पिछले 5 वर्षों में हर सालअपनी कुल क्षमता के 50% या उससे अधिक तक भरा जाता है, तो कोड 1 एंटर किया जाएगा।यदि कोई जल निकाय पिछले 5 वर्षों में कभी भी अपनी कुल क्षमता के 50% या उससे अधिकतक नहीं भरा गया है, तो कोड 4 एंटर किया जाएगा।

6.1.34 **मद संख्या 19(1): लाभान्वित शहरों/नगरों /ग्रामों की संख्या**: कवरेज के अंतर्गत आने वालेजल निकाय से लाभान्वित होने वाले शहरों/नगरों और ग्रामों की संख्या को सुनिश्चित किया जाए और इस मद में अलग से एंटर किया जाए।

6.1.35 **मद संख्या 19(2): जल निकाय से सीधे लाभान्वित लोगों की संख्या:**इस जल निकाय सेसीधे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या मद में सूचित किया जाए। यदि सही संख्या एकत्रित करनेमें कोई समस्या हो तो स्थानीय जानकार व्यक्ति से अनुमानित संख्या सुनिश्चित करके एंटर की जाए।

6.1.36 **मद संख्या 20(1): क्या जल उपयोगकर्त्ता संघ (डब्ल्यूयूए) का गठन कियागया है (व्यक्तिगत स्वामित्व को छोड़कर):** यदि विचाराधीन जल निकाय के जल के उपयोग से संबंधित विषयों पर निर्णयलेने के लिए, जल निकाय उपयोगकर्त्ता संघ का गठन किया गया है या संबद्ध है, तो कोड 1 एंटर किया जाएगा और यदि नहीं, तो कोड 2 एंटर किया जाएगा। जानकारी प्राप्तकरने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि, यदि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जानकारीउपलब्ध नहीं होती है, तब कोड 3 यानी ज्ञात नहीं एंटर किया जा सकता है। जिन जल निकायोंका स्वामित्व व्यक्तिगत है यानी मद 5 में कोड 6 है, उनके लिए इसे खाली दिया जाए।

6.1.37 **मद संख्या 20(2), यदि हां अर्थात मद 20(1) में कोड 1:**यदि मद 20(1) में दी गई जानकारी हाँ है अर्थात कोड 1 है, तब इससे संभवहै कि जल निकाय का कुछ क्षेत्र जल उपयोगकर्त्ता संघ द्वारा कवर नहीं किया गया हो। इससंदर्भ में, निम्नलिखित प्रश्नों के अंतर्गत संबंधित कोड नीचे दिए गए हैं:

i. मद 20(2) (ए) - डब्ल्यूयूए द्वारा कवर किए गए क्षेत्र की सीमा

यदि जल उपयोगकर्त्ता संघ जल निकाय के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करताहै -1

यदि जल उपयोगकर्त्ता संघ जल निकाय के आंशिक क्षेत्र को कवर करता है- 2

ii. मद 20(2)(ख) किसी जल निकाय में गठित जल उपयोगकर्त्ता संघों (डब्ल्यूयूए) की कुल संख्या सेसंबंधित है।

6.1.38 **मद संख्या 21: क्या जल निकाय, जिला सिंचाई योजना (डीआईपी)/राज्य सिंचाईयोजना (एसआईपी) में शामिल है:** यदि सर्वेक्षणके अधीन शामिल जल निकाय जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) या राज्य अंतर्गत सिंचाई योजना (एसआईपी)में शामिल है, तब इस मद में कोड 1 को एंटर किया जाए अन्यथा कोड 2 को एंटर किया जाएगा। इससेजानकारी जिला अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।

6.1.39 **मद संख्या 22(1): क्या जल निकाय का कोई क्षेत्र अतिक्रमणित है (हां-1, नहीं-2):** यदि जल निकाय या उसके किसी भाग/क्षेत्र पर अतिक्रमणकिया गया है, तब कोड 1 एंटर किया जाए अन्यथा इस मद में कोड 2 एंटर किया जाए। जलनिकाय पर अतिक्रमण से तात्पर्य, जल निकाय की परिभाषित सीमा में अनधिकृत प्रवेश से है, जिसमें गणनाकर्ता द्वारा प्रेक्षित अनुसार विभिन्न मानवीय गतिविधियोंजैसे निर्माण, कृषि आदि शामिल है।

6.1.40 **मद संख्या 22(2) और मद संख्या 22(3): यदि मद 22(1) में हां**: यदि इससे पायाजाता है कि जल निकाय के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है तो इससे पता लगाना होगा कि क्याअतिक्रमण क्षेत्र का अनुमानित (प्रतिशत) आकलन किया जा सकता है। यदि हाँ, तो अतिक्रमण किएगए क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत मद 22(3) में दशमलव के बिना दो अंकों में दिया जा सकताहै। लोक प्राधिकरणों के स्वामित्व वाले जल निकाय के लिए अतिक्रमण के क्षेत्रका आकलन करने के लिए, उस प्राधिकरण से मूल जल विस्तार क्षेत्र के बारे में पूछताछ कीजा सकती है जिसके अधीन जल निकाय कार्य कर रहा है।

6.1.41 **मद संख्या 23: क्या जल निकाय एकल है या संबद्ध है:** यदि केवल एक जल निकाय है, तो 'स्टैंडअलोन' का चयन किया जाना चाहिए।यदि दो या अधिक जल निकाय एक दूसरे से संबद्ध हैं (उदाहरण के लिए किसी जलसंयोगी द्वारा), तो 'कनेक्टेड' का चयन करना चाहिए।

6.1.42 **मद संख्या 23(1): यदि जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए जल निकायों कीसंख्या:** यदि जल निकाय आपस में जुड़ेहुए हैं, तो जुड़े हुए जल निकायों की संख्या यहां एंटर की जानी चाहिए।

6.1.43 **मद संख्या 24: क्याइस जलाशय को पिछली गणना में शामिल किया गया था:** यदि जल निकाय को पहले से भरे गए डेटा में सूचीबद्ध किया गया था, तब 'हां' एंटर किया जाना चाहिए; अन्यथा 'नहीं' का चयन करना चाहिए। भले ही जानकारी पहलेसे भरी न गई हो, गणनाकर्ता को पूछताछ करनी चाहिए और इससे निर्धारित करना चाहिए कि मदों को पूरा किया गया था या नहीं। यदि इसे पूरा किया गया था, तब 'हां' एंटर किया जाएगा।

*****

अध्याय सात:

सतही जल अनुसूची को भरे जाने संबंधी सामान्य अनुदेश

(7वीं लघु सिंचाई गणना)

7.0 सतही **जल अनुसूचियाँ**

सभीसतही जल योजनाएँ, अर्थात् गाँव में सतह प्रवाह और सतह लिफ्ट योजनाएँ जो मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से हैं या केवल भूजल पुनर्भरण के लिए हैं, उन्हें सतही जल योजना अनुसूची भरने के लिए शामिल किया जाएगा। गाँव की सभी योजनाओं को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उनकी गिनती की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योजना छूटने न पाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि किसी योजना का कमान क्षेत्र एक से अधिक गाँवों में फैला है, तो भी उसे उस गाँव में केवल एक योजना के रूप में माना जाएगा जहाँ यह स्थित है। अनुसूचियाँ केवल 2023-24 के दौरान या उससे पहले चालू की गई योजनाओं के लिए भरी जानी हैं। हालाँकि, जो योजनाएँ 2017-18 या उससे पहले सिंचाई के उद्देश्यों के लिए 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं हैं' उन्हें इस गणना के कवरेज में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी योजना के न छूटने का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक सतही जल योजना के लिए अलग अनुसूची भरी जाएगी।

अनुसूचियां केवल 2023-24 के दौरान या उससे पहले शुरू की गई योजनाओं के लिए भरी जानी हैं।

7.1 पहचान विवरण

राज्य/जिला/ब्लॉक (तहसील)/गांव का नाम स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा। इस खंड में अक्षांश और देशांतर को दर्ज़ किया जाना भी शामिल है। गणना की तारीख को तारीख/माह/वर्ष प्रारूप में स्वतः दर्ज किया जाना चाहिए।

7.2 विशिष्ट जानकारी

7.2.1 **मद संख्या 1: योजना की क्रम संख्या:** किसी गांव में सतही जल योजनाओं को क्रमानुगत क्रम संख्या दी जानी चाहिए। यह मोबाइल एप्लीकेशन में स्वतः ही जनरेट हो जाएगी। यह उस गांव में उस विशेष सतही जल योजना की पहचान संख्या के रूप में काम करेगी और यह ध्यान रखना चाहिए कि डाटा संग्रह का कार्य संबंधित गांव के उत्तर-पश्चिमी कोने से शुरू किया जाना चाहिए और

सर्पीलाकर रूप में आगे बढ़ना चाहिए। यह एप्लीकेशन गणनाकर्ताओं को मौजूदा योजनाओं की पुष्टि करने या नई योजनाएँ जोड़ने की अनुमति देते हुए छठी एमआई गणना में सूचीबद्ध योजनाओं की गिनती एलजीडी कोड के साथ पहले से कर लेगा।

7.2.2 **मद संख्या 2: योजना का प्रकार: योजना के प्रकार को नीचे दिए गए कोड के अनुसार दर्ज किया जाना है:**

सतह प्रवाह योजना -1

सतह लिफ्ट योजना - 2.

ऐसी योजनाएं जैसे तालाब या टैंक/जलाशय जिनकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर तक है तथा जल वितरण छोटी नहरों के माध्यम से खेतों तक किया जाता है, उन्हें सतही प्रवाह योजना (कोड 1) में शामिल किया जाएगा। वे योजनाएं जिनमें पानी को डीजल/बिजली या मैनुअल/पशु चालित पम्पसेट की सहायता से नालों/नदियों या तालाब/टैंकों से लिफ़्ट किया जा रहा है, उन्हें सतही लिफ्ट योजना में शामिल किया जाएगा। कोई भी तालाब या टैंक जिसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है और यह केवल मछली पकड़ने/पीने के लिए है, ऐसे जल निकायों को सतही जल योजना अनुसूची में दर्ज़ करने के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे तालाब/टैंक/जलाशय गांव के आवासीय क्षेत्र के भीतर या गांव के किनारे और कभी-कभी गांव से दूर भी हो सकते हैं। इसलिए, ऐसे जल निकायों के संबंध में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि गांव के जानकार व्यक्तियों की मदद से ऐसे निकायों के उपयोग के बारे में पता चल सके।

7.2.3 **मद संख्या 3.1: मद 2 में कोड सं. 1 होने की स्थिति में सतही प्रवाह योजना प्रकृति:** यदि योजना सतही प्रवाह वाली है, तो योजना कोड की प्रकृति दर्ज की जा सकती है। योजना की प्रकृति को दर्ज करते समय अवधारणा और परिभाषा भाग में प्रस्तुत परिभाषा का संदर्भ लिया जा सकता है। कोड इस प्रकार हैं:

जलाशय	- 1
टैंक/तालाब	- 2

अन्य भंडारण - 3
स्थायी विपथन - 4
अस्थायी विपथन - 5
जल संरक्षण-सह-भूजल पुनर्भरण योजनाएं / रिसाव टैंक / चेक डैम आदि - 6
स्प्रिंग चैनल - 7
अन्य - 9

आकार में बड़े और विशेष रूप से सिंचाई कार्य के लिए निर्मित जलाशयों के मामले में कोड1 दिया जाएगा। तालाबों/टैंकों के लिए कोड2 दिया जा सकता है। टैंक न तो बहुत छोटा होता है और न ही बहुत बड़ा, लेकिन इसे पार करने के लिए किसी नौका या नाव की आवश्यकता हो सकती है, जबकि तालाब छोटे जल निकाय होते हैं जो ज्यादातर कच्ची प्रकृति के होते हैं और उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए नौका या नाव की आवश्यकता नहीं होती है। स्थायी मोड़ वे चैनल हैं जो सिंचाई के लिए किन्हीं सतही जल निकायों से पानी की धारा को स्थायी रूप से मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। अस्थायी मोड़ ऐसे मोड़ हैं जो सिंचाई हेतु किन्हीं सतही जल निकायों से कुछ समय के लिए कच्चे निर्माण द्वारा पानी की धारा को थोड़े समय के लिए मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं।

7.2.4 **मद संख्या 3.2: मद सं. 2 में कोड सं. 2 होने की स्थिति में** सतह **लिफ्ट योजना की प्रकृति:** यदि योजना सतह लिफ्ट की है, तो दिए गए कोड में से कोई भी एक कोड दर्ज किया जा सकता है।

नदी के ऊपर	-1
धारा के ऊपर	-2
नाली/नहर के ऊपर	-3
टैंक/तालाब/जलाशय/चेक डैम के ऊपर	-4
अन्य	-9

7.2. 5**मद संख्या 4: योजना का स्वामी :**योजना का स्वामी व्यक्तिगत किसान होने के मामले में नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा उपयुक्त कोड दिया जाना चाहिए। कोड निम्नानुसार है -

सरकारी स्वामित्व	-1
सहकारी स्वामित्व	-2
पंचायत के स्वामित्वाधीन	- 3
कृषक समूहों के स्वामित्वाधीन	- 4
व्यक्तिगत किसान के स्वामित्वाधीन	-5
अन्य	-9

योजना का स्वामी किसान/सहकारी समिति/सरकारी विभाग/संगठन/कृषक समूह हो सकता है। स्वामित्व का प्रकार कोड सहित इस मद के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति के अनुपस्थित होने की स्थिति में पड़ोसी या योजना के कब्जाधारक व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है।

7.2.6 **मद संख्या 5: खसरा संख्या/भूखंड संख्या/सर्वेक्षण संख्या, जिसमें योजना स्थित है:** खसरा संख्या/भूखंड संख्या/सर्वेक्षण संख्या को, जिसमें योजना स्थापित की गई है; भौतिक सत्यापन आदि के लिए इस मद के सामने नोट किया जाएगा, जिसकी आवश्यकता बाद में हो सकती है।

7.2.7 **मद संख्या 6(क): भूस्वामी की कुल जोत (केवल व्यक्तिगत स्वामी के मामले में):** यह मद केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में ही भरी जानी चाहिए। देश के किसी भी भाग में भूस्वामी के स्वामित्व का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर माप में दर्ज किया जाना चाहिए। इस मद के सामने 3 दशमलव बिन्दु तक भूस्वामी के स्वामित्व वाली योजना की भूमि का उल्लेख हेक्टेयर में किया जाएगा। इस अनुसूची को भरते समय, यदि स्वामित्व वाली जोत स्थानीय इकाइयों में उपलब्ध है, तो इसे पेंसिल से उसी रूप में नोट किया जाए और बाद में अनुसूची को अंतिम रूप देते समय, स्थानीय इकाइयों को कैलकुलेटर की सहायता से हेक्टेयर में परिवर्तित किया जाए और इसके बाद इसे भरा जाना चाहिए।

7.2.8 **मद संख्या 6 (ख): भूस्वामी की सामाजिक स्थिति (केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में):** सामाजिक स्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या अन्य के लिए उपयुक्त कोड, यथास्थिति, केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति	- 1
अनुसूचित जनजाति	- 2
ओबीसी	- 3
अन्य	- 9

केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सामाजिक स्थिति का ही उपयोग किया जा सकता है। कुछ राज्यों में, कुछ जातियों को केवल राज्य सरकार की नौकरियों के लिए राज्य के भीतर विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए शामिल नहीं किया गया है। ऐसे वर्गीकरणों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। किसी जाति के अखिल भारतीय चयन के लिए अ.जा., अ.ज.जा. या अ.पि.व. में शामिल होने की स्थिति में ही उसे विशेषतः वर्गीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।

7.2.9 **मद संख्या 6 (ग): भूस्वामी की लैंगिक स्थिति (केवल व्यक्तिगत भू स्वामी के मामले में):** इस मद में भूस्वामी की लैंगिक स्थिति का कोड दर्ज किया जाना है। कोड इस प्रकार हैं:

पुरुष	- 1
महिला	- 2
ट्रांसजेंडर	- 3

7.2.10 **मद संख्या 7: योजना के चालू होने का वर्ष:** योजना के चालू होने के वर्ष के लिए उपयुक्त कोड का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्ष 2018-19 या उससे पहले लागू की गई योजनाओं के लिए कोड संख्या '1' दर्शाया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

2018-19 में या उससे पहले - 1
2019-20 के दौरान - 2
2020-21 के दौरान - 3
2021-22 के दौरान - 4
2022-23 के दौरान - 5
2023-24 के दौरान - 6

7.2.11 **मद संख्या 8(क): योजना के निर्माण की लागत (रुपये में):** योजना को लागू करते समय निर्माण की लागत (मशीनरी की लागत को छोड़कर) का उल्लेख इस मद में किया जाएगा। सतही जल योजनाओं के मामले में निर्माण की लागत में तालाब/टैंक/अन्य संचयन या विपथन की खुदाई के लिए मजदूरी की लागत शामिल हो सकती है, चाहे वह चिनाई कार्य के साथ हो या उसके बिना हो, तथा इसमें भूमि की लागत भी शामिल हो सकती है, यदि भूमि वास्तव में भूस्वामी द्वारा जल निकाय के निर्माण के लिए खरीदी गई हो।

7.2.12 **मद संख्या 8(ख): मशीनरी की लागत (रुपये में):** मोटर/पंप/जल वितरण उपकरणों जैसे पाइप, ड्रिप या फौहारा, सौर ऊर्जा पैनल के लिए मशीनरी की कोई भी लागत इस मद में रुपए में मशीनरी की लागत में शामिल की जानी चाहिए। इसमें पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उपकरणों की खरीद पर हुआ व्यय शामिल हो सकता है।

7.2.13 **मद संख्या 8(ग): वर्ष 2023-24 के दौरान रखरखाव की लागत (रुपये में):** संदर्भ वर्ष 2023-24 के दौरान योजना पर किए गए मरम्मत और रखरखाव व्यय को ध्यान में रखते हुए इसे रुपये मूल्य में नोट किया जा सकता है। मशीनरी में प्रतिस्थापन और परिवर्धन की प्रकृति को यहां शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मशीनरी की लागत में शामिल किया जा सकता है। रखरखाव लागत में तालाब/टैंक/जलाशय और अन्य भंडारण की गाद निकालने की लागत, मेढ़ों/चैनलों या लिफ्टिंग डिवाइस, पाइप आदि की मरम्मत शामिल होगी।

7.2.14 **मद संख्या 9(क): वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत (2 तक) (यह मद केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में भरा जाना चाहिए):** इसका उद्देश्य योजना के

वित्त पोषण के दो प्रमुख स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना है जो किसानों की अपनी बचत, बैंक ऋण या सरकारी निधि के माध्यम से हो सकते हैं। इस मद में उपयुक्त कोड दर्ज किए जाएंगे। यदि योजना को दो या अधिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाता है, तो जिस स्रोत से अधिक राशि ली गई है उसे पहले स्थान पर और दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत को दूसरे स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

बैंक ऋण	- 1
सरकारी निधि	- 2
स्वयं की बचत	- 3
साहूकार	- 4
अन्य	- 9

इस मद में योजना के निर्माण या मशीनरी की खरीद हेतु धन के स्रोत पर विचार किया जा सकता है। सरकार या बैंक/साहूकारों से धन नहीं लिए जाने की स्थिति में या तो स्वयं की बचत से इसकी व्यवस्था की जा सकती है या इसे मित्रों और रिश्तेदारों से लिया जा सकता है। मित्रों/रिश्तेदारों से लिया गया ऋण ब्याजयुक्त होने की स्थिति में इसे साहूकारों से लिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को सरकारी ऋण के रूप में माना जा सकता है और सहकारी बैंकों या ग्रामीण बैंकों/भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण को बैंक ऋण में शामिल किया जाना चाहिए।**7.2.15 मद संख्या 9(ख): यदि सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कोई सब्सिडी/सहायता प्रदान की गई है तो :** इस मद में एमआई योजना के निर्माण या योजना को अमल में लाने हेतु मशीनरी की खरीद या जल वितरण प्रणाली सहित मशीनरी के लिए प्राप्त सब्सिडी की राशि को (i) निर्माण/खुदाई की लागत के लिए, (ii) मशीनरी/वितरण उपकरण आदि की लागत के लिए अलग से रुपये में दर्ज किया जाएगा। यदि निर्माण या मशीनरी के लिए कोई सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो इसे इस मद में दर्ज किया जा सकता है। यदि निर्माण के लिए मनरेगा सहायता प्रदान की जाती है, तो इसका मूल्य निर्धारण किया जा सकता है और संबंधित भाग के लिए इस मद में शामिल किया जा सकता है।

7.2.16 **मद संख्या 10 (क): योजना की वर्तमान स्थिति:** योजना वर्तमान में "उपयोग में है" या अस्थायी अथवा स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं है" इसकी जानकारी कोड के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

उपयोग में	- 1
अस्थायी रूप से "उपयोग में नहीं"	- 2
स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं"	- 3

जैसा कि पहले बताया गया है, 7वीं एमआई गणना के लिए संदर्भ वर्ष 2023-24 है। वह योजना, जो संदर्भ वर्ष से पहले पिछले दो वर्षों यानी 2021-22 और 2022-23 के दौरान अस्थायी कारणों से 'उपयोग में नहीं' है, लेकिन उपयोग के लिए परित्यक्त घोषित भी नहीं की गई है, उसे अस्थायी रूप से 'उपयोग में नहीं' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष योजनाएं यानी 'उपयोग में' और 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' को छोड़कर योजनाओं को 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

7.2.17 **मद संख्या 10 (ख): 'उपयोग में नहीं' की वर्ष संख्या:** इस मद के सामने 'उपयोग में नहीं' से आगे के वर्षों की अवधि दर्ज की जाएगी। इसे 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' और 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं' दोनों के लिए दर्ज किया जाएगा। 2017-18 या उससे पहले उपयोग में नहीं आने वाली योजनाएं 7वीं एमआई गणना के कवरेज से बाहर होंगी।

7.2.18 **मद संख्या 11: यदि मद 10(क) में कोड 2 है, तो "अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं" योजना का कारण:** जो योजनाएँ अस्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" हैं, उनके लिए कोड में कारण दिया जाना चाहिए। कोड निम्नानुसार हैं:

पर्याप्त बिजली/ईंधन की अनुपलब्धता	- 1
यांत्रिक खराबी	- 2
पानी का कम बहाव	- 3
वित्त की अनुपलब्धता	- 4
भंडारण पूरी तरह से नहीं भरा जाना	- 5
नहर/भंडारण में गाद जमना	- 6
चैनलों का टूटना	- 7

कोई अन्य कारण - 9

7.2.19 **मद संख्या 12: यदि मद 10(क) में कोड 3 है, तो "स्थायी रूप से उपयोग में नहीं" योजना का कारण:** स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" वाली योजनाओं के लिए कोड में कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

लवणता के कारण	- 1
सूख जाना	- 2
नष्ट हो जाना जो मरम्मत योग्य नहीं है	- 3
समुद्री जल प्रवेश कर जाने के कारण	- 4
औद्योगिक बहिस्राव के कारण	- 5
बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजना की उपलब्धता	- 6
डूबने के कारण	- 7
अन्य कारण से	- 9

7.2.20 **मद संख्या 13: जल वितरण के लिए प्रयुक्त विधि:** किसान सिंचाई के लिए जल वितरण संबंधी विभिन्न प्रकार के उपकरणों को अपना रहे हैं। भूजल चैनल के पारंपरिक तरीकों के अलावा फौहारा और बूंद-बूंद सिंचाई विधियों ने किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे जल वितरण उपकरणों के लिए उचित कोड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

खुला जल चैनल (आस्तरित/ पक्का)	- 1
खुला जल चैनल (अनास्तरित/ कच्चा)	- 2
भूमिगत पाइप	- 3
सतह पाइप	- 4
ड्रिप	- 5
फौहारा	- 6
अन्य	- 9

7.2.21 **मद संख्या 14: लिफ़्ट उपकरण का प्रकार (केवल सतह लिफ़्ट योजना के लिए):** स्रोत से पानी उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के प्रकार को यहां उचित कोड द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

सबमर्सिबल पंप	- 1
अपकेंद्री (सेंट्रीफ्यूगल) पंप	- 2
टरबाइन/जेट पंप	- 3
मैनुअल/पशु आधारित	- 4
अन्य	- 9

7.2.22 **मद संख्या 15: ऊर्जा का स्रोत (केवल सतह लिफ्ट योजना के लिए):** पानी उठाने के लिए लिफ्टिंग डिवाइस को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत उचित कोड द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। ये कोड हैं:

इलेक्ट्रिक	- 1
डीजल	- 2
पवन चक्की	- 3
सौर	- 4
मैनुअल/पशु आधारित	- 5
अन्य	- 9

7.2.23 **मद संख्या 16: लिफ्टिंग डिवाइस की अश्व शक्ति (लिफ्टिंग डिवाइस मैनुअल/पशु आधारित होने की स्थिति में अनदेखा करें):** लिफ्टिंग डिवाइस की अश्व शक्ति (केवल सतहलिफ्ट योजना के लिए) दर्ज की जानी है।

7.2.24 **मद संख्या 17: पम्प के प्रचालित होने संबंधी दिनों की संख्या (लिफ्टिंग डिवाइस मैनुअल/पशु आधारित होने की स्थिति में अनदेखा करें):** ये आंकड़े किसान द्वारा बताई गई वास्तविक प्रचालन दिनों की संख्या के अनुसार प्रत्येक मौसम के लिए इनका अलग से उल्लेख किया जाना है।

7.2.25 **मद संख्या 18: प्रतिदिन पम्पिंग का औसत समय:** इसे किसान द्वारा बताए गए वास्तविक प्रचालित औसत समय के अनुसार प्रत्येक मौसम के लिए अलग-अलग दिया जाना है।

7.2.26 **मद संख्या 19(क): क्या यह योजना नहर आदि जैसी बड़ी और मध्यम योजनाओं के** कमान **में अवस्थित है:** कुछ छोटी सिंचाई योजनाएँ संयुक्त उपयोग के लिए बड़ी/मध्यम योजनाओं के कमान में स्थित हो सकती हैं। ऐसी योजनाओं की भी गणना की जानी है। उनके उपयोग के आधार पर उपयुक्त कोड इस मद में इस प्रकार नोट किया जा सकता है:

हाँ -1

नहीं -2

7.2.27 **मद 19(ख): यदि योजना** कमान**क्षेत्र में है, अर्थात मद 19(क) में कोड 1 है:** (i) इस मद के सामने एमएमआई परियोजना का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। (ii) सामान्यतः यह अपेक्षित है कि प्रमुख/मध्यम योजनाओं के कमान क्षेत्र में एमआई योजनाओं की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि मध्यम या प्रमुख योजना से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। इसके बावजूद यदि कमानक्षेत्र में कोई एमआई योजना विद्यमान है, तो उसका कारण बताया जा सकता है। संबंधित कोड इस प्रकार हैं:

प्रमुख/मध्यम योजना से खेत तक पानी उपलब्ध न होना -1,
पानी उपलब्ध है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है -2,
इपानी उपलब्ध है, लेकिन सिंचाई के लिए उपयोग लायक नहीं है -3,
अन्य कारण -9

कमान क्षेत्र का नाम मद 19ख(i) में दर्ज किया जा सकता है और कमान क्षेत्र में योजना के लिए कारण संबंधी कोड मद 19(ख)(ii) में दर्ज किया जा सकता है।

7.2.28 **मद 19(ग): क्या यह योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है:** हाँ-1, नहीं-2: ऐसी योजनाएँ हो सकती हैं जिनका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है और केवल संवर्धन के लिए किया जाता है यानी योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है। ऐसे मामलों में, कोड 1 दिया जा सकता है और मद 20 से 30 को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के मामले बहुत कम हो सकते

हैं। अधिकांश मामले सिंचाई के लिए बनाई गई योजनाएँ होंगी यानी मद 19 (सी) में कोड 2 होगा।

7.2.29 **मद संख्या 20: कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) (हेक्टेयर में):** इस कॉलम में, संदर्भ अवधि के दौरान योजना द्वारा सिंचित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को हेक्टेयर में दर्शाया जाना चाहिए। यह आम तौर पर अधिष्ठापन के समय योजना द्वारा सिंचित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का माप होता है। यदि योजना बहुत पुरानी है और भूमि उपयोग आदि में परिवर्तन के कारण पुराना कृषि योग्य कमान क्षेत्र व्यवहार्य नहीं है, तो योजना का वर्तमान अधिकतम कृषि योग्य कमान क्षेत्र दर्ज किया जाएगा। यदि सीसीए किसी अन्य गांव में भी विस्तारित है, तो योजना के लिए संपूर्ण सीसीए उस गांव में दर्ज किया जा सकता है जहां यह स्थित है।

7.2.30 **मद संख्या 21 से मद संख्या 25:मौसम के अनुसार** निर्मित **सिंचाई क्षमता (आईपीसी):** इसका उद्देश्य योजना से निर्मित सकल सिंचाई क्षमता का पता लगाना है। इसमें खरीफ, रबी, बारहमासी फसलों और अन्य मौसमी फसलों के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई संबंधी क्षेत्र को दर्शाया जाएगा। मद सं. 21 से 24 का योग मद सं. 25 में दर्ज किया जाना है। मद सं. 21, 22 और 24 के अंतर्गत आंकड़े योजना द्वारा प्रस्तावित मौसम के अनुसार सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र होने चाहिए। मद सं. 23 के अंतर्गत आंकड़े बारहमासी फसलों के लिए हैं। यदि योजना में सुधार किया गया है तो संशोधित क्षमता दर्शाई जानी है। मद सं. 25 में निर्मित सकल सिंचाई क्षमता दर्शाई जाएगी। सिंचाई क्षमता दशमलव के दो अंकों तक दर्ज की जाएगी।

7.2.31 **मद सं. 26 से मद सं. 30: वर्ष 2023-24 के दौरान मौसम के अनुसार वास्तविक सिंचित क्षेत्र (आईपीयू):** इन कॉलम में, वर्ष 2023-24 के दौरान खरीफ, रबी, बारहमासी फसलों और अन्य मौसमी फसलों के तहत वास्तव में सिंचित क्षेत्र का उल्लेख किया जाएगा। मद सं. 30 में उपयोग की गई सकल सिंचाई क्षमता को दर्शाया जाएगा। मद सं. 30 में दिए गए आंकड़े सामान्यतः मद सं. 25 में दिए गए आंकड़ों से कम या बराबर होंगे।

कुछ छोटी सिंचाई योजनाएँ ऐसी हो सकती हैं जो प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमानक्षेत्र में स्थित हैं और पूरक सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए, टैंक/तालाब/नाले पर लिफ्ट योजना प्रमुख या मध्यम योजना के कमान क्षेत्र में हो सकती है। ऐसी पूरक सिंचाई की सीमा का निर्धारण करने के लिए, मद सं. 26 से 30 में डाटा दर्ज किया जाना है।

ऐसे मामलों में, प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजना के कमानक्षेत्र में स्थित योजनाओं के माध्यम से उपयोग की गई क्षमता को दर्ज़ करने के लिए, सकल सिंचित क्षेत्र को, खेत की सिंचाई के लिए एमआई योजना केउपयोग करने की संख्या के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि खेत को एम.आई. योजना से दो बार तथा वृहद/मध्यम योजना से तीन बार सिंचित किया जाता है, तो एम.आई. योजना द्वारा प्रयुक्त सिंचाई क्षमता खेत के क्षेत्रफल की 2/5 गुना होगी।

7.2.32 **मद संख्या 31(i): क्या योजना का क्षमता से कम उपयोग हुआ है (केवल प्रचालनगत योजनाओं के लिए):** उपयोग में आने वाली योजनाओं के लिए, यह पता लगाना होगा कि क्या इसका क्षमता से कम उपयोग हुआ है और यदि हाँ, तो कोड 1 दिया जाना चाहिए अन्यथा कोड 2 दिया जाना चाहिए। यदि आईपीयू आईपीसी से काफी कम है तो योजना को क्षमता से कम उपयोग हुआ माना जाएगा।

यदि कोई एमआई योजना प्रमुख/मध्यम योजना के कमान क्षेत्र में है और योजना का आईपीयू आईपीसी से कम है, तब भी इसे क्षमता से कम उपयोग हुआ नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह आवश्यक पूरक सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कमान क्षेत्र के बाहर की योजनाओं के लिए, योजनाओं को तब कम उपयोग हुआ माना जाएगा यदि मद सं. 30 में आईपीयू मद सं. 25 में आईपीसी से काफी कम है और योजना कमान क्षेत्र से बाहर है यानी मद सं. 19 (क) में कोड 1 है। इसके अलावा, कमानक्षेत्र के भीतर की योजनाओं के लिए, आईपीयू से आईपीसी का अनुपात योजना के कम उपयोग के संबंध में वास्तविक निर्णायक कारक नहीं होगा। गणनाकर्ता को क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेना होता है। इसी प्रकार, केवल भूजल पुनर्भरण के लिए

बनाई गई योजनाओं के संबंध में गणनाकर्ता को क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेना होता है कि योजना का कम उपयोग हुआ है या नहीं, क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं में आईपीसी और आईपीयू प्रासंगिक नहीं होते हैं।

7.2.33 **मद 31(ii): यदि हां, यानी मद 31(i) में कोड 1, तो योजना के कम उपयोग के कारण:** यदि योजना का क्षमता से कम उपयोग किया गया है, तो कोड के संदर्भ में योजना के कम उपयोग का कारण बताया जाना चाहिए। ये कोड इस प्रकार हैं:

पर्याप्त बिजली की अनुपलब्धता	- 1
यांत्रिकी खराबी) मैकेनिकल ब्रेक-डाउन(	- 2
पानी का कम बहाव	- 3
भंडारण पूर्णतः भरा नहीं होना	- 4
नहर/भंडारण में गाद जमना	- 5
चैनलों का टूटना	- 6
कोई अन्य कारण	- 9

7.2.34 **मद संख्या 32: योजना के अंतर्गत** शामिल **गांवों की संख्या:** इस मद के समक्ष योजना के दायरे में आने वाले गांवों की संख्या नोट की जाएगी। यदि किसी योजना का उपयोग एक से अधिक गांवों में सिंचाई के लिए किया जाता है, तो भी उसका विवरण उस गांव के अंतर्गत अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जहां योजना संचालित है और उस गांव में निर्मित संपूर्ण सिंचाई क्षमता या उपयोग की गई सिंचाई क्षमता को एक अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जहां वह योजना संचालित है।

7.2.35 **मद संख्या 33: जलाशयों, टैंकों आदि की विशिष्ट विशेषताएं:** इसका उद्देश्य जल भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली सतही जल योजना के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी एकत्र करना है। मद सं. 33(क) से 33(ग) में भंडारण के बारे में जानकारी केवल तभी भरी जानी चाहिए जब मद सं. 3.1 में जानकारी या तो कोड 1,2,3 हो या मद सं. 3.2 में यह 4 हो। यह ध्यान दिया जाए कि यदि किसी तालाब/टैंक/जलाशय/अन्य भंडारण में एक से अधिक सतही लिफ्ट

योजनाएं हैं, तो मद 33(क) से मद 33(ग) को केवल उस तालाब/टैंक/जलाशय/अन्य भंडारण पर पहली सतही लिफ्ट योजना की अनुसूची में दर्ज किया जाना चाहिए। उसी तालाब/टैंक/जलाशय/अन्य भंडारण पर अन्य सतहीलिफ्ट योजना अनुसूचियों में, मद सं. 33(क) से मद 33(ग) को डाटा के दोहराव से बचने के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा।

क) अभिकल्पित भंडारण (घन मीटर में): सर्वेक्षण के अंतर्गत टैंक/तालाब/जलाशय का अभिकल्पित भंडारण सतही क्षेत्र और औसत गहराई की सहायता से या उपलब्ध होने पर अभिलेखों से प्राप्त किया जा सकता है। जलाशय की अभिकल्पित क्षमता अभिलेखों में उपलब्ध हो सकती है क्योंकि ये आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी सहकारी समितियों/सरकारी विभाग के स्वामित्व में होते हैं और अभिलेखों से जानकारी ली जा सकती है। व्यक्तिगत किसानों के स्वामित्व वाले तालाबों/टैंकों के मामले में, मालिकों से प्राप्त स्थानीय इकाइयों से रूपांतरण के बाद घन मीटर के संदर्भ में इसकी अनुमानित मात्रा का प्राक्कलन किया जा सकता है।

ख) संपूरित भंडारण (2023-24 के दौरान): सूचना कोड में दर्ज की जा सकती है:

पूर्ण	-1
3/4 तक	- 2
½ तक	-3
¼ तक	- 4
शून्य/नगण्य भरा हुआ	- 5

संदर्भ अवधि के दौरान भंडारण के भरने की सीमा के आधार पर कोड दर्ज किया जाएगा।

ग) भंडारण के भरे जाने की स्थिति: पिछले 5 वर्षों में भंडारण के 50% भरे जाने के आधार पर उपयुक्त कोड तय किया जाएगा। कोड इस प्रकार हैं:

प्रतिवर्ष भरा गया	- 1
सामान्यताः भरा गया	- 2
शायद ही कभी भरा गया	- 3
कभी नहीं भरा गया	- 4

7.2.36 **मद संख्या 34: जल निकाय से संबंधित विशिष्ट जानकारी:**

क) जल निकाय अनुसूची के अनुसार 21 अंकों की जल निकाय क्रमांक संख्या: यदि सतही जल योजना किसी जल निकाय पर है, तो 21 अंकों का जल निकाय कोड, जिस पर यह सतही जल योजना स्थापित है, ड्रॉप डाउन से चुना जाएगा।

ख) उपर्युक्त जल निकाय में गांव में योजनाओं की कुल संख्या: जल निकाय (गांव के भीतर) पर स्थापित योजनाओं की कुल संख्याका उल्लेख मद सं. 34(ख) में किया जाना है।

ग) जल निकाय में गांव के भीतर इस योजना की क्रमांक संख्या: यह मद सं. 34(क) में दर्ज़ की गई विशिष्ट आईडी के साथ जल निकाय पर योजना की क्रमांक संख्या है। कॉलम 34(ग) में दर्ज़ की गई अंतिम क्रमांक संख्या मद सं. 34(ख) में दर्ज़ की गई योजनाओं की कुल संख्या के बराबर होगी।

7.2.37 **मद संख्या 35: क्या एमआई योजना का उपयोग 'पेयजल' के उद्देश्य से किया जाता है?** यदि एमआई योजना का उपयोग 'पेयजल' उपलब्ध कराने में किया जाता है तो 'हां' का चयन किया जाना चाहिए अन्यथा 'नहीं' का चयन किया जाना चाहिए।

7.2.38 **मद संख्या 36: क्या योजना को पिछली गणना में शामिल किया गया था:** यदि योजना को शुरू में पहले से भरे गए डाटा में सूचीबद्ध किया गया था, तो 'हां' दर्ज किया जाना चाहिए; अन्यथा 'नहीं' का चयन किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर जानकारी पहले से भरी हुई नहीं है, तो भी गणनाकर्ता को यह पता लगाना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि उस मद को कवर किया गया था या नहीं। इसे कवर किए जाने की स्थिति में **हां** दर्ज किया जाएगा।

*****

अध्याय आठ:

भूजल अनुसूची को भरे जाने संबंधी सामान्य अनुदेश

(7वीं लघु सिंचाई जनगणना)

8.0 भूजल अनुसूची

गांव में सभी भूजल योजनाएं जैसे खोदे गए कुएं, उथले नलकूप, मध्यम नलकूप और गहरे नलकूप जो मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से हैं और पूरी हो चुकी हैं, को सूचीबद्ध किया जाएगा और गणना की जाएगी। भूजल योजनाएं जो सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग की जाती हैं या केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए हैं, उन्हें भूजल योजना अनुसूची में शामिल किया जाएगा। ऐसी योजनाएं जो 2017-18 या उससे पहले सिंचाई के उद्देश्यों के लिए 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं हैं', इस गणना में शामिल नहीं होंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र योजना छूट न जाए। यह ध्यान दिया जाए कि यदि किसी योजना का कमान क्षेत्र एक से अधिक गांवों में फैला हुआ है, तो उस स्थिति में भी इसे केवल उसी गांव में एक योजना माना जाएगा जहां यह स्थित है। प्रत्येक भूजल योजना के लिए अलग अनुसूची भरी जाएगी।

अनुसूचियों को केवल 2023-24 के दौरान या उससे पहले शुरू की गई योजनाओं के संबंध में भरा जाना चाहिए।

8.1 पहचान विवरण:

राज्य/जिला/ब्लॉक (तहसील)/गांव का नाम स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) के संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा। इस खंड में अक्षांश और देशांतर को दर्ज़ करना भी शामिल है। गणना की तारीख को तारीख/माह/वर्ष प्रारूप में स्वचालित रूप से दर्ज किया जाना है।

8.2 विशिष्ट जानकारी:

8.2.1 **मद संख्या 1: योजना की क्रम संख्या:** किसी गांव में भूजल योजनाओं के संबंध में क्रमानुगत क्रम संख्या डाली जानी चाहिए। यह मोबाइल एप्लिकेशन में स्वचालित रूप से उत्पन्न होगी। यह उस गांव में उस विशेष भूजल योजना की पहचान संख्या के रूप में कार्य करेगा और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डाटा संग्रह कार्य संबंधित गांव के उत्तर-पश्चिम कोने से शुरू होना चाहिए और सर्पिलाकार रूप में आगे बढ़ना चाहिए। यह एप्लिकेशन छठी एमआई गणना में सूचीबद्ध योजनाओं को एलजीडी कोड के साथ पहले से अंकित कर देगा, जिससे

गणनाकर्ताओं को या तो मौजूदा योजनाओं की पुष्टि करने या नई योजनाएं जोड़ने की सुविधा मिलेगी।

8.2.2 **मद संख्या 2: योजना का प्रकार:** योजना का प्रकार, चाहे वह खोदा हुआ कुआं हो या ट्यूबवेल/बोरवेल, इस मद में दर्ज किया जाना है। यदि यह खोदा हुआ कुहै तो कोड 1 दिया जाना चाहिए और ट्यूबवेल/बोरवेल के लिए कोड 2 दर्ज किया जाएगा। यदि एक खोदा हुआ कुमें एक से अधिक बोरवेल स्थापित हैं और विभिन्न बोरिंग से सिंचित क्षेत्र एक ही है, तो इसे एक योजना माना जाएगा। हालाँकि, यदि किसी डग वेल में विभिन्न बोरिंग के लिए सिंचित क्षेत्र अलग-अलग है, तो प्रत्येक बोरिंग को एक अलग योजना माना जाएगा और प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग अनुसूचियाँ भरी जाएँगी।

8.2.3 **मद संख्या 3.1: यदि मद 2 में कोड 1 है, तो डग वेल का प्रकार:** यदि कोई डग वेल है जिसमें बोरवेल स्थापित किया गया है, तो उसे डग वेल-सह-बोरवेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और मद 3.1 में कोड 1 दिया जाना चाहिए। यदि कोई डग वेल-सह-बोरवेल नहीं है, तो उसे केवल इसकी दीवारों के चिनाई या कच्ची सामग्री के आधार पर या तो पक्का या कच्चा कुआं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। किसी भी डग वेल-सह-बोरवेल को पक्का या कच्चा कुआं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। पक्का डग वेल के लिए कोड 2 है और कच्चा डग वेल के लिए कोड 3 है। किसी भी अन्य प्रकार के डग वेल को कोड 9 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

8.2.4 **मद संख्या 3.2: यदि मद सं. 2 में कोड 2 है, तो ट्यूबवेल का प्रकार**: कोड उथले ट्यूबवेल के लिए 1, मध्यम ट्यूबवेल के लिए 2, गहरे ट्यूबवेल के लिए 3 और उत्स्रुत कूप (आर्टेसियन) कुएं के लिए 4 हैं। नलकूपों के मामले में, जिनकी बोर गहराई 35 मीटर तक है, उन्हें उथले नलकूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि जिन नलकूपों की बोर गहराई 35-70 मीटर के बीच है, उन्हें मध्यम नलकूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 70 मीटर से अधिक बोर गहराई वाले नलकूपों को गहरे नलकूपों में शामिल किया जाएगा। आर्टेसियन कुएं वे हैं जिनसे पानी बिना पंपिंग के प्राकृतिक दबाव में बहता है।

8.2.5 **मद संख्या 4: योजना का स्वामी:** यदि व्यक्तिगत किसान योजना का स्वामी है तो स्वामी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए तथा उचित कोड दिया जाना चाहिए।

सरकारी स्वामित्व	- 1
सहकारी स्वामित्व	- 2
पंचायत का स्वामित्व	- 3
किसानों के समूह द्वारा स्वामित्व	- 4
व्यक्तिगत किसान द्वारा स्वामित्व	- 5
अन्य	- 9

योजना का स्वामी किसान/सहकारी समिति/सरकारी विभाग/संगठन/किसानों का समूह हो सकता है। स्वामित्व का प्रकार कोड सहित इस मद के समक्ष दर्शाया जाना चाहिए। अनुपस्थित व्यक्ति की स्थिति में पड़ोसी से या योजना के कब्जेदार व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है।

8.2.6 **मद संख्या 5 (क): खसरा संख्या/भूखंड संख्या/सर्वेक्षण संख्या जिसमें योजना स्थित है:** खसरा संख्या/भूखंड संख्या/सर्वेक्षण संख्या/जिसमें योजना स्थापित की गई है, को भौतिक सत्यापन आदि के लिए इस मद के समक्ष अंकित किया जाएगा, जिसकी बाद में आवश्यकता हो सकती है।

8.2.7 मद संख्या 5 (ख) स्थान विवरण: योजनाओं का स्थान विवरण स्थायी भूमि चिह्नों के आधार पर दिया जाएगा, ताकि विशिष्ट रूप से इसकी पहचान की जा सके। चूंकि प्रत्येक एमआई योजना को गांव में एक संख्या दी जाएगी, इसलिए इसे योजना के मुख्य भाग पर पेंट से चिह्नित किया जाएगा जो आसानी से दिखाई दे। हालांकि, स्थायी स्थलों की मदद से स्थान विवरण, योजना के किसी भी तरफ कुछ विशिष्ट विशेषता को दर्शाते हुए, जिस भूखंड पर जैसे कि नाम के साथ कोई पेड़, भवन, मंदिर, कोई छोटी संरचना या योजना के किसी भी दिशा में किसी पहाड़ी/नाले/नहर/सड़क का उल्लेख किया जाना चाहिए।

8.2.8 **मद संख्या 6(क): स्वामी की कुल स्वामित्व धारिता (0.000 हेक्टेयर):** यह मद केवल व्यक्तिगत स्वामी के मामले में भरी जानी चाहिए। देश के किसी भी भाग में भूस्वामी के स्वामित्व वाले कुल क्षेत्रफल का उल्लेख हेक्टेयर में किया जाना है। इस मद के सामने 3 दशमलव अंकों के साथ केवल योजना के स्वामी के स्वामित्व वाली भूमि का उल्लेख हेक्टेयर में किया जाएगा।

8.2.9 **मद संख्या 6 (ख): भूस्वामी की सामाजिक स्थिति (केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में):** सामाजिक स्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या अन्य के लिए उपयुक्त कोड, जैसा भी मामला हो, केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति	- 1
अनुसूचित जनजाति	- 2
ओबीसी	- 3
अन्य	- 9

केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सामाजिक स्थिति का ही उपयोग किया जा सकता है। कुछ राज्यों में, कुछ जातियों को केवल राज्य सरकार की नौकरियों के लिए राज्य के भीतर विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए शामिल नहीं किया गया है। ऐसे वर्गीकरणों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। किसी जाति के अखिल भारतीय चयन के लिए अ.जा., अ.ज.जा. या अ.पि.व. में शामिल होने की स्थिति में ही उसे विशेषतः वर्गीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।

8.2.10 **मद संख्या 6 (ग): भूस्वामी की लैंगिक स्थिति (केवल व्यक्तिगत भू स्वामी के मामले में):** इस मद में भूस्वामी की लैंगिक स्थिति का कोड दर्ज किया जाना है। कोड इस प्रकार हैं:

पुरुष	- 1
महिला	- 2
ट्रांसजेंडर	- 3

मद संख्या 7: योजना के चालू होने का वर्ष: योजना के चालू होने के वर्ष के लिए उपयुक्त कोड का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्ष 2018-19 या उससे पहले लागू की गई योजनाओं के लिए कोड संख्या '1' दर्शाया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

2018-19 में या उससे पहले	- 1
2019-20 के दौरान	- 2
2020-21 के दौरान	- 3
2021-22 के दौरान	- 4
2022-23 के दौरान	- 5
2023-24 के दौरान	- 6

7वीं एमआई गणना में शामिल की जाने वाली योजनाओं को ठीक से समझा जाना चाहिए। भूजल योजनाओं में, 2017-18 या उससे पहले चालू किए गए ऐसे खोदे हुए कुएँ जो **स्थायी रूप से 'उपयोग में नहीं हैं', उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए**।

8.2.11 **मद संख्या 8: योजना का विवरण:** खोदा हुआ कुआं/ट्यूबवेल/डग-सह-बोरवेल की गहराई, व्यास, बोर की गहराई (डग-सह-बोरवेल के मामले में), किसी भी निकटतम कुएं/ट्यूबवेल से दूरी मीटर में (ट्यूबवेल के व्यास को छोड़कर जिसे मिमी में दर्ज किया जाएगा) दर्ज की जाएगी।

8.2.12 **मद संख्या 9(क): योजना के निर्माण की लागत (रुपये में):** योजना के अधिष्ठापन के समय निर्माण की लागत (मशीनरी की लागत को छोड़कर) का उल्लेख इस मद में किया जाएगा। योजना के निर्माण की लागत में कुआं/ट्यूबवेल के निर्माण में होने वाली लागत शामिल होनी चाहिए जिसमें ड्रिलिंग की लागत, चैनलों को लाइन करने के लिए चिनाई कार्य की लागत या जल वितरण संधि-स्थल, कुआं/ट्यूबवेल को कवर करने वाली छोटी झोपड़ी या कमरे का निर्माण शामिल है जिसमें मजदूरी लागत भी शामिल है। ट्यूबवेल के मामले में, ट्यूबवेल साइट तक बिजली के केबल लाने के लिए एक या अधिक खंभे लगाने की लागत भी शामिल होनी चाहिए।

8.2.13 **मद संख्या 8(ख): मशीनरी की लागत (रुपये में):** मोटर/पंप/जल वितरण उपकरणों जैसे पाइप, ड्रिप या फौहारा, सौर ऊर्जा पैनल के लिए मशीनरी की कोई भी लागत इस मद में मशीनरी की लागत में रुपये मूल्य में शामिल की जानी चाहिए। इसमें पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उपकरणों की खरीद पर हुआ व्यय शामिल हो सकता है।

8.2.14 **मद संख्या 9(ग): वर्ष 2023-24 के दौरान रखरखाव की लागत (रुपये में):** संदर्भ वर्ष 2023-24 के दौरान योजना की मरम्मत और रखरखाव पर हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए इसे रुपये मूल्य में नोट किया जा सकता है। मशीनरी में प्रतिस्थापन और परिवर्धन की प्रकृति को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

8.2.15 **मद संख्या 10(क): वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत (यह मद केवल व्यक्तिगत भूस्वामी के मामले में भरा जाना चाहिए):** इसका उद्देश्य योजना के वित्त पोषण के दो प्रमुख स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना है जो किसानों की अपनी बचत, बैंक ऋण या सरकारी निधि के माध्यम से हो सकते हैं। इस मद में उपयुक्त कोड दर्ज किए जाएंगे। यदि योजना को दो या अधिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाता है, तो जिस स्रोत से अधिक राशि ली गई है उसे पहले स्थान पर और दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत को दूसरे स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

बैंक ऋण	- 1
सरकारी निधि	- 2
स्वयं की बचत	- 3
साहूकार	- 4
अन्य	- 9

इस मद में योजना के निर्माण या मशीनरी की खरीद हेतु धन के स्रोत पर विचार किया जा सकता है। सरकार या बैंक/साहूकारों से धन नहीं लिए जाने की स्थिति में या तो स्वयं की बचत से इसकी व्यवस्था की जा सकती है या इसे मित्रों और रिश्तेदारों से लिया जा सकता है। मित्रों/रिश्तेदारों से लिया गया ऋण ब्याजयुक्त होने की स्थिति में इसे साहूकारों से लिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को सरकारी ऋण के

रूप में माना जा सकता है और सहकारी बैंकों या ग्रामीण बैंकों/भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण को बैंक ऋण में शामिल किया जाना चाहिए।

8.2.16 **मद संख्या 10(ख): यदि सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कोई सब्सिडी/सहायता प्रदान की गई है तो :** इस मद में एमआई योजना के निर्माण या योजना को अमल में लाने हेतु मशीनरी की खरीद या जल वितरण प्रणाली सहित मशीनरी के लिए प्राप्त सब्सिडी की राशि को (i) निर्माण/ड्रिलिंग खुदाई की लागत के लिए, (ii) मशीनरी/वितरण उपकरण आदि की लागत के लिए अलग से रुपये में दर्ज किया जाएगा। यदि कुएं ट्यूब्वेल के निर्माण/ या मशीनरी के लिए कोई सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो इसे इस मद में दर्ज किया जा सकता है। यदि मनरेगा के अंतर्गत कुआं/ट्यूबवेल के निर्माण या वॉटर चैनल या भूमिगत अधिष्ठापन के लिए सहायता प्रदान की जाती है तो इसका मूल्यांकन किया जा सकता है और संबंधित भाग के लिए इस मद में शामिल किया जा सकता है।

8.2.17 **मद संख्या 11 (क): योजना की वर्तमान स्थिति:** योजना वर्तमान में "उपयोग में है" या अस्थायी अथवा स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं है" इसकी जानकारी कोड के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

उपयोग में - 1
अस्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" - 2
स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" - 3

जैसा कि पहले बताया गया है, 7वीं एमआई गणना के लिए संदर्भ वर्ष 2023-24 है। वे कुएं, जो संदर्भ वर्ष से पहले पिछले दो वर्षों यानी 2021-22 और 2022-23 के दौरान अस्थायी कारणों से 'उपयोग में नहीं' है, लेकिन उपयोग के लिए परित्यक्त घोषित भी नहीं किए गए हैं, उसे अस्थायी रूप से 'उपयोग में नहीं' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष योजनाएं यानी 'उपयोग में' और 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' को छोड़कर योजनाओं को 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

8.2.18 **मद संख्या 11 (ख): 'उपयोग में नहीं' की वर्ष संख्या:** इस मद के सामने 'उपयोग में नहीं' से आगे के वर्षों की अवधि दर्ज की जाएगी। इसे 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' और 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं' दोनों के लिए दर्ज किया जाएगा। जिन योजनाओं का उपयोग स्थायी रूप से नहीं किया जा रहा है, ऐसी योजनाएं 2017-18 से या उससे पहले उपयोग से बाहर नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे योजनाएं 7वीं एमआई गणना के कवरेज से बाहर होंगी।

8.2.19 मद संख्या 12: अस्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" योजना के लिए कारण कोड (मद सं. 11 (क) में कोड-2): जो योजनाएँ अस्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" हैं, उनके लिए कोड में कारण दिया जाना चाहिए। कोड निम्नानुसार हैं:

पर्याप्त बिजली/ईंधन की अनुपलब्धता	- 1
यांत्रिक खराबी	- 2
पानी का कम बहाव	- 3
वित्त की अनुपलब्धता	- 4
रखरखाव की कमी	- 5
कोई अन्य कारण	- 9

8.2.20 **मद संख्या 13: स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" योजना के लिए कारण कोड (मद 11(क) में कोड-3):** स्थायी रूप से "उपयोग में नहीं" वाली योजनाओं के लिए कोड में कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

लवणता के कारण	- 1
सूख जाना	- 2
नष्ट हो गई जो मरम्मत योग्य नहीं है	- 3
समुद्री जल प्रवेश कर जाने के कारण	- 4
औद्योगिक अपशिष्टों के कारण	- 5
बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजना की उपलब्धता	- 6
अन्य कारण से	- 9

8.2.21 **मद संख्या 14: जल वितरण के लिए प्रयुक्त विधि:** किसान सिंचाई के लिए जल वितरण संबंधी विभिन्न प्रकार के उपकरणों को अपना रहे हैं। भूजल चैनल के पारंपरिक तरीकों के अलावा फौहारा और बूंद-बूंद सिंचाई विधियों ने किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे जल वितरण उपकरणों के लिए उचित कोड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

खुला जल चैनल (आस्तरित/ पक्का)	- 1
खुला जल चैनल (अनास्तरित/ कच्चा)	- 2
भूमिगत पाइप	- 3
सतही पाइप	- 4
ड्रिप	- 5
फौहारा	- 6
अन्य	- 9

8.2.22 **मद संख्या 15: लिफ़्ट उपकरण का प्रकार:** स्रोत से पानी उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के प्रकार को यहां उचित कोड द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। कोड इस प्रकार हैं:

सबमर्सिबल पंप	- 1
अपकेंद्री (सेंट्रीफ्यूगल) पंप	- 2
टरबाइन/जेट पंप	- 3
मैनुअल/पशु आधारित	- 4
अन्य	- 9

आर्टीज़ियन कुएँ (मद 3.2 में कोड 4) के मामले में, लिफ़्ट उपकरण के प्रकार के लिए उपयुक्त कोड "अन्य" (कोड 9) होगा।

8.2.23 **मद संख्या 16: ऊर्जा का स्रोत:** स्रोत सेपानी उठाने के लिए लिफ्टिंग डिवाइस को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत उचित कोड द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। ये कोड हैं:

इलेक्ट्रिक - 1
डीजल - 2
पवन चक्की - 3
सौर - 4
मैनुअल/पशु आधारित - 5
प्राकृतिक - 6
अन्य - 9

आर्टीज़ियन कुएँ (मद 3.2 में कोड 4) के मामले में, ऊर्जा के स्रोत के लिए उपयुक्त कोड "प्राकृतिक" (कोड 6) होगा।

8.2.24 **मद संख्या 17: लिफ्टिंग डिवाइस की अश्व शक्ति (लिफ्टिंग डिवाइस मैनुअल/पशु आधारित/** प्राकृतिक **होने की स्थिति में अनदेखा करें):** उपयोग किए गए लिफ्टिंग उपकरण की अश्व शक्ति का उल्लेख किया जा सकता है।

8.2.25 **मद संख्या 18: पम्प के प्रचालित होने संबंधी दिनों की संख्या (लिफ्टिंग डिवाइस मैनुअल/पशु आधारित/** प्राकृतिक **होने की स्थिति में अनदेखा करें):** इससे संबंधित सूचना का उल्लेख किसान द्वारा बताई गई वास्तविक प्रचालन दिनों की संख्या के अनुसार प्रत्येक मौसम के लिए अलग से किया जाना चाहिए।

8.2.26 **मद संख्या 19: प्रतिदिन पम्पिंग का औसत समय:** इसे किसान द्वारा बताए गए वास्तविक प्रचालित औसत समय के अनुसार प्रत्येक मौसम के लिए अलग-अलग दिया जाना है।

8.2.27 **मद संख्या 20(क): क्या यह योजना नहर आदि जैसी** प्रमुख **और मध्यम** सिंचाई **योजनाओं के** कमान **में अवस्थित है:** कुछ छोटी सिंचाई योजनाएँ संयुक्त उपयोग के लिए बड़ी/मध्यम योजनाओं के कमान में स्थित हो सकती हैं। ऐसी योजनाओं की भी गणना की जानी है। उनके उपयोग के आधार पर उपयुक्त कोड इस मद में इस प्रकार नोट किया जा सकता है:

हाँ -1

नहीं -2

8.2.28 **मद 20(ख): यदि योजना कमान क्षेत्र में है, अर्थात मद 20(क) में कोड 1 है:** (i) इस मद के सामने एमएमआई परियोजना का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। (ii) सामान्यतः यह अपेक्षित है कि प्रमुख/मध्यम योजनाओं के कमान क्षेत्र में एमआई योजनाओं की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि मध्यम या प्रमुख योजना से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। इसके बावजूद यदि कमान क्षेत्र में कोई एमआई योजना विद्यमान है, तो उसका कारण बताया जा सकता है। संबंधित कोड इस प्रकार हैं:

प्रमुख/मध्यम योजना से खेत तक पानी उपलब्ध न होना	-1,
पानी उपलब्ध है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है	-2,
पानी उपलब्ध है, लेकिन सिंचाई के लिए उपयोग लायक नहीं है	-3,
अन्य कारण	-9

कमान क्षेत्र का नाम मद 20ख(i) में दर्ज किया जा सकता है और कमान क्षेत्र में योजना के लिए कारण संबंधी कोड मद 20(ख)(ii) में दर्ज किया जा सकता है।

8.2.29 **मद 20(ग): क्या यह योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है: हाँ-1, नहीं-2:** ऐसी योजनाएँ हो सकती हैं जिनका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है और केवल संवर्धन के लिए किया जाता है यानी योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है। यह तब भी सुनिश्चित किया जा सकता है जब ट्यूबवेल या डग-वेल का निर्माण मुख्य रूप से केवल पानी निकालने के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में, कोड 1 दिया जा सकता है और मद 21 से 31 को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के मामले बहुत कम हो सकते हैं। अधिकांश मामले सिंचाई के लिए बनाई गई योजना के होंगे, यानी मद 20 (ग) में कोड 2 होगा।

8.2.30 **मद संख्या 21: कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) (हेक्टेयर में):** इस कॉलम में, संदर्भ अवधि के दौरान योजना द्वारा सिंचित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को हेक्टेयर में दर्शाया जाना चाहिए। यह आम तौर पर अधिष्ठापन के समय योजना द्वारा सिंचित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का माप होता है। यदि योजना बहुत पुरानी है और भूमि उपयोग आदि में परिवर्तन के कारण पुराना कृषि योग्य कमान क्षेत्र व्यवहार्य नहीं है, तो योजना का वर्तमान अधिकतम कृषि योग्य

कमान क्षेत्र दर्ज किया जाएगा। यदि सीसीए किसी अन्य गांव में भी विस्तारित है, तो योजना के लिए संपूर्ण सीसीए उस गांव में दर्ज किया जा सकता है जहां यह स्थित है।

8.2.31 **मद संख्या 22 से मद संख्या 26:मौसम के अनुसार निर्मित सिंचाई क्षमता (आईपीसी):** इसका उद्देश्य योजना से निर्मित सकल सिंचाई क्षमता का पता लगाना है। इसमें खरीफ, रबी, बारहमासी फसलों और अन्य मौसमी फसलों के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई संबंधी क्षेत्र को दर्शाया जाएगा। मद सं. 22 से 25 का योग मद सं. 26 में दर्ज किया जाना है। मद सं. 22, 23 और 25 के अंतर्गत आंकड़े योजना द्वारा प्रस्तावित मौसम के अनुसार सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र होने चाहिए। मद सं. 24 के अंतर्गत आंकड़े बारहमासी फसलों के लिए हैं। यदि योजना में मशीनरी या जल वितरण उपकरणों में बड़े पैमाने पर वृद्धि करके सुधार किया गया है, तो संशोधित क्षमता दर्शाई जानी चाहिए। मद सं.26 में निर्मित सकल सिंचाई क्षमता दर्शाई जाएगी। सृजित सिंचाई क्षमता को हेक्टेयर में दशमलव के दो स्थानों तक दर्ज किया जाएगा।

8.2.32 **मद सं. 27 से मद सं. 31: वर्ष 2023-24 के दौरान मौसम के अनुसार वास्तविक सिंचित क्षेत्र (आईपीयू):** इन कॉलम में, वर्ष 2023-24 के दौरान खरीफ, रबी, बारहमासी फसलों और अन्य मौसमी फसलों के तहत वास्तव में सिंचित क्षेत्र का उल्लेख किया जाएगा। मद संख्या 27 से 31 में प्रत्येक मद के आंकड़े सामान्यतः मद संख्या 22 से 26 तक के आंकड़ों से कम या बराबर होंगे। उपयोग की गई सिंचाई क्षमता को दशमलव के दो स्थानों तक हेक्टेयर में दर्ज किया जाएगा।

कुछ छोटी सिंचाई योजनाएँ ऐसी हो सकती हैं जो प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में स्थित हैं और पूरक सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख या मध्यम योजना के कमान क्षेत्र में एक डग वेल/ट्यूबवेल। इसका निर्धारण संबंधित एमआई योजना के कवरेज के अंतर्गत आने वाले खेतों में प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजना से पानी की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। ऐसी पूरक सिंचाई की सीमा का आकलन करने के लिए, मद 27 से 31 के अंतर्गत डाटा दर्ज किया जाना चाहिए।

प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में स्थित योजना के माध्यम से उपयोग की गई क्षमता को दर्ज़ करने के लिए, सकल सिंचित क्षेत्र को, खेत की सिंचाई के लिए एमआई योजना की प्रयुक्त संख्या के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि खेत को एम.आई. योजना से दो बार तथा प्रमुख/मध्यम योजना से तीन बार सिंचित किया जाता है, तो एम.आई. योजना द्वारा उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता खेत के क्षेत्रफल की 2/5 गुना होगी।

8.2.33 **मद संख्या 32(i): क्या योजना का क्षमता से कम उपयोग हुआ है (केवल प्रचालनगत योजनाओं के लिए):** प्रचालनगत योजनाओं के लिए, यह पता लगाना होगा कि क्या इसका क्षमता से कम उपयोग हुआ है और यदि हाँ, तो कोड 1 दिया जाना चाहिए अन्यथा कोड 2 दिया जाना चाहिए। यदि आईपीयू आईपीसी से काफी कम है तो योजना को क्षमता से कम उपयोग हुआ माना जाएगा।

यदि कोई एमआई योजना प्रमुख/मध्यम योजना के कमान क्षेत्र में है और योजना का आईपीयू आईपीसी से कम है, तब भी इसे क्षमता से कम उपयोग हुआ नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह आवश्यक पूरक सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कमान क्षेत्र के बाहर की योजनाओं के लिए, योजनाओं को तब कम उपयोग हुआ माना जाएगा यदि मद सं. 31 में आईपीयू मद सं. 26 में आईपीसी से काफी कम है और योजना कमान क्षेत्र से बाहर है यानी मद सं. 20 (क) में कोड 1 है। कमान क्षेत्र के भीतर की योजनाओं के लिए, आईपीयू से आईपीसी का अनुपात योजना के कम उपयोग के संबंध में वास्तविक निर्णायक कारक नहीं होगा। गणनाकर्ता को क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेना होता है। इसी प्रकार, केवल भूजल पुनर्भरण के लिए बनाई गई योजनाओं के संबंध में गणनाकर्ता को क्षेत्र में योजना की वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेना होता है कि योजना का कम उपयोग हुआ है या नहीं, क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं में आईपीसी और आईपीयू प्रासंगिक नहीं होते हैं।

8.2.34 **मद 32(ii): यदि हां, यानी मद 31(i) में कोड 1:** यदि योजना का क्षमता से कम उपयोग किया गया है, तो कोड के संदर्भ में योजना के कम उपयोग का कारण बताया जाना चाहिए। ये कोड इस प्रकार हैं:

पर्याप्त बिजली ईंधन की अनुपलब्धता	- 1
यांत्रिक खराबी मैकेनिकल) ब्रेक-डाउन(	- 2
पानी का कम बहाव	- 3
वित्त की अनुपलब्धता	- 4
रखरखाव में कमी	- 5
कोई अन्य कारण	- 9

8.2.35 **मद संख्या 33: क्या एमआई योजना का उपयोग 'पेयजल' उद्देश्य के लिए किया गया है:** यदि एमआई योजना का उपयोग 'पेयजल' के लिए किया गया है, जैसा कि क्षेत्र अन्वेषक/गणक द्वारा गांव के जानकार लोगों के परामर्श से पाया गया है, तो 'हां' का चयन किया जाना चाहिए; अन्यथा, 'नहीं' का चयन किया जाना चाहिए।

8.2.36 **मद संख्या 36: क्या योजना को पिछली गणना में शामिल किया गया था:** यदि योजना को शुरू में पहले से भरे गए डाटा में सूचीबद्ध किया गया था, तो 'हां' दर्ज किया जाना चाहिए; अन्यथा 'नहीं' का चयन किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर जानकारी पहले से भरी हुई नहीं है, तो भी गणनाकर्ता को यह पता लगाना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि उस मद को कवर किया गया था या नहीं। इसे कवर किए जाने की स्थिति में 'हां' दर्ज किया जाएगा।

*****

अध्याय नौ:

ग्राम अनुसूची

भरने संबंधी

सामान्य अनुदेश

(7वीं लघु सिंचाई गणना

और

जल निकायों की दूसरी गणना)

9.0 ग्राम अनुसूची

इसे जिले के प्रत्येक गांव के संबंध में भरना है। **गांव के विषय में कुछ सामान्य जानकारी लिखी जानी है**। इसकी मदें स्वतः स्पष्ट हैं।

9.1 पहचान विवरण

राज्य/जिला/ब्लॉक (तहसील)/गांव का नाम स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा। गणना की तारीख को तारीखवर्ष/माह/प्रारूप में स्वतः दर्ज किया जाना है।

9.2 विशिष्ट जानकारी

9.2.1 मद संख्या 1: यदि राज्य में परिभाषा के अनुसार गांव में रहने वाली जनजातीय आबादी के अनुपात के आधार पर गांव को जनजातीय गांव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे जनजातीय माना जाएगा और कोड 1 दिया जाएगा, अन्यथा कोड 2 दिया जाएगा।

9.2.2 मद संख्या 2: (क) यदि गांव किसी बड़ी या मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है तो कोड 1 दर्ज किया जाएगा अन्यथा कोड 2 दिया जाएगा। (ख) यदि मद सं. 2 (क) में उत्तर हां है तो गांव के क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने वाली बड़ी या मध्यम योजनाओं का नाम नोट किया जाएगा।

9.2.3 मद संख्या 3: भौगोलिक क्षेत्र: आबादी, वाले कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र सहित गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्र गांव के अभिलेखों के अनुसार हेक्टेयर में पूर्ण संख्या में दर्ज किया जाएगा।

9.2.4 मद संख्या 4: कृषि योग्य क्षेत्र: गांव का कुल क्षेत्रफल जो किसी भी मौसम में खेती के लिए उपयुक्त है, उसे पूर्ण संख्या में हेक्टेयर में कृषि योग्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। यह मद संख्या-3 में दर्ज गांव के भौगोलिक क्षेत्र से कम या बहुत हो तो बराबर होना चाहिए। यदि कृषि योग्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमी है, तो अभ्युक्तियों में कारण बताए जा सकते हैं।

9.2.5 मद संख्या 5: निवल बुआई क्षेत्र: गांव में कुल क्षेत्रफल जिस पर खेती की गई है और वर्ष के किसी एक मौसम में कोई फसल बोई गई है, उसे पूर्ण संख्या

में हेक्टेयर में निवल बुआई क्षेत्र माना जाएगा और यदि अलग-अलग मौसमों में एक से अधिक फसलों के लिए बुआई हुई है तो उसी क्षेत्र की दोबारा गणना नहीं की जाएगी। किसी भी क्षेत्र की गणना केवल एक बार की जाएगी। निवल बुआई क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र से कम या बराबर होना चाहिए।

9.2.6 मद संख्या 6: सकल सिंचित क्षेत्र (सभी स्रोतों द्वारा): सभी भूजल और सतही जल योजनाओं द्वारा विभिन्न फसली मौसमों के संबंध में सकल सिंचित क्षेत्र को मौसम के अनुसार दर्ज किया जाएगा। इसे हेक्टेयर में दर्ज किया जाएगा। किसी विशेष मौसम में किसी फसल के साथ बोए गए और सिंचित किसी भी क्षेत्र को उस मौसम के लिए गिना जाएगा और इसी तरह की प्रक्रिया सभी फसलों और सभी मौसमों के लिए अपनाई जाएगी, जिसमें एक ही वर्ष के दौरान एक से अधिक फसलों के तहत सिंचित क्षेत्र को उतनी बार गिना जाएगा जितनी बार फसलें उगाई गईं और सिंचित की गई हैं। किसी भी मौसम में सिंचित सकल क्षेत्र निवल बुआई क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए।

9.2.7 मद संख्या 7: निवल सिंचित क्षेत्र: निवल सिंचित क्षेत्र को किसी एक मौसम में या किसी एक फसल के लिए संदर्भ वर्ष में कम से कम एक बार खेती और सिंचित क्षेत्र के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसे हेक्टेयर में दर्ज किया जाएगा। एक से अधिक फसलों के लिए खेती किए गए और सिंचित किसी भी क्षेत्र को केवल एक बार दर्ज किया जाएगा।

9.2.8 मद संख्या 8: औसत भूजल स्तर (मीटर में): संदर्भ वर्ष 2023-24 के लिए गांव में मानसून पूर्व और मानसून पश्चात भूजल स्तर मीटर में अलग-अलग दर्ज किया जाएगा। गांव में औसत भूजल स्तर कृषि वर्ष 2023-24 से पहले मानसून के आने से पहले और मानसून के पश्चात देखा जाना चाहिए।

9.2.9 मद संख्या 9: क्या गांव में जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) मौजूद है: यदि गांव में प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं या सार्वजनिक क्षेत्र की लघु सिंचाई योजना(योजनओं) के लिए पानी के उपयोग से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसानों का कोई संघ है, तो इस मद में इस पर विचार किया जाएगा और यदि हां तो कोड 1 और यदि नहीं तो कोड 2 के रूप में उत्तर दर्ज़ किया जाएगा। इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि,

यदि सर्वाधिक प्रयासों के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं पायी है, तो कोड 3 यानी 'ज्ञात नहीं' दर्ज किया जाना चाहिए।

9.2.10 मद संख्या 10: गांव में भरे गए सभी जल निकाय अनुसूचियों के अनुसार जल निकायों की संख्या का सार संक्षेप: यह जानकारी गांव में भरे गए जल निकाय अनुसूचियों के आधार पर स्वतः भरी जाएगी।

9.2.11 मद संख्या 11: गांव में एम.आई. योजनाओं का सार संक्षेप: यह जानकारी गांव में प्रत्येक लघु सिंचाई योजना की विस्तृत अनुसूचियों के आधार पर स्वतः भरी जाएगी।

*****

अध्याय दस:

अक्सर पूछे जाने वाले

प्रश्न

10.0 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

7वीं एमआई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं:

10.1 ग्राम अनुसूची

प्रश्न 1. क्या सकल सिंचित क्षेत्र (सभी स्रोतों से) गाँव के भौगोलिक क्षेत्र से अधिक हो सकता है?

उत्तर: हाँ, सकल सिंचित क्षेत्र (सभी स्रोतों से) गाँव के भौगोलिक क्षेत्र से अधिक हो सकता है क्योंकि यह मौसम-वार सिंचित क्षेत्र (सभी स्रोतों से) का योग है

प्रश्न 2. कुछ राज्यों में दो मानसून से वर्षा हो रही है। मानसून से पहले/बाद के भूजल स्तर के लिए सीज़न का कौन सा मानसून प्रासंगिक है?

उत्तर: दो मौसमों में से, अधिक वर्षा वाले सीज़न को मानसून से पहले और मानसून के बाद के भूजल स्तर के लिए मानसून सीज़न माना जाना चाहिए।

प्रश्न 3. राजस्व गाँव, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र हैं; में जल निकायों की संख्या की जानकारी कैसे दर्ज की जाए?

उत्तर: राजस्व गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जल निकाय को ग्राम अनुसूची में तथा राजस्व गांव के शहरी क्षेत्र में जल निकाय को शहरी अनुसूची में दर्ज़ किया जाना चाहिए। राजस्व गांव के गांव/शहरी अनुसूची में जल निकायों की गणना के दोहराव से बचना चाहिए। यदि राजस्व गांव में केवल शहरी क्षेत्र आता है, तो जल निकायों से संबंधित जानकारी केवल उस शहर के अनुरूप शहरी अनुसूची में संकलित की जाएगी।

प्रश्न 4. वार्डों की कुल संख्या की जानकारी कैसे दी जानी चाहिए?

उत्तर: इसे शहर विषयक निर्देशिका के अनुसार एक शहर के लिए भरा जाना चाहिए। प्रत्येक शहर के लिए अलग शहर विषयक अनुसूची भरी जानी चाहिए।

प्रश्न 5. कृषि योग्य कमान क्षेत्र और निवल सिंचित क्षेत्र में क्या अंतर है?

उत्तर: किसी विशेष सिंचाई योजना के लिए कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) का निर्धारण सकल कमान क्षेत्र (जीसीए) से गैर-कृषि योग्य क्षेत्र को घटाकर किया जाता है। जीसीए वह कुल क्षेत्र है जिसे सिंचाई योजना से मित व्ययिता से सिंचित किया जा सकता है, जबकि गैर-कृषि योग्य क्षेत्र में आवास, सड़कें, जल निकासी और अन्य गैर-कृषि क्षेत्र जैसे स्थान शामिल हैं।

इसलिए, सीसीए की गणना करने का सूत्र है:

सीसीए = जीसीए - गैर-कृषि योग्य क्षेत्र

उदाहरण के लिए, यदि किसी छोटी नहर का सकल कमान क्षेत्र (जीसीए) 450 हेक्टेयर है, जिसमें 160 हेक्टेयर में फैले आवास और सड़क शामिल हैं, तो इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) होगा:

सीसीए = 450 हेक्टेयर - 160 हेक्टेयर = 290 हेक्टेयर

जबकि, निवल सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें संदर्भ वर्ष में किसी एक मौसम में या किसी एक फसल के लिए कम से कम एक बार खेती और सिंचाई की जाती है।

10.2 भूजल अनुसूची

प्रश्न 1. ट्यूबवेल की गहराई ठीक 35 मीटर है। क्या इसे उथले ट्यूबवेल या मध्यम ट्यूबवेल में गिना जाएगा?

उत्तर: 35 मीटर तक की गहराई को उथले ट्यूबवेल के रूप में लिया जाना चाहिए। 35 मीटर से अधिक और 70 मीटर तक की गहराई को मध्यम ट्यूबवेल के रूप में लिया जाना चाहिए। 70 मीटर से अधिक की गहराई को गहरे ट्यूबवेल के रूप में माना जाएगा।

प्रश्न 2. कुछ ट्यूबवेल में, बोर में अलग-अलग व्यास के दो पाइप होते हैं। किस पाइप का व्यास लिया जाना चाहिए।

उत्तर: इस मामले में बोर के निचले पाइप का व्यास लिया जाना चाहिए।

प्रश्न 3. यदि निर्माण की लागत उपलब्ध नहीं है तो क्या दर्ज किया जाना चाहिए।

उत्तर: इस मामले में निर्माण की लागत का अनुमानित मूल्य दर्ज़ किया जाना चाहिए।

प्रश्न 4. यदि किसी ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग लिफ्टिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो क्या ट्रैक्टर की पूरी लागत मशीनरी की लागत में दर्शाई जाएगी?

उत्तर: ट्रैक्टर की लागत को मशीनरी की लागत के रूप में देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे मशीनरी की लागत असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। हालाँकि, ट्रैक्टर को लिफ्टिंग डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में उस ट्यूबवेल के लिए उचित मानी जानी वाली अनुमानित लागत दर्ज़ की जा सकती है।

प्रश्न 5. एक किसान के पास एक से अधिक एम.आई. योजनाएं हैं और वह एक से अधिक योजनाओं में एक पोर्टेबल लिफ्टिंग डिवाइस का उपयोग कर रहा है। मशीनरी की लागत किस रूप में दर्ज़ की जाएगी?

उत्तर: पोर्टेबल लिफ्टिंग डिवाइस की लागत को सभी योजनाओं में समान रूप से विभाजित करके दर्ज़ किया जाएगा।

प्रश्न 6. यदि कोई किसान एम.आई. योजना का मालिक है, लेकिन उसके पास लिफ्टिंग डिवाइस नहीं है और वह पोर्टेबल लिफ्टिंग डिवाइस के लिए किराया दे रहा है, तो क्या इस व्यय को मशीनरी लागत के रूप में दिखाया जाना चाहिए?

उत्तर: नहीं। इस मामले में भुगतान किए गए किराए पर होने वाले व्यय को रखरखाव की लागत में दर्ज किया जाना चाहिए।

प्रश्न 7. यदि कोई योजना जो छठी एम.आई. गणना में स्थायी रूप से उपयोग में नहीं थी, और सर्वेक्षण के दौरान "उपयोग में" पाई जाती है, तो क्या उसे शामिल किया जाएगा?

उत्तर: हाँ। यदि सर्वेक्षण के दौरान कोई योजना उपयोग में पाई जाती है, तो उसे शामिल किया जाएगा।

प्रश्न 8. क्या औसत पंपिंग घंटे दशमलव में लिखे जा सकते हैं?

उत्तर: औसत पंपिंग घंटे पूर्ण संख्याओं में दर्ज किए जाने चाहिए। यदि यह दशमलव में है, तो इसे पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 9. एमएमआई परियोजना के कमान क्षेत्र के नाम में क्या दर्ज किया जाना चाहिए?

उत्तर. यदि कोई एमआई योजना किसी प्रमुख/मध्यम योजना के कमान क्षेत्र में स्थित है, तो उस प्रमुख/मध्यम योजना का नाम दर्ज़ किया जाना चाहिए।

प्रश्न 10. यदि कोई एमआई योजना किसी प्रमुख/मध्यम योजना के कमान क्षेत्र में स्थित होने के कारण कम उपयोग की जाती है, तो क्या कोड दिया जाना चाहिए?

उत्तर. ऐसे मामलों में "कोई अन्य कारण" दर्ज किया जाना चाहिए।

प्रश्न 11. यदि किसी भूजल योजना का उपयोग सिंचाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, तो क्या इसे गणना में शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर. यदि योजना से उत्पादन का बड़ा हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो इसे गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रश्न 12. कैसे पहचानें कि योजना का कम उपयोग किया गया है?

उत्तर: यदि योजना के आईपीसी और आईपीयू में महत्वपूर्ण अंतर है, तो इसका मतलब है कि इसका कम उपयोग हो रहा है।

10.3 सतही जल अनुसूची

प्रश्न 1. यदि जल निकाय का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, तो क्या दोनों अनुसूचियाँ अर्थात् एक जल निकाय के लिए और दूसरी एम.आई. योजना के लिए दर्शाई जानी चाहिए?

उत्तर: हाँ। यदि जल निकाय का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, तो इसे एम.आई. योजना माना जाएगा और सतही जल की एक एम.आई. अनुसूची के साथ-साथ एक जल निकाय अनुसूची को दर्शाया जाएगा। यदि जल निकाय

पर एक से अधिक एम.आई. योजनाएँ हैं, तो उस जल निकाय पर सभी एम.आई. योजनाओं की एम.आई. अनुसूचियों के साथ-साथ एक जल निकाय अनुसूची को दर्शाया जाएगा।

प्रश्न 2. सिंचाई के उद्देश्य से सतही जल योजनाओं से पानी निकालने के लिए मोटर लगाकर अनधिकृत उपयोग किया गया है। क्या इसे योजना माना जा सकता है या नहीं।

उत्तर: यदि योजना का उपयोग सिंचाई के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसकी गणना की जानी चाहिए।

10.4 जल निकाय अनुसूची

प्रश्न 1: क्या शहरी क्षेत्र में जल निकायों की गणना की जानी चाहिए?

उत्तर: जल निकायों की दूसरी गणना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की जाएगी। जल निकायों का सार संक्षेप जल निकाय अनुसूची में एकत्रित जानकारी के आधार पर ग्राम अनुसूची/शहरी अनुसूची में स्वतः तैयार किया (जनरेट) जाएगा।

प्रश्न 2. यदि कोई जल निकाय एक से अधिक गांवों में फैला हुआ है, तो क्या अनुसूची के विभिन्न मदों में दी गई जानकारी केवल गांव में जल निकाय के क्षेत्र के लिए ही दर्ज़ की जानी चाहिए?

उत्तर: यदि कोई जल निकाय एक से अधिक गांवों में फैला हुआ है, तब भी जल निकाय के लिए केवल एक अनुसूची भरनी होगी और अनुसूची के विभिन्न मदों में दी गई जानकारी पूरे जल निकाय के लिए दर्ज़ की जानी चाहिए।

प्रश्न 3. क्या बावली को जल निकाय माना जाएगा?

उत्तर: यदि बावली में भूजल (डग वेल या बोरवेल के माध्यम से) आ रहा है, तो इसे भूजल योजना माना जाएगा, न कि जल निकाय।

प्रश्न 4. यदि किसी जल निकाय का आधार पक्का है, तो क्या वह जल निकाय है?

उत्तर: किसी जल निकाय का आधार (चाहे वह पक्का हो या कच्चा) किसी संरचना को जल निकाय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निर्णायक कारक नहीं है। इसे जल निकायों की गणना संबंधी अनुदेश पुस्तिका में जल निकाय की परिभाषा के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

प्रश्न 5. यदि जल निकाय की मूल लागत उपलब्ध नहीं है, तो इसे कैसे दर्ज़ किया जाए?

उत्तर: यह जानकारी केवल मानव निर्मित जल निकायों के संबंध में एकत्र की जानी चाहिए। यदि विवरण उपलब्ध नहीं है, तो अनुमानित लागत दी जा सकती है।

प्रश्न 6. बेसिन और उप-बेसिन का नाम और कोड कैसे दर्ज किया जाना चाहिए?

उत्तर: बेसिन और उप-बेसिन की सूची उनके कोड के साथ मोबाइल एप्लिकेशन में शामिल की गई है और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश डाटा संग्रह के दौरान संबंधित बेसिन/उप बेसिन का चयन करने में सक्षम होंगे।

प्रश्न 7. किस क्षेत्र को जल निकाय के जल प्रसार क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा?

उत्तर: जल निकाय में शामिल सतही क्षेत्रफल को जल निकाय का जल प्रसार क्षेत्र माना जाएगा। बड़े जल निकायों (जैसे जलाशय) के मामले में, जल प्रसार क्षेत्र आधिकारिक अभिलेखों में उपलब्ध हो सकता है, जिसकी जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। अन्यथा, इसे सर्वेक्षण के समय प्रत्यक्षतः शामिल क्षेत्र के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

प्रश्न 8. क्या उस जल निकाय के लिए अनुसूची भरी जानी है, जो पूरी तरह से अतिक्रमण के अधीन है।

उत्तर: यदि सर्वेक्षण कार्य के दौरान प्रगणक को (अभिलेखों के माध्यम से या अन्यथा) पता चलता है कि पहले एक जल निकाय था, जिस पर अब पूरी तरह

से अतिक्रमण हो गया है और अब अस्तित्व में नहीं है, तब भी, देश में जल निकायों के अतिक्रमण की सीमा जानने के लिए जल निकाय अनुसूची तैयार की जाएगी और संबंधित मदों में प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

प्रश्न 9. यदि जल निकाय की भंडारण क्षमता ज्ञात नहीं है, तो क्या विवरण दर्ज किया जाना चाहिए?

उत्तर: प्राकृतिक जल निकाय के संबंध में इस मद के समक्ष अनुमानित आंकड़ा लिखा जा सकता है। यदि यह मानव निर्मित सार्वजनिक स्वामित्व वाला जल निकाय है, तो प्रशासनिक अभिलेखों में भंडारण क्षमता उपलब्ध हो सकती है।

प्रश्न 10. 02 राज्यों में पड़ने वाले जलाशय के मामले में अक्षांश और देशांतर का मानचित्रण कैसे करें।

उत्तर: जिस राज्य में जलाशय का अधिकतम हिस्सा स्थित है, यह अनुसूची केवल उसी राज्य के संबंध में भरी जानी चाहिए।

प्रश्न 11. जल निकायों के अतिक्रमण के आंकड़े कैसे दर्ज किए जाएँगे?

उत्तर: जल निकाय पर अतिक्रमण से तात्पर्य जल निकाय की निर्धारित सीमा में विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे निर्माण, कृषि आदि के लिए अनधिकृत प्रवेश से है। यदि यह पाया जाता है कि जल निकाय के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है, तो यह पता लगाना होगा कि क्या अतिक्रमणयुक्त क्षेत्र का अनुमानतः आकलन (प्रतिशत में) किया जा सकता है। यदि हाँ, तो अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत दशमलव के बिना दो अंकों में दर्ज किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले जल निकाय के संबंध में अतिक्रमण के क्षेत्र का आकलन करने के लिए, उस प्राधिकरण से मूल जल विस्तार क्षेत्र की जानकारी ली जा सकती है जिसके अधीन जल निकाय संचालित है।

प्रश्न 12. क्या वन क्षेत्र में स्थित जल निकाय को गणना में शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर: हाँ, जल निकायों की गणना में सभी जल निकायों को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रश्न 13. वन क्षेत्र में जल निकाय गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: वन क्षेत्र के विस्तार के संबंध में, राज्य स्तरीय संचालन समिति में राज्य वन विभाग से एक सदस्य को शामिल किया जा सकता है। वन क्षेत्र में जल निकाय को शामिल करने से संबंधित प्रश्नों का समाधान उक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न 14. हम जल निकायों के अंतर्गत स्नो चेक डैम्स और कृत्रिम ग्लेशियरों (सीमाबद्ध) को कैसे वर्गीकृत करते हैं?

उत्तर: स्नो चेक डैम्सऔर कृत्रिम ग्लेशियरों (सीमाबद्ध) को जल निकाय के 'अन्य' प्रकार के अंतर्गत गिना जाएगा।

प्रश्न 15: क्या आर्द्रभूमि को जल निकाय माना जाना चाहिए?

उत्तर: रामसर कन्वेंशन के अनुसार, आर्द्रभूमि को "कच्छ, दलदल, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें स्थिर या बहावयुक्त पानी, ताजा, खारा या नमकीन हो, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी गहराई कम ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती है"

मैनुअल में जल निकाय की परिभाषा में विशेष रूप से "सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयों का उल्लेख किया गया है जो सभी तरफ से घिरी हुई हैं और जिनमें सिंचाई या अन्य उद्देश्यों के लिए पानी के भंडारण के लिए कुछ या कोई चिनाई का काम नहीं किया जाता है।" दूसरी ओर, आर्द्रभूमि प्राकृतिक या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनकी विशेषता संतृप्त या बाढ़ग्रस्त स्थितियां होती हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि वे चिनाई कार्य से परिबद्ध हों या सिंचाई या अन्य प्रयोजनों के लिए जल भंडारण के लिए उपयोग की जाती हों।

कुछ आर्द्रभूमियाँ जिन पर यह परिभाषा सटीक बैठ सकती हैं, वे इस प्रकार हैं:

कुछ दलदल, कीच और झीलें जिनमें पानी का भंडारण सीमित है और वे मुक्त रूप में प्रवाहित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए डल झील - एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि

लेकिन सिंचाई और पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले जल निकाय के रूप में भी काम करती है।

कुछ आर्द्रभूमियाँ जो इस परिभाषा के अनुरुप नहीं हैं, वे इस प्रकार हैं:

• नदियों, धाराओं से जुड़ी आर्द्रभूमियाँ जिनमें सीमित जल भंडारण नहीं है।

• आर्द्रभूमियाँ जो मानसून या मौसमी बाढ़ के दौरान भर जाती हैं लेकिन उनमें स्थायी रूप से पानी जमा नहीं होता है।

• ज्वारीय आर्द्रभूमियाँ

• दलदली या पीटलैंड आर्द्रभूमियाँ - जल-जमाव वाली मिट्टी के क्षेत्र लेकिन कोई स्पष्ट स्थायी जल भंडारण नहीं

उदाहरण: सुंदरबन मैंग्रोव वन - एक आर्द्रभूमि, लेकिन इसकी मुक्त प्रवाह प्रकृति के कारण यह जल निकाय नहीं है। चिल्का झील - इसे जल निकाय श्रेणी से बाहर रखा गया है क्योंकि यह एक लैगून है जो बंगाल की खाड़ी से एक संकीर्ण चैनल और सैंडबार द्वारा विभक्त होती है।

प्रश्न 16: क्या कुओं को जल निकाय माना जाना चाहिए?

उत्तर: कुओं को उपयोग के बावजूद जल निकाय नहीं माना जाएगा। मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले कुओं की गणना भूजल योजनाओं के अंतर्गत की जाएगी।

प्रश्न 17: क्या मत्स्य पालन बांध (भेरी) जो ज्यादातर तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें जल निकाय माना जाना चाहिए?

उत्तर: भेरी एक निचली भूमि है जो उथले मिट्टी के तटबंध से घिरी होती है जहाँ मौसमी खारा पानी पास की नदियों या जलधाराओं से प्रवेश करता है। इनका उपयोग ज्यादातर मछली पालन में किया जाता है। चूँकि पानी का यह भंडारण आवश्यकता आधारित है और इस तथ्य पर भी विचार किया जाता है कि इन संरचनाओं में पानी पूरी तरह से मौजूद नहीं है, इसलिए इस प्रकार की संरचनाओं को जल निकाय नहीं माना जाएगा।

प्रश्न 18: यदि सतही जल योजना (जैसे सतही प्रवाह योजना) अधिष्ठापम वाला जल निकाय उस स्थान से बहुत दूर है जहाँ पर गणनाकर्ता उस सतही जल योजना पर खड़ा है, तो जल निकाय अनुसूची को पहले कैसे भरा जा सकता है?

उत्तर: ऐसे मामलों में, सतही जल अनुसूचियों को बिना जमा किए भरा और सहेजा जा सकता है। सर्पीलाकार रूप में चलते हुए और रास्ते में अन्य योजनाओं को शामिल करते हुए, गणनाकर्ता उस जल निकाय पर पहुँचेगा जहाँ वह सतही जल योजना अधिष्ठापित है।

गणनाकर्ता जल निकाय अनुसूची को भरकर उसे जमा कर सकता है। तत्पश्चात वह संबंधित सतही जल योजना की सेव की गई अनुसूची खोल सकता है, उस जल निकाय का संगत विवरण भर सकता है जिस पर यह स्थापित है और फिर सतही जल अनुसूची को जमा कर सकता है।

10.5 सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. क्या 7वीं एमआई गणना में शहरी गांवों को भी शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर: पूर्व की भांति, एमआई गणना देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। शहरीकृत गांवों में गांव/भूजल/सतही जल अनुसूचियों को दर्शाया नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 2. यदि किसी गांव/वार्ड का एलजीडी कोड नहीं मिलता है तो क्या करना होगा?

उत्तर: एलजी निर्देशिका में 12.02.2025 तक उपलब्ध एलजीडी कोड के साथ गणना का प्रारूप तैयार किया गया है। यदि 12.02.2025 के बाद गांव का विभाजन, शहरीकरण आदि जैसी कोई गतिविधि हुई है, तो कुछ नहीं किया जाएगा और 12.02.2025 तक गांव की स्थिति वही रहेगी।

एलजीडी कोड के नहीं मिलने की स्थिति निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है:

गांव का विभाजन: यदि 12.02.2025 के बाद गांव 'क' को गांव 'क1' और गांव 'क2' में विभाजित किया जाता है, तो ये विभाजित गांव मोबाइल ऐप में उपलब्ध नहीं होंगे। केवल गांव 'क' का चयन करके अनुसूचियाँ भरी जाएँगी।

शहरीकरण: ऐसा हो सकता है कि 12.02.2025 के बाद गांव 'क' को शहरी क्षेत्र में बदल दिया गया हो। इस मामले में, इसे केवल ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा और इन क्षेत्रों में एमआई और जल निकाय दोनों गणना की जाएगी।

प्रश्न 3. यदि मोबाइल एप्लीकेशन में छठी एमआई गणना के आधार पर पहले से भरे गए डाटा में योजना सूचीबद्ध नहीं है, तो क्या करना होगा?

उत्तर. यदि विशिष्ट योजना पहले से भरे गए डाटा में सूचीबद्ध नहीं है, तो गणनाकर्ता एक नई योजना जोड़ सकता है।

प्रश्न 4. यदि मोबाइल एप्लीकेशन में छठी एमआई गणना के आधार पर पहले से भरे गए डाटा में योजना गलत तरीके से सूचीबद्ध है, तो क्या करना होगा?

उत्तर. यदि कोई योजना पहले से भरे गए डाटा में गलत तरीके से सूचीबद्ध है, तो गणनाकर्ता उसी योजना का चयन कर सकता है और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इसकी विशेषताओं को संशोधित कर सकता है।

प्रश्न 5. गणना का संदर्भ वर्ष क्या है?

उत्तर. गणना का संदर्भ वर्ष 2023-24 है, अर्थात अनुसूची की मदों में अन्यथा न कहे जाने तक डाटा 2023-24 से संबंधित होना चाहिए जब तकि कि अन्यथा उल्लेख न हो।

प्रश्न 6: किसी प्रमुख सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में कई सिंचाई योजनाएँ हो सकती हैं। उन योजनाओं पर डाटा संग्रह करना दोहराव हो सकता है या नहीं?

उत्तर. एमएमआई परियोजना के कमान क्षेत्र में सभी लघु सिंचाई योजनाओं की भी गणना की जा सकती है।

प्रश्न 7. मोबाइल और वेब एप्लीकेशन का उपयोग कौन कर सकता है?

उत्तर. गणना की अनुसूचियाँ भरने के लिए गणनाकर्ता द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। डाटा जांच और प्रगति निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा वेब एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा।

प्रश्न 8: क्या अपंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) की गणना की जानी चाहिए?

उत्तर: यदि कोई जल उपयोगकर्ता संघ बनाया जाता है, तो पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों को जल उपयोगकर्ता संघ माना जाएगा और कोड 1 दर्ज किया जाएगा।

*****

संलग्नक

संलग्नक - I

राज्यवार जिला/उप-जिला/ब्लॉक/गांव की संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	उप-जिलों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	गांवों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	9	9	559
2	आंध्र प्रदेश	26	686	669	17951
3	अरुणाचल प्रदेश	27	209	129	5485
4	असम	35	158	240	28543
5	बिहार	38	534	535	45693
6	छत्तीसगढ़	33	251	147	20368
7	दिल्ली	11	28	1	222
8	गोवा	2	12	13	429
9	गुजरात	33	280	251	19041
10	हरियाणा	22	143	144	7089
11	हिमाचल प्रदेश	12	184	92	21253
12	जम्मू और कश्मीर	20	208	286	6857
13	झारखंड	24	263	265	32737
14	कर्नाटक	31	240	237	30757
15	केरल	14	78	153	1666
16	लद्दाख	2	15	32	248
17	लक्षद्वीप	1	10	11	27
18	मध्य प्रदेश	55	438	314	56646
19	महाराष्ट्र	35	358	352	44738
20	मणिपुर	16	65	71	3856
21	मेघालय	12	55	56	7125
22	मिजोरम	11	28	28	877
23	नगालैंड	16	120	75	1663
24	ओडिशा	30	471	315	52245
25	पुद्दुचेरी	2	8	4	129
26	पंजाब	23	97	155	13003
27	राजस्थान	49	425	363	47995
28	सिक्किम	6	18	35	483
29	तमिलनाडु	38	316	389	18696
30	तेलंगाना	33	590	582	11226
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	3	3	3	101
32	त्रिपुरा	8	23	59	898
33	उत्तर प्रदेश	75	350	827	110274
34	उत्तराखंड	13	129	96	17334
35	पश्चिम बंगाल	22	345	346	41006
	कुल	**781**	**7147**	**7284**	**667220**

नोट: 12.02.2025 तक एलजी डायरेक्टरी से डाउनलोड किए गए गांवों और वार्डों की सूचीयुक्त मास्टर फ्रेम।

राज्यवार जिला/उप-जिला/ब्लॉक/गांव की संख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	शहरों की संख्या	वार्डों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1	24
2	आंध्र प्रदेश	25	124	3923
3	अरुणाचल प्रदेश	14	19	59
4	असम	31	95	910
5	बिहार	37	137	3322
6	चंडीगढ़	1	1	35
7	छत्तीसगढ़	33	169	3234
8	दिल्ली	4	4	280
9	गोवा	2	14	226
10	गुजरात	32	165	1374
11	हरियाणा	22	87	1686
12	हिमाचल प्रदेश	10	60	553
13	जम्मू और कश्मीर	20	78	1124
14	झारखंड	24	47	1063
15	कर्नाटक	31	300	7128
16	केरल	14	93	3529
17	लद्दाख	2	2	26
18	मध्य प्रदेश	55	413	7682
19	महाराष्ट्र	35	409	7060
20	मणिपुर	6	27	306
21	मेघालय	10	11	164
22	मिजोरम	10	23	242
23	नगालैंड	14	33	371
24	ओडिशा	30	113	2092
25	पुद्दुचेरी	4	5	116
26	पंजाब	23	163	3163
27	राजस्थान	49	240	8133
28	सिक्किम	5	7	51
29	तमिलनाडु	38	649	12729
30	तेलंगाना	32	141	3575
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	3	3	43
32	त्रिपुरा	8	20	318
33	उत्तर प्रदेश	75	766	12845
34	उत्तराखंड	13	91	1134
35	पश्चिम बंगाल	21	126	2938
	कुल	**734**	**4636**	**91458**

नोट: 12.02.2025 तक एलजी डायरेक्टरी से डाउनलोड किए गए गांवों और वार्डों की सूचीयुक्त मास्टर फ्रेम।

संलग्नक-II

<u>मास्टर फ्रेम को अपडेट करने के लिए अपनाए गए दिशा-निर्देश</u>

'सिंचाई गणना' योजना के तहत गणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में की जाएगी। इस गणना में स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड का उपयोग किया जाएगा, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) के अंग के रूप में विकसित किया है। स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित प्रशासनिक इकाइयों (जिले, उप-जिले, गांव, ब्लॉक, स्थानीय शासन निकाय और उनके संबंधित ग्रामीण/शहरी वार्ड) की अद्यतन सूची को अनुरक्षित करने के लिए भारत के महापंजीयक कार्यालय (ओआरजीआई), गृह मंत्रालय (एमएचए) के सहयोग से एक ऑनलाइन मंच प्रदान करके एक मानक अवस्थिति निर्देशिका तैयार करना है। इसका उद्देश्य सभी ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में डाटा का निर्बाध आदान-प्रदान स्थापित करना है और इस प्रकार प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

2. गणना के पिछले दौर तक, गणना का प्रारूप संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से लिया जाता था, हालाँकि, इस बार गणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें एलजीडी कोड के आधार पर राज्य/जिला/विकास खंड/गाँव के कोड स्वचालित रूप से गणनाकर्ता के मोबाइल एप्लीकेशन में दर्ज़ किए जाएँगे। इसके लिए, 12.02.2025 तक के एलजीडी कोड को गणना के प्रारूप के तौर पर शामिल किया गया है।

3. मास्टर फ्रेम को अपडेट करने की आवश्यकता

मास्टर फ्रेम को अपडेट करना फ्रेम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक है, जिसमें वे गाँव और वार्ड शामिल हैं जहाँ गणना की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर गाँवों/वार्डों की वास्तविक स्थिति के आधार पर अद्यतनीकरण किया जाना चाहिए।

4. एलजीडी कोड की जाँच करते समय, कुछ अस्पष्टताएँ पाई गईं हैं। इन मुद्दों के समाधान हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निम्नलिखित कार्य करने का अनुरोध किया गया है:

i. प्रत्येक राज्य के संबंध में एलजीडी कोड वाले राज्य/जिला/विकास खंड/उप जिला/गांव (पंचायती राज मंत्रालय के पास उपलब्ध) की पूरी सूची साझा की गई, जहां गणना की जाएगी। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे सूची की जांच करें और यदि इस सूची में कोई गांव छूट गया हो तो सूची वापस कर दें।

ii. कुछ ऐसे गांव हैं जिनके एलजीडी कोड हैं लेकिन संबंधित ब्लॉक के नाम और कोड शून्य हैं। इसका कारण राज्य द्वारा इन गांवों को किसी भी ब्लॉक के साथ मानचित्रण नहीं किया जाना हो सकता है। केंद्रीय स्तर पर, इस मुद्दे को पंचायती राज मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। इस बीच राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य में पीआरआई के नोडल अधिकारियों से संपर्क करें ताकि ऐसे गांवों को उपयुक्त ब्लॉक के साथ मानचित्रण किया जा सके।

iii. कुछ ऐसे गांव हैं जिनका नाम एक ही है लेकिन एक ब्लॉक में उनके एलजीडी कोड अलग-अलग हैं। राज्यों को ऐसे गांवों में गणनाकर्ताओं की नियुक्ति करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गांव की सीमा सुनिश्चित करने के लिए, ब्लॉक अधिकारियों/या "ग्राम मानचित्रण" एप्लिकेशन (https://grammanchitra.gov.in) से गांव का नक्शा प्राप्त किया जा सकता है, जहां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव/वार्ड को जांच पडताल किया जा सकती है।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर, विभिन्न परिदृश्य और इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में संभावित समाधान इस प्रकार हैं। यह ध्यान दिया जाए कि यदि नीचे उल्लिखित परिदृश्य 12.02.2025 (एलजीडी कोड एलजी निर्देशिका, एमओपीआर से लिए जाने की तारीख) से पहले हुए हैं, तो निम्नलिखित समाधान लागू होंगे। यदि गाँव का विभाजन, शहरीकरण आदि जैसा कोई कार्यकलाप 12.02.2025 के बाद हुआ है, तो कुछ भी नहीं किया जाएगा और 12.02.2025 को गाँव की स्थिति वही रहेगी।

6. एमआई गणना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। हालाँकि, जल निकाय गणना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की जाएगी। गाँवों और वार्डों की सूची वाले मास्टर फ्रेम को सभी राज्यों को जाँच के लिए भेजा गया है। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से ज़मीन पर गाँवों/वार्डों की वास्तविक स्थिति की जाँच की जानी चाहिए।

विषय 1: गांव के विभाजन के कारण एलजीडी निर्देशिका में गांव की अवस्थिति मौजूद नहीं है

ऐसा हो सकता है कि गांव 1 को गांव 'क' और गांव 'ख' में विभाजित किया गया हो, जिसके कारण गांव 'क' और गांव 'ख' एलजीडी कोड में नहीं दर्शाए गए हैं। ऐसे मामलों में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे हमें विकास खंड/उप जिला और जिले के नाम और एलजीडी कोड बताएं, जिसमें ये गांव आते हैं। इन गांवों को आभासी कोड दिए जाएंगे और बैकएंड से फ्रेम में शामिल किया जाएगा।

विषय 2: शहरीकरण के कारण एलजीडी निर्देशिका में गांव की अवस्थिति मौजूद नहीं है

ऐसा हो सकता है कि गांव 1 को 12.02.2025 से पहले शहरी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया हो और किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश के ग्रामीण डाटासेट में सूचीबद्ध किया गया हो। ऐसे मामलों में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

i. वह शासकीय अधिसूचना जिसके द्वारा गांव को शहरी श्रेणी में परिवर्तित किया गया है (यदि शासकीय अधिसूचना उपलब्ध नहीं है, तो राज्य नोडल अधिकारी राज्य/संघ शासित प्रदेश के पीआरआई विभाग से परामर्श के बाद उन गांवों को सत्यापित कर सकते हैं)

ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी डाटा की जांच कर सकते हैं और यदि गांव शहरी वार्डों के अंतर्गत नहीं आता है, तो संबंधित वार्ड का नाम, शहर का नाम और जिले का नाम एलजीडी कोड के साथ उपलब्ध कराना होगा।

विषय 3: एक ही उप-जिले में दो गाँवों का दोहराव

ऐसा हो सकता है कि किसी उप-जिले में एक ही नाम वाले दो गाँव हों, लेकिन उनके एलजीडी कोड अलग-अलग हों। ऐसे में राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे गाँवों में गणना (गणना करने वालों की नियुक्ति) करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। हालाँकि एलजीडी कोड विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, फिर भी अगर किसी राज्य को किसी उप-जिले/ब्लॉक में एक ही नाम और एक ही एलजीडी कोड वाला गाँव मिलता है, तो ऐसे गाँवों का विवरण उप-जिले/ब्लॉक/जिला/राज्य के नाम और कोड के साथ इस मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए।

विषय 4: एलजी निर्देशिका में उप-जिलों के अंतर्गत गाँवों का अशुद्ध वर्गीकरण

ऐसा उन स्थितियों में हो सकता है, जहाँ किसी गाँव को दूसरे उप-जिले/विकास खंड के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया हो। साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाँव दो गाँवों में विभक्त हो गया हो और गाँव का एक हिस्सा एक ब्लॉक में हो जबकि गाँव का विभक्त हुआ दूसरा हिस्सा दूसरे ब्लॉक में हो। ऐसे मामलों में, राज्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे गाँवों के नाम और कोड के साथ-साथ उप-जिले/ब्लॉक/जिला/राज्य के नाम और कोड की जानकारी दें, जहाँ उनकी अवस्थिति होनी चाहिए।

विषय 5: गांवों का दूसरे गांव में विलय हो जाना जिससे एलजीडी कोड में दोहराव होता है

यदि गांव क को गांव ख में मिला दिया जाता है, तो अनुसूचियों को केवल गांव ख के लिए ही दर्शाया जाना चाहिए। इस मामले में, गांव क को मास्टर फ्रेम में मौजूद नहीं होना चाहिए। यदि किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे गांवों के नाम और कोड के साथ-साथ उप-जिला/ब्लॉक/जिला/राज्य के नाम और कोड की जानकारी दें, जिसमें वे शामिल हैं, ताकि इन गांवों को निर्देशिका से हटाया जा सके। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पीआरआई विभाग के परामर्श के बाद उन गांवों के विवरण को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

विषय 6: एक गांव 12.02.2025 से पहले मौजूद था, लेकिन एलजीडी कोड उपलब्ध नहीं था और यह मास्टर फ्रेम में मौजूद नहीं था। गणना प्रक्रिया के दौरान, राज्य/संघ शासित प्रदेश ने फ्रेम में अनुपस्थित गांव की पहचान की, और तब तक एलजीडी कोड उपलब्ध हो गया।

ऐसे मामलों में, यदि राज्य/संघ शासित प्रदेश ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एलजीडी कोड प्रदान किए हैं, तो उक्त फ्रेम में अनुपस्थित गांवों को उनके एलजीडी कोड के साथ गणना के उद्देश्य से मोबाइल एप्लिकेशन में उपलब्ध कराया जाएगा।

***

जल निकायों की दूसरी गणना

जल निकाय अनुसूची कोड 01

संदर्भ वर्ष 2023-24 **(कृषि वर्ष)**

ग्रामीण- 1/ शहरी- 2

I. पहचान विवरण:

(क) राज्य:_____ कोड [ ][ ] **(ख) जिला:**_____ कोड [ ][ ][ ]

ग्रामीण क्षेत्र के लिए:

(ग) खंड/तहसील:_____ **कोड** [ ][ ][ ][ ][ ][ ] **(घ) ग्राम: कोड** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

शहरी क्षेत्र के लिए:

(ङ) शहर/नगर पालिका:_____ **कोड** [ ][ ][ ][ ][ ][ ] **(च) वार्ड नम्बर:** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(छ) गांव/शहर के भीतरजल निकाय की क्रम संख्या [ ][ ][ ]

(ज) गणना की भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष): [ ][ ]_[ ][ ]_[ ][ ]

(झ) क्या इस जल निकाय को पिछली गणना में शामिल किया गया था (हां/नहीं)

(i) क्या यह जल निकाय एस.ए.सी डेटाबेस में भी शामिल है (हां/नहीं)

जल निकाय के लिए अनन्य (यूनीक) पहचान कुंजी (यदि शहरी क्षेत्र है तो नगर का कोड और वार्ड दें)

आर/यू	राज्य	जिला	तहसील/नगर/ब्लॉक	ग्राम/वार्ड	ग्राम/शहर की भीतर क्रं. सं.	

II. विशिष्ट जानकारी :

1.1 (अ) जल निकाय का नाम (यदि कोई हो), विशिष्ट स्थायी सीमाचिन्ह के साथ:_____

1.1 (ब) बेसिन ओर सब बेसिन का नाम जिसमें जल निकाय स्थित है _____

बेसिन कोड [ ][ ]

सब बेसिन कोड [ ][ ]

1.2 (क): जल निकाय का प्रकार: कोड [ ]

तालाब -1, हौज़ -2, झील -3, जलाशय -4, जल संरक्षण योजना / जलरिसाव हौज़/ चेक डैम -5, अन्य -9

(ख): यदि मद 1.2 (क) में 'अन्य' है तो भंडारण की प्रकृति:_____

1.3 खसरा नं./ प्लॉट नं. / सर्वे नं. जिसमें जल निकाय स्थित है: _____

2. अक्षांश (डिग्री, मिनट, सेकंड में)

डिग्री		मिनट		सेकंड	

3. देशांतर (डिग्री, मिनट, सेकंड में)

डिग्री		मिनट		सेकंड	

4. क्षेत्र जिसमें स्थित है: कोड [ ]

डीपीएपी- 1 , जनजातीय- 2, डीडीपी- 3, बाढ़ प्रभावित -4, नक्सल प्रभावित क्षेत्र- 5, अन्य- 9

5. स्वामित्व: कोड [ ]

राज्य डबल्यूआरडी/ राज्य सिंचाई- 1, सहकारी- 2, पंचायत- 3, नगरपालिका प्राधिकरण- 4,

अन्य सरकारी संस्था -5, व्यक्तिगत- 6, व्यक्तियों का समूह- 7, अन्य निजी निकाय -9

6(1). क्या जल निकाय उपयोग में है?: हां - 1 नहीं - 2 कोड [ ]

6(2). अगर उपयोग में है यानि ऊपर मद 6 (1) में कोड 1, तब उपयोग: कोड [ ]

सिंचाई- 1, औद्योगिक- 2, मत्स्य पालन- 3, घरेलू / पेयजल- 4, कोड [ ]

मनोरंजन- 5, धार्मिक- 6, भूजल रिचार्ज- 7, पक्षियों/पशुओं के लिए प्रकातिक आवास-8 अन्य- 9 कोड [ ]

(वरीयता के क्रम में तीन कोड तक)

6(3). यदि जल निकाय सिंचाई के लिए प्रयोग में है, यानि मद 6(2) मे कोड 1 है:

जल निकाय का सीसीए (CCA) [ ][ ][ ][ ][ ][ ] हेक्टर

जल निकाय का आईपीसी (IPC) [ ][ ][ ][ ][ ][ ] हेक्टर

6(4). अगर उपयोग में नहीं है यानि मद 6 (1) में कोड 2, तो कारण बताएं: कोड [ ]

सूख गया- 1, निर्माण- 2, गाद- 3, मरम्मत से परे नष्ट- 4, लवणता- 5,

औद्योगिक अपशिष्ट के कारण- 6, अन्य- 9

7(1). प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार: कोड [ ]

प्राकृतिक- 1, मानव निर्मित (बांध, मेंड़ निर्मित तालाब आदि)- 2,

7(2). यदि मद 7 (1) में कोड 2, अर्थात मानव निर्मित, तो प्रकार: कोड [ ]

मिट्टी का- 1, ठोस- 2, चिनाई- 3, अन्य- 9,

8. निर्माण का वर्ष और मूल लागत (केवल मानवनिर्मित के लिए): वर्ष

मूल लागत (रु.)

9. नवीकरण/ मरम्मत का वर्ष (सभी जल निकायों के लिए) वर्ष

अंतिम मरम्मत की लागत (रु.)

10. क्या जल निकाय वर्तमान में मरम्मत/ नवीकरण/ पुनर्स्थापना के अधीन है? हां - 1 नहीं - 2 कोड

10(1) यदि हाँ, योजना जिसके तहत पुनरुद्धार किया जा रहा है:_____

10(2) योजना के तहत शामिल होने का वर्ष: वर्ष

10(3) पूरा होने का लक्षित वर्ष: वर्ष

10(4) अनुमानित लागत: (रु.)

10(5) पुनरुद्धार सिंचाई क्षमता का लक्ष्य: हेक्टर

10(6) सिंचाई क्षमता प्राप्ति: हेक्टर

11(1) क्या यह जल निकाय किसी केंद्रीय योजना से जुड़ा हुआ है

हां - 1 नहीं - 2 कोड

11(2) यदि हां, जुड़ी हुई केंद्रीय योजना का नाम

1 - जल जीवन मिशन, 2 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 3 - अन्य कोड

12(1) क्या जल निकाय में पूरे वर्ष पानी रहता है हां - 1 नहीं - 2

12(2) यदि नहीं, तो जल निकाय में कितने महीनों तक पानी रहता है

1 - 9 महीनों से ज्यादा, 2 - 6 से 9 महीने, 3 - 6 से कम महीनों के लिए कोड

13 संदर्भ वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर में) हेक्टर

13(1) वर्तमान वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर में) हेक्टर

13(2) न्यूनतम जल फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर में) हेक्टर

13(3) अधिकतम जल फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर में) हेक्टर

14. पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई (मीटर में)

15. जल निकाय की भंडारण क्षमता (घन मीटर में) मूल

वर्तमान

16. भरा हुआ भण्डारण (2023-24 के दौरान):

पूर्ण- 1, 3/4 तक- 2, 1/2 तक- 3, 1/4 तक- 4, शून्य / नगण्य भरा हुआ- 5 कोड

17 यदि जल निकाय में गाद मौजूद है जो इसके भंण्डारण को कम कर रही है? हां-1,नहीं-2

18. भण्डारण के भरने की स्थिति: (गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 50% भरने के आधार पर) कोड

हर साल भरा- 1 सामान्य रूप से भरा- 2, कभी कभार भरा -3, कभी नहीं भरा- 4

19(1) लाभान्वित शहर/ नगर/ गांव की संख्या: शहर/ नगर

गांव

19(2) जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या: संख्या

20(1) क्या जल उपयोग संगठन (WUA) का गठन किया गया है? (एकल स्वामित्व को छोड़कर): कोड

(हां - 1, नहीं - 2, मालूम नहीं-3)

20(2) यदि मद 20(1) में हाँ है अर्थात कोड 1 है तो:

(क) जल उपयोग संगठन द्वारा इस जल निकाय का कवर किया गया क्षेत्र: पूरा-1, कुछ हिस्सा-2 कोड

(ख) इस जल निकाय में कुल जल उपयोग संगठनों की संख्या:

21. क्या यह जल निकाय, जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) / राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) में शामिल है? हां - 1, नहीं - 2 कोड

22(1). **क्या जल निकाय के किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है:** **हां - 1** **नहीं - 2** कोड

22(2). **यदि मद 22(1) में हाँ अर्थात कोड 1 है तो क्या अतिक्रमण की मात्रा का आंकलन किया जा सकता है?:** **हां - 1** **नहीं - 2** कोड

22(3). **यदि मद 22(2) में हाँ अर्थात कोड 1 है: अतिक्रमित क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत:** %

23 **क्या यह जल निकाय स्वसंपूर्ण है या जुड़ा हुआ है? स्वसंपूर्ण-1, जुड़ी हुई-2** कोड

23(1) **यदि जुड़ी हुआ है तो जुड़े हुए जल निकायों की संख्या**

24 **क्या यह जल निकाय पिछली गणना में शामिल था?** **हां - 1** **नहीं - 2** कोड

द्वारा जांचा गया:

नाम:

पर्यवेक्षक का पदनाम:

मोबाइल नं:

ईमेल:

प्रगणक का नाम:

पद का नाम:

मोबाइल नं:

ईमेल:

लघु सिंचाई योजनाओं की सातवीं गणना

संदर्भ वर्ष: 2023-24 (कृषि वर्ष)

अनुसूची-2: सतही जल योजना (कोड - 02)

I. पहचान विवरण:

(क) राज्य:_____ **कोड** | | **(ख) जिला:**_____ **कोड** | | | |

(ग) खंड/ तहसील:_____ **कोड** | | | | | | **(घ) ग्राम:**____ **कोड** | | | | | | |

(ङ) अक्षांस _____ **देशान्तर** _____

(च) प्रगणना की तारीख (दिन/माह/वर्ष): | | | _ | | | _ | | |

II. विशिष्ट जानकारी:

1. **योजना की क्रम संख्या :** | | | | |

2. **योजना का प्रकार:**
   सतही प्रवाह योजना - 1, सतही उन्नयन (लिफ्ट) योजना- 2 **कोड** |

3.1 **यदि मद संख्या 2 में कोड 1 है, तो सतही प्रवाह योजना का प्रकार:** **कोड** |
   जलाशय -1, हौज़/ तालाब -2, अन्य जल भंडार - 3, स्थाई विपथन -4, अस्थाई विपथन -5,
   जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण योजना / जलरिसाव हौज़/ चेक डैम आदि -6, झरना प्रवाह -7, अन्य - 9

3.2 **यदि मद संख्या 2 में कोड 2 है, तो सतही उन्नयन योजना का प्रकार:** **कोड** |
   नदी पर -1, धारा पर -2, नाले/ नहर पर -3, हौज़/तालाब/जलाशय/चेक डैम पर -4, अन्य -9

4. **योजना का स्वामी (एकल किसान के मामले में नाम)** **कोड** |
   नाम _____
   सरकारी स्वामित्व - 1, सहकारी स्वामित्व - 2, पंचायती स्वामित्व - 3, किसानों के समूह का स्वामित्व - 4,
   एकल किसान का स्वामित्व - 5, अन्य - 9

5. **खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. जहाँ योजना स्थित है:** _____

6. **(क) स्वामी का समग्र भू-स्वामित्व (केवल एकल किसान के लिए)** | | | | . | | | हेक्टर
   (ख) स्वामी का सामाजिक वर्ग (केवल एकल किसान के लिए) **कोड** |
   अनुसूचित जाति-1 , अनुसूचित जन जाति- 2 , अन्य पिछड़ा वर्ग- 3, अन्य- 9
   (ग) स्वामी का लिंग? (केवल एकल किसान के मामले में): पुरुष-1, स्त्री-2, किन्नर-3 **कोड** |

7. **योजना की स्थापना का वर्ष:** **कोड** |
   2018-19 तक-1 , 2019-20 के दौरान-2 , 2020-21 के दौरान-3 , 2021-22 के दौरान- 4 , 2022-23 के दौरान- 5
   2023-24 के दौरान- 6

8. **(क) योजना की निर्माण लागत:** **(रु.)** | | | | | | | |
   (ख) मशीनरी का मूल्य: **(रु.)** | | | | | | | |
   (ग) वर्ष 2023-24 में के दौरान रखरखाव की लागत: **(रु.)** | | | | | | | |

9. **(क) वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत 2 (तक) (केवल एकल किसान के लिए):** **कोड** |
   बैंक ऋण - 1, सरकारी वित्तपोषण - 2, निजी बचत - 3, साहूकार - 4, अन्य - 9: **कोड** |

9 **(ख) क्या सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से अनुदान/ सहयोग प्राप्त हुआ? (सभी योजनाओं के लिए)**
   (i) योजना/खुदाई का निर्माण : **(रु.)** | | | | | | | |
   (ii) मशीनरी / जल वितरण उपकरण का मूल्य: **(रु.)** | | | | | | | |

10. योजना की वर्तमान स्थिति:

(क) उपयोग में - 1, अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं - 2, स्थायी रूप से उपयोग में नहीं- 3 **कोड** ☐

(ख) यदि मद 10(क) में कोड 2 या 3 है, तो कितने वर्षों से उपयोग में नहीं? ☐

11. यदि मद 10(क) में कोड- 2 है तो योजना के अस्थायी रूप से "उपयोग में न होने" के कारण **कोड** ☐

पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 , यांत्रिक खराबी- 2 ,

पानी का कम रिसाव- 3, धन की अनुपलब्धता- 4, भंडारण पूरा नहीं भरा -5

नहर/ भंडारण में गाद- 6, नालियों की टूट फूट -7, कोई अन्य कारण- 9

12. यदि मद 10 (क) में कोड- 3 है तो योजना के स्थायी रूप से "उपयोग में न होने" के कारण **कोड** ☐

खारेपन के कारण- 1, सूख जाना- 2 , मरम्मत लायक नहीं- 3

समुद्री जल प्रवेश के कारण- 4, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण- 5,

वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना की उपलबध्ता के कारण-6, डूबने के कारण -7, अन्य कारणों से- 9

13. जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि: **कोड** ☐

खुली नाली (लाइन्ड/पक्की) - 1, खुली नाली(अनलाइन्ड/कच्ची)- 2, भूमि गत पाइप- 3,

सतही पाइप - 4, टपकन सिंचाई- 5, फव्वारा सिंचाई- 6,

अन्य- 9

14. उन्नयन संयंत्रों का प्रकार (केवल सतही उन्नयन योजना हेतु): **कोड** ☐

सबमर्सीबिल पंप- 1, अपकेन्द्री पंप- 2, टर्बाइन/ जेट पम्प- 3, मानविक/ पशु चालित- 4, अन्य - 9

15. उन्नयन संयंत्रों हेतु ऊर्जा का स्रोत (केवल सतही उन्नयन योजना हेतु): **कोड** ☐

विद्युत- 1, डीज़ल- 2, पवन चक्की- 3, सौर - 4, मानविक/ पशु चालित- 5 अन्य - 9

16. सभी जल उन्नयन संयंत्रों की कुल हॉर्स पावर: ☐☐☐.☐ एचपी

(मानविक/ पशु चालित के लिए खाली छोड़ दें)

17. पम्प चालन दिवस (मानविक/ पशु चालित के लिए छोड़ दें)

खरीफ फसल मौसम में ☐☐☐ दिन

रबी फसल मौसम में ☐☐☐ दिन

बारह मासी फसल में ☐☐☐ दिन

अन्य मौसम में ☐☐☐ दिन

18. प्रति दिन औसत पम्प चालन घंटे (मानविक/ पशु चालित के लिए छोड़ दें) :

खरीफ फसल मौसम में ☐☐ घंटे

रबी फसल मौसम में ☐☐ घंटे

बारह मासी फसल में ☐☐ घंटे

अन्य मौसम में ☐☐ घंटे

19. (क) क्या योजना वृहद/ मध्यम जल योजना जैसे नहर के कमांड में अंतर्गत स्थित है **कोड** ☐

हाँ - 1

नहीं -2

19. (ख) यदि योजना कमांड क्षेत्र में है यानि मद 19 (क) में कोड 1 है तो:

(i) एमएमआई परियोजना का नाम:_____

(ii) एमएमआई परियोजना के कमांड क्षेत्र में योजना के कारण: **कोड** ☐

पानी वृहद/ मध्यम योजना से खेत तक उपलब्ध नहीं है- 1, पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है- 2,

पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है- 3, अन्य कारण- 9

19. (ग) क्या यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए है? **हां - 1, नहीं - 2** **कोड** ☐

(अगर हां तो मद 20 से 30 तक रिक्त रखें)

20. कृषियोग्य कमान क्षेत्र ☐☐☐☐☐.☐☐ **हेक्टे**

मौसम-वार सृजित सिंचाई क्षमता (आई पी सी)

21.	**ख़रीफ़**	**हेक्टेयर**
22.	**रबी**	**हेक्टेयर**
23.	**बारह मासी**	**हेक्टेयर**
24.	**अन्य**	**हेक्टेयर**
25.	**कुल**	**हेक्टेयर**

वर्ष 2023-24 में मौसम-वार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (आई पी यू)

26.	**ख़रीफ़**	**हेक्टेयर**
27.	**रबी**	**हेक्टेयर**
28.	**बारह मासी**	**हेक्टेयर**
29.	**अन्य**	**हेक्टेयर**
30.	**कुल**	**हेक्टेयर**

टिप्पणी: (i) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के कमांड क्षेत्र से बाहर है तो उपयोग की गई पूरी सिंचाई क्षमता (आइपायू) सूचित करनी है|

(ii) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है तब आईपीयू में एम.आई. स्कीम द्वारा पूरक उपयोग को दर्शाना है| इस प्रकार सकल आईपीयू को वृहद / मध्यम और एमआई योजना द्वारा उपयोग किए जाने वाले

31. **(i) क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? (केवल उपयोग में आ रही योजनाओं के लिए):** **हां -1 नहीं - 2** **कोड**

31. **(ii) यदि हां अर्थात मद 31(i) में कोड 1, तो योजना के कम उपयोग का कारण:** **कोड**

पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 , यांत्रिक खराबी- 2 , पानी का कम रिसाव- 3, भंडारण पूरा नहीं भरा -4
नहर/ भंडारण में गाद- 5, नालियों की टूट फूट -6, कोई अन्य कारण- 9,

32. **योजना द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या:**

33. **जलाशय, हौज़, अन्य भंडारण के विशेष विवरण:**

(क) अभिकल्पित क्षमता (घन मीटर में):

(ख) भरा हुआ भण्डारण (2023-24 के दौरान): **कोड**

पूर्ण- 1, 3/4 तक- 2, 1/2 तक- 3, 1/4 तक- 4, शून्य / नगण्य भरा हुआ- 5

(ग) भण्डारण के भरने की स्थिति: **कोड**

(गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 50% भरने के आधार पर)

हर साल भरा- 1, सामान्य रूप से भरा- 2, कभी कभार भरा -3, कभी नहीं भरा- 4

34. **जल निकाय से संबंधित विशिष्ट सूचना:**

(क) जल निकाय अनुसूची के अनुसार 21 अंकों का जल निकाय क्रमांक जिसमें यह योजना चल रही है।

आर/यू	राज्य		जिला		तहसील/नगर/ब्लॉक			ग्राम/वार्ड					ग्राम/शहर के अतंर्गत क्रं. सं.						

(ख) उपरोक्त जल निकाय में गांव में कुल योजनाओं की संख्या

(ग) जल निकाय में गांव में इस योजना की क्रम संख्या

35 क्या एमआई योजना का उपयोग 'पेयजल' के प्रयोजन केलिए किया जाता है? **हॉ - 1, नहीं -2** **कोड**

टिप्पणी यदि कोई हो:

द्वारा जाचा गया:
नाम:
पर्यवेक्षी अधिकारी का पदनाम:
मोबाइल नं:
ईमेल:

प्रगणक का हस्ताक्षर:
पदनाम:
मोबाइल नं:
ईमेल:

लघु सिंचाई योजनाओं की सातवीं गणना

संदर्भ वर्ष: 2023-24 (कृषि वर्ष)

अनुसूची-1: भूजल योजना (कोड - 03)

I. पहचान विवरण:

(क)राज्य:_____ **कोड:** [ ][ ] **(ख)जिला:**_____ **कोड:** [ ][ ][ ]

(ग)खंड/ तहसील:_____ **कोड:** [ ][ ][ ][ ][ ][ ] **(घ)ग्राम:**_____ **कोड** [ ][ ][ ][ ][ ]

(ङ) अक्षांस _____ **देशान्तर** _____

(च)प्रगणना की तिथि (दिन/माह/वर्ष): [ ][ ]_[ ][ ]_[ ][ ]

II. विशिष्ट जानकारी:

1. **योजना की क्रम संख्या :** [ ][ ][ ][ ]

2. **योजना का प्रकार:**
   डग-वेल - 1, नलकूप/बोरवेल- 2 **कोड** [ ]

3.1 यदि मद संख्या 2 में कोड 1 है तो कुएं का प्रकार:
   कुआँ कम-बोर वेल -1, पक्का कुआँ -2, कच्चा कुआँ- 3, अन्य-9 **कोड** [ ]

3.2 यदि मद संख्या 2 में कोड 2 है तो नलकूप का प्रकार:
   उथला नलकूप-1, मध्यम गहराई का नलकूप-2, गहरा नलकूप-3 आर्टिशियन कुआँ-4 **कोड** [ ]

4. **योजना का स्वामी (एकल किसान के मामल में)** **कोड** [ ]
   नाम _____
   सरकारी स्वामित्व - 1, सहकारी स्वामित्व - 2, पंचायती स्वामित्व - 3, किसानों के समूह का स्वामित्व - 4, एकल किसान का स्वामित्व - 5, अन्य - 9

5. **(क) खसरा सं. /प्लॉट सं./सर्वे. सं. जहाँ योजना स्थित है:** _____
   (ख) स्थिति विवरण/ सीमाचिन्ह:_____

6. **(क) स्वामी का समग्र भू-स्वामित्व (केवल एकल किसान के मामले में)** [ ][ ][ ].[ ][ ] हेक्टर
   (ख) स्वामी का सामाजिक वर्ग (केवल एकल किसान के लिए) **कोड** [ ]
   अनुसूचित जाति-1 , अनुसूचित जन जाति- 2 , अन्य पिछड़ा वर्ग- 3, अन्य- 9
   (ग) स्वामी का लिंग (केवल एकल किसान के मामले में): पुरुष-1, स्त्री -2 ,किन्नर-३ **कोड** [ ]

7. **योजना की स्थापना का वर्ष:** **कोड** [ ]
   2018-19 तक-1 , 2019-20 के दौरान-2 , 2020-21 के दौरान-3 , 2021-22 के दौरान- 4 , 2022-23 के दौरान- 5
   2023-24 के दौरान- 6

8. **योजना का विवरण:**
   (क) कुएं/नलकूप की गहराई (मीटर में): [ ][ ][ ].[ ][ ] मीटर
   (ख) व्यास (कुएं के लिए मीटर में एवम ट्यूबवेल के लिए मिलीमीटर में): [ ][ ].[ ]
   (ग) बोर की गहराई (मीटर में) (कुआँ कम-बोर वेल हेतु): [ ][ ].[ ] मीटर
   (घ) सभीपवर्ती कुएं/ नलकूप की दूरी (मीटर में): [ ][ ][ ][ ][ ] मीटर

9. **(क) योजना की निर्माण लागत:** **(रु.)** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
   (ख) मशीनरी का मूल्य: **(रु.)** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
   (ग) वर्ष 2023-24 के दौरान रखरखाव की लागत: **(रु.)** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

10. **(क) वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत (2 तक) (केवल एकल किसान के लिए):** **कोड** [ ]
    बैंक ऋण - 1, सरकारी वित्तपोषण - 2, निजी बचत - 3, साहूकार - 4, अन्य - 9 **कोड** [ ]
    (ख) क्या सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से अनुदान/ सहयोग प्राप्त हुआ? (सभी योजनाओं के लिए)
    (i) योजना/ बोरिंग/ खुदाई का निर्माण : **(रु.)** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    (ii) मशीनरी/जल वितरण उपकरण का मूल्य: **(रु.)** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

11. योजना की वर्तमान स्थिति:

(क) उपयोग में - 1, अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं - 2, स्थायी रूप से उपयोग में नहीं- 3 **कोड** ☐

(ख) यदि मद 11(क) में कोड 2 या 3 है, तो कितने वर्षों से उपयोग में नहीं? ☐

12. यदि मद 11(क) में कोड- 2 हैतो योजना के अस्थायी रूप से "उपयोग में न होने" के कारण **कोड** ☐

पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 , यांत्रिक खराबी- 2 ,
पानी का कम रिसाव- 3, वितपोषणि की अनुपलब्ध्ता- 4,
रख रखाव की कमी- 5, कोई अन्य कारण- 9

13. यदि मद 11 (क) में कोड- 3 है तो योजना के स्थायी रूप से "उपयोग में न होने" के कारण **कोड** ☐

खारेपन के कारण- 1, सूख जाना- 2 , मरम्मत लायक नहीं- 3
समुद्री जल प्रवेश के कारण- 4, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण- 5,
वृहद/मध्यम जल परियोजना की उपलबध्ता के कारण-6, अन्य कारणों से- 9

14. जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि: **कोड** ☐

खुली नाली (लाइन्ड/पक्की) - 1, खुली नाली (अनलाइन्ड/कच्ची)- भूमि गत पाइप- 3,
सतही पाइप - 4, टपकन सिंचाई- 5, फव्वारा सिंचाई- 6,
अन्य- 9

15. उन्नयन संयंत्रों का प्रकार): **कोड** ☐

सबमर्सीब्ल पंप- 1, अपकेन्द्री पंप- 2, टर्बाइन/ जेट पम्प- 3, मानविक/ पशु चालित- 4, अन्य - 9

16. उन्नयन संयंत्रों हेतु ऊर्जा का स्रोत: **कोड** ☐

विद्युत- 1, डीज़ल- 2, पवन चक्की-3 सौर - 4, मानविक/ पशु चालित- 5
प्राकृतिक - 6 अन्य - 9

17. सभी जल उन्नयन संयंत्रों की कुल हॉर्स पावर: ☐☐.☐ एचपी
(मानविक/ पशु चालित/प्राकृतिक के लिए खाली छोड़ दें)

18. पम्प चालन दिवस (मानविक/ पशु चालित/प्राकृतिक के लिए छोड़ दें)

खरीफ फसल मौसम में ☐☐☐ दिन
रबी फसल मौसम में ☐☐☐ दिन
बारह मासी फसल में ☐☐☐ दिन
अन्य मौसम में ☐☐☐ दिन

19. प्रति दिन औसत पम्प चालन घंटे (मानविक/ पशु चालित/प्राकृतिक के लिए छोड़ दें) :

खरीफ फसल मौसम में ☐☐ घंटे
रबी फसल मौसम में ☐☐ घंटे
बारह मासी फसल में ☐☐ घंटे
अन्य मौसम में ☐☐ घंटे

20. (क) क्या योजना वृहद/ मध्यम जल योजना जैसे नहर के कमांड में स्थित है **कोड** ☐

हाँ - 1
नहीं - 2

20. (ख) यदि योजना कमांड क्षेत्र में है यानि मद 20 (क) में कोड 1 है तो:

(i) एमएमआई परियोजना का नाम:_____

(ii) एमएमआई परियोजना के कमांड क्षेत्र में योजना के कारण: **कोड** ☐

पानी वृहद/ मध्यम योजना से खेत तक उपलब्ध नहीं है- 1, पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है- 2,
पानी उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है- 3, अन्य कारण- 9

20. (ग) क्या यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए है? **हां - 1, नहीं - 2** **कोड** ☐

(अगर हां तो मद 21 से 31 तक रिक्त रखें)

21. कृषियोग्य कमाड क्षेत्र: ☐☐☐☐.☐☐ **हेक्टर**

मौसम-वार सृजित सिंचाई क्षमता (आई पी सी)

22.	**ख़रीफ़**					.			**हेक्टेयर**
23.	**रबी**					.			**हेक्टेयर**
24.	**बारह मासी**					.			**हेक्टेयर**
25.	**अन्य**					.			**हेक्टेयर**
26.	**कुल**					.			**हेक्टेयर**

वर्ष 2023-24 में मौसम-वार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (आई पी यू)

27.	**ख़रीफ़**					.			**हेक्टेयर**
28.	**रबी**					.			**हेक्टेयर**
29.	**बारह मासी**					.			**हेक्टेयर**
30.	**अन्य**					.			**हेक्टेयर**
31.	**कुल**					.			**हेक्टेयर**

टिप्पणी: (i) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के कमांड क्षेत्र से बाहर है तो उपयोग की गई पूरी सिंचाई क्षमता (आईपीयू) सूचित करनी है|

(ii) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित है तब आईपीयू में एम.आई. स्कीम द्वारा पूरक उपयोग को दर्शाना है| इस सकल आईपीयू को वृहद / मध्यम और एमआई योजना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुपात में विभाजित किया जाना है।

32. (i) क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? (केवल उपयोग में आ रही योजनाओं के लिए): **कोड** ☐

(हाँ - 1, नहीं -2)

(ii) यदि हां, अर्थात मद 32(i) में कोड 1 है तो योजनाओं के कम उपयोग के कारण **कोड** ☐

पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 , यांत्रिक खराबी- 2 , पानी का कम रिसाव- 3,

वित्तपोषण की अनुपलब्ध्ता- 4, रखरखाव की कमी- 5, कोई अन्य कारण- 9

33 क्या एमआई योजना का उपयोग 'पेयजल' के प्रयोजन के लिए किया जाता है **हाँ-1** **नहीं-2** **कोड** ☐

34 क्या स योजना को पिछली गणना में शामिल किया गया था? **हाँ-1** **नहीं-2** **कोड** ☐

द्वारा जाचा गया:

नाम:

पर्यवेक्षी अधिकारी का पदनाम:

मोबाइल नं:

ईमेल:

प्रगणक का नाम:

पदनाम:

मोबाइल नं:

ईमेल:

लघु सिंचाई योजनाओं की सातवीं गणना

संदर्भ वर्ष: 2023-24(कृषि वर्ष)

ग्राम अनुसूची (कोड - 4)

I. पहचान विवरण:

(क)राज्य:_____ **कोड:** | | **(ख)जिला:**_____ **कोड:** | | |

(ग)ब्लॉक/तहसील:_____ **कोड:** | | | | | | **(घ)ग्राम:**_____ **कोड:** | | | | | |

(ङ)अनुसूची भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष): | | | _ | | | _ | | |

II. विशिष्ट जानकारी:

1. **क्या ग्राम जनजातीय/ गैर-जनजातीय है?** **कोड** |
   जनजातीय-1 गैर-जनजातीय-2
2. **(क) क्या ग्राम के अंदर बड़ी/ मध्यम स्तर की सिंचाई योजना उपलब्ध है?** **कोड** |
   हां - 1 नहीं - 2
   (ख) यदि हाँ तो बड़ी/ मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम: _____
   (इस अनुसूची के मद संख्या 3 से 7 तक की जानकारी ग्राम दस्तावेजों के आधार पर भरी जायेगी)
3. **भौगोलिक क्षेत्रफल** पूर्णांक में | | | | | | **हेक्टेयर**
4. **कृषि योग्य क्षेत्रफल** पूर्णांक में | | | | | | **हेक्टेयर**
5. **शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल** पूर्णांक में | | | | | | **हेक्टेयर**
6. **सकल सिंचित क्षेत्रफल (सभी स्रोतों द्वारा)** पूर्णांक में
   (i) खरीफ मौसम के दौरान | | | | | | **हेक्टेयर**
   (ii) रबी मौसम के दौरान | | | | | | **हेक्टेयर**
   (iii) बारहमासी फसलों के लिए | | | | | | **हेक्टेयर**
   (iv) अन्य मौसम के दौरान | | | | | | **हेक्टेयर**
   (v) कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल मद [6(i)+6(ii)+6(iii)+6(iv)] | | | | | | **हेक्टेयर**
7. **शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (सभी स्रोतों द्वारा)** | | | | | | **हेक्टेयर**
8. **औसत भूजल स्तर (मीटर में)**
   (i) (मानसून के पूर्व) | | | **मीटर**
   (ii) (मानसून के बाद) | | | **मीटर**
9. **क्या जल उपयोग संगठन (डब्ल्यूयूए) गांव में मौजूद है?**
   हाँ - 1 नहीं - 2 मालूम नही - 3 **कोड:** |
10. **गांव में भरी गई जल निकाय अनुसूचियों के आधार पर जल निकायों की संख्या का संक्षिप्त विवरण:**

तालाब	हौज़	झील	जलाशय	जल संरक्षण योजना/ रिसाव हौज़/ चेक डैम	अन्य	योग कॉलम 1 से 6 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

11. **गांव में भरी गई सभी अनुसूचियों के आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं का संक्षिप्त विवरण:**
    (i) भूजल योजना संख्या | | |
    (ii) सतही जल योजना संख्या | | |
    (iii) कुल योजनाएं संख्या | | |

द्वारा जांचा गया

नाम: नाम:

पर्यवेक्षक अधिकारी का पदनाम: पदनाम:

मोबाइल नं. : मोबाइल नं.:

संलग्नक-VI

दूसरी जल निकायों की गणना की अनुसूची के लिए सत्यापन जाँच

मद क्षेत्र/	**सत्यापन जाँच**	**अन्य जाँच**
ग्राम/नगर में जल निकाय का क्रमांक	>0 होनी चाहिए	
विशिष्ट पहचान कुंजी	कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए	
1.1(क) जल निकाय का नाम		
1.1(ख) बेसिन और उप-सिन का नामेंब		
1.2(क): जल निकाय का प्रकार	)i) वैध कोड 1,2,3,4,5 और 9 हैं (ii) यदि कोड 1,2,3,4,5 है, तो मद 1.2(ख) को अक्षम करें	
1.2(ख): यदि अन्य है, तो भंडारण की प्रकृति		
1.3 खसरा संख्या प्लॉट/ संख्या आदि		
2. अक्षांश	कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए	
3. देशांतर	कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए	
4. जल निकाय का स्थान	वैध कोड 1,2,3,4,5 और 9 हैं	
5. स्वामित्व कोड	)i) वैध कोड 1,2,3,4,5,6,7 और 9 हैं (ii) यदि मद 5 में कोड 6 है, तो मद 20(1) और 20(2) को अक्षम करें	

6(1) क्या जल निकाय उपयोग में है	)i) वैध कोड या तो 1 या 2 है (ii) यदि कोड 1 है, तो मद 6(4) को अक्षम करें (iii) यदि कोड 2 है, तो मद 6(2) और मद6(3) को अक्षम करें	
6(2) यदि उपयोग में है, तो	)i) वैध कोड 1,2,3,4,5,6,7,8 और 9 हैं (ii) यदि मद 6(2) में किसी भी बॉक्स में कोड 1 नहीं दिया गया है, तो मद 6(3) को अक्षम करें	केवल एक कोड दिए जाने पर भी कोई त्रुटि संदेश नहीं
6(3) यदि जल निकाय सिंचाई के लिए उपयोग में है, तो जल निकाय का सीसीए और आईपीसी	(i) सीसीएऔर आईपीसीका मान >0 है (ii) आईपीसी>= सीसीए	यदि मद 5 में कोड 6 है और आईपीसी>100 है, तो चेतावनी दर्शाएँ
6(4) यदि उपयोग में नहीं है, तो कारण	वैध कोड 1,2,3,4,5,6 और 9 हैं	
7(1) प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार	)i) मान्य कोड या तो 1 या 2 है (ii) यदि कोड 1 है, तो मद 7.2 और मद 8 को अक्षम करें	
7(2) यदि प्रकार मानव निर्मित है, तो	मान्य कोड 1, 2, 3 और 9 हैं	
8. निर्माण का वर्ष और मूल लागत केवल मानव निर्मित) (के लिए	)i) वर्ष का मान चार अंकों में होना चाहिए (ii) 1500<वर्ष<2025 (iii) मूल लागत का मान >=0 होना चाहिए।	यदि मद 5 में स्वामित्व कोड 6/7/9 है और मूल लागत का मूल्य > 1, 00,00,000 है तो चेतावनी दर्शाएँ
9. नवीनीकरण/मरम्मत का वर्ष	)i) यदि मरम्मत जीर्णोद्धार के/ वर्षमें सकारात्मक प्रविष्टि है तो अंतिम मरम्मत की लागत > 0 होनी चाहिए (ii) 'वर्षमें मूल्य '>मद संख्या 8 में का मूल्य 'वर्ष'	यदि मद 5 में स्वामित्व कोड 6/7/9 है और मरम्मत की लागत का मूल्य > 10, 00,000 है तो चेतावनी दर्शाएँ

	(iii) 1500<वर्ष<2025	
10. क्या जल निकाय वर्तमान में मरम्मत/ /जीर्णोद्धार पुनर्स्थापना के अधीन है	)i) वैध कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 10 में कोड 2 है तो मद 10(1), 10(2),10(3),10(4),10(5) और 10(6) को अक्षम करें iii) मद 10(2) के लिए वर्ष चार अंकों में होना चाहिए, 2017<= वर्ष <= 2025 (iv) मद 10(3) के लिए वर्ष चार अंकों में होना चाहिए तथा मद 10(3) मद 10(2) से अधिक होना (>=) चाहिए, साथ ही, 2018 ≤ लक्ष्य पूर्णता वर्ष ≤ 2035 होना चाहिए। (v) मद संख्या 10(5) में, संभावित पुनर्जीवन का लक्ष्य 0 से अधिक (>) होना चाहिए। (vi) मद संख्या 10(6) में, पुनर्जीवित सिंचाई क्षमता मद संख्या 10(5) के बराबर या उससे कम होनी चाहिए तथा 0 (शून्य) से अधिक होनी चाहिए।	(i) यदि मद 5 में स्वामित्व कोड 6/7/9 है तथा मद 10(4) में मूल्य 10,00,000 से अधिक है तो चेतावनी दर्शाएँ (ii) यदि मद 5 में स्वामित्व कोड 6/7/9 है तथा मद 10(5) तथा मद 10(6) में मूल्य 2000 हेक्टेयर से अधिक है तो चेतावनी दर्शाएँ
11.(1) क्या, जल निकाय केन्द्रीय योजना से संबद्ध है	)i) वैध कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 11(1) में कोड 2 है तो मद 10(2) को निष्क्रिय करें	
11.(2) केन्द्रीय योजना का नाम	वैध कोड 1, 2 तथा 3 हैं	
12.(1) क्या जल निकाय में पूरे वर्ष पानी रहता है	)i) वैध कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 12(1) में कोड 1 है तो मद 12(2) को अक्षम करें	
12.(2) जल निकाय में पानी कितने महीनों तक रहता है	वैध कोड 1, 2 और 3 हैं	

13. जल निकाय का जल फैलाव क्षेत्र	>=0 होना चाहिए	यदि मान >50 है तो चेतावनी दर्शाएँ
13.(1) चालू वर्ष के दौरान जल निकाय का जल फैलाव क्षेत्र	>=0 होना चाहिए	
13.(2) अधिकतम जल फैलाव क्षेत्र	>=0 होना चाहिए	
13.(3) न्यूनतम जल फैलाव क्षेत्र	>=0 होना चाहिए	
14. जल निकाय की अधिकतम गहराई		यदि मान >100 है तो चेतावनी दर्शाएँ
15. जल निकाय की भंडारण क्षमता हजार घन मीटर में	यदि मद 1.2(क में कोड (1/2/3/4 है तो मान >0 होना चाहिए	
16. 2023-24 के दौरान भरा गया भंडारण	यदि मद 1.2(क में कोड (1/2/3/4 है तो वैध कोड 1,2,3,4 और 5 हैं	
17. क्या जल निकाय में गाद मौजूद है जो इसकी क्षमता को कम कर रही है	वैध कोड 1,2 हैं	
18. भंडारण स्थान के भरने की स्थिति	यदि मद 1.2(क में कोड (1/2/3/4 है तो वैध कोड 1,2,3 और 4 हैं	
19(1) लाभान्वित शहरों/ नगरों/ गाँवों की संख्या गांवों/ की संख्या	यदि मद 6(1) में कोड 1 है, तो मान $\geq$ 0 होना चाहिए।	)i) चेतावनी दर्शाएँ, यदि कस्बों के लिए मान >10 है। (ii) चेतावनी दर्शाएँ, यदि गांव के लिए मान > “100” है।

19.(2) जल निकाय से सीधे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या	(i) यदि मद 6(1) में कोड 1 है, तो मान ≥ 0 होना चाहिए। (ii) यदि मद 19(1) > 0 है, तो मद 19(2) भी > 0 होना चाहिए।	
20.(1) क्या जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया गया है	(i) मान्य कोड 1, 2 और 3 हैं। (ii) यदि कोड 2 या 3 है, तो मद 20(2) को निष्क्रिय (disable) करें। (iii) यह मद अनिवार्य है, व्यक्तिगत स्वामित्व को छोड़कर।	
20.(2) यदि मद 20(1) में हाँ है	(i) मद 20(2)(क) में वैध कोड 1 या 2 है। (ii) मद 20(2)(ख) का मान > 0 होना चाहिए। (iii) यह मद अनिवार्य है, व्यक्तिगत स्वामित्व को छोड़कर। (iv) यदि मद 20(1) में कोड 1 है, तो मद 20(2)(क) अनिवार्य है। (v) यदि मद 20(1) में कोड 1 है, तो मद 20(2)(ख) अनिवार्य है।	
21. क्या जल निकाय को डीआईपी एसआईपी योजना/ में शामिल किया गया है	कोड या तो 1 या 2 हैं	
22.(1) क्या जल निकाय के किसी क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है	)i) वैध कोड या तो 1 या 2 है (ii) यदि 22(1) में कोड 2 है, तो 22(2) और 22(3) को निष्क्रिय करें	
22.(2) क्या अतिक्रमण की सीमा का आकलन किया जा सकता है?	(i) वैध कोड 1 या 2 है (ii) यदि कोड 2 है, तो मद 22(3) को अक्षम करें	
22.(3) अतिक्रमित क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत	मान >0 होना चाहिए	

23. क्या जल निकाय स्टैंडअलोन है या जुड़ा हुआ है?	वैध कोड 1 या 2 है यदि कोड 1 है, तो मद 23(1) को अक्षम करें	
23.(1) यदि जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए जल निकायों की संख्या	मान >0 होना चाहिए	
24. क्या यह जल निकाय SAC डेटाबेस में मौजूद है?	वैध कोड 1 या 2 है	
25. क्या यह जल निकाय पूर्व जनगणना में दर्ज किया गया था?	वैध कोड 1 या 2 है	

संलग्नक -VII

सतही जल अनुसूची के लिए सत्यापन जाँच

मद क्षेत्र/	**सत्यापन जाँच**	**अन्य जाँच**
1. योजना की क्रम संख्या	अद्वितीय और शून्य से बड़ा होना चाहिए	क्रम संख्या के बिना शेड्यूल जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
2. योजना का प्रकार	(i) मान्य कोड 1 या 2 है। (ii) यदि कोड 1 है, तो मद 3.2, 14, 15, 16, 17, 18 को निष्क्रिय (disable) करें। (iii) यदि कोड 2 है, तो मद 3.1 को निष्क्रिय (disable) करें।	
3.1 सतही प्रवाह योजना की प्रकृति	(i) मान्य कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 हैं। (ii) यदि मद 3.1 में कोड 4, 5, 6, 7 या 9 है, तो मद 33(क), 33(ख) और 33(ग) को निष्क्रिय (disable) करें।	
3.2 सतही लिफ्ट योजना की प्रकृति	(i) मान्य कोड 1, 2, 3, 4 और 9 हैं। (ii) यदि मद 3.2 में कोड 1, 2, 3 या 9 है, तो मद 33(क), 33(ख) और 33(ग) को निष्क्रिय (disable) करें।	
4. स्वामित्व कोड	(i) मान्य कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 9 हैं। (ii) यदि मद 4 में कोड 1/2/3/4 या 9 है, तो मद 6(क), 6(ख), 6(ग) तथा मद 9(क) को निष्क्रिय (disable) करें।	

5. खसरा संख्या / प्लॉट संख्या	'NULL' नहीं होना चाहिए।	
6. (क) मालिक की कुल होल्डिंग	मद 6(क) ≥ 0 तथा मद 6(क) ≤ 9999.999 होना चाहिए। यह मद केवल व्यक्तिगत स्वामी के लिए लागू है।	चेतावनी दिखाएँ जब मान (i) "0" के बराबर हो या (ii) 100.000 से अधिक हो।
6. (ख) मालिक की सामाजिक स्थिति	वैध कोड 1, 2, 3 और 9 हैं। यह मद केवल व्यक्तिगत स्वामी पर लागू है।	
6. (ग) मालिक का लिंग	वैध कोड 1, 2 और 3 हैं। यह मद केवल व्यक्तिगत स्वामी पर लागू है।	
7. योजना के प्रारंभ (आयोगन) का वर्ष	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं।	
8(क) निर्माण लागत (रुपये में)	मद 8(क)>=0 तथा मद 8(क)<= 300000000	(i) यदि मद 2 में कोड 1 है, तो यदि मान 10,00,000 से अधिक हो तो चेतावनी दिखाएँ। ii) यदि मद 2 में कोड 2 है, तो यदि मान 2,00,000 से अधिक हो तो चेतावनी दिखाएँ।
8(ख) मशीनरी की लागत (रुपये में)	मद 8(ख)>=0 तथा मद 8(ख)<= 300000000	(i) यदि मद 2 में कोड 1 है, तो यदि मान 1,00,000 से अधिक हो तो चेतावनी दिखाएँ। (ii) यदि मद 2 में कोड 2 है, तो यदि मान 2,00,000 से अधिक हो तो चेतावनी दिखाएँ।

8.(ग) (2023-24 के दौरान ((.रु) रखरखाव की लागत	मद 8(ग)>=0 और मद 8(ग)<= 300000000	चेतावनी दिखाएँ जब (i) मान 1,00,000 से अधिक हो। (ii) मद 8(c) ≥ मद 8(a) हो।
9(क) वित्त का प्रमुख स्रोत	वैध कोड 1, 2, 3, 4 और 9 हैं।	केवल एक कोड दिए जाने पर भी कोई त्रुटि संदेश नहीं।
9(ख)(i) यदि सरकार/पीएसयू द्वारा कोई सब्सिडी/सहायता प्रदान की गई है, तो निर्माण हेतु राशि	मद 9(ख)(i) >=0 तथा मद 9(ख)(i)<= मद 8(क)	यदि कोई सब्सिडी/ सहायता प्रदान नहीं की गई है, तो '0' दर्ज किया जाना चाहिए, और यदि यह मद खाली छोड़ी जाती है, तो एक संदेश बॉक्स दिखाया जाए: 'यदि कोई सब्सिडी/ सहायता प्रदान नहीं की गई है, तो कृपया 0 दर्ज करें'।
9.ख)ii) यदि मशीनरी / वितरण उपकरण की लागत पीएसयू /के लिए सरकार (.रु) सहायता /द्वारा कोई छूट प्रदान की गई है	मद 9(ख)(ii) >=0 तथा 9(ख)(ii)<= मद 8(ख)	
10. योजना की वर्तमान (क) स्थिति	(i) वैध कोड 1, 2, और 3 हैं। (ii) यदि मद 10(a) में कोड 1 है, तो मद 10(b), 11 और 12 को अक्षम करें। (iii) यदि मद 10(a) में कोड 2 है, तो मद 12 और 31 को अक्षम करें। (iv) यदि मद 10(a) में कोड 3 है, तो मद 11, 13, 14, 15, 16, 17,	

	18, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 को अक्षम करें।	
10.ख)) यदि उपयोग में नहीं है (वर्ष)	यदि मद 10(a) का मान 2 है, तो मद 10(b) का मान ≥1 और ≤2 होना चाहिए। यदि मद 10(a) का मान 3 है, तो मद 10(b) का मान ≥3 और ≤6 होना चाहिए।	
11. अस्थायी रूप से योजना का "उपयोग में नहीं" कारण कोड	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 और 9 हैं।	
12. स्थायी रूप से उपयोग" योजना का कारण "में नहीं कोड	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 और 9 हैं।	
13. जल वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 हैं। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं पर ही लागू है।	
14. उन्नयन वाले उपकरण का प्रकार	वैध कोड 1, 2, 3, 4 और 9 हैं। (ii) यदि मद 14 में कोड 4 है, तो मद 16, 17 और 18 को अक्षम करें। (iii) यदि मद 14 में कोड 1, 2 और 3 हैं, तो मद 15 में कोड 5 को अक्षम करें। यह मद केवल सतही लिफ्ट योजना पर लागू है। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं पर लागू है।	

15. उन्नयन उपकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत	(i) वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 9 हैं। (ii) यदि मद 14 में कोड 4 है, तो मद 15 में कोड 5 होना चाहिए। यह मद केवल सतही लिफ्ट योजना पर लागू है। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं पर लागू है।	
16. उन्नयन उपकरण का हॉर्स पावर	मान > 0 होना चाहिए। यह मद केवल सतही लिफ्ट योजना पर लागू है। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं पर लागू है। HP सभी ऊर्जा स्रोतों के लिए दर्ज किया जाता है, सिवाय मैनुअल/पशु आधारित	हॉर्स पावर से 10 अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ
17. पंप संचालित दिनों की संख्या	मान >= है 0 यह मद केवल सतही लिफ्ट योजना पर लागू है। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं पर लागू है। पंप संचालन दिवस सभी ऊर्जा स्रोतों के लिए दर्ज किया जाता है, सिवाय मैनुअल/पशु आधारित	
18. प्रति दिन पंपिंग के औसत घंटे	इस मद की जानकारी केवल तभी रिपोर्ट की जानी है जब संबंधित मौसम में मद 17 का मान 0 से अधिक हो। यह मद केवल सतही लिफ्ट योजना पर लागू है। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न	

	होने वाली योजनाओं पर लागू है। पंप संचालन घंटे सभी ऊर्जा स्रोतों के लिए दर्ज किए जाते हैं, सिवाय उन स्थितियों के जब ऊर्जा स्रोत या उठाने वाले उपकरण का प्रकार मानव या पशु आधारित हो।	
19(क) एमएमआई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में स्थित योजना का स्थान	वैध कोड 1, और 2 हैं। (ii) यदि मद 19(a) में कोड 1 है, तो मद 19(b) को अक्षम करें।	
19(b)(i) और (ii): कमांड क्षेत्र में एमएमआई (MMI) परियोजना का नाम और योजना का कारण।	मद 19(b)(ii) के लिए मान्य कोड 1, 2, 3 और 9 हैं।	
19(ग) क्या यह योजना केवल भूजल पुनर्भरण हेतु है	(i) वैध कोड 1, और 2 हैं। (ii)यदि कोड 1 है, तो मद 20 से 30 को अक्षम करें। (iii)यदि कोड 2 है, तो मद 20 से 25 अनिवार्य हैं। (iv) यदि कोड 2 है और योजना उपयोग में तथा अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली है, तो मद 26 से 30 अनिवार्य हैं।	यदि कोड दर्ज किया 1 गया है, तो चेतावनी संदेश दिखाएं क्या" आप सुनिश्चित हैं कि यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के "लिए है?
20. खेती योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए)	मान ≤ 2000 हेक्टेयर होना चाहिए।	)i) यदि मद में कोड 2 है 1, यदि सीसीए >है 500, तो चेतावनी दर्शाएँ)ii) यदि मद में कोड 2 है 2, यदि सीसीए >है 100, तो चेतावनी दर्शाएँ
21. आईपीसी खरीफ	मद 21 ≥ 0 तथा मद 21 ≤ मद 20 होना चाहिए।	

22. आईपीसी रबी	मद 22 ≥ 0 तथा मद 22 ≤ मद 20 होना चाहिए।	
23. आईपीसी बारहमासी	(i) मद 23 ≥ 0 तथा मद 23 ≤ मद 20 होना चाहिए। (ii) मद 21 + मद 23 ≤ मद 20 होना चाहिए। (iii) मद 22 + मद 23 ≤ मद 20 होना चाहिए। (iv) मद 24 + मद 23 ≤ मद 20 होना चाहिए।	
24. आईपीसी अन्य	मद 24 ≥ 0 तथा मद 24 ≤ मद 20 होना चाहिए।	
25. आईपीसी कुल	(i) मद 25 = योग (21 + 22 + 23 + 24) होना चाहिए। (ii) मद 25 ≥ मद 20 होना चाहिए।	
26. आईपीयू खरीफ	मद 26 ≥ 0 तथा मद 26 ≤ मद 21 होना चाहिए।	
27. आईपीयू रबी	मद 27 ≥ 0 तथा मद 27 ≤ मद 22 होना चाहिए।	
28. आईपीयू बारहमासी	मद 28 ≥ 0 तथा मद 28 ≤ मद 23 होना चाहिए।	
29. आईपीयू अन्य	मद 29 ≥ 0 तथा मद 29 ≤ मद 24 होना चाहिए।	
30. आईपीयू कुल	मद 30 = योग (26 + 27 + 28 + 29)	
31. (i) क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है केवल) उपयोग में आने वाली (योजना के लिए)	(i) वैध कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 31(i) में कोड 2 है, तो मद 31(ii) को अक्षम करें।	
31.(ii) कम उपयोग के कारण	वैध कोड 1,2,3,4,5,6 और 9 हैं	
32.योजना द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या	मान >= 1 है	

33(a) डिज़ाइन किया गया भंडारण (क्यूबिक मीटर में)	मान >0 है यदि मद 3.1 में कोड 1, 2, 3 और मद 3.2 में कोड 4 है, तो यह अनिवार्य है।	
33(b) भरा हुआ भंडारण (वर्ष 2023-24 के दौरान)	वैध कोड 1,2,3,4,5 हैं	
33(c) भंडारण के भरने की स्थिति (पिछले 5 वर्षों के आधार पर)	वैध कोड 1,2,3,4 हैं	
34.(क) 21 अंकों का जल निकाय क्रमांक	प्रत्येक फ़ील्ड का मान >=0 होना चाहिए	यह मद केवल सतही लिफ्ट योजनाओं के मामले में वैकल्पिक है
34.(ख) जल निकाय में गाँव में योजनाओं की कुल संख्या	मान >=0	यह मद केवल सतही लिफ्ट योजनाओं के मामले में वैकल्पिक है
34.(ग) जल निकाय में गाँव में योजना की क्रम संख्या।	मान ≤ मद 34(ख) होना चाहिए।	यह मद केवल सतही लिफ्ट योजनाओं के मामले में वैकल्पिक है
35. पीने के पानी के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा रही एमआई योजना?	वैध कोड 1, 2 हैं	
36. क्या यह योजना पूर्व गणना में दर्ज की गई थी	वैध कोड 1, 2 हैं	

संलग्नक -VIII

भूजल अनुसूची के लिए सत्यापन जाँच

मद क्षेत्र/	**सत्यापन जाँच**	**अन्य जाँच**
1. योजना का क्रम संख्या	अद्वितीय और शून्य से बड़ा होना चाहिए।	क्रम संख्या के बिना शेड्यूल जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
2. योजना का प्रकार	(i) वैध कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 2 में कोड 1 है, तो मद 3.2 को अक्षम करें। (iii) यदि मद 2 में कोड 2 है, तो मद 3.1 को अक्षम करें।	
3.1 कुएँ का प्रकार	(i)वैध कोड 1, 2, 3 और 9 हैं। (ii) निम्न स्थितियों में मद 8(c) को अक्षम करें: (a) यदि मद 2 में कोड 2 है, या (b) यदि मद 3.1 में कोड 2, 3, 9 हैं।	
3.2 ट्यूबवेल/बोरवेल का प्रकार	(i)मान्य कोड 1, 2, 3 और 4 हैं। (ii) यदि मद 3.2 में कोड 4 है, तो मद 15 में कोड 1, 2, 3 और 4 को अक्षम करें।	
4. स्वामित्व कोड	(i) मान्य कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 9 हैं। (ii) यदि मद 4 में कोड 1/2/3/4 या 9 है, तो मद 6(a), 6(b), 6(c) और मद 10(a) को अक्षम करें।	
मद 5 (क) और ख)) खसरा संख्या प्लॉट संख्या/ आदि और स्थान विवरण	'शून्य' नहीं होने चाहिए।	
6. (क) मालिक की कुल होल्डिंग	मद 6(क) > 0 तथा मद 6(क) ≤ 9999.999 होना चाहिए।	चेतावनी दिखाएँ जब मान (i) “0” के बराबर हो या (ii) 1000.000 से अधिक हो।

6. (ख) मालिक की सामाजिक स्थिति	वैध कोड 1, 2, 3 और 9 हैं।	
6. (ग) मालिक का लिंग	वैध कोड 1, 2 और 3 हैं।	
7. योजना के चालू होने का वर्ष	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं।	
8(क) कुएँ/ट्यूबवेल की गहराई (मीटर में)	(i) मद 8(क) > 0 और मद 8(क) ≤ 999.99। (ii) यदि मद 3.2 में कोड 1 है, तो मद 8(क) ≤ 35। (iii) यदि मद 3.2 में कोड 2 है, तो मद 8(क) > 35 और ≤ 70। (iv) यदि मद 3.2 में कोड 3 है, तो मद 8(क) > 70।	(i) यदि मद 2 में कोड 1 है, तो मान > 50 होने पर चेतावनी दिखाएँ। (ii) यदि मद 2 में कोड 2 है, तो मान > 150 होने पर चेतावनी दिखाएँ।
8(ख) व्यास (कुआँ हेतु मीटर में तथा ट्यूबवेल हेतु मिलीमीटर में)		यदि मद 2 में कोड 1 है, तो मान > 20 होने पर चेतावनी दिखाएँ।
8(ग) बोर की गहराई (मीटर में) – खोदे गए-सह-बोर कुएँ के मामले में	मद 8(ग) > 0	चेतावनी दर्शाएँ जब मान >150 हो।
8(घ) निकटतम कुआँ/नलकूप की दूरी (मीटर में)	मद 8(घ) > 0 और मद 8(घ) < 50,000 मीटर।	चेतावनी दर्शाएँ जब मान >हो। 500
9(क) निर्माण की लागत (रुपये)	मद 9(क) ≥ 0 और मद 9(क) ≤ 999999999	(i) यदि मद 2 में कोड 1 है तो मान 2,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ। (ii) यदि मद 3.2 में कोड 1 या 2 है तो मान 1,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ। (iii) यदि मद 3.2 में कोड 3 है तो मान 5,00,000 से अधिक

		(>) होने पर चेतावनी दर्शाएँ।
9(ख) मशीनरी की लागत (रुपये)	मद 9(ख) ≥ 0 और मद 9(ख) ≤ 999999999	(i) यदि मद 2 में कोड 1 है तो मूल्य 2,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ। (ii) यदि मद 3.2 में कोड 1 या 2 है तो मूल्य 1,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ। (iii) यदि मद 3.2 में कोड 3 है तो मूल्य 5,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ।
9(ग) रखरखाव की लागत (वर्ष 2023-24 के दौरान) (रुपये)।	मद 9(ग) ≥ 0 और मद 9(ग) ≤ 999999999 तथा मद 9(ग) ≤ मद 9(क)	(i) यदि मद 2 में कोड 1 है तो मूल्य 1,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ। (ii) यदि मद 3.2 में कोड 1 या 2 है तो मूल्य 1,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ। (iii) यदि मद 3.2 में कोड 3 है तो मूल्य 2,00,000 से अधिक होने पर चेतावनी दर्शाएँ।
10(क) वित्त का प्रमुख स्रोत	वैध कोड 1,2,3,4 और 9 हैं।	केवल एक कोड दिए जाने पर भी कोई त्रुटि संदेश नहीं।
10(ख)(i) यदि सरकार/पीएसयू द्वारा कोई सब्सिडी/सहायता प्रदान की गई है, तो निर्माण हेतु राशि	मद 10(ख)(i) ≥ 0 और मद 10(ख)(i) ≤ मद 9(क)	यदि कोई छूट सहायता/ प्रदान नहीं की गई है तो दर्ज किया जाना 'शून्य' है, तथा यदि मद को रिक्त रखा जाता है, तो

		सहायता/यदि कोई छूट' प्रदान नहीं की गई है, तो कृपया शून्य दर्ज करें दर्शाने वाला संदेश ' बॉक्स दिखाया जा सकता है
10(ख)(ii) यदि सरकार/ पीएसयू द्वारा मशीनरी /वितरण उपकरण की लागत हेतु कोई सब्सिडी/सहायता प्रदान की गई है (रुपये)	मद 10(ख)(ii) ≥ 0 और मद 10(ख)(ii) ≤ मद 9(ख)	
11(क) योजना की वर्तमान स्थिति	(i) मान्य कोड 1, 2 या 3 हैं। (ii) यदि मद 11(क) में कोड 1 है, तो मद 11(ख), 12 और 13 को अक्षम करें। (iii) यदि मद 11(क) में कोड 2 है, तो मद 13 और 32 को अक्षम करें। (iv) यदि मद 11(क) में कोड 3 है, तो मद 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 को अक्षम करें।	
11.ख)) यदि उपयोग में नहीं है (वर्ष)	(i) यदि मद 11(क) का मान 2 है, तो मद 11(ख) का मान ≥1 और ≤2 होना चाहिए। (ii) यदि मद 11(क) का कोड 3 है, तो मद 11(ख) का मान ≥3 और ≤6 होना चाहिए।	
12. अस्थायी रूप से योजना का "उपयोग में नहीं" कारण कोड	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 9 हैं।	

13. स्थायी रूप से उपयोग" योजना का कारण "में नहीं कोड	वैध कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 हैं।	
14. जल वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि	मान्य कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 हैं। यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं के लिए अनिवार्य है।	
15. उन्नयन उपकरण का प्रकार	(i) मान्य कोड 1, 2, 3, 4 और 9 हैं। (ii) यदि मद 15 में कोड 4 है, तो मद 17, 18 और 19 को अक्षम करें। (iii) यदि मद 15 में कोड 4 है, तो मद 16 में कोड 1, 2, 3, 4, 6 और 9 को अक्षम करें। (iv) यदि मद 3.2 में कोड 4 (आर्टीशियन कुआँ) है, तो मद 15 में कोड 9 होना चाहिए। (v) यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं के लिए अनिवार्य है।	
16. उन्नयन उपकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत	i) मान्य कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 हैं। (ii) यदि मद 15 में कोड 4 है, तो मद 16 में कोड 5 होना चाहिए। (iii) यदि मद 3.2 में कोड 4 है, तो मद 16 में कोड 1, 2, 3, 4, 5 और 9 को अक्षम करें। (iv) यदि मद 3.2 में कोड 4 (आर्टीशियन कुआँ) है, तो मद 16 में कोड 6 होना चाहिए।	

	(v) यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं के लिए अनिवार्य है।	
17. उन्नयन उपकरण का हॉर्स पावर	(i) मान > 0 होना चाहिए। (ii) यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं के लिए अनिवार्य है। (iii) यदि ऊर्जा का स्रोत मानव/पशु या प्राकृतिक है, तो इस मद को भरना आवश्यक नहीं है।	हॉर्स पावर 30 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।
18. पंप संचालित दिनों की संख्या	(i) मान ≥ 0 होना चाहिए। (ii) यह मद केवल उपयोग में और अस्थायी रूप से उपयोग में न होने वाली योजनाओं के लिए अनिवार्य है। (iii) यदि ऊर्जा का स्रोत मानव/पशु या प्राकृतिक है, तो इस मद को भरना आवश्यक नहीं है।	
19. प्रति दिन पंपिंग के औसत घंटे	(i) इस मद की जानकारी केवल तभी रिपोर्ट की जानी है जब संबंधित मौसम में मद 18 का मान 0 से अधिक हो। (ii) यदि ऊर्जा का स्रोत मानव/पशु या प्राकृतिक है, तो इस मद को भरना आवश्यक नहीं है।	मद 0 से 24 के बीच होना चाहिए।
20(क) योजना का स्थान	(i) मान्य कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 20(क) में कोड 1 है, तो मद 20(ख) को अक्षम करें।	
20(ख)(i) और (ii): एमएमआई परियोजना का	मद 20(ख)(ii) के लिए मान्य कोड 1, 2, 3 और 9 हैं।	

नाम तथा कमांड क्षेत्र में योजना का कारण।		
20(ग) क्या यह योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है?	(i) मान्य कोड 1 या 2 है। (ii) यदि कोड 1 है, तो मद 21 से 31 को अक्षम करें।	यदि कोड दर्ज किया 1 गया है, तो चेतावनी संदेश दर्शाएँ क्या" आप सुनिश्चित हैं कि यह योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के "लिए है?
21. खेती योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए)	मान ≤ 2000 हेक्टेयर होना चाहिए।	जब सीसीए >100हो, तो चेतावनी दर्शाएँ
22. आईपीसी खरीफ	मद 22 ≥ 0 तथा मद 22 ≤ मद 21	
23. आईपीसी रबी	मद 23 ≥ 0 तथा मद 23 ≤ मद 21	
24. आईपीसी बारहमासी	(i) मद 24 ≥ 0 तथा मद 24 ≤ मद 21 (ii) मद 22 + मद 24 ≤ मद 21 (iii) मद 23 + मद 24 ≤ मद 21 (iv) मद 25 + मद 24 ≤ मद 21	
25. आईपीसी अन्य	मद 25 ≥ 0 तथा मद 25 ≤ मद 21	
26. आईपीसी कुल	(i) मद 26 = योग मद (22 + 23 + 24 + 25) (ii) मद 26 ≥ मद 21	
27. आईपीयू खरीफ	मद 27 ≥ 0 तथा मद 27 ≤ मद 22	
28. आईपीयू रबी	मद 28 ≥ 0 तथा मद 28 ≤ मद 23	

29. आईपीयू बारहमासी	मद 29 ≥ 0 तथा मद 29 ≤ मद 24	
30. आईपीयू अन्य	मद 30 ≥ 0 तथा मद 30 ≤ मद 25	
31. आईपीयू कुल	मद31= योग (27+28+29+30)	
32. (i) क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है केवल) उपयोग में आने वाली (योजना के लिए	(i) वैध कोड 1 या 2 है। (ii) यदि मद 32(i) में कोड 2 है, तो मद 32(ii) को अक्षम करें।	
32.(ii) कम उपयोग के कारण	वैध कोड 1,2,3,4,5,9 हैं	
33. पीने के पानी के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा रही एमआई योजना?	वैध कोड 1 और 2 हैं	
34. क्या यह योजना पूर्व गणना में दर्ज की गई थी?	वैध कोड 1 और 2 हैं	

संलग्नक -IX

ग्राम अनुसूची के लिए सत्यापन जाँच

मद संख्या	सत्यापन जाँच का विवरण	अन्य जाँच
1. क्या गाँव आदिवासी-गैर/ आदिवासी है	वैध कोड 1 या 2 हैं।	
1. (क) क्या गाँव बृहद/मध्यम योजना के अंतर्गत आता है?	वैध कोड 1 या 2 हैं।	
2(ख) यदि हाँ, तो बृहद/मध्यम योजना का नाम (नामों) लिखें।	यदि 2(क) का मान 1 हो, तो योजना का नाम भरें।	
3. भौगोलिक क्षेत्र	मान >होना 0 चाहिए	जब मान 20000 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।
4. खेती योग्य क्षेत्र	मान >=0 होना चाहिए तथा मान <= मद 3 होना चाहिए	जब मान 20000 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।
5. शुद्ध बोया गया क्षेत्र	मान >=0 होना चाहिए तथा मान <= मद 4 होना चाहिए	जब मान 20000 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।
6. सकल सिंचित क्षेत्र सभी) (स्रोतों द्वारा		
6.(i) खरीफ	मान ≥ 0 होना चाहिए तथा मान ≤ मद 7 होना चाहिए	जहाँ मान से 10000 अधिक हो, चेतावनी दर्शाएँ।
6.(ii) रबी	मान ≥ 0 होना चाहिए तथा मान ≤ मद 7 होना चाहिए	
6.(iii) बारहमासी	मान ≥ 0 होना चाहिए तथा मान ≤ मद 7 होना चाहिए मद 6(iii)+ मद 6(i)<= मद 7 मद 6(iii)+ मद 6(ii)<= मद 7 मद 6(iii)+ मद 6(iv)<= मद 7	
6.)(v) अन्य	मान ≥ 0 होना चाहिए तथा मान ≤ मद 7 होना चाहिए	
6.(v) कुल सकल सिंचित क्षेत्र	6(v)= 6(i)+ 6(ii)+ 6(iii)+ 6(iv) और मान >= मद 7होना चाहिए	जब मान 20000 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।

7. शुद्ध सिंचित क्षेत्र	मान ≥ 0 होना चाहिए तथा मान ≤ मद 5 होना चाहिए	जब मान 20000 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।
8.(i) मानसून पूर्व औसत भूजल स्तर (मीटर में)	मान > 0 होना चाहिए	जब मान 100 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ।
8.(ii) मानसून पश्चात औसत भूजल स्तर (मीटर में) चेतावनी दिखाएं जहां	मान > 0 होना चाहिए	चेतावनी दिखाएँ जहाँ (i) मान 100 से अधिक हो या (ii) मद 8(ii) का मान > मद 8(i) हो।
9. क्या गांव में जल उपयोगकर्ता संघ डबल्यूयूए)) मौजूद है	मान्य कोड 1, 2 और 3 हैं।	
10 जल निकायों की संख्या का सारांश	फ़ील्ड जल निकायों की अनुसूची से स्वचालित रूप से निर्मित होगी	
11.(i) भूजल योजनाएँ	फ़ील्ड भूजल और सतही अनुसूचियों से स्वचालित रूप से निर्मित होगी।	
11.(ii) सतही जल योजनाएँ		
11.(iii) कुल		

संलग्नक -X

जाँच बिंदु - MI एवं WB गणना

(निम्नलिखित मान्य शर्तें हैं; इन शर्तों का पालन न होने पर अनुसूची को स्क्रूटनी रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाएगा)

जल निकाय (Water Body)

1. यदि मद 6(2) = 1 है, तो जल निकाय की कॉमन आईडी का लिंक SW योजना से होना चाहिए [यदि जल निकाय का उपयोग सिंचाई हेतु हो रहा है, तो उस पर सतही जल योजना उपस्थित होनी चाहिए। इसे जल निकाय आईडी से जाँचा जा सकता है]।
2. यदि मद 6(4) = 1 है, तो मद 12(1) = 2 होना चाहिए [यदि उपयोग न होने का कारण सूख जाना है, तो जल निकाय में वर्ष भर पानी नहीं होना चाहिए]।
3. यदि मद 6(4) = 3 है, तो मद 17 = 1 होना चाहिए [यदि उपयोग न होने का कारण गाद (siltation) है, तो जल निकाय में गाद उपस्थित होनी चाहिए जो उसकी क्षमता को कम कर रही हो]।
4. यदि मद 6(4) = 1 है, तो मद 16 = 5 होना चाहिए [यदि उपयोग न होने का कारण सूख जाना है, तो 2023-24 के दौरान भंडारण भराव नगण्य/शून्य होना चाहिए]।
5. यदि मद 6(4) = 1 है, तो मद 18 = 3 या 4 होना चाहिए [यदि उपयोग न होने का कारण सूख जाना है, तो भंडारण भराव की स्थिति “कभी-कभार भरा हुआ” या “कभी नहीं भरा हुआ” होनी चाहिए]।
6. यदि मद 16 = 5 है, तो मद 18 = 3 या 4 होना चाहिए [यदि 2023-24 में भंडारण भराव नगण्य/शून्य है, तो भंडारण भराव की स्थिति “कभी-कभार भरा हुआ” या “कभी नहीं भरा हुआ” होनी चाहिए]।

सतही जल (Surface Water)

1. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 1 (प्रयोग में है) तथा मद 31(i) = 2 है, तो मद 33(ब) = 1, 2, 3, 4 होना चाहिए [यदि सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, तथा योजना वर्तमान में उपयोग में है और अल्प-उपयोग में नहीं है, तो 2023-24 के दौरान भंडारण भराव पूर्ण, ¾ तक, ½ तक या ¼ तक होना चाहिए]।

2. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 1 (प्रयोग में है) तथा मद 31(i) = 2 है, तो मद 33(ग) = 1 या 2 होना चाहिए [यदि सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, तथा योजना वर्तमान में उपयोग में है और अल्प-उपयोग में नहीं है, तो भंडारण स्थान भरने की स्थिति प्रत्येक वर्ष भरा हुआ या सामान्यतः भरा हुआ होना चाहिए]।

3. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 1 तथा मद 31(i) = 1 और मद 31(ii) = 3 या 4 है, तो मद 33(ब) ≠ 1 होना चाहिए [यदि (i) सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, (ii) योजना उपयोग में है लेकिन अल्प-उपयोग में है, (iii) अल्प-उपयोग का कारण कम जल प्रवाह या भंडारण पूर्ण न भरना है, तो 2023-24 में भंडारण भराव पूर्ण नहीं होना चाहिए]।

4. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 2 तथा मद 11 = 3 या 5 है, तो मद 33(ब) ≠ 1, 2 होना चाहिए [यदि (i) सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, (ii) योजना अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, (iii) अस्थायी रूप से उपयोग न होने का कारण कम जल प्रवाह या भंडारण पूर्ण न भरना है, तो 2023-24 में भंडारण भराव पूर्ण या ¾ तक नहीं होना चाहिए]।

5. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 2 तथा मद 11 = 3 या 5 है, तो मद 33(ग) ≠ 1, 2 होना चाहिए [यदि (i) सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, (ii) योजना की वर्तमान स्थिति अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, (iii) अस्थायी रूप से उपयोग न होने का कारण कम जल प्रवाह या भंडारण पूर्ण रूप से न भरना है, तो भंडारण स्थान भरने की स्थिति “प्रत्येक वर्ष भरा हुआ” या “सामान्यतः भरा हुआ” नहीं होनी चाहिए]।

6. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 3 तथा मद 12(क) = 2 है, तो मद 33(ब) = 5 होना चाहिए [यदि (i) सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, (ii) योजना की वर्तमान स्थिति स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, (iii) स्थायी रूप से उपयोग न होने का कारण सूख जाना है, तो 2023-24 के दौरान भंडारण भराव शून्य/नगण्य होना चाहिए]।

7. यदि मद 3.1 = 1, 2, 3 तथा मद 10(अ) = 3 तथा मद 12(क) = 2 है, तो मद 33(ग) = 4 होना चाहिए [यदि (i) सतही प्रवाह योजना का स्वरूप जलाशय, तालाब/पोखर या अन्य भंडारण है, (ii) योजना की वर्तमान स्थिति स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है,

(iii) स्थायी रूप से उपयोग न होने का कारण सूख जाना है, तो भंडारण स्थान भरने की स्थिति "कभी नहीं भरा गया" होना चाहिए]।

8. यदि मद 19(क) = 2 है, तो मद 19(ख)(i) एवं (ii) उपस्थित नहीं होने चाहिए [यदि योजना प्रमुख/मध्यम योजना के कमांड क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो एमएमआई परियोजना का नाम तथा योजना के एमएमआई परियोजना के कमांड क्षेत्र में होने का कारण रिक्त होना चाहिए]।

9. यदि मद 35 = 1 है, तो मद 10(अ) = 1 या 2 होना चाहिए [यदि एमआई योजना का उपयोग 'पीने के पानी' हेतु किया जा रहा है, तो योजना की वर्तमान स्थिति या तो "प्रयोग में है" या "अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है" होनी चाहिए]।

भूजल अनुसूची (Ground Water Schedule)

1. यदि मद 33 = 1 है, तो मद 11(अ) = 1 या 2 होना चाहिए [यदि एमआई योजना का उपयोग 'पीने के पानी' हेतु किया जा रहा है, तो योजना की वर्तमान स्थिति या तो "प्रयोग में है" या "अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है" होनी चाहिए]।

ग्राम अनुसूची (Village Schedule)

1. मद 3 ≥ मद 4 ≥ मद 5 [भौगोलिक क्षेत्र ≥ कृषि योग्य क्षेत्र ≥ शुद्ध बोया गया क्षेत्र]।

2. मद 7 ≤ मद 6(v) [शुद्ध सिंचित क्षेत्र ≤ कुल सकल सिंचित क्षेत्र]।

3. मद 8(i) ≥ मद 8(ii) [औसत भूजल स्तर (पूर्व मानसून) ≥ (उत्तर मानसून)]।

***

संलग्नक -XI

निधि का प्रावधान

विभिन्न अधिकारियों को उनके सामान्य कर्तव्यों के अलावा सौंपे गए काम की सराहना के प्रतीक के रूप में, न कि अतिरिक्त काम के लिए मुआवजे या पारिश्रमिक के रूप में, जो अधिकारी जिलागांव स्तर पर फील्ड कार्य/ब्लॉक/, जांच, फील्ड कार्य और शेड्यूल के निरीक्षण में शामिल होंगे, उन्हें उचित मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जो 7वीं लघु सिंचाई और जल निकायों की दूसरी गणना के लिए जल संसाधन, आरडी और जीआर विभाग द्वारा राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों/ को जारी किए गए अनुदान से लिया जाएगा। प्राथमिक एवं पर्यवेक्षी कार्यों के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के लिए मानदेय हेतु अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक जिले और ब्लॉक के लिए मानदेय तय है और यह अपेक्षित है कि प्रत्येक जिले और ब्लॉक से केवल एक अधिकारी भरी हुई अनुसूचियों के भौतिक सत्यापन के लिए फील्ड में जाएगा।

मानदेय की दरों में वृद्धि:7वीं एमआई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना में, क्षेत्र कार्य के समन्वय, पर्यवेक्षण और संचालन के लिए मानदेय की दरें निम्नानुसार होंगी:

7वीं एमआई गणना

क्र .सं.	**मद**	**दर (रुपये में)**
क	मानदेय	
1	गणनाकार के लिए प्रति गांव फील्ड भत्ता (अधिकतम)	900
2(i)	प्रति गांव पटवारी भत्ता	300
2(ii)	प्रति ब्लॉक	3170
2(iii)	प्रति जिला	6480
3	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	

3(i)	प्रति बड़ा राज्य 5वीं एमआई अर्थात) संघ राज्य क्षेत्र/ गणना के अनुसार एमआई योजनाओं की संख्या 15,से अधिक है 000, जैसा कि अनुलग्नक में दर्शाया गया है (	18000
3(ii)	प्रति छोटा राज्य 5वीं अर्थात) संघ राज्य क्षेत्र/ एमआई गणना के अनुसार एमआई योजनाओं की 15 संख्या,से कम है 000, जैसा कि अनुलग्नक में दर्शाया गया है(	12000
4	35% योजनाओं और 100% गांव अनुसूची के लिए प्रति गांव जांच	360
ख	प्रति गांव उपयोगकर्ता पुस्तिका की छपाई लागत 10	20
ग	प्रति गांव आकस्मिकता	290
घ	प्रति अनुसूची कम्प्यूटरीकरण लागत अधिकतम) (सत्यापन सहित	3

जल निकायों की दूसरी गणना

क्र.सं.	**मद**	**दर (रुपये में)**
क	मानदेय	
1	गणनाकार के लिए प्रति गांव फील्ड भत्ता (अधिकतम)	720
2	प्रति ब्लॉक	960
3	प्रति जिला	1320
4	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	3600
5	35% जल निकायों की अनुसूची के लिए प्रति गांव जांच	120
ख	प्रति गांव आकस्मिकता	90
ग	प्रति जल निकाय अनुसूची कम्प्यूटरीकरण लागत (सत्यापन सहित अधिकतम)	3

7वीं एमआईगणना और जल निकायों की दूसरी गणना के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के निजी मोबाइल उपकरणों के उपयोग के लिए मानदेय दर 750/- रुपये प्रति गांव होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य संघ राज्य/ क्षेत्र किराए के आधार पर मोबाइल हैंडसेट लेना चाहता है, तो ऐसा करने की छूट इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि कुल लागत ऊपर उल्लिखित आवंटन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

केवल गणना से संबंधित कार्य करने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर आदि खरीदने की लागत के लिए प्रति राज्य 5,00,000/- रुपये का प्रावधान रखा गया है।

इसके अलावा, जल निकायों की दूसरी गणना की कुल लागत का 20% फील्डवर्क, उपयोगकर्ता मैनुअल की मुद्रण लागत और डेटा सत्यापन लागत, जांच, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, राज्य स्तर पर समन्वय, शहरी क्षेत्रों के लिए आकस्मिक व्यय आदि के लिए निर्धारित किया गया है।

आकस्मिक राशि निम्नलिखित पर खर्च की जानी है

i. प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को राज्यजिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना/,

ii. एमआई गणना के लिए विज्ञापन, प्रचार आदि,

iii. गणना के दौरान केवल पर्यवेक्षी कार्य के लिए केंद्रीय और सांख्यिकी सेल टीमों द्वारा उपयोग किया जाने वाला परिवहन।)XII पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई पद्धति के अनुसार, परिवहन पर व्यय राज्यों के कुल आकस्मिक राशि का 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, केरल को छोड़कर जहां यह कुल आकस्मिक निधि का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए । वाहनों की सुविधा केवल राज्य मुख्यालय(में पात्र अधिकारियों के लिए लागू है। जिला पात्र मुख्यालय-गैर/तहसील/ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरे के लिए वाहनों को किराए पर लेने की अनुमति नहीं है। आकस्मिकता शीर्ष के तहत प्रदान की गई निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

iv. जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण मानदेय प्रदान करना, जो प्रगणकों और ब्लॉक स्तर के पर्यवेक्षकों को परिवहन सहित अधिकतम रु 1650/- प्रतिदिन होगा

v. प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रति प्रगणकब्लॉक अधिकारी को टीए/, डीए के रूप में रुपये प्रदान करना तथा 165

vi. गणना के दौरान होने वाले आकस्मिक प्रकृति के अन्य अप्रत्याशित विविध व्यय, जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत/7वीं एमआई गणना के लिए राज्य कुल आकस्मिक व्यय की सीमा के अधीन होंगे। जल निकायों की दूसरी गणना 90 के लिए प्रति गांव/- रुपये की आकस्मिक राशि प्रदान की गई है, क्योंकि जल निकायों की गणना का प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि 7वीं एमआई गणना के साथ अभिसरण में किया जाएगा।

vii. इसके अलावा, जहां स्वीकृत पद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से भरे नहीं गए हैं या लंबे समय से खाली पड़े हैं, वहां रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित राज्यों संघ/ राज्य क्षेत्रों के तहत स्वीकार्य नियमों के अनुसार अनुबंध प्रतिनियुक्ति के आधार/ पर अस्थायी कर्मचारियों को लगाया जा सकता है।

क्षेत्र भत्ता .7वीं एमआई गणना के लिए प्रति गांव अधिकतम क्षेत्र भत्ता रू **:**900 -/ है, जो लचीला है और इसे राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने राज्यों में/ जाना है। इसी तरह, जल निकायों की दूसरी गणना के लिए प्रति गांव अधिकतम क्षेत्र भत्ता रु .720है -/, जो लचीला है और राज्यों संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनके/ राज्यों में जल निकायों की अनुमानित संख्या, उनके राज्यों में दूरी और भूभाग को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना है। क्षेत्र भत्ता लचीला है और राज्यों संघ/ शासित प्रदेशों द्वारा योजनाओं की संख्या, उनके राज्यों में दूरी और भूभाग को ध्यान में रखते हुए उचित विचार विमर्श के बाद तय किया जाना है। उदाहरण- :के लिए

सा •मान्य भूभाग वाले राज्य में, यदि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं की संख्या में बहुत अधिक भिन्नता है, तो राज्य से कम योजनाओं 50 रुपये 470 वाले गांवों के लिए, से कम 100 से ज्यादा लेकिन 50 रुपये 625 योजनाओं वाले गांवों के लिए, से 300 से ज्यादा लेकिन 100 कम योजनाओं वाले गांवों के लिए से अधिक 300 रुपये और 780 रुपये देने का निर्णय ले सकता है। 900 योजनाओं वाले गांवों के लिए

- किसी पहाड़ी राज्य में जहां योजनाओं की संख्या कम है और भूभाग एक समान है, वहां रुपये 470 से कम योजनाओं वाले गांवों के लिए 10, 10 से अधिक लेकिन रुपये 625 से कम योजनाओं वाले गांवों के लिए 20, 780 से कम योजनाओं वाले गांवों के लिए 50 से अधिक लेकिन 20 रुपये दिए 900 से अधिक योजनाओं वाले गांवों के लिए 50 रुपये और जाएंगे।

- पहाड़ी क्षेत्रों में जहां योजनाओं के बीच की दूरी अधिक है और/मैदानी योजनाएं कम हैं, योजनाओं की संख्या कम होने पर भी रुपये प्रति 900 गांव रखा जा सकता है।

- जल निकाय अनुसूचियों की गणना के लिए •, यानी से कम जल निकायों 5 रुपये 375 वाले गांवों के लिए, से कम जल 10 से अधिक लेकिन 5 रुपये 500 निकायों वाले गांवों के लिए, 30 से अधिक लेकिन 10 से कम जल निकायों वाले गांवों के लिए से अधिक 30 रुपये और 625 रुपये। 720 जल निकायों वाले गांवों के लिए

- शहरी जल निकायों की गणना में •, 'गांव' के अनुरूप समतुल्य भौगोलिक क्षेत्र वार्ड या वार्डों का समूह या शहर हो सकता है। वार्डों का आकार राज्य दर राज्य या राज्य के भीतर अलग अलग होता है। इसलिए किसी राज्य-में प्रति वार्ड या वार्डों के समूह या शहर के लिए मानदेय की दर के बारे में निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है, जो एक गांव के लिए निर्धारित अधिकतम रुपये के अधीन होता है। राज्य सरकार छोटे 720 रुपये 125 वार्ड के लिए, रुपये या 500 वार्डों के समूह के लिए 10 से 5 रुपये देने का फैसला कर सकती है 720 छोटे शहर के लिए, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये होगी। 720

35% जांच के लिए मानदेय की दर राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार प्रति वार्ड 120 शहर के लिए अधिकतम/वार्डों के समूह/रुपये होगी। इसी तरह, प्रति वार्ड रुपये तक 90 शहर के लिए आकस्मिक व्यय अधिकतम/वार्डों के समूह/ सीमित होगा। तथापि, शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की गणना के संचालन के लिए मानदेय, जांच और आकस्मिकता की दर निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा

जाना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की गणना के संचालन की कुल लागत अर्थात् क्षेत्रीय कार्य), जांच, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, राज्य स्तर पर समन्वय, आकस्मिकता, अनुसूचियों की मुद्रण लागत और सत्यापन लागत राज्य में जल (के (शहरी+अर्थात् ग्रामीण) निकायों की दूसरी गणना के संचालन की कुल लागत 20% से अधिक न हो।

पटवारी भत्ता: पटवारी के लिए रुपये रखे गए हैं 300, जो गांव में गणना के लिए डेटा संग्रह के लिए गांव की अनुसूची तैयार करेंगे और गणनाकर्ता को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। फॉर्म जमा करने के तुरंत बाद यह राशि पटवारी को सौंप दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एसएनए से संबंधित प्रक्रियाओं निर्देशों/ के माध्यम से राज्य को (एसएनए) का पालन करते हुए एकल नोडल एजेंसी निधि जारी की जाएगी। इन निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए सीएसएस के लिए किसी राज्य के लिए निर्धारित राशि का 25% से अधिक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जारी नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा एक बार) 25 में वार्षिक अनुदान का% से अधिक नहीं पहले जारी की गई निधियों के (75 कम से कम% के उपयोग और पिछली मंजूरी की शर्तों के अनुपालन पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाने वाली/ संघ/राशि गणना गतिविधियों के पूरा होने के चरण पर भी निर्भर करेगी। राज्य 7वीं लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना से संबंधित राज्य क्षेत्र 25 कार्य शुरू करने के लिए कुल अनुमानित लागत का% अग्रिम रूप से प्राप्त करने के पात्र होंगे, अगला 25%, औजारों उपकरणों की तैयारी/प्रौद्योगिकियों/ सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय प्रशिक्षणों को पूरा करने और जमीनी स्तर पर प्राथमिक गणनाक्षेत्रीय कार्य शुरू करने सहित प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद/, अगला 25% क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के बाद और शेष 25% डेटा सत्यापन पूरा होने और गणना के आंकड़ों पर मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की अंतिम/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अनुदान/टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मिलेगा। राज्यों उपरोक्त अनुच्छेदों में बताए गए मानदंडों केअनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मेजबान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय/

प्रशिक्षण कार्यशालाएं और डेटा प्रसंस्करण कार्यशालाएं आयोजित करने, राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र स्तर की गणना रिपोर्ट प्रकाशित करने और छठी एमआई गणना और जल निकायों की पहली गणना के शेष व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक राज्य 7वीं एमआई संघ राज्य क्षेत्र के लिए/ गणना और जल निकायों की दूसरी गणना दोनों के लिए गणना का कुल अनुदान वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमानित किया गया है और कुल किए गए कार्य के आधार पर इसे संशोधित किया जा सकता है। राज्य पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय गणना के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा के साथ दोनों गणनाओं के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत-करेंगे।

***

संलग्नक -XII

डेटा गणना के लिए अनुशंसित मोबाइल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन

डेटा संग्रह के लिए, उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन की विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं:

1. ऑपरेटिंग सिस्टम

या उसके बाद का संस्करण 10 एंड्रॉइड :एंड्रॉइड संस्करण •

आधुनिक ऐप्स, सुरक्षा पैच और सुचारू सिस्टम संचालन के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करता हो।

2. हार्डवेयर विशिष्टताएँ:

:रैम •6 जीबी या अधिक

अधिक डेटा वाले अनुप्रयोगों और एकाधिक कार्यों को बिना किसी अंतराल के एक साथ चलाने के लिए पर्याप्त मेमोरी प्रदान करता हो।

:संग्रहण क्षमता •64जीबीया अधिक

व्यापक डेटा संग्रह, बड़े डेटासेट के संग्रहण और डेटा गहन ऐप्स के सुचारू-संचालन की अनुमति देता हो। अतिरिक्त स्थान के लिए विस्तारणीय भंडारण फायदेमंद है। (एक्स्पेंडेबल स्टोरेज)



जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लघु सिंचाई विंग (सांख्यिकी)

द्वितीय तल, बी विंग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

Mistat-mowr@gov.in